खण्ड ५—अंक ७
२५ जुलाई, १९५६ (बुधवार)

लोक-सभा
वा द - वि वा द

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

सत्यमेव जयते

1st Lok Sabha

(XIII Session)

(खण्ड ५ में अंक १ से अंक २० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

पच्चीस नये पैसे (देश में)

एक शिलिंग (विदेश में)

175 L.S.

विषय-सूचि

(खण्ड ५, संख्या १–२०—१६ जुलाई से १० अगस्त)

पृष्ठ

अंक १, सोमवार, १६ जुलाई, १९५६

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण . . . १

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १, ३ से ८, १० से १२, १४ से २१, २३ से २५, २७ और २९ से ३१ . . . . १–२४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २, ९, १३, २२, २८ और ३२ से ३४ . २४–२६

अतारांकित प्रश्न संख्या १ से २२, २४ और २५ . . . २६–३६

दैनिक संक्षेपिका . . ३८–३९

अंक २, मंगलवार, १७ जुलाई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३५, ३९, ४१, ४२, ४४ से ५०, ५२ से ५७, ६० और ६१ . . . . . ४१–६२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३६ से ३८, ४०, ४३, ५१, ५८, ५९, ६२ से ६७ . . . . . ६२–६७

अतारांकित प्रश्न संख्या २६ से ५९ . ६७–८०

दैनिक संक्षेपिका . ८१–८३

अंक ३, बुधवार, १८ जुलाई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६८, ६९, ७१ से ७४, ७६, ७८, ८०, ८२, ८३, ८५, ८६, ८८, ९० से ९३, ९६ से ९९ . . . ८५–१०६

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या ७०, ७५, ७७, ७९, ८१, ८४, ८७, ८९, ९४, ९५, १०० से ११३, ११५ से १२८ . . . . १०६–१९

अतारांकित प्रश्न संख्या ६० से ८१, ८३ . . . ११९–२६

पृष्ठ

तारांकित प्रश्न संख्या के उत्तर में शुद्धि . . १२६

दैनिक संक्षेपिका १२८–३०

अंक ४, शुक्रवार, २० जुलाई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या १२९ से १३२, १३४, १३६ से १३८, १४०, १४१ १४३, १४७, १५० से १५३, १५६, १५७, १३५ और १३९ . १३१–५३

प्रश्नों के लिखित उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या १३३, १४४ से १४६, १४८, १४९, १५४, १५५, १५८ . . . . . १५४–५६

अतारांकित प्रश्न संख्या ८४ से १०१ १५६–६४

दैनिक संक्षेपिका . . १६५–६६

अंक ५, शनिवार, २१ जुलाई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या १५९ से १६७, १६९, १७१, १७२, १७४ से १७६ और १८० से १८६ . . . . . १६७–९०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ १९०–९२

प्रश्नों के लिखित उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या १६८, १७०, १७३, १७७, १७८ और १८७ से१९६ १९२–९६

अतारांकित प्रश्न संख्या १०२ से १३० १९७–२०९

दैनिक संक्षेपिका २१०–१२

अंक ६, मंगलवार, २४ जुलाई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या १९७ से २०२, २०४ से २०६, २०८, २०९, २१२ २१३, २१६ से २२७, २१५ और २१० . . . २१३–३६

प्रश्नों के लिखित उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या २०३, २०७, २११, २१४ २३६–३७

अतारांकित प्रश्न संख्या १३१ से १३९ २३७–४१

दैनिक संक्षेपिका २४२–४३

पृष्ठ

अंक ७, बुधवार, २५ जुलाई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २३८ से २४२, २४४ से २५२, २५४ और २५५ . २४४–६५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २४३, २५३ और २५६ से २८६ २६६–७५

अतारांकित प्रश्न संख्या १४० से १७६ . . २७६–८८

दैनिक संक्षेपिका . . . २८९–९१

अंक ८, गुरुवार, २६ जुलाई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २८७ से २९२, २९४ से २९८, ३०० से ३०२ ३०४ से ३११ और ३१४ . २९२–३१४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २९३, २८८, ३०३, ३१२, ३१३, ३१५ से ३३८ और ३४१ . . . ३१४–२४

अतारांकित प्रश्न संख्या १७७ से २१ ३२४–३५

दैनिक संक्षेपिका . . ३३६–३७

अंक ९, शुक्रवार, २७ जुलाई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३४२, ३४४, ३४६ से ३४८, ३५४, ३७४, ३४९ से ३५३, ३५५, ३५६, ३५८, ३५९ और ३६१ से ३६७ ३३९–५७

अल्प-सूचना प्रश्न संख्या २ से ४ ३५७–६७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न ३४३, ३४५, ३५७, ३६०, ३६४ से ३७३, ३७५ से ३८२ और ३८४ से ३९३ . . . . . ३६७–७७

अतारांकित प्रश्न संख्या २१२ से २४० . ३७७–८७

दैनिक संक्षेपिका ३८८–९०

अंक १०, शनिवार, २८ जुलाई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३९६, ३९८ से ४००, ४०२ से ४०६, ४०८, ४११, ४१२, ४१५, ४१७, ४१८, ४२०, ४२१, ४२३, ४२६, ४२९, ४३१, ४३२ ४३५ और ४३६ . . . ३९१–४११

पृष्ठ

अल्प सुचना प्रश्न संख्या ५ . . ४१२–१३

प्रश्नों के लिखित उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या ३९४, ३९५, ३९७, ४०१, ४०७, ४०९, ४१०, ४१३ ४१४, ४१६, ४१९, ४२४, ४२५, ४२८, ४३०, ४३३, ४३४, और ४३७ से ४४७ . . . . . ४१३–२२

अतारांकित प्रश्न संख्या २४१ से २६१ . . ४२२–२९

दैनिक संक्षेपिका ४३०–३२

अंक ११, सोमवार, ३० जुलाई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या ४५१ से ४५४, ४५६ से ४६०, ४६२, ४६३, ४६६, ४६८, ४६९, ४७१ से ४७७ और ४७९, ४८० . . . ४३३–५३

प्रश्नों के लिखित उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या ४४८ से ४५०, ४५५, ४६१, ४६४, ४६५, ४६७, ४७०, ४७८ और ४८१ से ५०० . . . . ४५३–६३

अतारांकित प्रश्न संख्या २६२ से २९६ . ४६३–७६

दैनिक संक्षेपिका ४७७–७९

अंक १२, मंगलवार, ३१ जुलाई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या ५०५ से ५०९, ५११ से ५२२, ५२५, ५२८, ५२९, ५३१ और ५३४ से ५३६ . . . . ४८१–५०२

प्रश्नों के लिखित उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या ५०१ से ५०४, ५१०, ५२३, ५२४, ५२६, ५२७, ५३०, ५३२, ५३३, ५३७ से ५३९ और ५४१ से ५५७ . . ५०३–१३

अतारांकित प्रश्न संख्या २९७ से ३३६ . ५१३–२४

दैनिक संक्षेपिका . ५२५–२६

अंक १३, बुधवार, १ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५६०, ५६१, ५६३ से ५६५, ५६७, ५६८, ५७१, ५७३ से ५७७, ५७९ और ५८० . . . . ५२९–४८

प्रश्नों के लिखित उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या ५५८, ५५९, ५६२, ५६६, ५६९, ५७०, ५७२, ५७८ ५८१ से ५९८, ६०० से ६०६, ६०८ और ६०९ . . ५४९–५९

पृष्ठ

अतारांकित प्रश्न संख्या ३३७ से ३५१ . ५५९–६४

दैनिक संक्षेपिका . ५६५–६७

अंक १४, गुरुवार, २ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या ६११, ६१३ से ६१७, ६१९ से ६२४, ६२६ सें ६२९, ६३१ से ६३४, ६३७, ६३८, ६४० से ६४२ और ६४४ . . ५६९–९०

प्रश्नों के लिखित उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या ६१०, ६१२, ६१८, १२५, ६३०, ६३५, ६३६, ६३९ ६४३ और ६४५ से ६७२ . . . . ५९०–६०२

अतारांकित प्रश्न संख्या ३५२ से ३८२ . . ६०२–१३

दैनिक संक्षेपिका ६१४–१६

अंक १५, शुक्रवार, ३ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्यां ६७३ से ६७८, ६८०, ६८२ से ६८४, ६८६, ६८७, ६९०, ६९१, ६९३, ६९५ से ६९८ और ७०१ से ७०५ . . ६१७–३८

प्रश्नों के लिखित उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या ६७९, ६८१, ६८५, ६८८, ६८९, ६९२, ६९४, ७०० और ७०६ से ७२१ . . . . ६३८–४५

अतारांकित प्रश्न संख्या ३८३ से ४१२ और ४१४ . ६४५–५६

दैनिक संक्षेपिका . . . ६५७–५९

अंक १६, सोमवार, ६ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या ७२२ से ७२७, ७२९ से ७३३, ७३५ से ७३७, ७४१ से ७४३, ७४६ और ७४८ से ७५० . . . ६६१–८०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६ ६८१–८२

प्रश्नों के लिखित उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या ७२८, ७३४, ७३८ से ७४०, ७४५, ७४७, ७५१ से ७५५, ७५७ से ७७६, ७७८ से ७८०, ७८२ और ७८३ . . ६८२–९४

अतांरकित प्रश्न संख्या ४१५ से ४३९ और ४४१ से ४४३ ६९४–७०४

दैनिक संक्षेपिका ७०५–०६

पृष्ठ

अंक १७, मंगलवार, ७ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७८४, ७८६, ७८७, ७८९, ७९०, ७९२ से ७९७, ७९९ से ८०३, ८०५, ८०६, और ८०८ से ८१० . . ७०९–३०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ७ . ७३०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७८५, ७८८, ७९१, ७९८, ८०४, ८०७, ८११ से ८३६ और ८३८ से ८४७ . . . ७३०–४३

अतारांकित प्रश्न संख्या ४४४ से ४८६ और ४८८ से ४९४ ७४४–६०

दैनिक संक्षेपिका . ७६१–६४

अंक १८, बुधवार, ८ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८४८ से ८६७, ८६९, ८७० . ७६५–८५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८६८, ८७१ से ८९३ ७८५–९३

अतारांकित प्रश्न संख्या ४९५ से ५२९ . ७९३–८०४

दैनिक संक्षेपिका . ८०५–०७

अंक १९, गुरुवार, ९ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८९४, ८९६ से ९००, ९०३, ९०५ से ९०७, ९०९, ९१४, ९१५, ९१८, ९२१ से ९२३, ९२५ से ९३१ . . ८०९–३०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८९५, ९०१, ९०२, ९०४, ९०८, ९१० से ९१३, ९१६, ९१७, ९१९, ९२०, ९२४, ९३२ से ९४२ ८३०–३७

अतारांकित प्रश्न संख्या ५३० से ५५३ ८३७–४६

दैनिक संक्षेपिका ८४७–४८

अंक २०, शुक्रवार, १० अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९४४ से ९४७, ९४९, ९५०, ९५३ से ९५७, ९५९ से ९६४, ९६६, ९८४, ९६७ और ९६८ . . . ८५१–७१

पृष्ठ

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ८ . . . . ८७१

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ९४३, ९४८, ९५१, ९५२, ९५८, ९६५, ९६९ से ९८३ और ९८५ से ९९३ . . . . . ८७१–८०

अतारांकित प्रश्न संख्या ५५४ से ६०३ . . . ८८०–९६

दैनिक संक्षेपिका ८९७–९००

भा. स. मु. ना.--वि.३--१८८ लोक सभा/५६—२-४-५८—१९०

लोक-सभा

बुधवार, २५ जुलाई, १९५६

लोक-सभा ११ बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

टेहरी-गढ़वाल क्षेत्र में टेलीफोन

*२२८. **श्री भागवत झा आजाद :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या टेहरी-गढ़वाल के तिब्बत से निकट वाले स्थानों में टेलीफोन की सुविधायें देने का कोई विचार है ?

संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम) : इस प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

श्री भागवत झा आजाद : क्या में जान सकता हूं कि कितने समय तक इस प्रस्ताव की जांच समाप्त हो जाने की आशा है ?

श्री जगजीवन राम : जांच तो पहले भी की गई थी लेकिन यह पाया गया कि टेलिफोन लगाने से बहुत अधिक घाटा होगा। इसके बाद यू० पी० सरकार से इस के बारे में बात हो रही है। उनकी तरफ से अभी तक कोई संतोषजनक उत्तर नहीं आया है। फिर भी इस मामले की जांच हो रही है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से घाटे को कम किया जा सकता है या नही या कहां कहां हम टेलिफोन या टेलिग्राफ लगायें।

श्री भागवत झा आजाद : क्या यह बताया जा सकता है कि अनुमानतः इस योजना पर कितना खर्च किया जायेगा और कितना घाटा होगा ?

श्री जगजीवन राम : कितना खर्च होगा इसका अदाज़ तो मेरे पास नहीं है लेकिन जिन जिन स्थानों पर टेलीफोन की सुविधायें उपलब्ध की जानी थीं वहां पर ये उपलब्ध की जातीं तो ३५,००० रुपये सालाना का घाटा होता।

†**श्री ब० द० पांडे :** मैं सीमा क्षेत्र का रहनेवाला हूं। मुझे मालम है कि इतनी ऊचाई पर तार और टेलिफोन ठीक काम नहीं कर सकते क्योंकि वहां बर्फ के तुफान आते हैं और अनेक दुर्घटनायें होती हैं। मुझे बद्रीनाथ से एक पत्र प्राप्त हुआ है जिस मे कहा गया है कि वायरलैस सेट रख जाने चाहिये क्योंकि टेलिफोन की आवाज़ कोट द्वार में भी सुनाई नहीं पड़ती।

†**अध्यक्ष महोदय :** आप का प्रश्न क्या है ?

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री ब० द० पांडे :** मेरा सुझाव यह है कि वहां वायरलैस सेट रखे जायें और जनता को वे भी उपलब्ध कराये जायें।

†**श्री जगजीवन राम :** मेरे उत्तर से शायद माननीय सदस्य संतुष्ट हो सकेंगे। हम वास्तव में यही काम करने वाले हैं और इस की जांच कर रहे हैं। हम जानते हैं कि वहां तार की लाइन से काम नहीं चल सकता, इसी लिये हम ने उत्तर काशी में एक सिग्नल टेलीग्राफ दफ्तर खोला है। यदि माननीय सदस्य को उत्तर काशी का हाल मालूम है तो उन्हें याद होगा कि हम उस वायरलैस का प्रयोग मौसम के आधार पर करते हैं। किन्तु वायरलैस का प्रबंध और पुनरावर्तक व्यय, तार की लाइन की अपेक्षा कहीं अधिक मँहगा पड़ता ह। हम वास्तव में वायरलैस संस्थापन की व्यवहारिकता पर इसीलिये अधिक विचार कर रहे हैं।

श्रीमती कमलेन्दुमति शाह : क्या मैं जान सकती हूं कि सरकार ने जहां जहां टेलिफोन की लाइनें बिछा दी हैं उन को ठीक हालत में रखा जाता है ? मैं आप को बतलाना चाहती हूं कि ऋषिकेष से उत्तर काशी तक टेलिफोन की लाइन बिल्कुल भी अच्छी हालत में नहीं है। इस वास्ते जहां लाइनें बन चुकि हैं उन लाइनों को सुधारने का प्रयत्न भी क्या सरकार करेगी ?

श्री जगजीवन राम : जहां जहां खराबियां होती हैं उन को सुधारना डिपार्टमेन्ट का कर्तव्य है और वह उन को सुधारता भी है।

कोयला खान भविष्य निधि

†*२२९. **श्री त० ब० विट्ठल राव :** क्या **श्रम** मंत्री २७ फरवरी, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या २५१ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खान भविष्य निधि योजना के अधीन नियोजक के अंशदान की ज़ब्ती के उपबंधों को उदार करने की दिशा में अभी तक कोई निश्चय किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या निश्चय किया गया ; और

(ग) वह योजना कब लागू की जायेगी ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :** (क) जी हां।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता हैं। [**देखीये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २७**]

(ग) अधिसूचना शीघ्र ही जारी की जायेगी।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** कोयला खान भविष्य निधि को कर्मचारी भविष्य निधि के ही समान बनाने में सरकार को क्या कठिनाई हो रही है ?

†**श्री आबिद अली :** कोयला खान भविष्य निधि में भी काफी रियायत की गई है। मैं समझ नहीं सका कि माननीय सदस्य का क्या दृष्टिकोण है जिससे वे समझते हैं कि मजदूरों को अधिक लाभ होगा।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** कोयला खान भविष्य निधि के अधीन, कुल सेवा के वर्षों के जोड़ते समय केवल वही अवधि जोड़ी जाती है जब से कोई व्यक्ति भविष्य निधि में अपना अंश देने लगा हो जब कि कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम में नौकरी का पूरा समय जोड़ा जाता है।

†**श्री आबिद अली :** उस योजना में यह जरूरी है कि उसका सदस्य होने से पूर्व नौकरी का एक वर्ष पूरा हो चुका हो जब कि कोयला खान भविष्य निधि में मजदूर तीन मास के बाद ही शरीक हो सकता है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** मैं जानना चाहता हूं कि अंशदान की दर को बढ़ा कर ६ ३/४ प्रतिशत से ८ १/३ प्रतिशत करने का निर्णय कब तक दिया जायेगा ?

†**श्री आबिद अली :** पता नहीं, माननीय सदस्य को कहां से मालूम हुआ है कि दर बढ़ाई जा रही है।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** श्रीमान्, मैं उत्तर को समझ नहीं सका।

†**अध्यक्ष महोदय :** उन का कथन है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** पिछले सत्र में यह कहा गया था कि योजना आयोग ने यह सिफारिश की है दर बढ़ाने पर और आगे विचार किया जाये।

†**श्री आबिद अली :** हां। जहां तक योजना आयोग का प्रश्न है, इस विषय पर उन की रिर्पोट में विचार किया गया है, किन्तु हम ने इस कार्य के लिये कोई तारीख निश्चित नहीं की है।

त्रावनकोर-कोचीन परिवहन जांच आयोग

†*२३०. **श्री अ० क० गोपालन :** क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा नियुक्त त्रावनकोर-कोचीन परिवहन जांच आयोग ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उन की क्या सिफारिश है ;

(ग) यदि नहीं तो प्रतिवेदन कब तक दिया जायेगा ;

(घ) विलंब के क्या कारण हैं ; और

(ङ) क्या सरकार जांच आयोग की सिफारिशों को लागू करने से पहले राज्य परिवहन कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों से परामर्श लेगी ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां) :** (क) जी हां।

(ख) यह एक लंबी रिर्पोट है जिस में ३०० से अधिक सिफारिशें हैं।

(ग) और (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

(ङ) राज्य सरकार ने संघ के प्रतिनिधियों से पहले ही परामर्श ले लिया था।

†**श्री अ० क० गोपालन :** परिवहन जांच आयोग की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए, क्या सरकार त्रावनकोर-कोचीन के शेष १८०० मील मार्ग का राष्ट्रीयकरण करने के लिये पग उठाएगी जो गैर-सरकारी लोगों के हाथ में हैं ?

†**श्री शाहनवाज़ खाँ :** वह प्रतिवेदन अभी एक गोपनीय विषय है जो राज्य सरकार के विचाराधीन है।

†**श्री वे० प० नायर :** रिपोर्ट दिये जाने के तुरंत बाद और उसके प्रकाशन से पूर्व यह पता चला है कि एक व्यक्ति का आयोग, जिसे राज्य परिवहन की समस्याओं की जांच के लिये नियुक्त किया गया था, स्वयं उसी व्यक्ति को राज्य परिवहन का विशेष निर्देशक नियुक्त कर दिया गाया। क्या यह काम आयोग की सिफारिशों के अनुसार किया गया था ?

†**श्री शाहनवाज़ खाँ :** यह राज्य सरकार का दायित्व है और ये प्रश्न यदि राज्य सरकार से पूछे जायें तो अच्छा होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री वे० प० नायर :** मैं माननीय मित्र को यह बताना चाहता हूं कि वहां आजकल कोई राज्य सरकार नहीं है। अतः म आपने प्रश्न का उत्तर चाहता हूं।

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** क्या माननीय सदस्य अपने प्रश्न को दोहरायेंगे ?

†**श्री वे० प० नायर :** रिपोर्ट दिये जाने के तुरन्त बाद और उसके प्रकाशन से पूर्व यह पता चला है कि जिस व्यक्ति ने जांच की थी तथा एक व्यक्ति की जांच आयोग के रूप में कार्य किया था उसी व्यक्ति को राज्य परिवहन का विशेष निदेशक नियुक्त कर दिया गया। क्या यह काम आयोग की सिफारिशों के अनुसार किया गया था ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** उस व्यक्ति को उस समय से पूर्व कैसे नियुक्त किया जा सकता था जब कि उसने जांच की और अपनी रिपोर्ट दी ? उसे शायद उस समय नियुक्त किया गया था जब प्रतिनिधि त्रावनकोर सरकार चल रही थी। अब वहां मंत्रणा दाता है। उन्होंने रिपोर्ट तो दे दी है किन्तु वह अभी प्रकाशित नहीं हुई है।

†**श्री अ० म० थामस :** शेष मार्गों के राष्ट्रीयकरण के बारे में इस समिति ने क्या सिफारिश की है और इस विषय में आयोग ने रिपोर्ट में जो प्रस्ताव दिये हैं तथा योजना आयोग ने इस के बारे में जो सुझाव दिये हैं उन के प्रति सरकार का क्या दृष्टिकोण है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** मेरे विचार से यह प्रश्न पहले भी किया गया था।

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) :** जब तक रिपोर्ट प्रकाशित न हो हम कुछ नहीं कह सकते। यह रिपोर्ट अभी एक गोपनीय विषय है।

†**श्री दामोदर मेनन :** क्या आयोग की सिफारिश पर त्रावनकोर-कोचीन सरकार ने कोई निश्चय किया है ?

†**श्री शाहनवाज़ खाँ :** मैंने अभी बताया है कि यह विषय विचाराधीन है और इसे अभी प्रकट नहीं किया गया है।

†**श्री वे० प० नायर :** माननीय मंत्री बार बार यह कह रहे हैं यह एक गोपनीय विषय है। मैं जानना चाहता हूं कि यह रिपोर्ट सरकार को कब दी गई थी और उस में ऐसी मुख्य बातें क्या हैं जिन के कारण सरकार उसे गोपनीय समझती है। जहां तक हमें मालूम है, उसमें परिवहन विभाग के आये दिन के कामों का ज़िक्र है।

†**श्री शाहनवाज़ खाँ :** यह रिपोर्ट फरवरी, १९५६ में राज्य सरकार को दी गई थी और यह आयोग राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था और उस रिपोर्ट को प्रकाश में लाना राज्य सरकार का काम है।

†**श्री वे० प० नायर :** इसीलिये यह गोपनीय है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** राज्य सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी हैं।

†**श्री वे० प० नायर :** भारत सरकार कहती है कि यह एक गोपनीय विषय है।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** राज्य सरकार ने यह कहा है कि जब तक आयोग की रिपोर्ट प्रकाश में न आ जाये, उसे गुप्त रखा जाये।

†**श्री वे० प० नायर :** हो सकता है यह उन की सलाह है इस लिये हम अभी आयोग की सिफारिशों को बताना नहीं चाहता।

---

†मूल अंग्रेजी में।

आसाम में रज्जुपथ योजना

†*२३१. **श्री अमजद अली :** क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खांसी और जैन्तिया पहाड़ियों में शेल्ला बाजार और आसाम में अमीनगांव को मिलाते हुए एक रज्जुपथ बनाने के लिये भारत सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय टेंडर मांगे जा रहे हैं ;

(ख) इस योजना के लिये भारत सरकार द्वारा कितनी राशी का अनुमान लगाया गया है और स्वीकृति दी गई है ;

(ग) आसाम में खासी और जैन्तिया पहाड़ियों के जिले से इस रज्जुपथ द्वारा मुख्यतः कौन सी वस्तुएँ भेजी जायेंगी ; और

(घ) क्या यह रज्जुपथ योजना, चेकोस्लोवीकिया के विशेषज्ञों के सहयोग से तैयार की गई थी जिन्होंने हाल ही में उस क्षेत्र का सर्वेक्षण किया था ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां) :** (क) शायद माननीय सदस्य का अभिप्राय आसाम सरकार की रज्जुपथ की योजना से है । इस के लिये राज्य सरकार विदेशों से टेंडर मांगना चाहती है ।

(ख) योजना के व्यय के ठीक ठीक आंकड़े अभी राज्य सरकार द्वारा तैयार नहीं किये गये हैं ।

(ग) कोयला, सीमेंट, आलू, सन्तरे, सुपारी, आदि ।

(घ) जी हां ।

†**श्री अमजद अली :** शेल्ला बाजार से अमीनगांव तक कितना फासला इस से तय हो जायेगा?

†**श्री शाहनवाज खाँ :** शेल्ला बाजार से पांडू तक रज्जुपथ की कुल लंबाई ७८·१ मील है ।

श्री म० ला० द्विवेदी : क्या केन्द्रीय सरकार इस योजना में आसाम सरकार को आर्थिक सहायता देगी ? यदि हां, तो किस हद तक ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : अभी तो स्टेट का प्लैन ही आखिरी रूप में नहीं बना है ।

†**श्री अमजद अली :** क्या माननीय मंत्री भाड़े के दर का कोई अनुमान हमें बता सकते हैं ?

†**श्री शाहनवाज खाँ :** इतनी जल्दी उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता ।

केन्द्रीय प्रसूति लाभ अधिनियम

†*२३२. **श्री नि० बि० चौधरी :** क्या **श्रम** मंत्री १० मार्च १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ६६१ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत के सभी राज्यों में सभी श्रेणियों की महिला कर्मचारियों को प्रसूति लाभ के लिये प्रस्तावित एक समान नियम लागू करने के संबंध में क्या प्रगति हुई है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :** प्रसूति लाभ विधान के न्यूनतम मॉडल मापदंड को अंतिम रूप दिया जा चुका है तथा राज्य सरकारों को अपनाए जाने के लिये भेजा गया है । वे इस पर विचार कर रही हैं ।

†**श्री नि० बि० चौधरी :** क्या इस योजना को बनाने में सरकार ने मैसुर में हुए त्रिदलीय सम्मेलन में व्यक्त किये गये विचारों का ख्याल रखा था ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री आबिद अली :** जी हां।

†**श्री नि० बि० चौधरी :** सरकार को मामले पर का अंतिम निर्णय करने में तथा समानता लाने में कितना समय लगेगा ?

†**श्री आबिद अली :** यह चीज़ पूर्णत: राज्य सरकारों पर छोड़ दी गयी है।

पुरी रेलवे स्टेशन

†*२३३. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुरी रेलवे स्टेशन के पुन:निर्माण के लिये क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ; और

(ख) उसका ब्यौरा ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खाँ) :** (क) पुरी स्टेशन पर हुई टूट-फुट की मरम्मत कर दी गई है तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में वर्तमान स्टेशन के स्थान पर नया स्टेशन बनाने की व्यवस्था है।

(ख) वर्तमान स्टेशन की इमारत को नया बनाया जायेगा तथा उसके सामने के रास्तों को नवीन रूप दिया जायेगा।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** कुल कितनी धनराशि की हानि हुई है तथा पुरी के नये स्टेशन के बनाने में कितना व्यय होने का अनुमान है ?

†**श्री शाहनवाज़ खाँ :** स्टेशन के पुन:निर्माण का व्यय लगभग २ लाख रुपये होगा।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** जब स्टेशन की यह नई इमारत तैयार होगी तो क्या यात्रियों के हितों का, जो कि भारत की जनता के सभी श्रेणियों के होते हैं, ध्यान रखा जायेगा ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री लाल बहादुरशास्त्री) :** निश्चित रूप से।

कर्मचारीयों के विरुध्द अनुशासनीय कार्यवाही

†*२३४. **श्री गिडवानी :** क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री बह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खाद्य और कृषि मंत्रालय के प्रशासन तथा भंडार के उप-निदेशक उसी मंत्रालय के एक अधीक्षक (सुपरण्टेडेन्ट) तथा एक सहायक (असिस्टेंट) ने कुछ काम के योग्य वस्तुओं को बेकार घोषित किया तथा पदाधिकारियों और कर्मचारियों को बड़े कम मूल्य पर बेचा ;

(ख) वस्तुओं का क्या मूल्य था तथा किस मूल्य पर वह बेची गई ; और

(ग) उनको क्या दंड दिये गये ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) :** (क) जी हां।

(ख) प्राय: जानकारी दिखाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २८]**

(ग) पहले दोनों पदाधिकारियों का वेतन दो प्रक्रमों तक कम कर दिया गया तथा तीसरे पदाधिकारी कों दो बर्ष तक वेतन वृद्धि रोक दी गई जिसका उसकी भविष्य वेतन वृद्धि का प्रभाव पड़ेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री वीरस्वामी :** क्या इस प्रकार के बेईमान पदाधिकारियों को दिये गये दंड को समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया है जिससे अन्य पदाधिकारी इससे पाठ ले सकें ?

†**डा० पं० शा० देशमुख :** हम ने अभी ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की है।

†**श्री म० ला० द्विवेदी :** मैं जानना चाहता हूं कि जो सजा इन कर्मचारियों को दी गई है, क्या सरकार उसको काफी समझाती है ?

†**डा० पं० शा० देशमुख :** इसमें मतभेद हो सकता है, मगर यह जो पनिशमेंट (दन्ड) दी गई है, वह पब्लिक सर्विस कमीशन की सिफारिश और एडवाइस (सलाह) के आधार पर दी गई है।

†**श्री अय्यणि :** क्या इन वस्तुओं को बेचने से हुई हानी का कोई भाग इन संबंधित पदाधिकारियों से ज्यादा उगाहा है ?

†**डा० प० शा० देशमुख :** जी नहीं। प्रत्यक्ष रूप से नहीं, परन्तु अप्रत्यक्ष रुप सें सरकार को जितनी हानि हुई है उससे कहीं अधिक बचत उनके वेतन कम करके होगी।

यात्री गाड़ियों में सोने के डिब्बे

†*२३५. **श्री डाभी :** क्या **रेलवे** मंत्री २७ अप्रैल, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १७७३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पच्छिम रेलवे में तीसरे दर्जे के सोने के डिब्बों में तीन फट्टों वाली बर्थों के स्थान पर, दो फट्टों वाली बर्थें कब तक लगा दी जायेंगी ; और

(ख) इस परिवर्तन में देरी के क्या कारण है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) :** (क) और (ख). तीन फट्टों के सोने के डिब्बों के प्रयोग के जारी रखने के साथ साथ यह निश्चित किया गया है कि छः बड़ी लाइन के तथा छः छोटी लाइन के दो फटे वाले सोने के डिब्बे बनाये जायें जिनकी १९५७ के प्रारंभ में तैयार होने की आशा है।

†**श्री डाभी :** ये किन गाड़ियों में लगाये जायेंगे ?

†**श्री अलगेशन :** इस प्रश्न का बाद में विचार होगा।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी :** यह सुधार पश्चिम रेलवे तक सीमित रहेगा अथवा अन्य रेलों में भी किया जायेगा ?

†**श्री अलगेशन :** अब भी यह प्रयोग सभी रेलों में किया जा रहा है। हम सभी रेलों में सोने के डिब्बे चला रहे है। यह एक रेलवे तक सीमित नहीं होंगे।

पटना टेलिफोन व्यवस्था

† *२३६. **पंडित द्वा० ना० तिवारी :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पटना टेलीफोन व्यवस्था के बारे में की गई कुछ शिकायतों की ओर आकर्षित किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी शिकायतों की जांच की गई है और उसका क्या नतीजा निकला ?

†**संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम) :** (क) जी हां। पटना टेलीफोन व्यवस्था के बारे में कुछ शिकायतों मई के अन्त में अखबारों में प्रकाशित हुई थीं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

(ख) ये शिकायतें साधारण प्रकार की थीं और प्रायः एक-से ही शब्दों में थीं। ये मुख्यतः टेलीफोन-कालों में अप्रत्याशित वृद्धि के कारण थी। लगभग उन्हीं दिनों कर्मचारियों की अनुपस्थिति के कारण यह कठिनाई और बढ़ गई, किन्तु और अधिक कर्मचारियों के नियुक्त किये जाने पर टेलीफोन व्यवस्था की कार्य-कुशलता फिर ठीक हो गई है।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी :** क्या मैं जान सकता हूं कि इस संबंध में गवर्नमेंट के पास जो शिकायतें आईं, क्या उन की जांच की गई थी और अगर की गई थी, तो उस का क्या फल हुआ ?

†**श्री जगजीवन राम :** जैसा कि मैं ने अभी कहा है, कुछ शिकायतें थीं और उन शिकायतों का एक कारण था और वह यह था कि उन दिनों पटना में काल्ज़ बहुत होती थीं, जब कि कर्मचारियों की कमी थी। जितने कर्मचारियों की वहां पर आवश्यकता थी, उतने उस समय नहीं थे कोई बीस या बाइस आदमी कम थे। हमारे यहां वे आदमी चुन लिये गये थे, लेकिन पुलिस की जांच पूरी न होने के कारण उनको वहां नहीं बहाल किया जा सका। इस के अतिरिक्त मई में शादी-विवाह का मौसम होने के के कारण, साधारणतया जितने लोग छुट्टी पर जाते हैं, उन से ज्यादा छुट्टी पर चले गये थे। इस लिये हम ओवर टाइम से काम भी नहीं करा सके। वहां पर फ्लैट काल-सिस्टम प्रचलित है और वहां से जो आंकड़े प्राप्त हुए हैं, उन से मालूम होता है कि पटना के लोग औसतन चालीस काल्ज़ रोज करते हैं, जो कि बहुत ऊंची संख्या है।

वन गवेषणा संस्था, देहरादून

†*२३७. **श्री मादिया गौडा :** क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वन गवेषणा संस्था देहरादून, में हुई गवेषणाओं ने, भारत की ग्राम्य तथा औद्योगिक अर्थ व्यवस्था में क्या सहायता दी है ; और

(ख) क्या इस प्रकार की लाभदायक गवेषणाओं के प्रचार के कोई प्रयत्न किये जाते हैं और यदि हां, तो क्या ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) :** (क) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २९]**

(ख) जी हां। सभी लाभदायक गवेषणाओं के परिणाम प्रकाशित किये जाते है तथा जहां संभव हो पोस्टरों तथा मॉडेलों द्वारा प्रदर्शित किये जाते हैं। प्रविधिक सूचना संबंधी पूछताछ का उत्तर दिया जाता है तथा उद्योगों और सरकारी विभागों द्वारा प्रतिनियुक्त व्यक्तियों को प्रशिक्षण सुविधायें दी जाती है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के विकास कार्यक्रम में, कुटीर तथा ग्राम्यों उद्योगों के लाभ की प्राथमिक प्रदर्शन परियोजनाओं को स्थापित करने की व्यवस्था है।

†**श्री मादिया गौडा :** दी गई सूची से ज्ञात होता है कि गवेषणा संस्था में ४२ मदों की जांच कि गई है। क्या मैं जान सकता हूं कि किन जाचों के लाभदायक परिणाम हुए हैं तथा देहाती जनता ने अपनी आर्थिक दशा सुधारने के लिये स्वीकार कर लिया है ?

†**डा० पं० शा० देशमुख :** यह एक लंबा उत्तर होगा। मेरे पास पर्याप्त लंबा लेख है। मैं माननीय सदस्य को जानकारी दे दूंगा।

†**श्री मादिया गौडा :** क्या विभिन्न संस्थाओं के कार्यों का कोई समन्वित प्रतिवेदन है तथा यदि नहीं तो क्या एक ऐसा प्रतिवेदन शीघ्र प्रकाशित किया जा सकता है।

†**डा० पं० शा० देशमुख :** मैं नहीं जानता कि जो कुछ उपलब्ध है उससे माननीय सदस्य संतुष्ट होंगे या नहीं। परन्तु जो कुछ कार्य हुआ है हमने उस का उचित निर्माण कर लिया है। मैं मामले को देखूंगा तथा यदि एक समन्वित प्रतिवेदन की आवश्यकता होगी तब यह कार्य भी किया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री भागवत झा आजाद** : मॉडल प्रदर्शन के द्वारा कितने प्रतिशत गवेषणा का प्रकाशन अब तक किया जा चुका है ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : जहां तक विभिन्न गवेषणा संस्थाओं का संबंध है, राज्यों के वन विभाग तथा अन्य विभागों के अतिरिक्त, हमारे पास कोई संगठन नहीं है ।

†**श्री राघवाचारी** : विवरण में दिये गये मद ४० के संबंध में क्या मैं जान सकता हूं कि ग्राम्य उद्योग योजना में उन्हें लोकप्रिय बनाने के लिये कोई विशेष पग उठाये गये हैं ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : कल रात मैंने रेडियो पर सुना था कि जहां बांस तथा अन्य सामग्री व्यवहार में आती है वहां खादी तथा ग्राम्य उद्योग बोर्ड बड़े पैमाने पर दियासलाई निर्माण करने जा रहा है ।

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : आपकी अनुमति से, मैं यह कहना चाहता हूं कि वह गवेषणा संस्था मूलत: एक गवेषणा संस्था है । विस्तार कार्य यह स्वयं नहीं करती है । विस्तार का काम सरकार के अन्य अभिकरण करते है ।

श्री म० ला० द्विवेदी : क्या सरकार को मालूम है कि कई साल पेश्तर फारेस्ट रिसर्च इंस्टीटचूट, देहरादून, ने इस बात का पता लगाया था कि लकड़ी को जलाने से जो कोयला बनता है, उससे तेल और कोलतार आदि कीमती पदार्थ निकलते है ? देहातों में जो लकड़ी से कोयला बनाया जाता है उसमें ये पदार्थ बरबाद हो जाते हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार कोई इस तरह का प्रचार कर रही है कि देहातों में जो लकड़ी का कोयला बनाया जाये उसमें देहरादून के रिसर्च इंस्टीटचूट की ईजाद का फायदा उठाया जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मंत्रियों को स्वयं गवेषणा करनी चाहिये ।

†**डा० पं० शा० देशमुख** : ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की गई है ।

†**श्री म० ला० द्विवेदी** : यह महत्वपूर्ण है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं मानता हूं । यदि कोई सदस्य किसी विशेष मद के संबंध में सचना चाहते हैं तो एक नोट भेज सकते हैं ।

†**श्री म० ला० द्विवेदी** : यदि माननीय मंत्री के पास इस समय इस संबंध में कोई सूचना है तो वह सभा को बता सकते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : सभी ४२ ? जिनकी रुचि होगी वह मान सकते हैं ।

†**श्री वे० प० नायर** : संस्था द्वारा प्रकाशित कितने ही गवेषणा पत्रों से यह विदित होता है कि संस्था ने यह कहा है कि निर्माण कार्यों में ठीक तथा साल के स्थान पर कई कम-प्रसिद्ध लकड़ियां भी काम में लाई जा सकती हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार अथवा राज्य सरकारों ने इसका लाभ उठाया है, और यदि हां, तो बन गवेषणा संस्था द्वारा की गई गवेषणा के आधार पर सरकार द्वारा एक तथा साल का कितना प्रतिशत वाणिज्यक प्रयोग कम हो गया हैं ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : मैं प्रतिशत तो नहीं बता सकता हूं । परन्तु यह तथ्य है कि अच्छी लकड़ी के स्थान पर अपेक्षाकृत घटिया लकड़ी का प्रयोग बहुत बढ़ाया जा रहा है ।

रेलवे वेगन

† *२३८. **श्री ही० ना० मुकर्जी** : क्या **रेलवे** मंत्री ११ अप्रैल, १९५६ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ९१९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लगभग १३६० वैगनों का रेलवे कर्मचारियों के रहने के क्वार्टरों के रूप में व्यवहार किया जा रहा है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(ख) ये १३६० वैगन विभिन्न रेलों में किस प्रकार विभाजित हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां)** (क) जी हां, १३५३ वैगनों का अभी प्रयोग किया जा रहा है। जिनमें से ६८४ बेकार वैगन घोषित किये जा चुके हैं।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३०**]

श्री ही० ना० मुकर्जी : इस विवरण से ज्ञात होता है कि जितने डिब्बों का इस्तेमाल किया गया है उनमें से ५० प्रतिशत से अधिक सेवा के अनुपयोगी कह कर रद्द कर दिया गया था। क्या सरकार इस प्रकार से रद्द किये गये तथा बिना रद्द किये गये डिब्बों के इस्तेमाल का कोई और अधिक उपयोगी ढंग नहीं निकाल सकती है अपेक्षा इसके कि वह रेलवे कर्मचारियों को ऐसे कष्टप्रद मकानों में रखे?

श्री शाहनवाज खां : १९५५ के प्रारंभ में रेलवे मंत्रालय ने यह आदेश जारी किये थे कि अब किसी भी रद्द किये गये अथवा सेवा के उपयोगी डिब्बे का रेलवे कर्मचारियों के रहने के लिये प्रयोग नहीं किया जायेगा। हम जितनी जल्दी हो सकता है इस चीज़ को समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। आगामी पांच वर्षों में लगभग ५०,००० क्वार्टर बनने जा रहे हैं। और हमें आशा है कि उस समय के दौरान में हम इस चीज़ को समाप्त कर देगें।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी :** विवरण से यह भी ज्ञात होता है कि इस प्रकार के डिब्बों में से ८० प्रतिशत से अधिक डिब्बे पूर्व तथा पर्वोत्तर रेलवे में हैं। क्या इससे यह समझा जाय कि इन दोनों रेलवे व्यवस्थाओं में रिहायश की असंतोषजनक व्यवस्था के कारण ऐसा है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री):** पूर्वोत्तर रेलवे में क्वार्टरों की व्यवस्था सचमुच असंतोषजनक है। वहां पर क्वार्टर कि भी संख्या कम है। हमने वहां पर और क्वार्टर बनाने के लिये उन्हें और धन दिया है। पूर्व रेलवे में कुल २१४ वैगनों का रिहायश के लिये प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन अब हम वहां पर १४२ क्वार्टर बनवा रहे हैं। वे शीघ्र ही पूरे हो जायेंगे। इस प्रकार वहां पर बहुत थोड़े ऐसे लोग रहे जायेंगे जिन्हें इसके बाद कुछ और समय तक वैगनों में रहना पड़ेगा।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्यों कि पूर्वोत्तर रेलवे में इन वैगनों की संख्या सब से अधिक है। अर्थात् ९३९, अतः क्या मैं यह जान सकती हूं कि इन ५०,००० आवासों में से जो कि द्वितीय पंच-वर्षीय, योजना के अन्तर्गत बनाये जा रहे हैं सबसे पहले इस स्थान को प्राथमिकता दी जायेगी, और यदि हां, तो इनकी पहली किश्त कब तक तैयार हो जायेगी ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** केवल घाटों को छोड़कर यथा मनीहारी घाट, सिकरी गली घाट या मोकामेह घाट आदि जो एक जगह से दूसरी जगह बदलते रहते हैं, उन्हें निश्चय ही पहली प्राथमिकता दी जायेगी। ऐसे स्थानों पर लगभग २०० वैगन हैं। उनको अभी कुछ देर तक वसे ही रहने दिया जायेगा क्यों कि उन वैगनों में पाहिये हैं और लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के काम आते हैं। किन्तु अन्य स्थानों पर निश्चित रूप से वैगनों के स्थान पर पक्के क्वार्टर बना दिये जायेंगे।

†**श्री त० ब० विट्ठलराव :** क्या सरकार को ज्ञात है कि जो लोग इन बेकार घोषित किये गये वेगनों में रह रहे हैं उन्हें बरसात के दिनों में पानी में रहना पड़ता है क्योंकि बरसात में उनमें पानी भर जाता है ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** यह पूर्णरुपेण सही नहीं है। वे केवल इस लिये बेकार घोषित किये गये हैं कि वे रेल की पटरियों पर चलने योग्य नहीं है। वास्तव में हमने लोगों को बेकार घोषित वेगनों से हटा दिया था लेकिन वे फिर भी उन वेंगनों में आकर रहना चाहते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

श्री विभूति मिश्र : क्या यह सही नहीं है कि पूर्वोत्तर रेलवे में अभी ४० प्रतिशत आदमियों के रहने के लिये क्वार्टर हैं और ६० प्रतिशत के लिये क्वार्टर नहीं हैं। उनको सरकार कब तक पूरा करेगी ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : मैंने कहा कि हम बहुत से क्वार्टर बनाने जा रहे हैं और नार्थ ईस्टर्न रेलवे की तरफ हमने ज्यादा ध्यान दिया है। लेकिन माननीय सदस्य को यह मालूम होना चाहिये कि आसाम में और उत्तर बंगाल में कमी ज्यादा है बिहार में वैसी कमी नहीं है।

मोटर गाड़ी कर

†*२३९. **श्री मात्तन :** क्या **परिवहन** मंत्री द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में वस्तुओं को ढोने के लिये परिवहन की अपर्याप्तता की दृष्टि में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार मोटर गाड़ी कर जांच समिति की इस सिफारिश को कार्यान्वित करने का कोई विचार रखती है कि मोटर गाड़ियों पर केन्द्र तथा राज्यों में, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के कर घटा दिये जायें ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री शाहनवाज खाँ) :** मोटर गाड़ी कर जांच आयोग ने जो मोटर गाड़ियों के कर घटाने की सिफारिश की है उस पर क्या कार्यवाही की गई हैं अथवा किये जाने का विचार है इस संबंध में एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३१**]

†**श्री मात्तन :** क्या मंत्री महोदय समिति के उस मत से सहमत हैं कि भारत में मोटरों का प्रयोग करने वाले पर शायद संसार में सब से ज्यादा कर लगा हुआ है ? यदि हां, तो उन्होंने इस कर को घटाने के लिये क्या किया है अथवा वह इस कर को घटाने के लिये क्या करना चाहते हैं खास कर जब की द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पहले ही परिवहन की बड़ी अपर्याप्तता है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन):** पहले तो यह कहना सही नहीं है कि भारत में समग्र रूप से मोटर गाड़ियों पर सब से अधिक कर है। हां, यह ठीक है कि इस देश के हिसाब से मद्रास में यह कर अधिकतम है। मोटर गाड़ी कर के लिये एक अधिकतम सीमा निश्चित करना और इस को मद्रास के कर स्तर के तीन चौथाई से ऊपर न जाने देने के प्रश्न पर परिवहन मंत्रणा परिषद् में कई बार विचार किया है। पिछली बैठक में भी जो फरवरी, १९५६ में हुई थी इस प्रश्न पर विचार किया गया था। राज्यों ने इस पर विचार करने के लिये तथा किसी निर्णय पर पहुंचने के लिये समय मांगा है। अतः अभी मामले की यह स्थिति है।

†**श्री मात्तन :** अगर मुझे ठीक ठीक याद है तो मैं कह सकता हूं कि यह रिपोर्ट १९५० में दी गई थी। अब छः वर्ष के बाद भी कोई निर्णय क्यों नहीं किया जा सका है ? मेरे विचार में यह समय काफी था।

†**श्री अलगेशन :** हम मोटर गाड़ियों के लिये निश्चित करने के संबंध में एक विधान बनाने का विचार कर रहे थे। तब हमें विधि-कार्य विभाग ने यह परामर्श दिया कि करारोपण के सिद्धान्तों से संबंध रखने वाले विधान में अधिकतम सीमा नहीं रखी जा सकती है और उन्होंने यह सुझाव दिया कि यह परस्पर वार्तालाप से निश्चित किया जाना चाहिये। इस लिये परिवहन मंत्रणा परिषद का उपयोग किया गया ताकि राज्य इस संबंध में अपने आप कुछ निर्णय कर सकें। और इसी लिये परिवहन मंत्रणा परिषद की कई अनेक बैठकों में इस विषय पर चर्चा चल रही है।

†**श्री च० द० पांडे :** क्या सरकार को यह ज्ञात है कि कर घटाने के अतिरिक्त यदि प्रादेशिक या पाबन्दियों को और हटा दिया जाय तो परिवहन समस्या काफी हद तक सुधर सकती है। जैसे उत्तर प्रदेश में एक गाड़ी केवल ७५ मील तक ही जा सकती है आदि अब यदि उसको अधिक क्षेत्र में आने जाने दिया जाये तो निश्चित ही यह समस्या सुधर सकती है। क्या सरकार इस सुझाव पर विचार करेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री अलगेशन :** माननीय सदस्य द्वारा उठाया गया प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है और हमारा ध्यान भी इस ओर गया है। हम ने कई राज्य सरकारों को यह परामर्श दिया है कि किसी प्रदेश के अन्दर प्रत्युत दो राज्यों के भीतर भी किसी प्रकार का कोई प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिये। राज्य सरकारों ने इस विषय पर परस्पर बात करने का निश्चय किया है ताकि एक राज्य की मोटर दूसरे राज्य में आ जा सके कई राज्यों ने इस मामले में परस्पर समझोते भी किये हैं और कुछ अभी बात चीत चला रहे हैं। हमें भली भांति ज्ञात है कि इस शर्त के हटाने से सड़क परिवहन में कितना सुधार हो जायेगा।

†**श्री वे० पी० नायर :** क्यों कि हमें अपने सड़क परिवहन का थोड़े से थोड़े समय में बहुत ज्यादा विस्तार करना है, अतः क्या मैं यह जान सकता हूं कि सरकार कर जांच आयोग की सभी सिफारिशों पर कब तक अंतिम निर्णय कर लेगी ?

†**श्री अलगेशन :** कर जांच आयोग की एक सिफारिश अधिकतम सीमा के निश्चित करने के संबंध में है। उन्होंने मद्रास की दरों से कम सीमा निश्चित करने के लिये कहा है। इस संबंध में हमने क्या कदम उठाया है इस का उत्तर मैं पहले दे चुका हूं।

†**श्री म० ला० द्विवेदी :** मैं यह जानना चाहता हूं कि मोटर व्हइकल अमेंडमेंट बील (मोटर गाड़ी संशोधन विधेयक) जो कि करीब करीब तैयार है सभा में कब प्रस्तुत किया जायेगा और कब पारित होगा और क्या इसके बारे में कोई सेलेक्ट कमेटी (प्रवर समिति) भी बनायी जा रही है।

†**श्री अलगेशन :** यह बिल पहले ही सभा में पुरःस्थापित किया जा चुका है और अब हम इसके पारित होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

देखरेख और पुनर्वास केन्द्र

†* २४०. **डा० सत्यवादी :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री २७ अप्रैल, १९५६ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या १५४४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगी कि क्या उन स्थानों का कोई निश्चय कर लिया गया है जहां पर कि चालू वित्त-वर्ष में क्षयरोग के रोगियों के लिये देखरेख और उन्हें फिर से काम के योग्य बनाने के केन्द्र खोले जाने हैं ?

†**स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) :** अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। किन्तु किस प्रकार की सहायता दी जाये इस बात के लिये वित्तीय सहमती मिल गई है और अब विस्तृत योजना तैयार की जा रही है।

डा० सत्यवादी : इस प्रकार के कितने सेंटर्स (केन्द्र) खुल रहे है और उनमें कितने पुराने मरीज़ों के लिये जगह रखी जा रही है ?

†**श्रीमती चन्द्रशेखर :** द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में ८ केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है और प्रत्येक केन्द्र में लगभग १०० मरीज़ों को रखा जायेगा।

बैरकपुर मुख्य डाक-घर

†*२४१. **श्री स० च० सामन्त :** क्या **संचार** मंत्री २८ मई, १९५६ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या २५३३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल सर्किल के बैरकपुर के मुख्य डाक-घर में सेविंग्स बैंक ब्रांच में घोटाला करने वाले व्यक्तियों का पता लग चुका है और क्या उन्हें दंड दिया जा चुका है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी कितनी संख्या है और उन्हें क्या दंड दिया गया है ; और

(ग) क्या इस सर्किल के किसी अन्य डाक-घर में भी इस प्रकार के घोटाला की कोई रिपोर्ट मिली है ?

---

†मूल अंग्रजी में।

†**संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)** :(क) जी हां, केवल एक मामले के अतिरिक्त जिसकी कि अभी जांच हो रही है।

(ख) इसमें १० कर्मचारी ग्रस्त थे, इनमें से २ को नौकरी से हटा दिया गया है। ५ से उस धन की वसूली-की गई है, एक को छोड़ दिया गया है। एक मर गया था और शेष एक के बारे में अभी जांच हो रही है।

(ग) जी हां, १९५४–५५ में १८ मामले तथा १९५५–५६ में १२ मामलों की रिपोर्ट मिली है।

†**श्री सं० च० सामन्त** : भाग (ग) के उत्तर में मंत्री महोदय ने 'हां,' कहा है। क्या मैं जान सकता हूं कि ऐसे मामले विभागीय डाक-घरों में ज्यादा हुए हैं अथवा विभागातिरिक्त डाक-घरों में ?

†**श्री जगजीवन राम** : मुझे इस संबंध में कोई सूचना नहीं मिली है, किन्तु ये दोनों प्रकार के डाक-घरों में हो सकते है।

†**श्री सं० च० सामन्त** : क्या कोई व्यक्ति एक से अधिक मामलों में भी शामिल था ?

†**श्री जगजीवन राम** : मैं कह नहीं सकता किन्तु शायद नहीं था।

अग्रताला में पीने का पानी

†*२४२. **श्री बीरेन दत्त** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या अग्रताला नगर में हाल में अभी बाढ़ के परिणामस्वरूप अग्रताला में पीने के पानी की व्यवस्था बिगड़ गयी है;

(ख) क्या ६ जून, १९५६ से १७ जून, १९५६ के दौरान में वहां कोई महामारी फैली थी ; और

(ग) महामारी को फैलने से रोकने के लिये क्या पूर्वोपाय किये गये ?

†**स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)** : (क) अग्रताला में हाल में आयी बाढ़ से अनेक तालाबों और नल-कूपों के डूब जाने के कारण नगर के कुछ भाग में पीने के पानी में गंदगी आ गयी थी। किन्तु बाढ़ के उतर जाने के तत्काल पश्चात गंदे पानी को ब्लीचींग पाउडर द्वारा शुद्ध करने के उपाय किये गये।

(ख) जी नहीं।

(ग) महामारी को फैलने के लिये अग्रताला नगरपालिका तथा उप-नगरीय छः जोनों में डाक्टरों कर्मचारियों तथा आवश्यक दवाओं सहित ६ चिकित्सीय दल उपचारात्मक तथा निरोधात्मक उपाय करने के लिये घर-घर गये। बड़े पैमान पर हैजे के टीके लगाये गये तथा जनता को आगाह कर दिया गया कि नल कूपों को छोड़ कर और कहीं से बिना उबाला हुआ पानी न पियें।

†**श्री बीरेन दत्त** : प्रश्न के भाग (ख) में उल्लिखित कालावधि में हैज़े और टाइफाईड के रोगों से पीड़ित कितने रोगियों को अग्रताला के अस्पताल में दाखिल किया गया था ?

†**श्रीमती चन्द्रशेखर** : प्रश्न के भाग (ख) में उल्लिखित कालावधि में कोई भी मृत्यु नहीं हुई।

†**अध्यक्ष महोदय** : उस कालावधि में अस्पतालों में न कोई दाखिल हुआ और न ही कोई मृत्यु हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्रीमती चन्द्रशेखर :** इसके अतिरिक्त मैं यह बता देना चाहती हूं कि २१ जून और २३ जून के बीच अग्रताला नगर से लगभग दो मील पर एक स्थान पर हैज़े से तीन मौतें हुई थीं। ये तीन मामले उक्त कालावधि में नहीं आते हैं। इसके अतिरिक्त इन स्थानों पर बाढों का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा था।

†**श्री नि० बि० चौधरी :** इस समय अग्रताला जल प्रदाय योजना की क्या स्थिति है ?

†**श्रीमती चन्द्रशेखर** इसके लिये मुझे पूर्व सूचना की आवश्यकता है।

†**श्री मात्तन :** यह पेय पानी जो संसद में हमें उपलब्ध होता है, वास्तव में उबाला हुआ पानी है या नहीं ?

†**अध्यक्ष महोदय :** हमारे मूल प्रश्न का संबंध अग्रताला से है, अतः माननीय सदस्य उसी के बारे में प्रश्न पूछें।

†**श्री मात्तन :** हमारा अधिक संबंध यहां के पीने के पानी से है।

उत्तर प्रदेश में खाद्यान्नों के मूल्य

*२४४. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि जब से उत्तर प्रदेश आदि सरकारों ने अत्यावश्यक वस्तुओं पर बिक्री कर लगाया है, तब से खाद्यान्नों के दाम २६ प्रतिशत बढ़ गये हैं ?

कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) : अनाज के भाव चढ़ गये हैं परन्तु उस हद तक नहीं जितना कि प्रश्न में कहा गया है।

†**श्री फीरोज़ गांधी :** क्या यह सच नहीं है कि खाद्यान्नों पर बिक्री कर, जो कई क्रमों पर वसूल किया जाता है, अप्रैल में किसी समय लगाया गया था ? इस बहु क्रम कर के लगाने से पूर्व तथा बाद गेहूं तथा आटे का क्या मूल्य था ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** हम परचून मूल्यों का कोई भी रिकार्ड नहीं रखते।

श्री फीरोज गांधी : मंत्रीजी थोक मूल्य बता दें।

†**श्री अ० प्र० जैन :** थोक मूल्य मेरे पास हैं। हापुड़ में मार्च के अन्त में १४ रुपये था, जुलाई के मध्य में १४-१२-० था। चंदोसी में मार्च के अन्त में १४-८-० था।

†**श्री फीरोज गांधी** : क्या यह गेहूं के मूल्य हैं ?

†**श्री अ० प्र० जैन :** जी, हां। जुलाई के मध्य में १४-१२-० था। कानपुर में मार्च के अन्त में १३-४-० था।

†**श्री च० द० पांडे** : परन्तु ये मूल्य गलत हैं।

†**श्री फीरोज गांधी :** मंत्रीजी ने केवल थोक मूल्य बताये हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि बिक्री कर के लागू होने के बाद मूल्य क्या थे। थोक मूल्यों में बिक्री कर सम्मिलित नही होते।

†**श्री च० द० पांडे :** यह मूल्य १८ रुपये प्रति मन हो जाता है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री अ० प्र० जैन :** माननीय मंत्री स्वयं थोड़ा सा हिसाब लगा लें अर्थात् दो पैसे प्रति रुपये के साथ जमा कर लें और उससे थोक मूल्य के साथ बिक्री कर भी मालूम हो जायेगा। उदाहरण, १४ रुपये के मूल्य पर बिक्री कर जोड़ कर कुल मूल्य १४-७-० बनता है।

†**श्री फीरोज गांधी :** क्या आटे के बारे में जब यह थोक व्यापारी से परचून व्यापारी के पास तक पहुंचता है तो उसे पांच सीढ़ियों को पार करना पड़ता है।

†**श्री अ० प्र० जैन :** मैंने गेहूं का मूल्य बता दिया है ; क्योंकि बिक्री कर एक बहु क्रम कर है, गेहूं के आटे का फुटकर मूल्य बहुत ज्यादा होगा। बिक्री कर के कारण उसका मूल्य दो रुपये तक बढ़ सकता है।

†**श्री फीरोज गांधी :** हम यही जानना चाहते थे।

†**श्री गाडगिल :** प्रतिशतक की दृष्टि से उसमें ठीक ठीक कितना मूल्य बढ़ेगा ?

†**श्री च० द० पांडे :** इससे पहले जब कभी भी खाद्यान्नों के मूल्य बढ़त थे, भारत सरकार उसी सीमा तक राजकीय सहायता देती थी। अब इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उत्तर प्रदेश में १८ रुपये प्रति मन तक मल्य बढ़ गये हैं, सरकार उन मूल्यों को घटाने के बारे में और राजकीय सहायता दे कर बिक्री कर की पूर्ति के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**श्री अ० प्र० जैन :** पहली बात तो यह है कि मैं इस वक्तव्य से सहमत नहीं हूं। जब भी मूल्य बढ़ जाता है सरकार सदैव सहायता करती ही रहती है । निःसन्देह मूल्य अब बढ़ गये हैं। भारत सरकार का यह विचार है कि बहुक्रम बिक्री कर न्यायसंगत नहीं है और हमने राज्य सरकार को सुझाव दिया है कि वह इसे एक क्रम पर लागू होने वाला कर बना दे।

†**श्री च० द० पांडे :** क्या तब आप राजकीय सहायता देंगे ?

†**श्री अ० प्र० जैन :** मूल्यों को घटाने के लिये भारत सरकार उत्तर प्रदेश के पांच कबल नगरों में स्टाक जमा कर रही है। इन स्टोरों से हमें बिना किसी बिक्री कर के १४ रुपये के हिसाब से गेहूं बेचा जायेगा। मैंने उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री से पूछताछ की है और उन्होंने बताया है कि गोदामों से हम जो भी गेहूं बेचेंगे उस पर बिक्री कर नहीं लगेगा।

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं जानना चाहता हूं कि चूंकि, जहां तक सेन्ट्रल गवर्नमेंट का ताल्लुक है, वह मल्टिपल सेल्स टैक्स के पक्ष में नहीं है, क्या उत्तर प्रदेश सरकार से इस सम्बन्ध में कोई वार्ता चल रही है कि इस तरह का टैक्स ठीक नहीं ह।

श्री अ० प्र० जैन : अगर माननीय मेम्बर तवज्जह देते तो उनको मालूम होता कि हम ने यू० पी० गवर्नमेंट को इस बारे में मशवरा दिया है।

श्री म० ला० द्विवेदी : क्या जवाब दिया है उन्होने ?

श्री अ० प्र० जैन : वह सोच रहे हैं।

सेठ अचल सिंह : क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अनाज पर, जो कि इतनी जरूरी चीज है, जो टैक्स उत्तर प्रदेश में लगाया गया है, क्या सेन्ट्रल गवर्नमेंट से इजाजत ली गई है ?

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** हम हिन्दी समझ नहीं सकते।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय मंत्री अंग्रेजी में उत्तर दें।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री अ० प्र० जैन :** प्रश्न हिन्दी में पूछा गया था। इस प्रश्न से आप हिन्दी में पूछे गये प्रश्न का उत्तर अंग्रेजी में देने के लिये कह रहे हैं। इसका उत्तर पहले मैं हिन्दी में दूंगा, और बाद में अंग्रेज़ी में दोहरा दूंगा।

यह बिल उत्तर प्रदेश से सेन्ट्रल गवर्नमेंट के पास गया था। उसके बाद यह भी आनरेबल मेम्बर को मालूम होगा कि एक्ट बनने से पहले भी प्रेजिडेंट की स्वीकृति उसके लिये जरूरी थी, और वह दी गयी।

†**श्री रा० न० सिंह :** क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि जब यहां सेन्ट्रल टैक्स उत्तर प्रदेश में लगाया गया तो उसको लोक-सभा के अध्यक्ष महोदय ने अन्यायपूर्ण बताया था।

श्री अ० प्र० जैन : इस सवाल का उत्तर तो अध्यक्ष महोदय ही ज्यादा अच्छी तरह दे सकते हैं।

†**श्री म० ल० द्विवेदी :** क्या यह सच है कि लोक सभा के अध्यक्ष ने ऐसा कहा था ?

†**श्री अ० प्र० जैन :** मंत्री उसका उत्तर नहीं दे सकते :

†**श्री कामत :** वह उसका उत्तर सभा से बाहर दे सकते हैं।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं एक मिथ्या भ्रन्ति को दूर करना चाहता हूं। सभा के एक माननीय सदस्य ने मुझे गेहूं व्यापारियों के वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन करने के लिये कहा था। क्योंकि इस सभा में अनाज के अवैध रूप के बारे में इस सम्बन्ध में कई प्रश्न पूछे गये हैं और वे व्यापारी उस गेहूं को उपभोग के लिये नहीं छोड़ना चाहते, मैंने यह सोचा है कि उन्हें बुलाऊं और समझाऊं। परन्तु जब मैं उस सम्मेलन में पहुंचा तो मैंने देखा कि सभा तो बिक्री कर का विरोध करने के लिये आयोजित की गई थी। आप स्वयं ही विचार करें कि क्या सब बातें मुझे पहले से ही नहीं बताई जानी चाहिये थीं। मुझे इस बात का दुख है कि वह बैठक किसी और ही प्रकार की थी। तो भी मैंने उन्हें यह परामर्श दिया कि उन्हें हड़ताल नहीं करनी चाहिये। मैंने उन्हें बताया कि वह एक ग़लत तरीका है और इस लिये उन्हें उपयुक्त संवैधानिक उपाय को अपनाना चाहिये। बहुसूत्री कर का खाद्यान्नों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, और इस लिये एक सूत्री कर लगाना चाहिये। तो भी वह एक ऐसा मामला है जिसके बारे में केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों सें प्रतिविधान करना होगा।

मैं भविष्य में इस प्रकार की उलझनों से बचने का प्रयत्न करूंगा।

†**श्री कामत :** एक औचित्य प्रश्न है। आप ने कहा है कि हड़ताल पर संवैधानिक उपाय नहीं हैं। क्या हड़ताल एक संवैधानिक उपाय नहीं है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** खाद्यान्नों पर सात दिन के लिये हड़ताल। यदि कोई और व्यक्ति यहां पर हड़ताल प्रारम्भ कर दें तो मैं नहीं जानता कि सात दिन के बाद माननीय सदस्य क्या कहेंगे। छोटे से गांव में सभी दुकानें बन्द रहीं, कोई अन्न उपलब्ध न था। हो सकता है कि धनी व्यक्तियोंके पास अनाज का भण्डार हो, परन्तु निर्धन लोगों की बड़ी कठिनाई से निर्वाह करना पड़ा है। जब भी कोई हड़ताल धनवान लोगों द्वारा प्रारम्भ की जाये माननीय सदस्य को सारे मामले पर अच्छी प्रकार से विचार कर लेना चाहिये।

खाद्यान्नों के गोदाम

†***२४५. सरदार अकरपुरी :** क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब तथा पेप्सू राज्यों के केन्द्रीय सरकार के खाद्यान्न गोदामों को हाल ही में बन्द कर दिया गया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में।

(ख) यदि हां, तो कितने गोदाम बन्द किये गये हैं और कहां कहां किये गये हैं ; और

(ग) उसके परिणाम स्वरूप कितने व्यक्ति बेरोज़गार हो गये हैं ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) और (ख). जी, हां। केवल कालू बेगु म

(ग) ५९ जिनमें से ५ व्यक्तियों को और दूसरे काम दे दिये गये हैं।

तटीय जहाजों की दरें

†*२४६. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, १९५५ से सामान्य लदान पर तटीय जहाजों के भाड़े की दर को कितनी बार बढ़ाया है ;

(ख) प्रत्येक बार उसमें कितने प्रतिशत वृद्धि की गई है ; और

(ग) किन आधारों पर उसे बढ़ाया गया है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)**: (क) दो बार।

(ख) प्रत्येक बार पांच प्रतिशत।

(ग) संचालन व्ययों, जहाज़ों के साथ जाने वाले कर्मचारियों के वेतनों, पत्तन खर्चों, माल लादने उतारने वालों, मज़दूरी, मुरम्मत और संधारण आदि के खर्च में वृद्धि का कारण।

†**डा० राम सुभग सिंह** : क्या हमारे तटीय व्यापार में कोई विदेशी नोपरिवहन समवाय काम कर रहा है ?

†**श्री अलगेशन** : जी, नहीं।

†**श्री वें० प० नायर** : मैं समझता हूं कि इस वस्तु भाड़े के बढ़ने से ही पहले भी कोचीन जाने वाला कोयला तटीय जहाजों द्वारा, गाड़ी द्वारा जाने वाले कोयले की अपेक्षा ३५ या ४० प्रतिशत अधिक महंगा पड़ता था। मैं पूछना चाहता हूं कि जब कि अन्य सभी देशों में जल-परिवहन सस्ता है, भारत में वह रेल-परिवहन की अपेक्षा इतना महंगा कैसा हो गया ? मैं पूछना चाहता हूं कि इस महंगाई का कोयले के दर पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

†**श्री अलगेशन** : यह सच है कि कोयले को समुद्री मार्ग से ले जाने से परिवहन का व्यय अधिक पड़ता है। परन्तु यह इस लिये है कि हमने यह देखना है कि तटीय नोपरिवहन भी उन्नति करे। परन्तु जल द्वारा भेजे जाने वाले कोयले का अधिकांश भाग रेलवे द्वारा ले लिया जाता है। रेलवे अपना कोयला रेल की अपेक्षा सागर के मार्ग से मंगाती है। औद्योगिक व्यवसायों की, जो कि अधिकतर गैर-सरकारी क्षेत्र में हैं, कोयला गाड़ी द्वारा सस्ते खर्चे पर जाता है। माननीय सदस्य को मैं यह सूचित कर देना चाहता हूं कि इस सारे प्रश्न पर एक समिति द्वारा विचार किया जा रहा है जिसे रेल-सागर समन्वय समिति कहते हैं, और आशा है कि उनका प्रतिवेदन हमें शीघ्र ही प्राप्त हो जायेगा।

रक्सौल

†*२४७. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेपाल जाने के लिये कितने विदेशी पर्यटक रक्सौल में उतरते हैं और गाड़ी द्वारा यात्रा करते हैं ;

(ख) क्या उस स्टेशन पर उनके ठहरने के लिये स्थान का पर्याप्त प्रबन्ध किया गया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में।

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार रक्सौल में एक प्रथम श्रेणी का विश्रामकक्ष अथवा होटल बनाने का विचार रखती है ; और

(घ) यदि हां, तो कब तक ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां)** :(क) यह जानकारी उपलब्ध नहीं है क्योंकि ऐसे पृथक् पृथक् आंकड़े नहीं रखे जाते हैं जो बतायें कि नेपाल जाने वाले विदेशी पर्यटकों में से कितने व्यक्ति इस स्टेशन पर उतरते हैं।

(ख) उस स्टेशन पर सभी यात्रियों के लिये, जिनमें विदेशी पर्यटक भी सम्मिलित, प्रतीक्षा के लिये पर्याप्त स्थान उपलब्ध हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी रक्सौल स्टेशन पर जा कर देखेंगे कि विदेश से आने वाले और विदेश को जाने वाले यात्री जो स्टेशन पर आते हैं, उनके लिये सुविधा की जगह है ?

श्री शाहनवाज खां : वहां एक बहुत अच्छा वेटिंग रूम है।

एक माननीय सदस्य : आपने उस स्टेशन को देखा नहीं हैं ?

श्री शाहनवाज खां : मैंने रक्सौल देखा है।

श्री विभूति मिश्र: मैं जानना चाहता हूं की जब हमारे पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहब ने रक्सौल अब तक नहीं देखा है तो वह उसको कब देखेंगे ?

श्री शाहनवाज खां : मैंने देखा है।

श्री विभूति मिश्र : मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो फर्स्ट क्लास का वेटिंग रूम है वह यात्रियों से भरा रहता है। विदेशी यात्रियों के लिये वहां पर कोई सुविधा नही है। क्या सरकार वहां पर एक अच्छा सा रिटायरिंग रूम बनायेगी ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)**: हम इस पर विचार करेंगे। यदि यातायात अधिक हुआ तो उस स्टेशन पर कुछ एक विश्रामकक्ष अवश्य बनाये जायेंगे।

रूस से ट्रेक्टरों का आयात

*२४८. **श्री रा० न० सिंह :** क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार ने रूस से कितने ट्रैक्टरों का आयात किया और प्रत्येक ट्रैक्टर का मूल्य कितना है ; और

(ख) क्या रूस में बने हुए ट्रैक्टर बिक्री के लिये बाजारों में आ जायेंगे ?

कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) : (क) खाद्य और कृषि मंत्रालय ने सन् १९५४ में चार ट्रैक्टर, जिनमें हर एक की कीमत ४,३८५ रुपये है, का आयात रूस से आजमाइश करने के लिये किया। रूस सरकार ने ट्रैक्टरों से सम्बन्धित सामान की काफी मात्रा के अलावा सन् १९५५ में १ और सन् १९५६ में ६६ ट्रैक्टरों भारत सरकार को उपहार के रूप में दिये।

(ख) रूसी ट्रैक्टरों के आयात करने के लिए कुछ निजी आयात कर्ताओं को लाइसेन्स दे दिये गये हैं और अगर उन्होंने उन लाइसेन्सों को इस्तेमाल किया तो ये ट्रैक्टर बाज़ार में बिक्री के लिये उपलब्ध होंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री मात्तन :** क्या यह उत्तर अंग्रजी म बताया जा सकता है ? कृषि मंत्री द्वारा उत्तर का अंग्रेजी अनुवाद किया गया।

[डा० पं० शा० देशमुख ने उत्तर अंग्रेजी में पढ़कर सुनाया]

†**श्री रा० न० सिंह :** क्या सरकार को मालूम हो गया है कि जो रशियन ट्रैक्टर्स आए हैं उनमें और दूसरी कंट्रीज के जो ट्रैक्टर आए हैं उनकी कार्य प्रणाली में क्या विशेषता है ?

डा० पं० शा० देशमुख : जो रशियन ट्रैक्टर्स आये हैं उनकी जांच करने पर और इस्तमाल करने पर यह मालूम हुआ है कि वह ट्रैक्टर्स भी अच्छे हैं। मगर चूंकि वह पेट्रोल से चलने वाले थे इस कारण उनमें खर्चा जरा ज्यादा होता था।

†**श्री कामत :** कांस के उन्मूलन के लिये या बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिये क्या देशके किसी भाग म रूसी ट्रैक्टरों द्वारा काय किया गया है और, यदि हां तो केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन द्वारा जिन अन्य ट्रैक्टरों का उपयोग किया जाता है उनकी तुलना में इन रूसी ट्रैक्टरों की कार्य पूर्ति कैसी है ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** उन्हें ट्रैक्टरीयकरण के लिये प्रयोग नहीं किया गया था बल्कि भोपाल प्रक्षेत्र में हल चलाने के लिये उनका उपयोग किया गया था।

सेठ गोविन्द दास : मैं जानना चाहता हूं कि जो रूस से ट्रैक्टर आये हैं वे क्या अभी भी काम में आ रहे हैं या वे निरर्थक पड़े हुए हैं। इसीके साथ साथ मैं यह भी जानना चाहता हूं कि जो ट्रैक्टर सरकार के पास हैं, उनमें से इस समय कितने काम में आ र हैं और कितने फिजूल पड़े हुए हैं ?

श्री अ० प्र० जैन : रूस से जो ट्रैक्टर आए हैं वे खूब चल रहे हैं और कोई बेकार नहीं पड़ा हुआ है।

†**श्री सिंहासन सिंह :** रूस सरकार द्वारा भारत सरकार को उपहार रूप में जो ट्रैक्टर दिए गए हैं उनकी कीमत क्या है और क्या वे सभी भारत आ चुके हैं ? दूसरे . . . .

†**अध्यक्ष महोदय :** वह दो प्रश्न कसे पूछ सकते हैं ?

†**श्री सिंहासन सिंह :** दूसरे क्या इसी कीमत में ट्रैक्टरों की कीमत के साथ उपकरण की कीमत भी शामिल है ?

†**श्री अ० प्र० जैन :** इन ट्रैक्टरों की कीमत निर्धारण करने का हमारे पास कोई साधन हीं हैं।

मनीपुर म धान की फसलें

†*२४९. **श्री रिशांग किशिंग** क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री ८ दिसम्बर, १९५६ को पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या ३९१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि धान की फसलों की नष्ट होने से बचाने के लिये चूहों को पूणत: समाप्त करने के सम्बन्ध में मनीपुर सरकार द्वारा क्या कार्यवाहीयां की गई हैं ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) :** मनीपुर सरकार ने कृषिकों को चूहों का नाश करने वाले विभिन्न प्रकार के ज़हर मुफ्त दिए थे और चहों को नष्ट करने के लिये इनाम भी दिये थे। पीड़ित गांवों में खेती करने वालों को आवश्यक हिदायतें देने के लिये पर्यटक पदाधिकारियों द्वारा प्रदर्शनों तथा वार्ताओं का प्रबन्ध भी किया गया था।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री रिशांग किशिंग :** इस बात को देखते हुए कि पिछले चार वर्षों में चूहे सफलतापूर्वक धान की खेती नष्ट करते रहे हैं, मनीपुर सरकार के कृषि विभाग के पदाधिकारी कितनी बार पीड़ित क्षेत्रों में गए थे और उनका प्रतिवेदन क्या था ?

†**डा० पं० शा० देशमुख :** १९५५ के बाद से बहुत कम हानि हुई है। इसके बाद कोई भी प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। इससे पहिले दिसम्बर, १९५३ में हमें एक प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था कि २८ गांवों में हानि हुई है और ५ रुपये प्रति परिवार की ओर से कुल मिलाकर ४९७० रुपये की रकम बांटी गई थी।

†**श्री रिशांग किशिंग :** चूहों के भय का अन्त करने के लिये सरकार ने कितनी रकम खर्च की है और इस प्रकार रकम खर्च करने से कितनी सफलता मिली है ?

†**डा० पं० शा० देशमुख :** हम भरसक प्रयत्न करना चाहते हैं। परन्तु यह भी स्मरण रखना चाहिए कि मनीपुर ज़िले के लोग अत्यन्त बुद्धिमान हैं, और वे चूहे खाते हैं। इस लिए, इस बात के होते हुए भी हम आन्दोलन जारी रख रहे हैं और हमें पर्याप्त सफलता भी मिली है। कुल रकम कितनी खर्च की गई है इस का ब्योरा मेरे पास नहीं है।

†**श्री नम्बियार :** अनाज के सरकारी गोदामों में चूहों को नष्ट करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाहियां की हैं ?

†**डा० पं० शा० देशमुख :** यह एक पृथक प्रश्न है।

†**अध्यक्ष महोदय :** यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

†**श्री क० कु० बसु :** इस मूषक समस्या के समाधान के लिये क्या मंत्रालय के अधीन कोई विशिष्ट निदेशालय है ?

†**डा० पं० शा० देशमुख :** पौधों की रक्षा के निदेशालय का इस मामले से संबंध है। यह निदेशालय कीटकनाशक तथा मूषकनाशक वस्तुएं देता है और अन्य मामलों में कार्यवाही का निदेश भी देता है ; परन्तु मुख्यतः राज्य सरकारों को ही कार्यवाही करनी होती है।

पश्चिमी बंगाल में बाढ़

†***२५०. श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष पश्चिमी बंगाल के २४ परगनाओं तथा मिदनापुर ज़िलों में बाढ़ तथा भारी वर्षा के कारण खड़ी फसलों को भीषण तबाही होने से कुल कितनी हानि हुई है ;

(ख) जलानुविद्ध क्षेत्रों में से, जो कि खेती के नहीं होने देते हैं, पानी निकालने के लिये क्या सरकार की कोई योजना है ; और

(ग) इन क्षेत्रों से इस वर्ष के कुल उत्पादन में कमी होने का क्या कोई प्राक्कलन है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) :** (क) मनीपुर ज़िले में १,१३,९६० एकड़ भूमि में खड़ी फसलों को हानि होने से लगभग ६८ लाख रुपये की हानि हुई है और २४ परगनाओं में ८७,००० एकड़ भूमि में हानि हुई हैं। प्राक्कलित मूल्य अभी निर्धारित नहीं किया गया है।

(ख) तथा (ग). जानकारी उपलब्ध नहीं है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्या सरकार को मालूम है कि २४ परगनाओं में पटसन की सारी खेती नष्ट हो गई है और यदि हां, तो क्या सरकार का कृषि ऋण देने का कोई प्रस्ताव है और इस संबंध में कितनी रकम अपेक्षित है क्या इसका अनुमान लगा लिया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**डा० पं० शा० देशमुख :** जहां तक मुझे मालूम है सरकार को ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। यदि ऐसी कोई आवश्यकता हुई और यदि ऐसा करना हमारी नीति के अन्तर्गत हुआ तो निश्चित रूप से ऋण दिये जायेंगे।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** जलानुविद्ध भूमि के विस्तृत क्षेत्रों में से पानी बाहिर निकालने के लिए क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार को ऋण के रूप में या और किसी रूप में पम्प सैट प्रदान किये जा सकते हैं?

† **डा० पं० शा० देशमुख :** यदि इस से कुछ लाभ होता तो हम इस प्रश्न पर अवश्य ही सहानुभूति से विचार करेंगे और देखेंगे कि हम इस दिशा में क्या कुछ कर सकते हैं।

वायुयान चालकों की उड़ान की पड़ताल

†*२५१. **श्री कृष्णाचार्य जोशी :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५५-५६ में उड़ान की पड़ताल में कितने वायुयान चालकों को अयोग्य घोषित किया गया है?

†**संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम) :** किसी को भी नहीं। उड़ान अवधि में जो चालक अपूर्ण होते हैं उनके लिए प्रत्यास्मरण प्रशिक्षण प्राप्त करना अपेक्षित होता है और जब वे इस अपूर्णता को पूरा कर लेते हैं केवल तभी उनके लाइसेन्स नवकृत किए जाते हैं।

†**श्री कृष्णाचाय जोशी :** इस अपूर्णता की जांच कौन करता है?

†**श्री जगजीवन राम :** इस जांच पड़ताल के लिये हमारे पास कई वायुयान चालक हैं जो भूमि पर या उड़ान के समय यह पड़ताल करते हैं।

राज्य कृषि मन्त्रियों का सम्मेलन

†*२५२. **श्री श्रीनारायण दास :** क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में राज्य कृषि मंत्रियों का जो सम्मेलन हुआ था उसमें किन महत्वपूर्ण विषयों पर विचार किया गया था ;

(ख) किस प्रकार के संकल्प पारित किए गए थे, सिफारिशें की गई थीं या निर्णय किए गए थे ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार इन पर विचार कर चुकी है ; और

(घ) यदि हां, तो परिणाम क्या हैं ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) :** (क) हाल ही में मसूरी में हुए राज्य कृषि मंत्रियों के सम्मेलन में इन विषयों पर वाद-विवाद हुआ था :–

(१) कृषि उत्पादन, उदाहरणार्थ, अनाज, कपास, पटसन, तैल-बीज, गन्ना तथा अन्य फसलें, जिनके लिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अधीन विशिष्ट लक्ष्य नियत किए गए हैं, के लक्ष्यों में वृद्धि की गुंजाइश;

(२) प्रत्येक में अन्तर्गस्त उच्चतर लक्ष्यों तथा वित्तीय व्ययों की प्राप्ति के लिये अपेक्षित विकास संबंधी कार्यवाहियां ;

(३) उच्चतर कृषि लक्ष्यों के कार्यक्रम के प्रसंग में कृषि वस्तुओं के लिए मूल्य नीति।

(४) सामुदायिक परियोजना तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम के अधीन और राज्य कृषि विभागों द्वारा उपक्रान्त कृषि उत्पादन से संबंधित कार्यवाहियों का एकीकरण।

---

†मूल अंग्रेजी म।

(ख) लोक-सभा के पुस्तकालय में सम्मेलन के संक्षिप्त अभिलेख और सिफारिशों की एक एक प्रतिलिपि रखी जा चुकी है। ये सिफारिशें अभी तक सरकार और योजना आयोग के विचाराधीन हैं।

(ग) तथा (घ). सम्मेलन की सिफारिशें अभी तक सरकार और योजना आयोग के विचाराधीन हैं।

†**श्री श्रीनारायण दास :** क्या यह सच है कि राज्य कृषि मंत्रियों में से अधिकतर योजना आयोग के इस निर्णय से सहमत हैं कि वे कृषि उत्पादन का लक्ष्य १८ प्रतिशत से ४० प्रतिशत तक बढ़ा सकेंगे ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** योजना आयोग ने कोई निर्णय नहीं किया था। यह एक सुझाव था और राज्य मंत्रियों ने उस पर ध्यानपूर्वक विचार किया था।

†**श्री श्रीनारायण दास :** यदि सरकार उत्पादन में अपेक्षित वृद्धि चाहती है तो और अधिक उपबन्ध किए जाने के संबंध में क्या कोई निर्णय किया गया था ?

†**श्री अ० प्र० जैन :** वह सिफारिश थी।

ग्लाइडरों का निर्माण

†२५४. **श्री म० शि० गुरुपादस्वामी :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्लाइडरों के निर्माण के लिए एक उपक्रम स्थापित करने के संबंध में ग़ैर-सरकारी सार्थों द्वारा कोई प्रस्ताव किया गया है;

(ख) यदि हां, तो मामला किस क्रम पर है ; और

(ग) इस सार्थ की उत्पादन क्षमता कितनी होगी ?

†**संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम) :** मैं सभा-पटल पर एक विवरण रखता हूं जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गई है। [**देखिए परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३२**]

†**श्री म० शि० गुरुपादस्वामी :** इनग्लाइडरों के निर्माण के संबंध में कुल उत्पादन क्षमता कितनी होगी ?

†**श्री जगजीवन राम :** हम यह नहीं बता सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा है ग़ैर-सरकारी समवायों ने हमें यह जानकारी नहीं दी है। परन्तु हमारे विचार में असैनिक उड्डयन विभाग को प्रति वर्ष ३० ग्लाइडरों की आवश्यकता होगी।

डाक-घरों के अधिक्षकों को श्रेणीबद्ध करना

†*२५५. **श्री बहादुर सिंह :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक-घरों के अधीक्षक जैसे कुछ पदों को क्या किसी समय ऊंचे क्रम में या नीचे के क्रम में भी क्रमबद्ध किया जाता है ! और

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ?

†**संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम) :** (क) जी हां।

(ख) विभिन्न तत्वों पर यह बात निर्भर है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

पटना विश्वविद्यालय

*२४३. **श्री अनिरुद्ध सिंह :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने पटना विश्वविद्यालय द्वारा दी जाने वाली श्रम और समाज सेवा विषय की उपाधि को श्रम कल्याण पदाधिकारियों की नियुक्ति के प्रयोजन के लिये मान्यता नहीं दी है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली): (क) जी नहीं। उपाधियां और प्रमाण पत्र जो केन्द्रीय या राज्य विधान मंडलों के कानून से बनाये गये विश्वविद्यालयों द्वारा दिये जाते है, केन्द्रीय सरकार के अधीन नियुक्ति के लिये मान्य समझे जाते हैं। पटना विश्वविद्यालय द्वारा दी गई श्रम और समाज कल्याण विषय की एम० ए० की उपाधि, केन्द्रीय श्रम अफसरों की नियुक्ति के लिये मान्य समझी जायेगी।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

स्टेशनों पर बिजली लगाना

†*२५३. **श्री भीखा भाई :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन रेलवे स्टेशनों के निकटवर्ती नगरों में बिजली है, क्या उनके विद्युतन के लिए सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे स्टेशनों का विद्युतन किन आधारों पर किया जाएगा ?

†रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां।

(ख) प्रयोग्ता परामर्शदात्री समिति के परामर्श से पूर्वता दी जाती है।

व्यवसायिक प्रशिक्षण के लिये राष्ट्रीय परिषद

†*२५६. **श्री हेमराज :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) व्यवसायिक प्रशिक्षण के लिये राष्ट्रीय परिषद की स्थापना के संबंधित योजना को क्या अन्तिम रूप दिया जा चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य विशेषतायें क्या हैं ?

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र

†*२५७. **श्री वोडयार :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आन्ध्र में भारत सरकार द्वारा जो औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र चलाएं जाते हैं आन्ध्र सरकार ने उनके यथार्थ हस्तान्तरण को स्वीकार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उन्हें कब हस्तान्तरित किया जाएगा ; और

(ग) इस समय राज्य में ऐसे कितने केन्द्रों में काम हो रहा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) जी हां।

(ख) ३०-६-५६ से उनका यथार्थ में हस्तान्तरण किया जा चुका है?

(ग) तीन।

आस्ट्रेलिया में भारतीय किसानों का प्रशिक्षण

†*२५८. **डा० रामा राव** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोलम्बो योजना के अधीन कृषि विधियों के उच्च अध्ययन के लिये १५ किसान लड़कों को आस्ट्रेलिया भेजा गया है ;

(ख) यदि हां, तो इन में से कितने आन्ध्र और हैदराबाद राज्यों से हैं और उनके नाम क्या हैं ;

(ग) उन सभी पर कितनी रकम खर्च होगी ; और

(घ) अन्य देशों को भी ऐसे ही अन्य टोलियां भेजने के लिये क्या सरकार का कोई प्रस्ताव है?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) जी हां।

(ख) एक। आन्ध्र राज्य से श्री एच० संजीवा रेड्डी।

(ग) शून्य।

(घ) अन्य योजनाओं के अधीन अमेरिका में भी किसानों को भेजा जा रहा है।

कालीघाट फाल्टा रेलवे

†*२५९. **श्री क० कु० बसु** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालीघाट फाल्टा रेलवे पहिली अप्रैल १९५७ को सरकार द्वारा ले ली जायेगी ;

(ख) क्या यह गाड़ी पूर्व रेलवे के साथ मिला दी जायेगी ;

(ग) क्या इस रेलवे लाइन को उखाड़ देने का भी कोई प्रस्ताव है ;

(घ) यदि हां, तो कब ;

(ङ) क्या पश्चिमी बंगाल सरकार ने इस संबंध में कोई प्रस्ताव रखे हैं ; और

(च) यदि हां, तो वे किस प्रकार के हैं?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी, हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी, हां।

(घ) से (च). पश्चिम बंगाल की सरकार के परामर्श से यह निश्चय किया गया है कि उस क्षेत्र में उपयुक्त मार्ग सेवा की व्यवस्था होते ही यह रेलवे बन्द कर दी जायेगी।

राजस्थान सर्कल के डाक कर्मचारी

†*२६०. **श्री उ० मू० त्रिवेदी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५५-५६ में राजस्थान क्षेत्र में तृतीय श्रेणी के कितने कर्मचारियों को नियुक्त किया गया था?

†**संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : १९५५ में ३०७ और १९५६ में ३२९।

---

†मूल अंग्रेजी में।

दिल्ली के पटेल नगर में हाल्ट स्टेशन

†*२६१. **श्री नवल प्रभाकर :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पटेल नगर, दिल्ली में एक हाल्ट स्टेशन बनवाना चाहती है ;

(ख) क्या गाड़ियां वहां ठहरने लगी हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसका कारण क्या है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग). इस जगह फ्लैग स्टेशन बन रहा है । आशा है यह स्टेशन अगस्त १९५६ तक बन जायेगा और यातायात के लिए खोल दिया जायेगा ।

खान कर्मचारियों की शिक्षा

*२६२. **श्री भागवत झा आजाद :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि खान कर्मचारियों को शिक्षा देने की एक विस्तृत योजना सरकार के विचाराधीन है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : खान कर्मचारियों की शिक्षा के लिये कोयला और अबरक खान कामगार कल्याण संस्थाओं की तरफ से योजनायें शुरू की गई हैं। इनके अधीन ८० बालिग शिक्षा केन्द्र मंजूर किये गये हैं, जिनमे से ५९ केन्द्रों में काम हो रहा है ।

मजूरी बोर्ड

†*२६३. **श्री त० ब० विट्ठलराव :**
श्री बोगावत :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन उद्योगों का निश्चय किया है जिनके लिये इस वर्ष मजूरी बोर्ड स्थापित किये जायेंगे ;

(ख) यदि हां, तो यह कब स्थापित किये जायेंगे ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :** (क) से (ग). मैं आशा करता हूं कि इस वर्ष पांच या छः बोर्ड स्थापित किये जायेंगे किन्तु मैं अभी यह कहने को स्थिति में नहीं हूं कि किन उद्योगों को लिया जायेगा ; क्योंकि अभी उनकी रचना तथा आंकड़ों का संग्रह संबंधी पर्याप्त प्रारम्भिक कार्य करना है। अन्तिम आदेशों को जारी करने के पूर्व विभिन्न अधिकारियों से परामर्श लेना भी आवश्यक होगा ।

नावों

†*२६४. **श्री अमजद अली :** क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४ में, आसाम में जोगी छोपा पंचरेतन के आरपार चलने के लिये दो नावों की खरीद के लिये कितनी राशि पृथक रखी गई अथवा स्वीकृत की गई ;

(ख) क्या दो नावें बनाने का आदेश दिया गया ; और

(ग) यदि हां, तो किस जहाजी समवाय को यह आदेश दिया गया ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) ४ लाख रुपये।

(ख) और (ग). आसाम सरकार ने इस नावों की खरीद के लिये संभरण और उत्सर्जन के महानिर्देशक को एक सवस्तुसूची दी थी। अभी तक नावों के लिये कोई आर्डर नहीं दिया गया है।

दिल्ली परिवहन सेवा

†*२६५. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बसों की खरीद में कितनी धनराशि व्यय की जायेगी ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : लगभग २२५ लाख रुपये।

परिवार आयोजन

†*२६६. **श्री गिडवानी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ८ जून, १९५६ को मद्रास में एक सम्मेलन हुआ था जिसमें डा० टी० लक्ष्मीनारायन, योजना कमीशन के स्वास्थ्य कार्यक्रम के सलाहकार, तथा अन्य लोग परिवार आयोजन से सम्बन्धित समस्याओं के सम्बन्ध में चर्चा करने के लिये उपस्थित थे ;

(ख) क्या फेन की टिकिया के उपयोग पर भी विचार किया गया था ;

(ग) सम्मेलन में अन्य किन किन मामलों पर विचार किया या ; और

(घ) क्या अन्य राज्यों में भी ऐसे सम्मेलन किये जायेंगे ?

†**स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)** : (क) और (ख). जी हां ।

(ग) परिवार आयोजन से सम्बन्धित विभिन्न मामलों पर विचार किया गया था।

(घ) जी हां, यदि राज्य सरकार चाहें तो वहां भी ऐसे सम्मेलन हो सकते हैं।

केन्द्रीय असैनिक सेवा (आचरण) नियम

†*२६७. **श्री एन० बी० चौधरी** : क्या **संचार** मंत्री ३ अप्रैल, १९५६ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ६७८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस सम्बन्ध में कि केन्द्रीय असैनिक सेवा (आचरण) नियम, उक्त विभागीय एजेन्टों पर किस सीमा तक लागू होंगी। क्या इस सम्बन्ध में कोई निश्चय किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार के निश्चय किये गये; और

(ग) यदि भाग (क) का उत्तर नहीं में है तो निश्चय कब तक किया जायेगा ?

†**संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)** :(क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) मामला अभी भी विचाराधीन है ।

जनांकिकी सर्वेक्षण

†*२६८. **पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि

(क) क्या देश के विभिन्न केन्द्रों में जनांकिकी सर्वेक्षण हो रहा है; और

---

†मूल अंग्रेजी में।

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को किसी केन्द्र से कोई अन्तरिम प्रतिवेदन भी प्राप्त हुआ है ?

†**स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चंद्रशेखर)** : (क) जी हां ।

(ख) विभिन्न केन्द्रों से प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं ।

(१) अर्थशास्त्र और राजनीति की गोखले संस्था ।

(२) पूना जिले में प्रजनन और मृत्यु का सर्वेक्षण ।

(१) नासिक, कोलाबा और सतारा (उत्तर) जिला में प्रजनन सर्वेक्षण, कर रही है ।

(२) दांमपत्य प्रजनन शक्ति का राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण; और

(३) भारत-हवर्ड-लुधियाना जनसंख्या अध्ययन केन्द्र––पंजाब, पंजाब में जनसंख्या समस्या की जनांकिकी सर्वेक्षण––भारत पर सर्वेक्षण कर रहा है ।

त्रिपुरा के डाक कर्मचारी

†*२६९. **श्री बीरेन दत्त** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को त्रिपुरा के डाक कर्मचारियों द्वारा अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि उन्हें जून के प्रथम सप्ताह में आये हुए बाढ़ संकट से मुकाबला करने के लिये सहायता दी जाये;

(ख) उन्होंने किस प्रकार की सहायता की मांग की है;

(ग) सरकार उन्हें सहायता देने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है; और

(घ) क्या अब तक कोई धनराशि दी गई है ?

†**संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : (क) जी हां ।

(ख) (१) १०० रुपये का ऐसा अनुदान जिसकी वसूली नहीं होगी ।

(२) छः महीने का वेतन अग्रिम धन के रूप में जिसकी वसूली कर ली जायेगी ।

(ग) धन की सहायता के अनुदान का प्रश्न विचाराधीन है ।

(घ) अभी तक कोई राशि नहीं दी गई है किन्तु कर्मचारियों को २० मन चावल मुफ्त दिया गया है ।

भूमि और गन्ना गवेषणा स्टेशन

†*२७०. { **सरदार इकबाल सिंह** :
सरदार अकरपुरी :

क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब और पेप्सू में इस समय भूमि और गन्ने से सम्बन्ध रखने वाले कितने गवेषणा केन्द्र कार्य कर रहे हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(ख) गवेषणा के फलस्वरूप राज्यों में कितनी नई किस्में पैदा की गई; और

(ग) गवेषणा केन्द्रों पर कितना वार्षिक व्यय हुआ ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) से (ग). लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३३**]

पूर्वी पाकिस्तान को अमोनिग्रम सल्फेट का संभरण

†*२७१. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि:

(क) क्या सरकार पूर्वी पाकिस्तान को एमोनियम सल्फेट देने को सहमत हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो पूर्वी पाकिस्तान को किस मात्रा में एमोनियम सल्फेट दी जायेगी ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) जी हां ।

(ख) लौटाने के आधार पर १०,००० टन; किन्तु तत्पश्चात् उनकी संभरण की स्थिति में सुधार होने पर पाकिस्तान की सरकार ने उसे लेने का इरादा छोड़ दिया ।

मनीपुर चिकित्सा विभाग

†*२७२. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मनीपुर के चिकित्सा विभाग में सरकार के कितने डाक्टरों को नियुक्त किया ह ?

†**स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चंद्रशेखर)** : जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर लोक-सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

मचडा-दीघा लाईन

†*२७३. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **रलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी बंगाल सरकार ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना में तामलुक और कन्टाई हो कर माचडा (दक्षिण पूर्व रेलवे) और दीघा तक एक रेलवे लाइन बनाने का प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या निश्चय किया गया है ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां)**: (क) जी हां ।

(ख) अभी कोई निश्चय नहीं किया गया है ।

प्रकाश स्तम्भ

†*२७४. **श्री वोडयार** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में कारवार और मंगलौर के बीच भत्कल के चट्टानी तट पर नवीन प्रकाश स्तम्भ बनाने के कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) प्रकाश स्तम्भ पर अनुमानत : कितनी लागत आयेगी; और

(ग) देश में दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कितने प्रकाश स्तम्भ बनाने का विचार है ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) भत्कल में नवीन प्रकाश स्तम्भ बनाने का कार्य पूरा हो चुका है। १ जून, १९५६ को नवीन प्रकाश दिया गया था।

(ख) लगभग ४.८ लाख रुपये ।

(ग) लगभग १०० प्रकाश गृह ।

नाविकों का कल्याण

†*२७५. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने १९५५–५६ में नाविकों के कल्याण के लिये क्या उपाय किये हैं; और

(ख) नाविकों के हितों के संरक्षण के लिये राष्ट्रीय नाविक कल्याण बोर्ड ने क्या सिफारिश की हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३४**]

(ख) बोर्ड के कल्याण सम्बन्धी उपायों और आवश्यक वित्त जुटाने के उपायों के सम्बन्ध में व्यापक प्रस्थापना करने के लिये दस सदस्यों की एक उपसमिति बनाई है। अभी उपसमिति का प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है ।

दिल्ली परिवहन सेवा

*२७६. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सचिवालय भवन के सामने बनने वाले दिल्ली परिवहन सेवा (डी० टी० एस०) के शेल्टर का निर्माण कार्य कब तक पूरा होने की आशा है;

(ख) क्या ऐसे शेल्टर अन्यत्र भी बनाये जायेंगे; और

(ग) यदि हां, तो कहां कहां ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) इस समय क्यू शेल्टर के बनाने का काम जारी है और आशा है कि वह करीब दो महीने में पूरा हो जायेगा।

(ख) तथा (ग). नौर्थ एवन्यू, साउथ एवन्यू, मद्रास होटल, सिंधिया हाउस, रीगल बिल्डिंग (पार्लियामेंट स्ट्रीट) फाउन्टेन, और शाहदरा में विशेष प्रकार से के क्यू शेल्टर बनाने का विचार है। उनके खाके और नमूनों पर अभी विचार किया जा रहा है।

अखिल भारतीय औद्योगिक न्यायाधिकरण

†*२७७. **श्री भागवत झा आजाद** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अखिल भारतीय औद्योगिक न्यायाधिकरण की कोयला-खनिकों के लिये न्यूनतम मजूरी की घोषणा को लागू कर दिया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके कब तक लागू किये जाने की आशा है; और

(ग) कितनी कोयला-खानों में श्रमिकों को इस न्यूनतम मजूरी की दर के अनुसार मजूरियां मिल रही हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अ ली)** : (क) से (ग). फैसला २६ मई, १९५६ को प्रकाशित किया गया था। यह २५ जून, १९५६ से लागू होता है। खदान मालिक संगठनों ने इसे अमल में लाना मंजूर कर लिया है। अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं मिली कि खदान मालिक इसे अमल में नहीं लाना चाहते। सरकार का उद्योग-सम्बन्ध विभाग अमल में लाने सम्बन्धी काम की जांच कर रहा है। इसकी रिपोर्ट मिलने में अभी कुछ समय लगेगा।

मछली पकडना

†*२७८. **श्री त० ब० विट्ठलराव** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में आइसलैण्ड के मछली पकड़ने के विशेषाज्ञ जी० एस० इलुगेसन ने बताया है मद्रास राज्य में मलबार समुद्र तट पर ऐसा क्षेत्र है जहां केकड़ा मिलता है और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)**: (क) और (ख). कोई अधिकृत जानकारी अभी नहीं मिली है।

अन्दमान में वन लगाना

†*२७९. **श्री० दी० चं० शर्मा** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्दमान और निकोबार द्वीपों में वन लगाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या प्रगति की गई है ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) जी हां; दूसरी पंचवर्षीय योजना में।

(ख) २५० एकड़ छोटे वन अर्थात्, बंद कपीक आदि, और इस पर अनुमानतः २५,००० रुपये खर्च होंगे तथा ५०,००० एकड़ दियासलाई की लकड़ी और प्लाईवुड के वृक्ष, जिन पर ५ लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है।

(ग) योजनायें कार्यान्वित की जा रही हैं।

जापान को रेल्वे का शिष्टमंडल

†* २८०. **श्री गिडवानी** :
श्री कृष्णाचार्य जोशी :
श्री विभूति मिश्र :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक शिष्टमंडल चीन और जापान में वहां रेलवे प्रणाली के कार्य-संचालन का अध्ययन करने के लिये भेजा गया है;

(ख) शिष्टमंडल पर कुल कितना खर्च हुआ था; और

(ग) क्या उसने कोई प्रतिवेदन दिया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी, हां। रेलवे बोर्ड के तीन अधिकारियों का एक शिष्टमंडल जापान और चीन भेजा गया था।

(ख) अनुमानित खर्च २९,००० रुपये के लगभग था।

(ग) शिष्टमण्डल इस महीने की २२ तारीख को वापिस आया है। वह यथासमय अपना प्रतिवेदन देगा।

गन्ने के भाव

†*२८१. **पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५-५६ में चीनी की फैक्ट्रियों ने गन्ने का भाव चीनी के भाव के आधार पर नियत करने के सूत्र के अधीन दक्षिण और उत्तर भारत में गन्ना उत्पादकों को कुल कितनी राशि दी है; और

(ख) क्या गन्ने के भाव को चीनी के भाव के आधार पर नियत करने के लिये स्थापित की गई समिति ने कोई निर्णय कर लिया है और कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) तथा (ख). यह जानकारी देने वाला विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबंध संख्या ३५**]

वनजारों का पुनर्वास

†*२८२. { **सरदार इकबाल सिंह** :
सरदार अकरपुरी :

क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री १४ मार्च, १९५६ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ३९० के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बनजारों को पुनः बसाने के लिये जिस योजना पर विचार किया जा रहा था, क्या उसके बारे में कोई अन्तिम निर्णय किया जा चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस योजना की प्रति सभा-पटल पर रखी जाएगी।

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) अभी नहीं।

(ख) अन्तिम रुप में मंजूर योजनाओं की एक एक प्रति यथा समय सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

रेलवे सवारी डबे बनाने का कारखाना

†*२८३. { **डा० रामसुभग सिंह** :
श्री बोगावत :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रेलवे सवारी डिब्बे बनाने के लिये बिहार में एक कारखाना खोलने का है।

(ख) यदि हां, तो वह कारखाना कहां खूलने की संभावना है; और

(ग) कब और कितनी लागतत पर कारखाना खोला जाएगा?

†**परिवहन तथा रेलवे उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग) . प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में।

ब्रिटन से विशेषज्ञ

†*२८४. **श्री अमजद अली** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूसरी पंचवर्षीय योजना के अधीन कुशल मजदूरों की मांग को पूरा करने के लिये श्रम मंत्रालय को इसके व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों का विस्तार करने में प्रविधिक सहायता देने के लिये ब्रिटेन से विशेषज्ञों का एक दल दिल्ली आया है ;

(ख) उनके कार्य का क्या क्षेत्र होगा और वे किस को प्रशिक्षण देंगे ; और

(ग) कितनी देर तक उनकी सेवाओं का उपयोग किया जाएगा ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) और (ख). एक वरिष्ठ सलाहकार और दो वरिष्ट अनुदेशक अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संस्था से भारत में, अनुदेशकों की केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्था का पुनर्गठन करने में और एक दूसरी ऐसी संस्था खोलने में भारत सरकार की सहायता देने के लिये भारत में अभी हैं। सलाहकार संस्था के पुनर्गठन के कार्य में संस्था के प्रिंसीपल को सहायता देगा और दूसरे दो अनुदेशकों के कार्य का समन्वय करेगा। वरिष्ट अनुदेशक सलाहकार को सहायता देंगे और अनुदेशक कर्मचारियों को प्रशिक्षण देंगे। उनके मुख्यालय कोनी-विलासपुर में हैं।

(ग) वरिष्ठ सलाहकार से छः महीने और दूसरे दो व्यक्तियों से बारह महीनों काम लिया जाएगा।

चीन के साथ चावल का सौदा

†*२८५. **श्री वोड़यार** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत और चीन के बीच चावल के सौदे की बात-चीत चल रही है ; और

(ख) यदि हां, तो दूसरी योजना अवधि के लिये चावल का आयात करने के कार्यक्रम का क्या ब्यौरा है ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) जी हां।

(ख) अभी ब्यौरा तैयार नहीं किया गया है।

मिदनापुर में तूफान

†*२८६. **श्री नि० बि० चौधरी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल के मिदनापुर और २४-परगना जिलों में हाल में जों तूफान आया है क्या उसके बारे में सरकार ने कोई चेतावनी दी थी ; और

(ख) यदि हां, तो ऋतुविज्ञान संबंधी विभाग की भविष्यवाणी के अनुसार प्रभावित होने की संभावना वाले क्षेत्रों के लोगों को यह सूचना देने के लिये कारवाई की गई थी यदि हां, तो क्या ?

†**संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)**: (क) जी हां।

(ख) ३० मई, १९५६ से १ जून १९५६ के बबंडरों के बारे में भारतीय ऋतु विज्ञान विभाग ने विभिन्न लोगों को चेतावनी दी थी, जिनमें मिदनापुर और २४-परगना जिलों के समुद्र और नदी पत्तन अधिकारी, जिला अधिकारी तथा पुलिस अधिकारी सम्मिलित हैं। चेतावनी सूची में सामुदायिक परियोजना केन्द्रों को साधारण ऋतु समाचार के अतिरिक्त विशेष समाचार भी दिये गये थे और आकाशवाणी कलकत्ता के द्वारा प्रसारण के लिये विशेष समाचार जारी किये गये थे।

---

†मूल अंग्रेजी में।

फुलेरा के निकट रेल दुर्घटना

१४०. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १ जून, १९५६ को ५–३० म. पू. पर फुलेरा से बांदीकुई स्टेशन जाने वाली एक माल गाड़ी फुलेरा से पांच मील दूर हिरनोदा और आसलपुर स्टेशनों के बीच पटरी से उतर गई ; और

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना का कारण क्या था ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) १–६–१९५६ की सुबह लगभग ५ बजकर १५ मिनट पर, जब फुलेरा से बांदीकुई जाने वाली नं. १२३० डाउन माल गाड़ी, पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद-दिल्ली मीटर लाइन सेक्शन में हिरनोदा और असलपुर-जोवनेर स्टेशनों के बीच जा रही थी, तो १७४/११–२० मील पर उसके दो डिब्बे पटरी से उतर गये और बीस डिब्बे उलट गये।

(ख) अभी पूरी तरह कारण का पता नहीं चला है।

रेल गाड़ी का पटरी से उतर जाना

१४१. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १२ जून, १९५६ को प्रातः कलकत्ता से ८२ मील की दूरी पर एक माल गाड़ी के दो डिब्बे सोनाडांगा के पास पटरी से उतर गये जिसके फलस्वरूप कलकत्ता और लालगोला घाट के बीच यातायात रुक गया ; और

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना का कारण क्या है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) १२–६–१९५६ की सुबह लगभग ४ बजे जब ७३३ अप मालगाड़ी पूर्व रेलवे के सियालदह डिवीजन के रानाघाट-लालगोला घाट सेक्शन के सोनाडांगा स्टेशन में दाखिल हो रही थी, तो इंजन से १७ वें डिब्बे (नम्बर ई. आर. ७२४२) का हैंगर और ब्रेक ब्लाक टूटकर कांटा नं. २ के पास गिर गये और चैक रेल और प्वाइंट के क्रासिंग स्थान के बीच फंस गये, जिसके फलस्वरूप दो माल डिब्बे पटरी से उतर गये। इस खंड पर सुबह के ११ बजे तक यातायात बंद रहा।

(ख) जैसा कि भाग (क) के उत्तर में ऊपर बताया गया है, यह दुर्घटना माल डिब्बा नं० ई. आर. ७२४२ के हैंगर और ब्रेक ब्लाक टूट जाने और उनके चैक रेल और कांटा नं. २ के बीच गिर पड़ने के कारण हुई।

बीजों के खेत

† १४२. **श्री राम कृष्ण** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी पंचवर्षीय योजना मे राज्यवार बीजों के कितने खेतों की व्यवस्था की जाएगी, और

(ख) राज्यवार कुल कितना व्यय होगा ?

† **खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ. प्र. जैन)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबंध संख्या ३६]**

---

† मूल अंग्रेजी में।

पौधा निरोध केन्द्र

† १४६ **श्री राम कृष्ण** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूसरी पंचवर्षीय योजना काल में दस पौधे निरोध केन्द्र स्थापित करने की योजना अन्तिम रूप में तैयार हो चुकी है; और

(ख) यदि हां, तो जो स्थान चुने गये हैं उनके नाम क्या हैं और योजना की दूसरी रूपरेखा क्या है ?

† **खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ. प्र. जैन)** (क) दूसरी पंचवर्षीय योजना के अधीन सात पौधे निरोध केन्द्र स्थापित करने की योजना है, जिसे सिद्धान्त रूप में योजना आयोग ने स्वीकार कर लिया हैं और उसके शीघ्र ही अन्तिम रूप में तैयार होने की आशा है।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय पौधे संरक्षण अभिसमय १९५१ के अधीन जिस पर भारत ने हस्ताक्षर किये हैं, यह आवश्यक है कि अनुचित रूप में अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में विघ्न न डालते हुए अपने सीमा क्षेत्र में कीड़ों, महामारी और पौधों की बीमारियों के प्रवेश को रोकने के उपाय अपनाए जांय। इन ७ केन्द्रों की स्थापना के साथ, जो समुद्र पत्तनों आदि में स्थापित किए जाएंगे ; भारत देश की कृषि-अर्थ व्यवस्था के संरक्षण की दृष्टि से, नवजात पौधों की परीक्षण तथा पौधों के सामान, और दूसरे उपायों के द्वारा धूएं के द्वारा उनकी बीमारियों को नष्ट करने या कीटाणु नाश करने के लिये अच्छी तरह तैयार हो जाएगा।

आवास तथा दूसरी संस्थायें

† १४४. **श्री राम कृष्ण** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आवास संस्थाओं, श्रम संविदा संस्थाओं, वन श्रमिक संस्थाओं और परिवहन संस्थाओं की राज्यवार संख्या क्या है ?

† **खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ. प्र. जैन)** : ब्यौरा राज्य सरकारों से मंगवाया जा रहा है और प्राप्त हो जाने पर सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

रेलवे इंजन का पटरी से उतर जाना

१४५. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १५ जून, १९५६ को जालन्धर से अमृतसर जाने वाली ३३९ अप सवारी गाड़ी का इंजन हमीरा यार्ड में पटरी से उतर गया ; और

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना का कारण क्या है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) १५-६-१९५६ को सुबह लगभग ४ बजकर ६ मिनट पर जब उत्तर रेलवे के लुधियाना-अमृतसर सेक्शन के हमीरा स्टेशन का स्टार्टर 'खतरे' की हालत में था, ३३९ अप सवारी गाड़ी वहां से छुटी और अप ठोकर लाइन में चली गयी जिसके कारण इंजन और उससे सटा डिब्बा पटरी से उतर गये।

(ख) जांच समिति की रिपोर्ट के अनुसार दुर्घटना का कारण गाड़ी का ड्राइवर था जो अप लूप लाइन का स्टार्टर 'खतरे' की हालत में होते हुए भी गाड़ी को आगे ले गया।

---

† मूल अंग्रेजी में।

कारीगरों के लिये प्रशिक्षण केन्द्र

† १४६. **श्री हेमराज** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कारीगरों के लिये कितने प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने का विचार करती है और राज्यों द्वारा कितने खोले जाएंगे ;

(ख) केन्द्र और राज्यों द्वारा ये केन्द्र किन किन स्थानों पर खोले जाएंगे ;

(ग) क्या स्थानों का निर्णय करते समय पिछड़े क्षेत्रों को भी कोई प्राथमिकता दी जायगी, और

(घ) क्या ये केवल प्रशिक्षण केन्द्र ही होंगे या इनको प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्रों में बदल दिया जाएगा ?

† **श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) से (ग). कारीगरों के लिये दूसरी योजना में खोले जाने वाले प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या और स्थान का निर्णय राज्यों की आवश्यकताओं का यथोचित ध्यान रखते हुए राज्य सरकारों द्वारा, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से, किया जाएगा।

(घ) प्रश्न विचाराधीन है।

त्रावणकोर-कोचीन राज्य परिवहन सेवा

† १४७. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य में चलने वाली बसों की संख्या में कोई वृद्धि किये बिना राज्य बसों में यात्रा पर त्रावनकोर-कोचीन सरकार ने हाल में जो पाबंदियां लगाई हैं, उनके कारण जनता को जो असुविधाएं हुई हैं, क्या सरकार को उनका ज्ञान है ; और

(ख) यदि हां तो इस मामले में क्या कदम उठाने का विचार किया गया है ?

† **रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) और (ख). १९ जनवरी १९५४ को राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये एक आदेश के अनुसार शहर में चलने वाली बसों में खड़े होने की संख्या बैठने के स्थानों का ५० प्रतिशत निर्धारित की गई है और शटलों में २५ प्रतिशत निर्धारित की गई है। जब यह देखा गया कि इन आदेशों का प्रायः उल्लंघन किया जा रहा है और बसों में बहुत अधिक यात्री बिठा लिये जाते हैं, तब राज्य सरकार ने हाल ही में आदेश दिया है कि उनके पहले आदेश को सख्ती से लागू किया जाए। जनता को होने वाली असुविधाओं को दूर करने के लिये यह व्यवस्था की गई है कि बसें थोड़े थोड़े समय पर चलें। राज्य सरकार का यथाशीघ्र अतिरिक्त बसें चलाने का भी विचार है।

उड़ीसा मिनरल डेवेलपमेंट कम्पनी

† १४८. **श्री नि. बि. चौधरी** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स बर्ड एण्ड कों. प्रबन्धक अभिकरण के अधीन उड़ीसा मिनरल डेवेलपमेंट कम्पनी में २० अप्रैल १९५६ से ताला बंदी होने के क्या कारण हैं ;

(ख) ताला बंदी कितने समय तक रही ;

(ग) ताला बंदी के कारण कुल कितने मजदूर बेकार रहे ;

(घ) उत्पादन में अनुमानतः कितनी कमी हुई ; और

(ङ) तालाबंदी समाप्त करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

---

† मूल अंग्रेजी में।

† **श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) प्रबन्धकों का कहना है कि संघ ने किसी समझौते की कुछ शर्तों को भंग किया और हिंसात्मक घ अनुशासन भंग के काम किये ताकि प्रबन्धक डर जायें। २० अप्रैल १९५६ को दोपहर के एक बजे, संघ के हड़ताल करने पर, ताला बंदी की घोषणा की गई।

(ख) २० अप्रैल, १९५६ से २४ जून १९५६ तक—६६ दिन

(ग) लगभग ६,०००।

(घ) प्रमाणिक जानकारी प्राप्य नहीं है।

(ङ) तालाबंदी की सूचना मिलने पर समझौता व्यवस्था के पदाधिकारियों ने, जिनमें मुख्य श्रमायुक्त भी थे, हस्तक्षेप किया और २५ जून, १९५६ को तालाबंदी समाप्त हो गई।

पश्चिमी बंगाल में हैजा

† **१४९. श्री नि. बि. चौधरी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि केन्द्रीय सरकार ने महामारी के रूप में हैजा के प्रकोप का सामना करने के लिये जिसकी पश्चिमी बंगाल ने हाल में सूचना दी है, राज्य को किस किस्म की सहायता दी है।

† **स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)** : पश्चिमी बंगाल में महामारी के रूप में हैजा के प्रकोप का सामना करने के लिए राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से कोई सहायता नहीं मांगी है।

छोटे पत्तनों का विकास

† **१५०. श्री दी. चं. शर्मा** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छोटे पत्तनों के विकास के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना में जिन योजनाओं की रूपरेखा बताई गई थी, उनकी कार्यान्विति में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) क्या यह सच है कि इन पत्तनों में विकास का कार्य कार्यक्रम से पीछे है ; और

(ग) यदि हां, तो कितना और इसके क्या कारण हैं।

† **रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) एक प्रगतिसूचक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबंध संख्या ३७**]

(ख) और (ग). छोटे पत्तनों के विकास का कार्यक्रम केवल अगस्त, १९५३ में स्वीकृत हुआ था और बाद में इस कार्यक्रम में कुछ कार्य और सम्मिलित कर दिये गये। इस बात का ध्यान रखते हुए कि कार्यक्रम को पूरा करने के लिये समय सीमित था, कार्यक्रम में जो प्रगति हुई है वह सर्वथा सन्तोषजनक है।

अभ्रक खान मजदूर कल्याण निधी

† **१५१. श्री दी. चं. शर्मा** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अभ्रक खान मजदूर कल्याण निधि ने अपने खर्चे से विभिन्न प्रकार के कितने स्कूल खोले हैं और यह कितने स्कूलों को सहायता अनुदान देती है ; और

(ख) इन में आजकल मजदूरों के कितने बच्चे शिक्षा पा रहे हैं और विद्यमान स्कूलों में अधिकतम कितने बच्चे दाखिल हो सकते हैं ?

---

† मूल अंग्रेजी में।

† **श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) अभ्रक खान मजदूर कल्याण निधि १३ प्राइमरी स्कूल, १ मिडिल स्कूल और १० व्यस्क शिक्षा स्कूल अपने खर्चे पर चला रही है और १० स्कूलों को वित्तीय सहायता तथा इमारतों, मेज-कुर्सी, पुस्तकों आदि के रूप में अन्य सहायता दे रही है।

(ख) मज़दूरों के शिक्षा पाने वाले बच्चों की कुल संख्या मालूम नहीं है। फिर भी, निधि द्वारा चलने वाले स्कूलों में दाखिला चाहने वाले सारे बच्चे दाखिल हो सकते हैं।

छोटे पत्तन

† **१५२. श्री दी. चं. शर्मा** : क्या **परिवहन** मंत्री सभा-पटल पर एक ऐसा विवरण रखने की कृपा करेंगे कि जिसमें पूर्वी घाट के उन छोटे पत्तनों के नाम हों जहां प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में विकास योजनायें कार्यान्वित की गई हैं ?

† **रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : पूर्वी घाट के उन छोटे पत्तनों के नाम निम्न हैं जहां प्रथम पंचवर्षीय योजना के काल में विकास योजनायें वस्तुत: कार्यान्वित की गई है :—

काकीनाड़ा,

मसूलीपटम्,

कड्डलोर,

नागापटनम्।

वन सम्बन्धी नीति

† **१५३. श्री मादिया गौड़ा** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय वन सम्बन्धी नीति को कार्यान्वित करने में केन्द्रीय सरकार ने प्रति वर्ष कितना धन व्यय किया है ; और

(ख) नीति को शीघ्र कार्यान्वित करने के लिये १९५५–५६ और १९५६ में अब तक क्या विशिष्ट कार्यवाही की गई है ?

† **खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ. प्र. जैन)** : (क) राष्ट्रीय वन सम्बन्धी नीति को कार्यान्वित करने का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों पर है। केन्द्रीय सरकार इस काम पर कोई प्रत्यक्ष व्यय नहीं करती परन्तु वन विज्ञान के विकास के लिये वित्तीय तथा टेक्नीकल सहायता देती है।

(ख) राष्ट्रीय वन नीति को कार्यान्वित करने की आवश्यकता के बारे में समय समय पर राज्यों से कहा जा रहा है। केन्द्रीय वन बोर्ड की बैठक में, जो मई १९५५ में उटाकमण्ड में हुई थी, इस प्रश्न पर भी सविस्तार चर्चा हुई थी। उस समय राज्यों से सानुरोध यह बात कही गई कि बंजर पहाड़ियों तथा ऐसे वन-स्थलों पर जहां पहले वृक्ष थे, वनस्पति लगाने की आवश्यकता है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में वन लगाने की योजनाओं के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता देने का उपबन्ध है।

रेलवे के सामान का क्रय

† **१५४. श्री मादिया गौड़ा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४–५५ और १९५५–५६ के लिए रेलवे ने अपने सामान के कितने व कितने मूल्य के एक्सप्रेस तथा तदर्थ आदेश दिये ;

(ख) इस प्रकार किन-किन मुख्य वस्तुओं का क्रय किया गया ; और

(ग) क्या इस प्रकार के व्यादेशों में कुछ अतिरिक्त व्यय होता है, यदि हां तो कितना ?

---

† मूल अंग्रेजी में।

† **रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबंध संख्या ३८**]

दीवा-दसगांव रेलवे परियोजना

† १५५. **श्री गिडवानी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र वाणिज्य मंडल बम्बई ने सरकार को द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पश्चिमी घाट पर दीवा–दसगांव रेलवे परियोजना सम्मिलित करने की आवश्यकता के संबंध में कोई ज्ञापन प्रस्तुत किया है ;

(ख) क्या बम्बई राज्य सरकार के संचार बोर्ड और बम्बई नगरपालिका निगम तथा अन्य स्थानीय व सरकारी निकायों ने भी इस मांग का समर्थन किया है ;

(ग) क्या सरकार ने उस पर विचार किया है ; और

(घ) यदि हां, तो उनका विनिश्चय क्या है ?

† **रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ). दीवा-दसगांव परियोजना के प्रारम्भिक इंजीनियरी और यातायात सर्वेक्षण पूरे हो चुके हैं। रेलवे बोर्ड सर्वेक्षण प्रतिवेदनों पर विचार कर रहा है।

एशिया और सुदूर पूर्व के लिये आर्थिक आयोग का प्रतिवेदन

† १५६. **श्री राम कृष्ण** : क्या **रेलवे** मंत्री २० अप्रैल, १९५६ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या १२०९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशिया और सुदूरपूर्व के लिए आर्थिक आयोग का रेलवे संबंधी औपचारिक प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

† **रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी, हां।

(ख) जिन विषयों का प्रतिवेदन में उल्लेख है उनकी संक्षिप्त विवरण सहित एक सूची सभा पटल पर रखी जाती है [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबंध संख्या ९९**] प्रतिवेदन पर अन्तर्देशीय परिवहन समिति अपने छटे सत्र में, जो जनवरी १९५७ में बैंगकाक में होगी, विचार करेगी।

द्वितीय श्रेणी में यात्रा

† १५७. **श्री दी. चं. शर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५–५६ में कितने व्यक्तियों ने द्वितीय श्रेणी में यात्रा की ;

(ख) इस संख्या का डिब्बों में बैठने के स्थानों की संख्या के साथ क्या अनुपात है ; और

(ग) क्या बैठने के स्थानों की संख्या के अनुसार टिकट देने की कोई सीमा है जैसा कि श्रेणियों के पुनः वर्गीकरण से पहिले था ?

† **रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) वर्तमान द्वितीय श्रेणी के लिये १६,०२४ (हजार) यात्रियों को टिकट दिये गये।

(ख) मई १९५५ में जिसके आंकड़े उपरोक्त हैं, बड़ी लाइन पर यात्री-मील और बैठने के स्थानमील में ३०·४ प्रतिशत का तथा छोटी लाइन पर २९.२ प्रतिशत का अनुपात था।

---

† मूल अंग्रेजी में।

(ग) द्वितीय श्रेणी में बैठने के स्थानों की संख्या के अनुसार टिकट देने की कोई साधारण सीमा नहीं है। पुरानी मध्य (इन्टर) श्रेणी में जो १ अप्रैल, १९५५ से द्वितीय श्रेणी बना दी गई थी, ऐसी कोई सीमा नहीं थी।

पर्यटन का विकास

†१५८. { **सरदार इकबाल सिंह :**
सरदार अकरपुरी :

क्या **परिवहन** मंत्री २८ मई, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २७१९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पर्यटन के विकास के बारे में पंजाब सरकार ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किये थे, क्या उन पर कोई अन्तिम विनिश्चय हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या स्वीकृत योजना की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी।

† **रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी, हां।

(ख) द्वितीय योजना काल में पर्यटन संबंधी योजना तथा उसके व्याख्यात्मक टिप्पण की प्रतियां जिसमें पंजाब के लिए योजना सम्मिलित है, संसद पुस्तकालय में पहिले से ही प्राप्य हैं।

पेप्सू में बेकारी

†१५९. { **सरदार इकबाल सिंह :**
सरदार अकरपुरी :

क्या **श्रम** मंत्री पेप्सू के रोज़गार दफ्तरों में १९५६ में अब तक पंजीबद्ध बेकार लोगों की मास वार संख्या बताने की कृपा करेंगे ?

† **श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : सूचना देने वाला एक विवरण नीचे दिया गया है :

मास	पंजीबद्ध लोगों की संख्या
१९५६ :	
जनवरी	५४३
फरवरी	४७३
मार्च	५८९
अप्रैल	५२६
मई	५४१
जून	५७९
योग जनवरी—जून ५६	३,२५१

† मूल अंग्रेजी में।

होमियोपैथी

† १६०. { **सरदार इकबाल सिंह :**
सरदार अकरपुरी :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या पंजाब और पेप्सू की राज्य सरकारों ने होमियोपैथी में गवेषणा करने के लिये विस्तृत योजनायें भेज दी हैं जो कि केन्द्रीय सरकार ने मांगी थीं ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं ?

† **स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

दिल्ली में चिकित्सा कालिज

† १६१. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री ६ मार्च, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ४७५ के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगी कि दिल्ली में एक दूसरा चिकित्सा कालिज खोलने का प्रस्ताव किस स्थिति में हैं ?

† **स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)** : एक अकर-स्नातक चिकित्सा कालिज खोलने का निश्चय किया गया है जो अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था, नई दिल्ली का एक अंग होगा। यह कालिज सितम्बर के अन्त तक खुलेगा। दिल्ली में दूसरे चिकित्सा कालिज की स्थापना करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

चितबड़ा गांव और चौरीचौरा रेलवे स्टेशन

१६२. **श्री रा. न. सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर रेलवे के चितबड़ा गांव और चौरीचौरा स्टेशनों पर, जो गोरखपुर जिले में हैं, प्रति वर्ष कितने वैगन माल लादा जाता है ; और

(ख) उन स्टेशनों पर माल लादने के लिये कितने वैगन खड़े हो सकते हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क)

लादे गये माल डिब्बों की संख्या

साल	चितबड़ा गांव	चौरीचौरा
१९५३ . . .	९९५	६३७
१९५४ . .	१०५१	५४२
१९५५	९५५	४३७
१९५६	५६४	१३९
(१६-७-१९५६ तक)		

(ख) चौरीचौरा . . . ४० माल डिब्बे } प्रतिदिन

चितबड़ा गांव . . . . . २६ माल डिब्बे }

† मूल अंग्रेजी में।

चितबडा गांव रेलवे स्टेशन

१६३. **श्री रा. न. सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि चितबड़ा गांव रेलवे स्टेशन पर हजारों मन मछली लादी जाती है और वहां पर मछली लादने के लिये अलग प्लेटफार्म नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार रेलवे स्टेशन का विस्तार करना चाहती है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तथा (ख). बारह महीने में कुल लदान लगभग दो हजार मन का हुआ है जिसमें अधिक से अधिक प्रतिदिन २३ मन तक हुआ। मछलियां लादने के लिये कोई अलग प्लेटफार्म नहीं है और न इसकी जरूरत ही समझी जाती है क्योंकि वर्तमान प्रबन्ध काफी है और प्रतिदिन माल बिना ज्यादा कठिनाई के भेजा जाता है।

शिशु-गृह

† १६४. **श्री दी. चं. शर्मा** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या गैर सरकारी कोयला खानों के सभी मालिकों ने कोयला खानों में काम करने वाले लोगों के बच्चों के लिये शिशु-गृहों की व्यवस्था की है ;

(ख) क्या इन शिशु-गृहों का उपयोग किया जाता है;

(ग) जिन खान मालिकों ने शिशु-गृहों की व्यवस्था नहीं की है उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) इन क्षेत्रों में कितने शिशु-गृह हैं ?

† **श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) जी, नहीं।

(ख) जहां कहीं शिशु-गृहों की व्यवस्था की गई है, उनका उपयोग किया जा रहा है।

(ग) जिन खान मालिकों ने शिशु-गृहों की व्यवस्था नहीं की है उन पर खान शिशु-गृह नियम, १९४६ का उल्लंघन करने के अपराध में अभियोग चलाया जा सकता है।

(घ) अभी तक कुल २८३ शिशु-गृहों की व्यवस्था की गई है। उनमें से बहुत से एक से अधिक खान के लिये संयुक्त शिशु-गृह हैं। ऐसे अनेक शिशु-गृह बन रहे हैं।

पूर्निया स्टेशन

† १६५. **श्री विश्वनाथ राय** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया गया है कि पूर्निया स्टेशन पर, जो इस समय जिले का मुख्यालय है, पीने के पानी का प्रबन्ध बड़ा खराब है ;

(ख) यदि हां, तो क्या स्टेशन पर नल कूप आदि की व्यवस्था का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है, और

(ग) क्या स्टेशन को नये ढंग से बनवाने और उसका विस्तार करने का कार्य जिसमें प्रतीक्षालय भी सम्मिलित है, इस वर्ष किया जायेगा।

† **रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) पूर्निया स्टेशन पर पीने के पानी का प्रबन्ध सन्तोषजनक है और उत्तर पूर्व रेलवे के पास इस सम्बन्ध में कोई भी शिकायत नहीं आई है।

(ख) अतिरिक्त सुविधायें जैसे एक ५ इंच वाला नल कूप और एक पानी छानने का संयंत्र जल की वृद्धि करने के लिये लगाये गये हैं और निर्माण कार्य हो रहा है।

(ग) कार्य पहले से ही हो रहा है।

---

† मूल अंग्रेजी में।

पंचायतें

†१६६. **श्री स. चं. सामन्त :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) भारत के वे राज्य कौन कौन से हैं जिन्होंने अभी 'पंचायत' अधिनियम पारित नहीं किया है ;

(ख) किन राज्यों में राज्य सरकार की ओर से अब तक पंचायतों का उपयोग लगान वसूल करने के अधिकरण के रूप में किया जाता रहा है ;

(ग) पंचायतों के द्वारा स्वास्थ्य, शिक्षा और जन सहयोग कार्य किन राज्यों ने करना आरम्भ किया है और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस प्रयोजन पर किये गये व्यय की पूर्ति किस प्रकार होगी; और

(घ) क्या पंचायतों के लिये निगरानी रखने वाले निकायों के गठन के बारे में अन्तिम निर्णय किया गया है ?

†**स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर):** (क) से (घ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

रेलवे का सामान

†१६७. **श्री जेठालाल जोशी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में १९५६ में रेलवे का सामान बनाने की क्षमता का विकास करने के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है ;

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) :** एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४०**]

रेलवे यात्रा सम्बन्धी रियायतें

†१६८. **श्री श्रीनारायण दास :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसी भी साहित्यिक अथवा सांस्कृतिक सम्मेलन में, जो भारत में होते हैं, भाग लेने वाले प्रतिनिधियों को रेलवे यात्रा सम्बन्धी रियायतें किस आधार और प्रकिया के अनुसार दी जाती हैं ;

(ख) क्या सरकार ने साहित्यिक और सांस्कृतिक संगठनों और संस्थाओं की कोई सूची तैयार की है ;

(ग) यदि हां, तो क्या उस विवरण की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ; और

(घ) ऐसे सम्मेलनों में भाग लेने के लिये १९५५ में कितनी बार रेल यात्रा सम्बन्धी रियायतें दी गईं ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) :** (क) रेलवे भाड़ों में रियायत शैक्षणिक, सांस्कृतिक अथवा सामाजिक महत्व के कुछ मान्यताप्राप्त अखिल भारतीय निकायों के वार्षिक सत्रों में भाग लेने वाले व्यक्तियों को दी जाती है।

सामान्य तथा साहित्यिक और सांस्कृतिक प्रयोजन के अतिरिक्त रियायत प्राप्त करने के लिये आवश्यकता इस बात की होती है कि वह निकाय किसी सम्प्रदाय का न होकर अखिल भारतीय ढंग का हो और उसके वार्षिक सम्मेलन में काफी लोग उपस्थित हों।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

प्रत्येक प्रतिनिधि को सम्मेलन के मंत्री से एक प्रमाणपत्र लेना होगा जिसे प्रधिकृत रेलवे पदाधिकारी के पास भेजना पड़ेगा, जो रियायत सम्बन्धी आदेश जारी करेगा। इस आदेश के प्रस्तुत करने पर स्टेशन मास्टर रियायती टिकट दे देगा।

(ख) जी, हां।

(ग) उन सभी अखिल भारतीय निकायों की एक सूची जिन्हें रेलवे रियायत दी गई है, सभा पटल पर रखी जाती है। [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबंध संख्या ४१**]

(घ) प्रत्येक निकाय को वार्षिक सम्मेलनों में भाग लेने वाले व्यक्तियों के लिये वर्ष में एक वार रियायत दी जाती है।

दरभंगा रेलवे स्टेशन

† १६९. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर-पूर्व रेलवे के दरभंगा स्टेशन पर बीच के प्लेटफार्म और उसकी छत बहुत पहले गिरा दी गई थी। जो अभी तक उसी दशा में है तथा उसे फिर से बनाने के लिये कुछ भी कार्य नहीं किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

† **रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) तथा (ख). याड को नये ढंग से बनाने के लिये शेड और बीच के प्लेटफार्म को लगभग तीन मास पहले तुड़वा दिया गया था।

यह कार्य यार्ड की क्षमता बढ़ाने के लिये योजना की प्रथम अवस्था का एक अंग था। प्लेटफार्म और शेड को नये स्थान पर बनाने का कार्य दूसरी अवस्था में किया जायेगा जबकि प्रथम अवस्था का कार्य पूरा हो जायेगा और विद्यमान चालू लाइनें तोड़ दी जायेंगी जिसके शीघ्र ही पूरे हो जाने की आशा है।

तार प्रशिक्षण

† १७०. **श्री धूसिया** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तार प्रशिक्षण के लिये उत्तर प्रदेश में मई, १९५६ में कोई चुनाव अथवा भर्ती की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो उस चुनाव का तरीका क्या था ; और

(ग) उसमें अनुसूचित जाति के कितने उम्मीदवार चुने गये हैं ?

† **संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : (क) जी, हां। तारबाबुओं की पदालि में लिये रक्षित स्थानों के लिये विभागीय उम्मीदवारों में से लोग चुने गये हैं।

(ख) वरिष्ठतम विभागीय उम्मीदवारों में से वे लोग चुने गये थे जो निर्धारित श्रुतिलेख परीक्षा में उत्तीर्ण हो गये थे और जिनका सेवा और आचरण सम्बन्धी रिकार्ड सन्तोषजनक था।

(ग) एक भी नहीं।

डाकघरों और रेलवे डाक सेवा के निरक्षक

† १७१. **श्री बहादुर सिंह** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब सर्किल में १९५३–५४ में पदोन्नति के द्वारा डाकघरों और रेलवे डाक सेवा के द्वितीय श्रेणी के राजपत्रित पदों के लिये कितने निरीक्षकों का चुनाव किया गया था ; और

---

† मूल अंग्रेजी में।

(ख) ऐसे चुनावों के लिये क्या कसौटी रखी गई थी ?

† **संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : (क) १९५३–५४ में डाक अधीक्षक सेवा द्वितीय श्रेणी में पदोन्नति के लिये कोई चुनाव नहीं किया गया था।

(ख) विभागीय कर्मचारियों की डाक अधीक्षक सेवा, द्वितीय श्रेणी में पदोन्नति नियमित रूप से गठित विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा योग्यता के आधार पर चुनाव द्वारा की जाती है।

बेजवाड़ा में रेलवे दुर्घटना

† १७२. { **श्री अमजद अली :**
डा० रामा राव :
श्री मोहन राव : }

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली को जाने वाली जनता एक्सप्रेस और एक स्थानीय गाड़ी में टक्कर हो जाने से ६ जुलाई १९५६ की रात में बेजवाड़ा प्लेटफार्म पर अनेक व्यक्तियों को चोटें आईं ; और

(ख) दुर्घटना का कारण क्या था ?

† **रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) ५–७–१९५६ को (६-७ १९५६ को नहीं जैसा कि प्रश्न में कहा गया है) रात को लगभग पौने दस बजे डाउन मद्रास–दिल्ली जनता एक्सप्रेस संख्या १७, जो दिल्ली–मद्रास मार्ग पर बेजवाड़ा स्टेशन की लाइन संख्या ४ पर ठीक सिगनल से ली गई थी, कोचिंग यार्ड शंटिंग इंजन से सम्बद्ध एक पार्सल गाड़ी से टकरा गई जो अन्दर के केबिन के दूसरी ओर खड़ी थीं। इसके परिणामस्वरूप सात व्यक्तियों के मामूली चोटें लगीं।

(ख) वस्तुतः टक्कर स्टेशन के कर्मचारियों द्वारा १७ डाउन जनता एक्सप्रस का लन क लिये सिगनल देने के कारण हुई। कर्मचारियों ने यह नहीं देखा कि जिस लाइन पर यह गाड़ी ली जानी थी वह खाली है या नहीं।

इंडियन टेलिफोन इंडस्ट्रीज

† **१७३ श्री तिम्मय्या** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बंगलौर में भारतीय टेलीफोन उद्योग में पानी की बड़ी कमी है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने पर्याप्त पानी की व्यवस्था करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

† **संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : (क) जी, हां ; इस समय जल की स्थिति सन्तोषजनक नहीं है।

(ख) मैसूर राज्य ने अपने १६० लाख गैलन की योजना में से जिसके मार्च अप्रैल १९५७ में पूरी हो जाने की आशा है इंडियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटिड को १ लाख गैलन प्रति दिन जल देना स्वीकार कर लिया है, इंडियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज इस कार्य के लिये मैसूर सरकार के जल संग्रहण स्थान से लेकर कारखाने तक लगभग १५ लाख रुपये की लागत से नल की लाइन बिछायेगी। इस सम्भरण में निरन्तर वृद्धि होती जायेगी और इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज को अधिक से अधिक ५ लाख गैलन प्रति दिन के हिसाब से जल की आवश्यकता होगी।

---

† मूल अंग्रेजी में।

इंडियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज

†१७४. **श्री तिम्मय्या** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज बंगलौर के पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिये अब तक कुल कितने आवास स्थान बनाये गये ह.; और

(ख) किन किन वर्गों के पदाधिकारी तथा कर्मचारी निश्शुल्क आवास स्थानों के हकदार हैं?

† **संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : (क) कर्मचारियों के लिये २६८ और पदाधिकारियों के लिये १४।

(ख) इस समय रेजीडेंट मैडिकल पदाधिकारी तथा रक्षा तथा प्रतिपालन विभाग के मख्य पदाधिकारी को निश्शुल्क आवास स्थान लेने का हक है।

डाक व तार विभाग के एक पदाधिकारी को जो कि भारतीय टेलीफोन उद्योग में उनकी प्रार्थना पर लगाया गया है, और जो कि उनकी सेवा की शर्तों के अनुसार निश्शुल्क आवास स्थान या उनके बदले मकान के किराये का भत्ता लेने का हकदार था बिना किराये के एक आवास स्थान दे दिया गया है।

बेगुन में तारघर

†१७५. **श्री उ. मू. त्रिवेदी** : क्या **संचार** मंत्री २७ फरवरी, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या २८० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या चित्तौडगढ़ जिले में बेगुन स्थान पर तारघर में काम चालू हो गया है?

† **संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : काम प्रगति कर रहा है; तारघर के लगभग २ मास के भीतर खुल जाने की संभावना है।

चिहेडू में गाडी का पटरी से उतरना

†१७६. **श्री राम दास** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २९ मई, १९५६ को उत्तर रेलवे के चिहेडू स्टेशन पर एक माल गाड़ी पटरी से उतर गई ; और

(ख) कितने व्यक्ति घायल हुए और कैसी चोटें आईं?

† **रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) २९-५-५६ को ७ बज कर ३३ मिनट पर संख्या एफ० ३ अप सीधी मालगाड़ी "खतरे" के स्थान से अप लूप स्टार्टर से आगे निकल-कर उत्तर रेलवे के जालंधर–फगलवाड़ा विभाग के चिहेडू स्टेशन के "स्नैग डैड-एंड" (ठोकर लाइन) तक चली गई जिसके परिणामस्वरूप इंजन तथा उसके साथ वाले तीन डिब्बे पटरी से उतर गये।

(ख) गाड़ी के एक फायरमैन को बहुत सख्त चोटें आईं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

दैनिक संक्षेपिका

[बुधवार, २५ जुलाई, १९५६]

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		२४५–२६६
तारांकित प्रश्न संख्या		
२२८	टेहरी गढ़वाल क्षेत्र में टेलीफोन	२४५–४६
२२९	कोयला खान भविष्य निधि	२४६–४७
२३०	त्रावनकोर-कोचीन परिवहन जांच आयोग	२४७–४८
२३१	आसाम में रज्जुपथ योजना	२४९
२३२	केन्द्रीय प्रसूति लाभ अधिनियम	२४९–५०
२३३	पुरी रेलवे स्टेशन	२५०
२३४	कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनीय कार्यवाही	२५०–५१
२३५	यात्रीगाड़ियों में सोने के डिब्बे	२५१
२३६	पटना टेलीफोन व्यवस्था	२५१–५२
२३७	वन गवेषणा संस्था, देहरादून	२५१–५३
२३८	रेलवे वैगन	२५३–५४
२३९	मोटर गाड़ी कर	२५५–५६
२४०	देखरेख और पुनर्वास केन्द्र	२५६
२४१	बैरकपुर मुख्य डाकघर	२५६–५७
२४२	अग्रताल में पीने का पानी	२५७–५८
२४४	उत्तर प्रदेश में खाद्यान्नों के मूल्य	२५८–६०
२४५	खाद्यान्नों के गोदाम	२६०–६१
२४६	तटीय जहाजों के भाड़े की दरें	२६१
२४७	रैक्सॉल	२६१–६२
२४८	रूस से ट्रेक्टरों का आयात	२६२–६३
२४९	मनीपुर में धान की फसलें	२६३–६४
२५०	पश्चिमी बंगाल में बाढ़	२६४–६५
२५१	वायुयानचालकों की उडान की पड़ताल	२६५
२५२	राज्य कृषि मंत्रियों का सम्मेलन	२६५–६६
२५४	ग्लाइडरों का निर्माण	२६६
२५५	डाकघरों के अधिनिरीक्षकों को श्रेणीबद्ध करना	२६६

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर	. . . . .	२६७–२८९
तारांकित प्रश्न संख्या		
२४३	पटना विश्वविद्यालय	२६७
२५३	स्टेशनों पर बिजलि लगाना	२६७
२५६	व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिये राष्ट्रीय परिषद .	२६७
२५७	औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र	२६७–६८
२५८	आस्ट्रेलिया में भारतीय किसानों का प्रशिक्षण . .	२६८
२५९	कालीघाट–फाल्टा रेलवे	२६८
२६०	राजस्थान क्षेत्र के डाक कर्मचारी	२६८
२६१	दिल्ली के पटेल नगर में हाल्ट स्टेशन . . .	२६९
२६२	खान कर्मचारियों की शिक्षा . . .	२६९
२६३	मजूरी बोर्ड	२६९
२६४	नावें	२६९–७०
२६५	दिल्ली परिवहन सेवा	२७०
२६६	परिवार आयोजन	२७०
२६७	केन्द्रीय असैनिक सेवा (आचरण) नियम . . .	२७०
२६८	जनांकिकी सर्वेक्षण	२७०–७१
२६९	त्रिपुरा के डाक के कर्मचारी	२७१
२७०	भूमि और गन्ना गवेषणा स्टेशन	२७१–७२
२७१	पूर्वी पाकिस्तान को एमोनियम साल्फेट का संभरण .	२७२
२७२	मनीपुर चिकित्सा विभाग	२७२
२७३	माचडा–दीधा लाइन	२७२
२७४	प्रकाश स्तम्भ	२७२–७३
२७५	नाविकों का कल्याण	२७३
२७६	दिल्ली परिवहन सेवा	२७३
२७७	अखिल भारतीय औद्योगिक न्यायाधिकरण . . .	२७३–७४
२७८	मछली पकड़ना	२७४
२७९	अन्दमान में वन लगाना	२७४
२८०	जापान का रेलवे का शिष्टमंडल	२७४–७५
२८१	गन्ने के भाव	२७५
२८२	बनजारों का पुनर्वास	२७५
२८३	रेलवे सवारी डिब्बे बनाने का कारखाना . . .	२७५
२८४	ब्रिटेन से विशेषज्ञ	२७६
२८५	चीन के साथ चावल का सौदा	२७६
२८६	मिदनापुर में तूफान	२७६

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(क्रमशः)

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
१४०	फुलेरा के निकट रेलवे दुर्घटना	२७७
१४१	रेलगाड़ी का पटरी से उतर जाना	२७७
१४२	बीजों के खेत	२७७
१४३	पौधा निरोध केन्द्र	२७८
१४४	आवास तथा दूसरी संस्थायें	२७८
१४५	रेलवे इंजन का पटरी से उतर जाना	२७८
१४६	कारीगारों के लिये प्रशिक्षण केन्द्र	२७९
१४७	त्रावणकोर-कोचीन राज्य परिवहन सेवा	२७९
१४८	उड़ीसा मिनरल डेवेलपमेंट कम्पनी	२७९–८०
१४९	पश्चिमी बंगाल में हैजा	२८०
१५०	छोटे पत्तनों का विकास	२८०
१५१	अभ्रक खान मजदूर कल्याण निधि	२८०–८१
१५२	छोटे पत्तन	२८१
१५३	वन सम्बन्धी नीति	२८१
१५४	रेलवे के सामान का क्रय	२८१–८२
१५५	दीवा–दसगांव रेलवे परियोजना	२८२
१५६	एशिया और सुदूरपूर्व के लिये आर्थिक आयोग का प्रतिवेदन	२८२
१५७	द्वितीय श्रेणी में यात्रा	२८२–८३
१५८	पर्यटन का विकास	२८३
१५९	पेप्सू में बेकारी	२८३
१६०	होमियोपैथी	२८४
१६१	दिल्ली में चिकित्सा कालेज	२८४
१६२	चितवड़ा गांव और चौरीचौरा रेलवे स्टेशन	२८४
१६३	चितवड़ा गांव रेलवे स्टेशन	२८५
१६४	शिशु-गृह	२८५
१६५	पूर्निया स्टेशन	२८५
१६६	पंचायतें	२८६
१६७	रेलवे का सामान	२८६
१६८	रेलवे यात्रा सम्बन्धी रियायतें	२८६–८७
१६९	दरभंगा रेलवे स्टेशन	२८७
१७०	तार प्रशिक्षण	२८७
१७१	डाकघरों और रेलवे डाक सेवा के निरीक्षक	२८७–८८
१७२	बैजवाड़ा में रेलवे दुर्घटना	२८८
१७३	इंडियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज	२८८
१७४	इंडियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज	२८९
१७५	बेगुन में तारघर	२८९
१७६	चिहेड़ू में गाड़ी का पटरी से उतरना	२८९

भा. स. मु. ना.—वि. ३.—१७५ लोकसभा–२-७-५७—१९० ।

लोक-सभा
वाद-विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

खंड ६, १९५६

(१६ जुलाई से ३ अगस्त, १९५६)

1st Lok Sabha
(XIII Session)

सत्यमेव जयते

तेरहवां सत्र, १९५६

(खण्ड ६ में अंक १ से अंक १५ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

विषय सूची

भाग २—वाद-विवाद, खण्ड ६—१६ जुलाई से ३ अगस्त, १९५६

अंक १, सोमवार, १६ जुलाई, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—

देश में बाढ़ें १

संसद् भवन के आसपास प्रदर्शनों पर प्रतिबन्ध . . . २

सभा-पटल पर रखे गये पत्र २–४

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ४–५

राज्य पुनर्गठन विधेयक ५

संविधान (नवां संशोधन) विधेयक ५

बिहार और पश्चिम बंगाल (राज्य-क्षेत्रों का हस्तान्तरण) विधेयक . ५–६

प्रतिलिप्यधिकार विधेयक—

संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव ७, ८–१९

सभा का कार्य ७–८

प्रतिभूति संविदा (विनियमन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव १९–३५

खण्ड २ से ३१ और १ . . . . . ३५–४०

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ४०

हिन्दू अवयस्कता तथा संरक्षकता विधेयक—

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . . ४०–४४

दैनिक संक्षेपिका ४५–४७

अंक २, मंगलवार, १७ जुलाई, १९५६

सभा-पटल पर रखा गया पत्र ४९

राज्य पुनर्गठन के बारे में याचिका . . ४९

हिन्दू अवयस्कता तथा संरक्षकता विधेयक—

राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . . ४९–६७

खंडों पर विचार—

खंड २ से १३, खंड १ और अधिनियमन सूत्र . . ६७–८१

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . ८१–८५

दैनिक संक्षेपिका . . ८६

अंक ३, बुधवार, १८ जुलाई, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . ८७

कार्य मंत्रणा समिति—

अड़तीसवां प्रतिवेदन . . . ८८

पृष्ठ

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—
पचपनवां प्रतिवेदन ८८

कारखाना (संशोधन) विधेयक के बारे में याचिका . . . ८८

भारत का रक्षित बैंक (संशोधन) विधेयक —
विचार करने का प्रस्ताव ८८–१२०

दैनिक संक्षेपिका १२१

अंक ४, शुक्रवार, २० जुलाई, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १२३

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—
सरकार की वस्त्र सम्बन्धी नीति तथा हथकरघा उद्योग का भविष्य . १२३–२५

सभा का कार्य १२५

भारत का रक्षित बैंक (संशोधन) विधेयक—
खंड २ से १४ और १ . . . . . १२५–३५
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव १३५–३८

औद्योगिक विवाद (संशोधन तथा विविध उपबन्ध) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव १३८–४३

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—
पचपनवां प्रतिवेदन १४३

आय-कर विभाग के कार्य-संचालन की जांच के बारे में प्रस्ताव . . १४३–६४

संयुक्त राष्ट्र संघ में अफ्रीकी तथा एशियाई राष्ट्रों के प्रतिनिधित्व के बारे में संकल्प १६४

दैनिक संक्षेपिका १६५–६६

अंक ५, शनिवार, २१ जुलाई, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—
विशाखापटनम् बन्दरगाह और पत्तन श्रमिक संघ द्वारा हड़ताल की पूर्व सूचना १६७–६८

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १६८

कार्य-मंत्रणा समिति—
अड़तीसवां प्रतिवेदन १६८–६९

सभा का कार्य १६९

औद्योगिक विवाद (संशोधन तथा विविध उपबन्ध) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव १६९–२०५

दैनिक संक्षेपिका २०६–०७

अंक ६, मंगलवार, २४ जूलाई, १९५६ पृष्ठ

स्थगन प्रस्ताव—

विशाखापटनम बन्दरगाह और पत्तन श्रमिक संघ द्वारा हड़ताल की पूर्व सूचना . . . २०९–१०

सभा-पटल पर रखे गये पत्र २१०–११

कार्य मंत्रणा समिति—

अड़तीसवां प्रतिवेदन २११–१३

औद्योगिक विवाद (संशोधन तथा विविध उपबन्ध) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . . २१३–२३

खण्ड २ से ३३, खंड १ और अधिनियमन सूत्र २२३–७६

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . २७६

दैनिक संक्षेपिका . २७७

अंक ७, बुधवार, २५ जुलाई, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र २७९–८०

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति—

छप्पनवां प्रतिवेदन २८०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

कच्छ में भूकम्प २८०–८१

श्री चिं० द्वा० देशमुख द्वारा मंत्री पद से त्यागपत्र के बारे में वक्तव्य . २८१–८५

बिहार तथा पश्चिम बंगाल (राज्य क्षेत्रों का हस्तान्तरण) विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव २८५–३३२

दैनिक संक्षेपिका . . . ३३३

अंक ८, गुरुवार, २६ जुलाई, १९५६

प्राक्कलन समिति—

कार्यवाही का सारांश (१९५५-५६) खंड ५, अंग १ . . . ३३५

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आदेश (संशोधन) के विधेयक के बारे में याचिका ३३५

राज्य पुनर्गठन विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . ३३५–७८

दैनिक संक्षेपिका ३७९

अंक ९, शुक्रवार, २७ जुलाई, १९५६	पृष्ठ
स्थगन प्रस्ताव—	
संसद् भवन के पास प्रदर्शन करने पर प्रतिबन्ध	३८१
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	३८१–८२
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति—	
सोलहवां प्रतिवेदन	३८२
राज्य पुनर्गठन विधेयक तथा संविधान (नवां संशोधन)	
विधेयक के बारे में याचिकायें	३८२–८३
सभा का कार्य	३८३
राज्य पुनर्गठन विधेयक	
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . .	३८३, ३८३–४००
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—	
छप्पनवां प्रतिवेदन	४००–०३
साधु तथा सन्यासी (पंजीयन तथा अनुज्ञापन) विधेयक . . .	४०४
भारतीय बालक दत्तक ग्रहण विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	४०४–०८
भूतपूर्व सैनिक कर्मचारी मुकदमेबाजी विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव . .	४०८–१०, ४११–१२
संसद् भवन के पास प्रदर्शन	४१०–११
दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा ४३५ का संशोधन)—	
विचार करने का प्रस्ताव	४१२–१३
खण्ड २, ३ और १	४१३–१४
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . .	४१४
भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा ४९७ का संशोधन)—	
विचार करने का प्रस्ताव	४१५
दैनिक संक्षेपिका	४१८-२०
अंक १०, शनिवार, २८ जुलाई, १९५६	
लोक लेखा समिति—	
सत्रहवां प्रतिवेदन	४२१
सभा का कार्य	४२१
सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . .	४२२
राज्य पुनर्गठन विधेयक—	
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . .	४२२–५७
दैनिक संक्षेपिका	४५८

अंक ११, सोमवार, ३० जुलाई, १९५६ — पृष्ठ

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ४५९

अनुपस्थिति की अनुमति ४५९–६०

समिति के लिये निर्वाचन—

अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था ४६०

राज्य वित्त निगम (संशोधन) विधेयक ४६०

राज्य पुनर्गठन विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . . ४६०–५०२

दैनिक संक्षेपिका . . . ५०३

अंक १२, मंगलवार, ३१ जुलाई, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . ५०५

राज्य-सभा से सन्देश ५०५

राष्ट्र-मंडल प्रधान मंत्री सम्मेलन तथा अपनी विदेश यात्रा के संबंध में प्रधान मंत्री का वक्तव्य . . . ५०६–०९

नागा पहाड़ियों की स्थिति के बारे में वक्तव्य . . . ५०९–१०

राज्य पुनर्गठन विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ५११–४८

खंड २ से १५ . . . ५४८–५२

दैनिक संक्षेपिका ५५३

अंक १३, बुधवार, १ अगस्त, १९५६

सभा पटल पर रखे गये पत्र ५५५–५६

राज्य-सभा से सन्देश ५५६–५७

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—

सत्तावनवां प्रतिवेदन ५५७

प्राक्कलन समिति—

कार्यवाही का सारांश (१९५५-५६) खंड ५ अंक २ और ३ . . ५५७

राज्य पुनर्गठन विधेयक ५५७–६००

खंड २ से १५ . . . . . ५५७–६००

दैनिक संक्षेपिका ६०१–०२

अंक १४, गुरुवार, २ अगस्त, १९५६—क्रमशः	पृष्ठ
राज्य पुनर्गठन विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में	६०३–४५
खंड २ से १५	६०३–३५
खंड १६ से ४९ और अनुसूची १ से ३	६३५–४५
दैनिक संक्षेपिका	६४६
अंक १५, शुक्रवार, ३ अगस्त, १९५६	
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	६४७
सभा का कार्य	६४८
राज्य पुनर्गठन विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में . .	६४८–७४
खंड १६ से ४९	६४८–७४
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—	
सत्तावनवां प्रतिवेदन	६७५
संयुक्त राष्ट्र संघ में अफ्रीकी तथा एशियाई राष्ट्रो को प्रतिनिधित्व देन में संबंधी संकल्प	६७५–९२
चल चित्रों के निर्माण तथा प्रदर्शन पर नियंत्रण एवं विनियमन के बारे में संकल्प	६९२
दैनिक संक्षेपिका	६९३
अनुक्रमणिका	(१–४३)

भा०स०मु०ना–वि० ३–२०५ लोक-सभा—१२-२-५८–१८०

लोक—सभा

बुधवार, २५ जुलाई, १९५६

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(**देखिये** भाग १)

१२ मध्याह्न

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

विमान निगम नियम का संशोधन

†**संचार मत्री (श्री जगजीवन राम)**: मैं वायु निगम अधिनियम १९५३ की धारा ४४ की उपधारा (३) के अधीन, वायु निगम नियम १९५४ में कुछ अग्रेसर संशोधन करने वाली, निम्न अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति पटल पर रखता हूं।

(१) व्याख्यात्मक विवरण के साथ अधिसूचना संख्या ७—सी ए (१)/५५, दिनांक ४ जुलाई, १९५५।

(२) अधिसूचना संख्या ७—सी ए (१३)/५५, दिनांक १३ जनवरी, १९५६। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एस-२६०/५६**]

नागरिकता नियम तथा नागरिकता (भारतीय वाणिज्य दूतावासों के पंजीयन) नियम

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)**: मैं नागरिकता अधिनियम, १९५५ की धारा १८ की उपधारा (४) के अधीन निम्न नियमों की एक-एक प्रति पटल पर रखता हूं:

(१) गृह-कार्य मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० १५७४ दिनांक ७ जुलाई, १९५६ में प्रकाशित, नागरिकता नियम, १९५६। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या २६२/५६**]

(२) गृह-कार्य मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० १५७५ दिनांक ७ जुलाई, १९५६ में प्रकाशित नागरिकता (भारतीय वाणिज्य दूतावासों के पंजीयन) नियम १९५६। (**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या २६३। ५६**)

श्री कामत (होशंगाबाद): जहां तक मैं समझता हूं, मद २ की उपमद (१) में दिये गये नियम एक मास तक सभा पटल पर रखे रहेंगें तथा इनका नागरिकता अधिनियम के अधीन जो हमने गत वर्ष पास किया था, संशोधन किया जा सकेगा।

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य अधिनियम देखें।

---

†मूल अंग्रेजी में।

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम के अधीन अधिसूचना

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री अ० चं० गुह) : मैं केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम १९४४ की धारा ३८ के अधीन केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिसूचना संख्या ८-सी० ई० आर०।५६, दिनांक १४ जुलाई, १९५६ की एक प्रति पटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एस २६४।५६**]

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

छपन्नवां प्रतिवेदन

सरदार हुक्म सिंह (कपूरथला-भटिंडा) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों को विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के छपन्नवें प्रतिवेदन को उपस्थापित करता हूं।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की और ध्यान दिलाना

कच्छ में भूकम्प

†**श्री रघुनाथ सिंह** : ज़िल्हा बनारस मध्य नियम २१६ के अंतर्गत मैं निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर गृह-कार्य मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और उस पर उनसे एक वक्तव्य देने की प्रार्थना करता हूं :

कच्छ में हाल में आया भूकम्प

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : आपकी अनुमति से मैं एक वक्तव्य देना चाहता हूं।

सभा ने २१ जुलाई की रात तथा २२ की प्रातः काल कच्छ राज्य के कुछ हिस्सों में भूकम्प के समाचारों को बड़े दुःख से सुना होगा। भूकम्प के धक्के काफी जोर के थे तथा सम्पत्ति तथा जीवन हानि बहुत अधिक हुई। राज्य के मध्य भाग में भुज तथा बचाऊ के बीच जहां अंजार नगर बसा है कम्पन अत्याधिक था। इस नगर तथा इसके चारों ओर के २२ गांवों जसे दुधई, रत्नाल, धमडका, जपकड़ी, गल्पडार, धानेती, चिराई तथा बचाऊ में अधिक हानि हुई। भुज नगर तथा कच्छ के पश्चिम ताल्लुक और पूर्वी तथा दक्षिणी क्षेत्र इस से बचे रहे तथा इसलियें वहां क्षति नहीं हुई। मरे हुए लोगों तथा सम्पत्ति की हानि के अंतिम आंकडे बताना अभी संभव नहीं हैं क्योंकि अभी सफाई की जा रही है। गत रात्रि में मुख्यायुक्त से प्राप्त समाचारों के अनुसार १११ व्यक्ति मरे हैं, जिनमें से १०२ केवल अंजार के हैं। आहत व्यक्तियों की संख्या ३०० से अधिक है जिनमें से ९३ की हालत खतरनाक है। लगभग १३०० मकानों में इतनी टूट फूट हुई है कि वह अब रहने योग्य नहीं है। इनमें से ८०० अंजार मे ही है। लगभग २००० मकानों में थोड़ी टूट फूट हुई है तथा उनकी मरम्मत की आवश्यकता है २१ तारीख की रात्रि में सूचना मिलने पर, मुख्यायुक्त वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ शीघ्र अंजार गये तथा सहायता कार्यों का संगठन किया। राज्य पुलिस ने, सेना की एक टुकड़ी के साथ मलबा हटाने का तथा उसके नीचे दबे व्यक्तियों को निकालने का कार्य अपनें हाथ में ले लिया है तथा तब से वे लोग यह कार्य कर रहे हैं। वह व्यक्ति जो बेघरबार हो गये हैं उनके लिये नगर में एक भोजनालय खोल दिया गया है तथा उनको तम्बुओं में तथा अन्य प्राप्य भवनों में बसाया गया है। आहत व्यक्तियों को चिकित्सा सहायता देने की कार्यवाही की गई है। चिकित्सा दलों का संगठन भी किया गया है तथा उनको प्रभावित आंतरिक क्षेत्रों में भेज दिया गया है। २२ जुलाई को जैसे

---

†मूल अंग्रेजी में।

ही इस शोकपूर्ण दुर्घटना की जानकारी हुई, २५,००० रुपये की राशि शीघ्र सहायता पहुंचानें के लिये मुख्यायुक्त को दी गई। प्रधान मंत्री के राष्ट्रीय सहायता कोष में से ५०,००० रुपये की राशि और दी गई है।

आवास ऋण वितरण का कार्य भी प्रारम्भ कर दिया गया है। अंजार में रहनें वाले व्यक्तियों को २००० रूपये मिलेंगे जबकि देहातों में रहने वालों को १,५०० रुपये प्रति परिवार दिया जायेगा जिसका २५ प्रतिशत सहायता के रूप में होगा। अंजार के लगभग १२५ परिवारों के लिये नालिदार लोहे की चद्दरों के अस्थाई मकान बनाये जा रहे हैं। इस कार्य के लिये सौराष्ट्र सरकार ने ७० टन लोहे की चद्दरें दी हैं। छोटे व्यापारियों को भी सहायता दी गई है जिस से वह अपने पुनर्वास की व्यवस्था स्वयं कर सकें। २०० रुपये ऋण के रूप में दिये जायेंगे तथा १०० रुपये अनुदान के रूप में। जो लोग बे घर बार हो गये हैं उनकी मुसीबत को राहत पहुंचाने के लिये ३० रूपये प्रति परिवार अस्थाई झोंपड़ियों बनाने के लिये दिये जा रहे हैं। प्रति व्यक्ति तीन पाव तथा प्रति बालक आधा सेर के हिसाब से प्रभावित क्षेत्रों के गांवों में खाद्यान्न दिया जा रहा है। सहायता कार्य में शीघ्रता करने के लिये अंजार नगर, अंजार तालुक के गांवों, भुज तालुक के गांवों, तथा बचाऊ तालुक के गांवों के लिये चार समितियां बनाई गई हैं। सरकारी कर्मचारियों तथा गैर-सरकारी व्यक्तियों की एक केन्द्रीय समिति समस्त सहायता तथा पुनर्वास कार्य के अधीक्षण के लिये बनाई जा रहीं है। भारत सरकार ने मुख्यायुक्त को, आवश्यक प्रकार के सहायता कार्य करने तथा समाचार भेजने के सम्बन्ध में आदेश भेजे हैं।

मुझे विश्वास है कि सभा उन व्यक्तियों के प्रति जिनको इस अचानक आई विपदा के कारण हानि उठानी पड़ी है, सहानुभूति प्रर्दशित करना चाहेगी।

मंत्री पद से त्यागपत्र देने के बारे में श्री चिं० द्वा० देशमुख का वक्तव्य

†**श्री चिं० द्वा० देशमुख** (कोलाबा) : पिछले कुछ समय से मेरा त्यागपत्र विचाराधीन था। कल राष्ट्रपति के कार्यालय ने एक विज्ञप्ति जारी की कि राष्ट्रपति ने कृपा पूर्वक मेरा त्यागपत्र स्वीकार कर लिया है। अपने त्यागपत्र के स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में वक्तव्य देना मैं आवश्यक समझता हूं और इसलिये लोक सभा के प्रक्रिया नियम के नियम २१८ के अनुसार मैं वक्तव्य देता हूं।

मैं इस लिये त्यागपत्र दे रहा हूं कि बम्बई नगर को महाराष्ट्र से अलग करने के सरकार के निश्चय की, जो राय पुनर्गठन विधेयक १९५६ में निहित है, जिम्मेदारी में मैं भागी नही बनना चाहता और क्योंकि मैं सामान्यत: उस तरीके पर विरोध प्रकट करना चाहता हूं, जिस से प्रधान मंत्री ने इस मामले को, जो विशेषत: मेरे निर्वाचन क्षेत्र कोलाबा के लिये तथा सामान्यत: महाराष्ट्र और समस्त भारत के लिये इतना महत्वपूर्ण है, निबटाया है।

मेरा विरोध विशेषत: इन चीजों से है :

(१) भारत सरकार बम्बई सरकार को नवम्बर, १९५५ और जनवरी १९५६ के पुलिस कांडों की जिनमें ८० व्यक्ति मारे गये तथा ४५० घायल हुए अदालती जांच कराने के लिये तैयार नहीं कर सकी या तैयार नहीं करना चाहा,

(२) प्रधान मंत्री ने जून के प्रारम्भ में जब कि राज्य पुनर्गठन विधेयक लोक-सभा के सामने उपस्थित था और एक प्रवर समिति को सौंपा गया था, बम्बई के भविष्य पर जो वक्तव्य दिया वह अनुचित था। पहले मामले के बारे में, मैंने जांच कराने का बहुत आग्रह किया था किन्तु असफलता

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री चि० द्वा० देशमुख]

मिली। दूसरे मामले के बारे में, मैंने प्रधान मंत्री से कोई बातचीत नहीं की, क्योंकि इस घटना के बाद बातचीत करना व्यर्थ होता। इस लिये जिस दिन प्रधान मंत्री कांग्रेस महासमिति की बैठक के बाद बम्बई से लौटे तो मैंने उनसे अपनें विचाराधीन त्यागपत्र को स्वीकार करने के लिये कहा। उनके सुझाव पर मैंनें यह स्वीकार कर लिया कि उनके विदेश यात्रा से लौटने तक मेरा त्यागपत्र विलम्बित रहे।

मई, १९५६ में मैंने प्रधान मंत्री के बार बार कहनें पर वित्त मंत्री का पद स्वीकार किया था। सभा को संभवतः यह जाननें में कुछ दिलचस्पी हो कि मैं ने १९४६ में यदि केवल की इसी प्रकार की प्रार्थना इस आधार पर अस्वीकृत कर दी थी कि न तो प्रशिक्षण और न परम्परा से राजनीतिज्ञ का काम करने की क्षमता मुझ में नहीं है। प्रधान मंत्री का प्रस्ताव स्वीकार करने से पूर्व मैंने उन्हें चेतावनी दी थी कि जहां सिद्धांत का प्रश्न होगा वहां मेरे साथ उनका निभाव होना कठिन हो सकता है और यदि सिद्धांत की बातों पर बड़ा मतभेद हुआ तो मैं त्यागपत्र दे दूगां। यदि उन्हें याद हो तो उन्होंने उत्तर दिया था कि "उस स्थिति में त्यागपत्र देने वाले केवल आप ही नहीं होंगे"। यद्यपि इस प्रश्न पर हमनें कभी स्पष्ट रूप से बातचीत नही की मेरा यह कथन और उनका आश्वासन देश की उन्नति के लिये प्रगतिशील आर्थिक नीतियां अपनाने में तथा देश के आर्थिक विकास की योजनाओं को प्रारम्भ करने में हमारे बीच एक अव्यक्त संधि का काम देता रहा है। यह तो वही बता सकेंगे कि मेरे कार्य अथवा सहयोग से वह सन्तुष्ट रहे अथवा नहीं। परन्तु अपनी ओर से इस समय मैं यह कह देना चाहता हूं कि मुझे अपनें कर्त्तव्य पूरे करने में उनका पूर्ण सहयोग मिलता रहा है। उनके निष्कलंक सौजन्य तथा असीम धैर्य का तो कहना ही क्या ! इस में मतभेद भी होते थे और कभी कभी वित्तीय नियंत्रण कम करने के सम्बन्ध में इन मत भेदों में उग्रता भी आ जाती थी, परन्तु अबतक हम व्यक्तिगत बातचीत के द्वारा उनको आपस में निबटा लेते थे।

मैं कभी भी कांग्रस का सदस्य नहीं रहा तथा मैं समझता हूं कि किसी दल से मेरा सम्बन्ध न होने के कारण मैं अपना वित्त मंत्री का काम अधिक अच्छी तरह कर पाया हूं। अगर मेरे कार्यकाल में निर्वाचन न आ गये होते और यदि वित्त मंत्री के लिये लोक-सभा का सदस्य बनना आवश्यक नहीं होता तो यह स्थिति, जिस में, मैं एक वित्तीय मामले से भिन्न और जो सार्वदेशिक नहीं है, उस पर इस्तीफा दे रहा हूं, पैदा नहीं होती क्योंकि मंत्री मंडल में अपने साथियों से मेरा गम्भीर मतभेद नहीं था। और वित्त मंत्रालय से सम्बन्धित सब मामलों में प्रधान मंत्री मुझे सहयोग देते रहे हैं। मैं यह स्पष्ट कर देना उचित समझता हूं कि राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन के अतिरिक्त, गत कई मास से मैं प्रधान मंत्री से कह रहा था कि मैं अगले चुनावों में खड़ा नहीं हूंगा। तथा यह मेरी पक्की राय है कि अब वह समय आ गया है जब किसी कांग्रेसी को ही वित्त मंत्रालय सम्भालना चाहिये। मंत्री मंडल के अन्य सम्बद्ध सदस्यों को वित्त मंत्रालय की समस्याओं, तथा विशेषतया द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये संसाधन जुटाने की समस्याओं से अवगत कराने की दृष्टि से ही, मेरे परामर्श पर प्रधान मंत्री ने संसाधन समिति बनाई है।

लोक-सभा में कोलाबा जिले के प्रतिनिधि के रूप में तथा बम्बई के एक प्रतिनिधि के रूप मेरे लिये, राजनीति से दूर केवल एक वित्तीय विशेषज्ञ रहना कठिन हो गया। उस निर्वाचन क्षेत्र और राज्य ने मुझे समय समय पर स्थानीय समस्याओं में रुचि लेने को कहा तथा मैं समस्त देश के प्रति जिम्मेदारियां निमत्ति हुए वैसा कर सका हूं। वे मामले कोई बहुत गम्भीर सैद्धांतिक मामले नहीं थे। किन्तु मैं उनमें से नहीं हूं जो यह समझते हैं कि केन्द्रीय सरकार के मंत्रियों को केवल अपनी केन्द्रीय जिम्मेदारियों से ही सम्बन्ध रखना चाहिये तथा अपनें क्षेत्र तथा राज्य के कार्यों से कोई सम्बन्ध नहीं रखना चाहिये। परन्तु फिर भी मैं यह दावा कर सकता हूं कि प्रधान मंत्री के अतिरिक्त, मेरे किसी दल विशेष से सम्बद्ध न होने के कारण तथा वित्त मंत्रालय के प्रविधिक काम के कारण अपने अन्य किसी साथी की अपेक्षा मैंने स्थानीय मामलों से कम वास्ता रखा है।

श्री चि० द्वा० देशमुख का वक्तव्य

बम्बई को महाराष्ट्र से अलग रखने के सरकारी निर्णय के मामले में मैं अपने को, अलग नहीं रख सका क्योंकि मेरे विचार से यह निर्णय अनुचित तथा अन्यायपूर्ण था। इस मामले के सम्बन्ध में भी मैंने तब तक कोई कठोर कदम नहीं उठाया जब तक मुझे पूर्ण विश्वास नहीं हो गया कि घोषित निर्णय कोलाबा की तथा महाराष्ट्र की जनता को स्वीकार्य नहीं है तथा इससे उनके आर्थिक विनाश की सम्भावना है। मैं बम्बई नगर के सम्बन्ध में कठिनाईयों को जानता था तथा इसीलिये मैं ने सौराष्ट्र तथा विदर्भ को मिला कर द्विभाषा भाषी राज्य बनाने का सुझाव दिया था। दुर्भाग्यवश इसको अस्वीकार कर दिया गया ।

प्रधान मंत्री द्वारा गत जनवरी में की गई घोषणा से पहले ही मैंने उन्हें अपना यह दृष्टिकोण बता दिया था कि यदि वृहत्तर दूभाषी राज्य सम्भव न हो तो गुजरात तथा महाराष्ट्र के, अलग अलग राज्य बनायें तथा बम्बई को महाराष्ट्र में रखें। अन्यथा यह एक बहुत बड़ी गलती होगी।

मैंने गत जनवरी में किये गये सरकारी निर्णय का भी तब तक विरोध नहीं किया जब तक मुझे महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस समिति की प्रतिक्रिया की जानकारी नहीं हो गई तथा संतोष नहीं हो गया कि महाराष्ट्र की जनता इसके विरुद्ध है। इस जानकारी के पश्चात मैंने अपना त्याग पत्र दिया। इसके उत्तरमें उन्होंनें लिखा कि हिंसा को निरुत्साहित करने के लिये सभी कार्य करने चाहिये तथा बड़े द्विभाषा भाषी राज्य जैसे दक्षिण प्रदेश आदि बनने चाहिये लगभग उसी समय मेरे कुछ मित्रों ने कहा कि जब तक संसद इस पर विचार नहीं कर लेती हमें पूर्व धारणा नहीं बना लेनी चाहिये। इसी आधार पर मैंने अपने त्यागपत्र पर अधिक जोर नहीं दिया ।

मैं संयुक्त प्रवर समिति के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा करता रहा। परन्तु प्रधान मंत्री ने गत जून में बम्बई में जो घोषणा की उसका समिति पर बुरा प्रभाव पड़ा। उनका यह कहना कि वह सरकार के निर्णयों की घोषणा करने में स्वतंत्र हैं, वैसा नहीं है क्योंकि वह निणय सरकार का नहीं था। इस पर मंत्री मंडल में न तो विचार ही किया गया और न ही उसे परिचालित किया गया। मंत्री मंडल के सदस्यों को आज भी उस तथाकथित निर्णय की कोई अधिकृत प्रति उपलब्ध नहीं है। यह एक उदाहरण है कि किस प्रकार बलपूर्वक, और असंविधानिक रूप से निर्णय किये जाते हैं तथा उनकी मंत्री मंडल के नाम से घोषणा की जाती है । राज्य पुनर्गठन के मामले में अनाधिकृत घोषणा करने वाले सदस्यों में स्वयं प्रधान मंत्री भी है। आन्ध्र को तामिल नाड से अलग रखने का निर्णय प्रधान मंत्री ने स्वयं किया तथा इसकी घोषणा भी स्वयं की। गत जनवरी में बम्बई को केन्द्रीय प्रशासित रखने की घोषणा पर भी मंत्री मंडल का परामर्श नहीं लिया गया। महाराष्ट्री नेता भी इससे सहमत नहीं थे क्योंकि उनका प्रस्ताव, इन शर्तों पर आधारित था कि : (१) बम्बई नगर महाराष्ट्र की राजधानी रहे और (२) बाद में बम्बई को महाराष्ट्र में मिलानें की व्यवस्था की जाये। यह सच है कि सीमा सम्बन्धी मामलों को सुलझने के लिये एक समिति बनाई गई थी, परन्तु इसका यह अर्थ नहीं था कि वह समिति मंत्री मंडल के स्थान पर बम्बई नगर अथवा महाराष्ट्र के सम्बन्ध में निर्णय करे। मेरी यह शिकायत है कि इस सम्बन्ध में मेरा परामर्श नहीं लिया गया तथा प्रधान मंत्री और समिति के सदस्यों ने अपने आप ऐसा अधिकार जो मंत्री मंडल ने उन्हें नहीं दिया था ले लिया था।

प्रधान मंत्री तथा गृह मंत्री द्वारा मेरी बम्बई गोलीकांड की जांच करने की प्रार्थना की अस्वीकृति और भी उपेक्षापूर्ण तथा सौजन्यहीन थी । उनका यह कहना कि इस प्रकार की जांच से उत्तेजना फैलेगी, ठीक नहीं है क्योंकि सत्य से कभी कटुता नहीं फैलती है। सत्य यह है कि पुलिस ने संयम से काम नहीं लिया। इसके प्रमाण हैं कि मुख्य मंत्री नें 'देखते ही गोली चलाने' का आदेश दिया था तथा जिस समय गोली चलाने की हिदायत थी, उससे ठीक पहले अश्रुगैस का प्रयोग किया गया जिस से स्त्री तथा बच्चे घर से बाहर निकल आये तथा पुलिस ने टामीगन आदि से उनको मारने के इरादे से ही २,५०० गोली चलाई जिसके परिणामस्वरूप ८० व्यक्ति मारे गये तथा ४५० घायल हुए। होशियारपुर की जांच करने से यह प्रतीत होता है कि शासक दल को महाराष्ट्र के प्रति कुछ दुश्मनीं है। मैंने इन मामलों की ओर प्रधान मंत्री का ध्यान आकर्षित कराया था और मैंने उन्हें बताया था कि अन्य सभ्य देशों मे

[श्री चिं० द्वा० देशमुख]

इसकी न्यायिक जांच अनिवार्यत: होती । अब दंडाधिकारी के यह कहने पर भी कि नवम्बर १९५५ का गोलीकांड अनुचित था, जांच करानें का इरादा मालूम नहीं होता है ।

इन मामलों का नामत: एक अंतरंग मंडली द्वारा मंत्रि मंडल के अधिकारों को ग्रहण कर लेना और बम्बई की पुलिस को बेलगाम छोड़ कर नागरिक स्वतंत्रता का हनन होने देना, बम्बई नगर के झगड़े से परे सामान्य जनता के हित पर प्रभाव पड़ता है । हिंसा केवल न्याय से समाप्त की जा सकती है । बम्बई के बारे में निर्णय के लिये जिम्मेदार बहुत से लोगों की आक्रमक अहिंसा, हिंसा की अपेक्षा देश की एकता को ज्यादा नष्ट करने वाली है । हिंसा को कोई भी समझदार व्यक्ति बर्दाश्त नहीं करेगा उसे दृढ़ता से रोका जाना चाहियें; परन्तु पाशविकता से नहीं, विशेषतया तब जब सैंकडों निर्दोष नागरिकों को उसका शिकार होना पड़ा ।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य तथा वित्त मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरु)** : अध्यक्ष महोदय, मुझे अपने कल तक के शासन के साथी और अपने माननीय मित्र का वक्तव्य सुन कर बहुत दु:ख हुआ है । मुझे सरकारी काम में एक अच्छे साथी से अलग होने का भी दु:ख है । बड़े खेद का विषय है कि इस अवसर पर कुछ वाद-विवाद सा पैदा हो गया है ।

मेरे मित्र ने जो कुछ कहा है उस की भलाई बुराई के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है । उस पर सभा में चर्चा होगी ही । उन्हों ने कुछ ऐसे कामों का जिक्र किया है जिनके लिये मुझे उत्तरदायी बताया गया है । प्रधान मंत्री होने के नाते मैं अपने दायित्व को स्वीकार करने के लिये सदैव तैयार रहता हूं। किन्तु मैं बहस में शामिल नहीं होना चाहता जिस में व्यक्तिगत आरोप लगाये गये हो। हम सरकारी सदस्यों के रूप में एक दूसरे से अलग हो रहे हैं । अत: इस विदा के समय हमें एक दूसरे के प्रति शुभ कामनायें प्रकट करनी चाहिये ।

मैं केवल दो तीन बातों का उत्तर देना चाहता हूं जिन का मेरे मित्र ने उल्लेख किया है । अनेक घटनाओं के क्रम का उन्होंने जिस प्रकार जिक्र किया है, वह सत्य नहीं कहा जा सकता । वह बात अपूर्णरूप से कही गई है जिसके कारण लोगों को अनेक भ्रम हो सकते हैं ।

उदाहरण के लिये मंत्री मंडल की कार्यवाही का जिक्र किया गया है । मंत्री मंडल ने विभिन्न अवसरों पर किन किन बातों पर विचार किया उसके पूरे विवरण के बिना यह विषय स्पष्ट नहीं हो सकता । किन्तु सभा में उन सब बातों को बयान करना उचित नहीं होगा । यह विषय विभिन्न रूप में कई महीनों तक विचाराधीन रहा है और हम ने सदैव यही कोशिश की कि केवल सरकार में ही नहीं बल्कि संसद में और अन्यत्र भी लोगों की अधिक से अधिक सलाह ली जाये। हमने अनेक अवसरों पर मंत्रि मंडल में इसकी चर्चा की और जब मंत्री मंडल ने एक उपसमिति नियुक्त की तब भी हम उस समिति के कार्य से मंत्रि मंडल को अवगत करते रहे ।

माननीय सदस्य ने कहा कि बम्बई के बारे में मैंने जून के प्रारम्भ में जो घोषणा की थी वह उचित नहीं थी क्योंकि राज्य पुनर्गठन विधेयक लोक-सभा में विचाराधीन है और प्रवर-समिति को सौंपा गया है । मैं इस तर्क की प्रशंसा नहीं कर सकता । मैंनें जो कुछ कहा वह केवल सरकार की नीति थी जिसे विधेयक के मसौदों में पहले ही स्थान दिया जा चुका है । मैंनें केवल इतना और कहा था कि बम्बई का भविष्य पांच वर्ष के बाद निश्चित किया जा सकता है । यह बात पहले भी अनेक बार कही जा चुकी थी । इस विषय के बारे में उस समय जनता अनेक अनुमान लगा रही थी और इसके स्पष्टीकरण की बहुत आवश्यकता थी । ऐसी स्थिति में यह बात स्पष्ट करना जरूरी था । इस के अलावा यह सरकार का कर्त्तव्य है कि वह अपनी नीति की घोषणा करे और संसद के सन्मुख उसे प्रस्तुत करे । चाहे प्रवर-समिति और संसद उसे स्वीकार करे या न करे, यह दूसरी बात है । मैंने वस्तुत: बम्बई में यह भी कहा था इस विषय का निर्णय प्रवर-समिति और संसद करेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

इसके पश्चात नवम्बर १९५६ और जनवरी १९५६ में बम्बई की घटनाओं की अदालती जांच न करने के निश्चय का उल्लेख किया गया है। ये घटनाएं बड़ी गम्भीर थी। उन पर भली भांति विचार करने के बाद और साथियों तथा अन्य लोगों से सलाह लेने के बाद हमने यह अनुभव किया कि उस स्थिति में एक लम्बी अदालती जांच के कारण, बम्बई में अमन कायम करने के हमारे मुख्य उद्देश्य पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ेगा। हम चाहते थे कि वहां पुनः अच्छे सम्बन्ध कायम करने के लिये हमें प्रयत्न करना चाहिये।

अन्त में, मैं इस बात पर पुनः अपना खेद प्रकट करता हूं कि इस प्रकार विचारों में अंतर पैदा हो गया।

†**श्री शं० शां० मोरे** (शोलापुर) : श्रीमान क्या हमें दोनों वक्तव्यों की प्रतियां दी जायेंगी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : हम अब अगले विषय को लेते हैं।

बिहार तथा पश्चिमी बंगाल (राज्य क्षेत्रों का हस्तान्तरण) विधेयक

गृह-कार्य मंत्रालय मे मंत्री (श्री दातार): मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि बिहार से पश्चिम बंगाल में कतिपय राज्य क्षेत्रों का हस्तांतरण और तत्सम्बन्धी विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को दोनों सभाओं के ४५ सदस्यों की एक एक संयुक्त समिति को सौंपा जाये जिससे इस सभा के ३० सदस्य अर्थात :—

श्री अतुल्य घोष, श्री उपेन्द्र नाथ बर्मन, श्री अब्दुस सत्तार, श्री सुबोध हासदा, डा० राम सुभग सिंह, श्री अ० इब्राहीम, श्री भागवत झा आज़ाद, श्री श्यामनन्दन सहाय, श्री प्र० चं० बोस, श्री फ० गो० सेन, श्री ह० वी० पाटसकर, श्री पु० रामस्वामी, श्री असीमकृष्ण दत्त, पंडित अलगू राय शास्त्री, श्री श्रीमन्नारायण, श्री राधाचरण शर्मा, श्री दातार, श्री गुरुमुख सिंह मुसाफिर, डा० हरिमोहन, श्री स० का० पाटिल, श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा, श्री नि० चं० चटर्जी, श्री शं० शां० मोरे, श्री ब्रिजेश्वर मिश्र, श्री जयपाल सिंह, डा० लंका सुन्दरम, श्री मोहित कु० मैत्र, श्री तुषार चटर्जी। श्रीमती रेणु चक्रवर्ती और श्री कृपालानी।

और १५ सदस्य राज्य-सभा के हों,

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिये गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की समस्त संख्या की एक तिहाई होगी, कि समिति ७ अगस्त, १९५६ तक इस सभा को प्रतिवेदन देगी, कि अन्य प्रकरणों में संसदीय समितियों पर लागू होने वाले इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसे परिवर्तनों और रुप भेदों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष करें, और

कि यह सभा राज्य-सभा से सिफारिश करती है कि राज्य-सभा उक्त-संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और राज्य-सभा द्वारा सयुक्त समिति में नियुक्त किये जानें वाले सदस्यों के नाम इस सभा को बतायें।

श्री विभूति मिश्र (सारन व चम्पारन) : मैं जानना चाहता हूं कि बंगाल के कितने मेम्बर (सदस्य) हैं और बिहार के कितने हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यह आप ही गिन लीजिये।

†**श्री दातार** : वे सब लोक-सभा के सदस्य हैं और सभी राज्यों का यथासंभव प्रतिनिधित्व करते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री दातार]

जैसा कि सभा को मालूम है, राज्यों के पुनर्गठन हेतु सिफारिशें करने के लिये एक आयोग नियुक्त किया गया था जिसने अक्टूबर १९५५ में अपना प्रतिवेदन दिया। इस प्रश्न पर लोक-सभा राज्य-सभा तथा राज्यों की विभिन्न विधान सभाओं और परिषदों में विचार किया जा चुका है। विभिन्न परिस्थितियों पर विचार करने के उपरान्त सरकार ने अपनें कुछ निश्चय १६ जनवरी १९५६ को घोषित किये। इस घोषणा में बंगाल और बिहार के प्रश्न का भी उल्लेख किया गया था। किन्तु उसके बाद इस बात का एक और जोरदार प्रयत्न किया गया कि इन दोनों राज्यों के स्थान पर उनका एक संयुक्त राज्य बनाया जाये। इस प्रश्न पर वहां के दोनों मुख्य मंत्रीयों ने अपने मंत्रणा-दाताओं एवं समर्थकों सहित काफी समय तक विचार किया। यही कारण था कि विधेयक तैयार करते समय, बिहार और बंगाल को उसमें सरकारी निश्चयों के आधार पर स्थान नहीं दिया गया। इस के पश्चात राष्ट्रपति के आदेश से विधेयक को राज्य सरकारों में परिचालित किया गया। उस के बाद संसद में इस पर चर्चा हुई और यह विधेयक संयुक्त समिति को सौंपा गया। समिति की रिपोर्ट पर कल से वाद विवाद प्रारम्भ होगा।

बाद में हम यह पता चला कि कुछ कठिनाईयों के कारण बंगाल और बिहार का प्रशासकीय संघ न बन सका। अतः सरकार को अपने जनवरी १९५६ के निश्चय में परिवर्तन करके प्रस्तुत विधेयक तैयार करना पड़ा और संविधान के अनुच्छेद ३ के अनुसार उसे राज्यों को परिचालित किया गया। उनके मत प्राप्त हो चुके हैं और जैसा कि सब को विदित है कि यह विधेयक संसद के इस सत्र के प्रारम्भ होने के दिन इसे सभा में पुरस्थापित कर दिया गया है और अब मैंनें प्रस्ताव किया है कि यह विधेयक संयुक्त समिति को सौंपा जाय।

बिहार विधान सभा और परिषद तथा पश्चिमी बंगाल विधान सभा और परिषद के सम्बन्धित वाद-विवादों का मैंने ध्यान पूर्वक अध्ययन किया है। पश्चिमी बंगाल विधान मंडल ने कहा है कि उन्होंनें जो सुझाव दियें है वे विधेयक में सन्निहित सरकारी प्रस्ताव में संपरिवर्तन करने के लिये नहीं है। किन्तु वहां के मुख्य मंत्री का कहना है कि विधेयक के पारित होने से पहले संसद को कुछ सुझावों पर विचार करना चाहिये।

जहां तक बिहार का प्रश्न है, उसने स्वभावतः ही यह दृष्टिकोण अपनाया है कि बिहार का कोई भी भाग पश्चिमी बंगाल में नहीं मिलाया जाना चाहिये। इस आशय के संकल्प पारित किये गये हैं कि राष्ट्रपति संसद में यह विधेयक पुरस्थापित किये जानें की अनुमति न दे। इस प्रकार ये दो निश्चय हमारे सामने हैं। इन मामलों पर सरकार का निश्चय भी मौजूद है जिसके आधार पर तथा राष्ट्रपति की अनुमति से यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है जिस पर माननीय सदस्यों द्वारा चर्चा की जायेगी।

राज्यों के पुनर्गठन के समय जिन सिद्धांतों को ध्यान में रखा गया है उनकी यहां विस्तृत विवेचना करना मैं आवश्यक नहीं समझता। कुछ बातें जो ध्यान में रखी गई, वे यें थी: भाषा सम्बन्धी एकता, भौगोलिक एकता और शासकीय सुविधा। यह भी सबको विदित है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की लगभग सभी सिफारिशें मान ली गई है और केवल थोड़े आवश्यक परिवर्तन किये गये हैं। बंगाल-बिहार सीमा पर आयोग की सिफारिशों के साथ साथ हमने सीमावर्ती सब स्थितियों का भी अध्ययन किया है। हमें यह भी याद है कि १९४७ के विभाजन से बंगाल का अधिकांश भाग पाकिस्तान में चला गया। इसके कारण बंगाल की अर्थव्यवस्था को बहुत धक्का लगा। पाकिस्तान से लाखों शरणार्थी पश्चिमी बंगाल में आ गये हैं जिसके कारण बंगाल, केवल बिहार और समीपवर्ती राज्यों की ही नहीं अपितु देश के समस्त राज्यों की सहानुभूति का पात्र है। इसी कारण से बिहार और बंगाल की अन्य स्थितियों की अपेक्षा इस स्थिति पर पुनर्गठन अधिक आधारित किया जाना चाहिये।

हमें यह भी न भूलना चाहिये कि बिहार के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां बंगला भाषी लोग रहते हैं। मुझे उनके प्रतिशत से कोई बहस नहीं है। जहां तक बिहार के पूर्निया जिले के कुछ भाग बंगाल को

हस्तांतरण का प्रश्न है, हमें अन्य बातों के साथ वह पहलू भी ध्यान में रखना पड़ेगा जिसके कारण दुर्भाग्यवश बंगाल का विभाजन हुआ। इस समय पश्चिमी बंगाल की जो स्थिति है वह इस प्रकार है केवल बंगाल ही एक ऐसा भाग क राज्य है जो दो पृथक भागों में बंटा हुआ है। उत्तर में दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और कूचबिहार के जिले हैं। ये तीनों जिले शेष बंगाल से बिल्कुल पृथक हैं। भौगोलिक दृष्टि से उनका कोई सम्बन्ध नहीं है। यह ठीक है कि वहां रेल व्यवस्था मौजूद है जो केन्द्रीय सरकार के अधीन है। वहां कुछ राजमार्ग बने भी हुए हैं। तथापि जब किसी दूसरे राज्य की सीमा में होकर उन्हें गुजरना पड़ता है तब बड़ी असुविधा होती है। हमने वहां के आवगमन में काफी सुधार करने की चेष्टा भी की तथापि हमें यह न भूलना चाहिये कि दोनों भाग भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे से पृथक हैं। भाषा और प्रशासन की दृष्टि से भी कुछ कठिनाइयां पैदा होती हैं। अतः इन सब तर्कों के साथ उन्होंने यह कहा है कि यदि इन दो पृथक भागों के बीच का हिस्सा जोड़ दिया जाये तो ये सब कठिनाइयां दूर हो सकती हैं। अतः संयुक्त समिति ने पूर्निया जिला और विशेषतः उसका किशनगंज सब डिवीजन बंगाल में मिलाने पर विचार किया है।

मैं यह बात बताना चाहता हूं कि जिसके कारण संयुक्त समिति को यह निश्चय करना पड़ा। भारत और पाकिस्तान की अधिकतर सीमा पश्चिमी बंगाल के हिस्से में है। जहां तक बिहार का सम्बन्ध है, केवल पुर्निया जिलें में ७० या ८० मील की सीमा ऐसी है जो बिहार में है। यह भी बिहार के लिये एक प्रश्न है। हम यह चाहते हैं कि वह सारी सीमा एक ही प्रशासकीय इकाई के अधीन रहे। इस प्रकार हम न केवल उन दो पृथक भागों को मिलाना चाहते हैं बल्कि वह सारी सीमा एक प्रशासन के अधीन लाना चाहते हैं।

इसके अतिरिक्त एक तीसरा कारण भी है। यद्यपि मैं उस पर जोर नहीं देता लेकिन मैं राज्य पुनर्गठन आयोग ने उसके बारे में जो कहा है, उसे बताना चाहता हूं। आयोग का कहना है कि किशनगंज के निवासी जो किशनगंजिया का सिरपुरिया बोली बोलते हैं वह हिन्दी की अपेक्षा बंगाली के अधिक निकट है। फिर भी आयोग ने स्वयं ही इस तथ्य को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। मैं उन तीन मुख्य बातों का फिर उल्लेख करता हूं जिन पर कि संयुक्त समिति ने अपना निर्णय करने में विशेष रूप से विचार किया। प्रथम, बंगाल के राज्य को समस्त रूपेण एक रखा जाये, दूसरे, भारत तथा पाकिस्तान के बीच सारे सीमान्त को एक राज्य के अन्तर्गत रखा जाये, और तीसरे, किशनगंज की बोली हिन्दी की अपेक्षा बंगला के अधिक निकट है। मैं इस मामले को बिल्कुल बढ़ा चढ़ा कर नहीं कह रहा हूं। इसमें संचार की सुविधायें सबसे अधिक महत्वपूर्ण आधार मानी गयी हैं फिर संचार के साधनों पर प्रशासकीय नियन्त्रण का भी प्रश्न है। इन सब कारणों से राज्य पुनर्गठन आयोग ने यह कहा है कि महानंदा नदी के पूर्व की किशनगंज सब डिवीजन को पश्चिमी बंगाल को दे दिया जाये।

†**श्री श्यामनंदन सहाय** (मुजफ्फरपुर मध्य): आयोग ने तो कहा है कि उनकी भाषा उर्दू है।

†**श्री दातार**: जहां तक किशनगंज की बोली का सम्बन्ध है राज्य पुनर्गठन आयोग ने स्पष्ट यह कहा है कि उनकी बोली हिन्दी की अपेक्षा बंगला के अधिक समीप है। और फिर आयोग ने केवल इसी आधार पर ही अपनी सिफारिश नहीं दी है। जैसा कि मैंने पहले कहा उन्होंने तीन बातों को ध्यान में रखते हुए यह सिफारिश की है। पुनर्गठन आयोग ने यही पहली सिफारिश की थी और सरकार ने उसको मान लिया है।

दक्षिण में जहां तक बिहार के मानभूम जिले का संबंध है इसके दो भाग है। शायद इस सभा के सदस्य रिपोर्ट में इसके लिये प्रयुक्त हुए शब्द "उप-ज़िला" पर आपत्ति उठायें। किन्तु इसमें कोई अन्तर नहीं पड़ना चाहे आप इसे 'उप-ज़िला' कहें अथवा 'उप-डिवीजन'। इन दोनों क्षेत्रों को दामोदर नदी दो स्पष्ट पृथक भागों में बांटती है। हम इसे पहली और दूसरी डिवीजन कहते हैं। जहां तक पहली डिवीजन का सम्बन्ध है, सरकार ने उसके सम्बन्ध में कुछ नहीं किया है। दूसरी सब-डिवीजन में

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री दातार]

जो कि पूर्निया सब-ज़िले के नाम से प्रसिद्ध है, कुछ परिवर्तन किये गये हैं। उत्तरी डिवीजन को वैसे ही रखा गया है जैसे कि वह इस समय है क्योंकि उसमें कुछ धातुओं तथा कोयले आदि के क्षेत्र हैं। सीमाओं के परिवर्तन के लिये ये सब सिफारिशें करते समय हमनें अन्य बातों का भी ध्यान रखा है। खास तौर पर उनसे प्रभावित होनेवाले राज्यों की अर्थव्यवस्थाओं का। इसलिये पुनर्गठन आयोग ने ये सिफारिशें करते समय और सरकार ने इन पर निर्णय करते समय लगातार वृहत्तर बिहार राज्य की अर्थव्यवस्था का अधिकतम सम्भव ध्यान रखा है, हां उन्होंनें साथ साथ पश्चिमीं बंगाल को भी थोड़ी सी सहायता देने का ध्यान अवश्य रखा है।

मानभूम ज़िले का उत्तरी भाग धनबाद डिवीजन के नाम से प्रसिद्ध है। यह दामोदर नदी के उपरी भाग में है। किन्तु मानभूम ज़िले का दूसरा भाग बड़ा भाग है। धनबाद डिवीजन कुल ज़िले का केवल एक चौथाई है। पुर्निया सब-डिवीजन के बारे में हमें कुछ परिस्थितियों का विशेष ध्यान रखना चाहिये। ऐसा प्रतीत होता है कि इस सब-डिवीजन में कुछ साल पहले बंगालियों की बहुतायात थी। किन्तु कई परिस्थितियों के कारण उनकी आबादी घटती चली गई। किन्तु आज भी वहां काफी बंगला-भाषी लोग हैं और अब भी वहां पर बंगला को न्यायालय की भाषा स्वीकार किया गया है। यद्यपि प्रशासन में सामान्यता इन दोनों भागों को मानभूम ज़िले के नाम से पुकारा जाता है, तथापि यह दोनों भाग लगभग पृथक पृथक रूप में मिले हुए हैं। मेरे विचार में इन दोनों डिवीजनों के लिये भिन्न भिन्न डिप्टी कमिश्नर भी हैं, खैर जो भी हो मैं फिर भी यह मानने को तैयार हूं कि ये दोनों भाग एक ही जिले के दो भाग हैं। किन्तु फिर भी हमको यह समझना होगा कि ये दोनों भाग एक दूसरे से भिन्न किये जा सकते हैं। धनबाद सब-डिवीजन पूर्णतया हिन्दी भाषी क्षेत्र है और इसे बिहार में ही रहना चाहिये। इसलिये धनबाद को बिल्कुल नहीं छेड़ा गया है। किन्तु जहां तक पूर्निया का सम्बन्ध है, आयोग का यह मत था कि यह सारे का सारा सिर्फ एक चास थानें को छोड़ कर पश्चिमी बंगाल को दे दिया जाय। किन्तु जब सरकार ने इस प्रश्न पर और विचार किया तो इसमें कुछ अन्य बातें भी निकल आई। इसलिये हमने बिहार में से बंगाल को दिये जाने वाले क्षेत्र को और घटा दिया है ये दो क्षेत्र एक थाना और एक पुलिस स्टेशन हैं जो कि और बिहार में रहेंगे।

†**श्री क० कु० बसु** (डायमण्ड हार्बर) : यह परिवर्तन करने के क्या कारण थे ?

†**श्री दातार** : विधेयक के खंड ३ में चास थानें को निकाल दिया गया था किन्तु जब सरकार ने इस खंड पर और विचार किया तो उन्होनें पुर्निया में चल रही एक सिंचाई की परियोजना के कार्य की सुविधा के लिये तथा दूसरे जमशेदपुर नगर तथा वहां के लोहे और इस्पात के कारखानें को पानी देने वाले एक जलसंचयक का ध्यान रखते हुए, दो अन्य क्षेत्रों को भी बिहार में ही रखने का निर्णय किया। इनमें से एक चान्दील थाना है। वहां पर एक सिंचाई की परियोजना प्रारम्भ होने वाली थी और सरकार ने यह सोचा कि बिहार सरकार के प्रयत्नों में कमी नहीं होनी चाहिये। इसलिये हमने यह फैसला किया है कि चास थानें के अतिरिक्त चान्दील थाना और बाराभूम थाने का पताम्दा पुलिस स्टेशन क्षेत्र भी बिहार में रहेगा।

यद्यपि बंगाल की समस्या भी बहुत महत्वपूर्ण थी, फिर भी हमने यह ध्यान रखा है कि बिहार की अर्थव्यवस्था पर कम से कम प्रभाव पड़े। इसलिये सरकार ने जनवरी, १९५६ में यह निर्णय किया, और अब विधेयक में यह संहित कर दिया गया है, कि यह दो क्षेत्र भी छोड़ दिये जायेंगे। इससे आप को पता लगेगा कि हमने पश्चिमी बंगाल के दावे को बहुत अधिक घटा दिया है। बंगाल सरकार, बंगाल प्रदेश कांग्रेस समिति तथा श्री एन० आर० सरकार आदि ने भी इस सम्बन्ध में बहुत बड़ा दावा प्रस्तुत किया था। वे लगभग १६,००० वर्ग मील का क्षेत्र चाहते थे। बंगाल सरकार ने ५० से ६० लाख तक की आबादी की मांग की थी। यह सब बाते कम कर दी गई हैं। बंगाल ने जितना दावा किया था उसे उसका बहुत कम अंश दिया गया है। मैं आपको बताना चाहता

---

†मूल अंग्रेजी में।

हूं कि केवल ३२०० से ३३०० वर्ग मील का क्षेत्र ही बिहार से बंगाल में मिलाया जायगा। इस प्रकार कोई १५ लाख की आबादी ही बंगाल को दी जायगी।

जैसा कि मैंनें पहले कहा, यह क्षेत्र भाषा तथा सांस्कृतिक दृष्टि से बिहार की अपेक्षा बंगाल के अधिक समीप है। सम्भव है आप यह तर्क रखें कि जन संख्या के यह आंकड़े ठीक नहीं है। और जनसख्या के आंकड़ों के हिसाब से भी यह स्थिति बहुत स्पष्ट नहीं होती है। किन्तु, जैसा कि मैंने पहले कहा है, हमें केवल मात्र भाषा के ही आधार का ध्यान नहीं रखना चाहिये। यद्यपि कई बार कहा जाता है कि हम भाषावार राज्य बना रहे हैं, फिर भी मैं आप को बता देना चाहता हूं कि भाषा का आधार कई आधारों में से केवल एक आधार है और आवश्यक नहीं कि यही सबसे महत्वपूर्ण आधार हो, और फिर हम एक मात्र इसी को तो कभी आधार नहीं मान सकते है। यद्यपि भाषा का कुछ सीमा तक अपना मूल्य होता है। फिर भी भाषा के साथ साथ हमें प्रशासनिक सुविधा का भी ध्यान रखना पड़ता है, इसके अलावा हमें भौगोलिक एकता का भी ध्यान रखना पड़ता है। इन सब बातों के बाद हम यह अनुमान लगाते हैं कि किसी राज्य का कितना भाग किसी दूसरे राज्य को दिया जाय। इन सब परिवर्तनों की तह में हमें हमेशा यह ध्यान रखना चाहिये कि वस्तुतः हम सब एकराष्ट्र हैं। हमारा देश भारतवर्ष एक है, हमें एक ही राष्ट्रीयता का विकास करना है।

मैंने बिहार की विधान सभा में दिये गये कई ओजस्वी भाषणों को पढ़ा है। मैं माननीय सदस्यों की भावनाओं की गहराई को महसूस करता हूं। मगर फिर भी हमको यह ध्यान रखना चाहिये कि यह हिन्दुस्तान और पाकिस्तान में बंटवारा नहीं हो रहा है। हमने तो विभाजन के समय भी कम से कम शत्रुता की भावना आने दी है। उसके बाद चाहे कुछ हुआ हो। भारत एक है, बंगाल और बिहार को इकट्ठे रहना है। बिहार एक बड़ा भारी राज्य है और मैं कहता हूं भारत को उसका गर्व है। बिहार ने अनेक महान शासकों को जन्म दिया है। अशोक का पहला साम्राज्य बिहार में ही था। भारत को इस बात का गर्व है कि उसका पहला राष्ट्रपति बिहार का एक महान सपूत है। मैं बिहार को थोड़ा उदार बनने के लिये अपील करता हूं। यदि थोड़ा सा हिस्सा बंगाल को दे दिया जाये तो उसकी भी अर्थ व्यवस्था सुधर जायेगी। इससे बंगाल को संतोष हो जायेगा और बिहार पर भी कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं अपने बिहारी मित्रों से अपील करूंगा कि वह यथासम्भव धैर्य और संयम से काम ले यह गर्व की बात है कि लोक-सभा में तथा बाहर इतना सब कुछ कहने पर भी हमने पुनर्गठन के जटिल प्रश्न को सामान्यता संतोंषजनक रूप में हल किया है। यत्र तत्र शिकायत की गुंजाइश हो सकती है किन्तु सरकार भरसक यह प्रयत्न करेगी कि राज्यों के पुनर्गठन का महान प्रयोग सम्पूर्ण दलों के सहयोग एवं सद्भावना से निर्विघ्न सम्पन्न हो। मैं बिहार के माननीय सदस्यों से विशेष रूप से अपील करूंगा कि वह संयम से काम लें और हमारे बारे में भ्रांत धारणा न बनावें। हमारे लिये बंगाल और बिहार का समान महत्व है। दोनों प्रदेशों के विषय में भारत सरकार सर्वथा निष्पक्ष है। हमें इस प्रश्न पर भावुक अथवा उद्विग्न नहीं होना चाहिये। यह भारतीय संस्कृति की विशेषता है कि हम किसी प्रश्न के प्रति वैयक्तिक मनोंभावना अथवा निजी दृष्टिकोण से विचार न कर सर्वदा दूसरे पक्ष की दृष्टि से विचार करते हैं। उदाहरणार्थ यदि बंगाली बन्धु स्वयं को बिहारवासियों की स्थिति में और बिहार की जनता स्वयं को स्थिति में रखकर विचार करे.....

†**श्री कामत** (होशंगाबाद) : आप स्वयं को उनकी स्थिति में समझें।

†**श्री दातार** : जी, हां। मैं स्वयं को उन दोनों की स्थिति में रख रहा हूं और हमारा कर्त्तव्य है कि हम अपने आप को इन दोनों की स्थिति में रखें। अब भी मैं चाहता हूं कि वृहत संघ के प्रस्ताव को जो भारत के बड़े मुख्य मंत्रियों की आकांक्षा थी, अर्थात बंगाल-बिहार विलय, चलाया गया था। तब संभवतः दूसरे स्थानों पर भी विलय की दृष्टि से विचार होता, और एक समय आना चाहिये जब हम इन भावनाओं से ऊपर उठेंगे। बंगाल-बिहार विलय तभी हो सकता है जब हम अपने बंगाली और बिहारी के विचार को छोड़ने को तैयार हों। यदि विलय होता है तो यह अखंड विलय

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री दातार]

होता है। भारत को बड़ा देश या बड़ा राष्ट्र बनना है और जब तक हम प्रान्तीयता की इन भावनाओं से ऊपर नहीं उठते, जब तक हम एक इस महत्वपूर्ण विचार को नहीं समझते और महत्व नहीं देते कि हम एक ही मातृ भूमि के पुत्र हैं भारत बड़ा राष्ट्र नहीं बन सकता। इसलिये हम सब को बिहार के हितों की देखरेख करनी होगी और हम सब को बंगाल के हितों की ओर ध्यान देना होगा। और हमें यह प्रयत्न करना होगा कि दोनों दलों के तथाकथित परस्पर विरोधी हितों में कैसे सामंजस्य पैदा किया जाये। सरकार का यह उद्देश्य है और मुझे विश्वास है कि सभा इस विशिष्ट प्रश्न पर इसी दृष्टिकोण से विचार करेगी।

जहां तक दूसरे उपबंधों का सम्बन्ध है, उनकी भी यहीं स्थिति है। जैसा कि राज्य पुनर्गठन विधेयक में, बहुत से प्रासंगिक उपबन्ध करनें पड़े थे, उसी प्रकार वे यहां इस आधार पर लाये गये हैं कि यदि इस बात को ध्यान में रखा जाये और यह भी स्मरण रखा जाये कि राज्य पुनर्गठन विधेयक में भी इसी प्रकार के उपबन्ध रखे गये हैं, तो स्वभावतः सारी बातें बिलकुल स्पष्ट हो जायेंगी। विभिन्न राज्यों के क्षेत्रों की व्यवस्था के सम्बन्ध में भी स्थिति को यथासम्भव सभा के लिये मान्य बनाया जा सकता है। इस सम्बन्ध में संयुक्त समिति है, हम संयुक्त समिति नियुक्त कर रहे हैं उसमें राज्य सभा के भी सदस्य रहेंगे मुझे विश्वास है कि सभी छोटी मोटी बातों या झगड़ों का समाधान हो जायेगा तथा शीघ्र ही हमें इस समस्या पर संयुक्त समिति का एक सर्वसम्मत प्रतिवेदन प्राप्त हो जायेगा तथा १५ अगस्त के पूर्व ही इन विधेयकों के पारित होने से पुनर्गठन का सारा मसला हल हो जायेगा। इसलिये मैं सभा से निवेदन करता हूं कि वे इस प्रस्ताव को स्वीकार करें।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसीरहाट): मैं श्री मंजहरि महाता का नाम प्रस्तावित करना चाहती हूं क्यों कि वे भी उसी क्षेत्र से आये हैं जिनका हस्तांतरण होने वाला है।

†**डा० राम सुभग सिंह** (शाहाबाद दक्षिण) : बंगाल में ५० लाख भोजपुरी बसते हैं उनका भी प्रतिनिधित्व होना चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : ६ बजे सायं काल चर्चा समाप्त होने के उपरांत, आप जितना चाहें, तर्क कर सके हैं। श्रीमती रेणु चक्रवर्ती या कोई भी अन्य सदस्य किसी अन्य व्यक्ति का नाम इस सूचि में जोड़ने को कह सकती है। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। मैं इस विधेयक को सभा के समक्ष रखता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। एक और सदस्य श्री मंजहरि महाता का नाम प्रस्तावित किया गया है। माननीय सदस्य कृपया इसे ध्यान में रखें।

†**डा० राम सुभग सिंह** : पश्चिमी बंगाल में रहने वाले भोजपुरी लोगों को बंगाल अथवा यहां भी कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। मैं चाहता हूं कि संयुक्त समिति में और सदस्य भी शामिल किये जायें जिससे उन्हें भी प्रतिनिधित्व मिल सके।

†**श्री जयपाल सिंह** (रांची-पश्चिम-रक्षित-अनूसूचित आदम जातियां) : मैं श्री मंजहरि महाता के नाम का समर्थन करता हूं मेरा यह भी सुझाव है कि पूर्निया के सदस्य श्री बेंजमिन हंसदा को भी शामिल कर लिया जाये।

†**अध्यक्ष महोदय** : दो अन्य नामों का सुझाव दिया गया है। माननीय सदस्य इस पर विचार कर सकते हैं।

†**श्री दातार** : इन्हें शामिल करनें के लिये हमें दो नाम हटाने पर विचार करना पड़ेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : कई सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई है और सम्बन्ध मंत्रियों ने उसे स्वीकार भी किया था ।

†**अध्यक्ष महोदय** : संख्या यथेच्छ रूप से बढ़ाई जा सकती है केवल २:१ का अनुपात अवश्य रहना चाहिये ।

†**श्री दातार** : यदि यह बात है तो मैं इस पर विचार करूंगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब समिति में ३२ सदस्य लोक सभा के और १६ सदस्य राज्य सभा के होंगे इस प्रकार कुल ४८ सदस्य हो जायेंगे । इस प्रस्ताव पर कुछ संशोधन आये हैं । श्री शं० शां० मोरे ने एक संशोधन प्रस्तुत किया है । मेरे विचार से यह प्रस्ताव विलम्बकारी है ।

†**श्री नि० चं० चटर्जी** (हुगली) : मैं श्री मोरे से यह अनुरोध करूंगा कि वे इसे प्रस्तुत न करें ।

†**श्री शं० शां० मोरे** (शोलापुर) : मैं यह प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं करता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : तब मैं इसे सभा में प्रस्तुत नहीं करता हूं । दूसरा संशोधन श्री साधन गुप्त का है वे इस समय अनुपस्थित हैं अतः इस समय में कोई कठिनाई नहीं है । अब चर्चा प्रारम्भ होगी । इस विधेयक के लिये ६ घंटे नियत हैं । दोनों पक्षों के नेताओं को २० से २५ मिनट का समय और अन्य सदस्यों को १५ मिनट का समय दिया जायेगा । आज हमें इस विधेयक को निपटा देना है भले ही विलम्ब से बैठना पड़े ।

†**श्री कामत** (होशंगाबाद) : मेरा आपसे यह संक्षिप्त अनुरोध है कि विधेयकों की इस त्रिवेणी पर चर्चा के समय गृह मंत्री पंडित पंत जी का उपस्थित रहना आवश्यक है । मैं श्री दातार की क्षमता के सम्बन्ध में अविश्वास नहीं करता तथापि श्री पंत उन तीन व्यक्तियों की समिति में से एक थे जिसने इन विषय पर अपना निर्णय दिया और श्री देशमुख नें भी जिस समिति का ज़िक्र किया । अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि वे कल से सभा में उपस्थित रहेगें अथवा नहीं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : गृह-कार्य मंत्री निसंदेह यहां की चर्चा में विशेष रुचि रखते हैं तथा वे स्वस्थ होते ही यहां अवश्य आयेंगे । हमारी प्रार्थना है कि वह शीघ्र स्वास्थ्य प्राप्त करें ।

†**श्री जयपाल सिंह** : मैं एक औचित्य प्रश्न करना चाहता हूं कि वह यह है कि राज्य पुनर्गठन विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति में उड़ीसा के कुछ माननीय सदस्यों ने जिनमें मैं भी शामिल था अपने संशोधन प्रस्तुत किये थे जिन्हें विधेयक के क्षेत्र से बाहिर होने के आधार पर अस्वीकृत कर दिया गया था । हम से यह कहा गया कि हमारे संशोधनों पर दूसरे क्रम पर विचार किया जायेगा । अब जब यह अन्य विधेयक प्रवर समिति में जा रहा है तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या हमारे संशोधनों को स्वीकार किया जायेगा और उन्हें विधेयक की सीमा के अन्तर्गत समझा जायगा ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्यों ने अभी कोई संशोधन प्रस्तुत नहीं किये हैं उन्हे चाहिये कि वे अपने दृष्टिकोण को संयुक्त समित में रखें । संयुक्त समिति उनके संशोधनों पर विचार कर सकती है । तत्पश्चात वे हमें उसका परिणाम बता सकते हैं और जब विधेयक पुनः लोक सभा में वापस आये तो वे इस प्रश्न को पुनः सभा के समक्ष रख सकते हैं । इस स्थिति पर यह संशोधन प्रस्तुत नहीं किये जा सकते हैं ।

†**श्री र० द० मिश्र** (जिला बुलन्दशहर) : औचित्य प्रश्न पर इस विधेयक का प्रक्रिया नियमों के नियम ९२ के अधीन संयुक्त समति को निर्देश नहीं किया जा सकता है क्यों कि उसमें कह गया है कि कोई विधेयक जिसमें संविधान के अनुच्छेद ११० के खंड १ के उपखंड 'क' से 'च' के अन्तर्गत उल्लिखित कोई व्यवस्था हो तो वह विधेयक संयुक्त समिति को नहीं सौपा जा सकता है । यह विधेयक भारत की संचित निधि से धन देने के मामले से सम्बन्ध रखता है अतः यह संविधान के

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्री र० द० मिश्र]

अनुच्छेद ११०(१) (ग) के अन्तर्गत आता है। इसलिये नियम ९२ के अधीन यह संयुक्त समिति को निर्दिष्ट नहीं किया जा सकता है ।

मेरी दूसरी आपत्ति यह है कि इस विधेयक को पुनस्थापित करने के पूर्व संविधान के अनुच्छेद ११७ के खंड (१) और ३ के अनुसार राष्ट्रपति की अनुमति लेनी आवश्यक है। लेकिन यह अनुमति भी नहीं ली गई है ।

तीसरा प्रश्न यह है कि संविधान के अनुच्छेद २७४ के अधीन, कोई विधेयक जो ऐसे कर इत्यादि आरोपित करता हो जिनका प्रभाव राज्यों पर पड़ता हो उसको पुरस्थापित करने के पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होती है क्योंकि इस विधेयक के खंड २४ के अनुसार दायित्व और आस्तियों का बंटवारा कर दिया गया है। अतः राष्ट्रपति की अनुमति का लेना अनिवार्य है। सरकार को यह विधेयक पुरस्थापित करने के पुर्व ही राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त करनी चाहिये थी ।

†**श्री कामत** : महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न उठाया गया है जब तक इनका निर्णय न हो जाये चर्चा नहीं चल सकती है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : हमें इन टेक्नीकल बातों पर अधिक समय व्यय नहीं करना चाहिये। यदि हम इस समय धन से सम्बन्धित खंडों को निकाल ले और विधेयक को प्रवर समिति को न सोंपें तो चर्चा जारी की जा सकती है। जब मैं इस निर्णय पर पहुंचूंगा कि विधेयक पर आगे चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है तो चर्चा बन्द की जा सकती है। यही मेरा निर्णय है।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता उत्तर पूर्व): पिछली बार गृह मंत्री ने संसद में बंगाल बिहार एकीकरण का उपहास प्रद प्रस्ताव रखा था, आज बिहार पश्चिमी बंगाल (क्षेत्रों का हस्तांतरण) विधेयक को प्रवर समिति में सुपुर्द करने के निमित्त रखा गया है। हमें एक क्षीण आशा है कि प्रवर समिति विधेयक की त्रुटियों को दूर करेगी ।

मुझे स्मरण है कि एक बार प्रधान मंत्री ने यह कहा था कि पश्चिमी बंगाल, बिहार और उड़ीसा के बीच सीमा निर्धारण का मामला बहुत ही कम महत्व का है। मैं समझता हूं कि वह घोषणा अत्यन्त विचार शून्य थी यह एक बहुत लज्जा की बात है कि आज कांग्रेस के शासन काल को दस वर्ष हो गये है तथापि बिहार और पश्चिम बंगाल के बीच का सीमा निर्धारण का मामला अभी भी निश्चित नहीं हुआ है ।

इसके अतिरिक्त बिहार और पश्चिमी बंगाल के कांग्रेस के प्रधान तथा मुख्य मंत्री एक दूसरे के प्रति आवेशपूर्ण तथा असभ्य भाषा में आरोप तथा प्रति आरोप लगातें रहे हैं। मुझे दुःख है कि बिहार की विधान सभा में ऐसे ऐसे शब्द कहे गये हैं जो कि मानवता और शिष्टता से कोसों दूर है। मैं समझा नहीं सका कि बिहारी लोगों को क्या हो गया है। बिहार विधान सभा में एक बंगाली सदस्य है जिनका सभी आदर करते थे, परन्तु इस सभा में उस बेचारे को द्रोही तंक कह डाला; और केवल इतना ही नहीं उस सभा में डा० बी० सी० राय को भी द्रोही कह डाला गया। कई एक सदस्यों ने तो बंगालियों को 'डरपोक' की उपाधि दे दी और फिर यह सुझाव दिया कि बंगाल को समाप्त कर दिया गया, उसका कुछ भाग बिहार में मिला दिया गया और कुछ आसाम में, और कलकत्ते का प्रशासन-केन्द्रीय सरकार अपने हाथ में ले ले ।

†**अध्यक्ष महोदय** : हो सकता है कि उस सभा में इस प्रकार के भाषण दिये गये हों, परन्तु उन सब का यहां पर उल्लेख करना आवश्यक नहीं है। यदि माननीय सदस्य के पास कोई ऐसी बात है जिस से वे सिद्ध कर सकें कि अमुक अमुक क्षेत्र अमुक अमुक राज्य में आना चाहिये, तब तो वे उसे प्रस्तुत करें अन्यथा अन्य बातों का उल्लेख करने से कोई लाभ नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : मैंने इन बातों का उल्लेख केवल यही बताने के लिये किया है कि आज देश में इस प्रकार का रोग फैल रहा है और हमें उसे जड़ से उखाड़ फेंकना है। मैं इस के द्वारा बिहारी भाईयों पर आक्षेप नहीं करना चाहता, अपितु यह चाहता हूं कि देश में व्याप्त हो रहे इस भयंकर रोग का हमने मूलोच्छेदन करना है। यदि पश्चिमी बंगाल की विधान सभा में इस प्रकार की कोई घटना घटी हो तो मैं उसका भी उल्लेख करने से नहीं संकुचाउंगां। यदि कोई अन्य सदस्य वहां पर घटित इस प्रकार की किसी घटना का उल्लेख करेंगे तो मैं उसका भी स्वागत करूंगा। मैं तो केवल यहीं कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की शरारतों को एकदम रोक दिया जायें।

†**अध्यक्ष महोदय** : जहां तक इस मामले का सम्बन्ध है हमने बंगाल और बिहार राज्यों के विधान मंडलों के नियम ३३२ के उपनियम का निर्देश किया है जिसमें कहा गया है कि कोई भी सदस्य अशिष्ट भाषा का प्रयोग न करे। इसलिये हमें वह काम तो उन दोनों विधान सभाओं के अध्यक्षों पर छोड़ देना चाहिये। यहां पर हमें केवल उन्हीं बातों का उल्लेख करना चाहिये जिनसे हम सीमा सम्बन्धी समस्या को सुलझा सके।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : पश्चिमी बंगाल, पूर्निया, पुरलिया आदि क्षेत्रों की मांग कर रहा है। मैं चाहता हूं कि इस झगड़े का शीघ्रता से निपटारा कर दिया जाये नहीं तो बाद में यह अधिक उलझ जायेगा, उससे बंगाल और बिहार में व्यर्थ में द्वेष बढ़ेगा और उसका सारे देश की एकता पर बुरा प्रभाव पड़ेगा।

अब मैं चाहता हूं कि इस विधेयक के बारे में अपने व्यक्तिगत विचार प्रकट कर दूं। अपने सभी मित्रों के समान मैं भी देश की एकता ही चाहता हूं। मैं भी एक सच्चे भारतीय नागरिक के समान ही इस समस्या का एक सच्चा तथा सफल समाधान चाहता हूं। मैं तथा मेरी पार्टी इन अन्तर्राज्यीय समस्याओं पर एक विशेष सिद्धांत की दृष्टि से विचार करते हैं, और आज में उसी सैद्धांतिक दृष्टिकोण को आपके सम्मुख रखना चाहता हूं।

जब तक देश की राष्ट्रीय एकता तथा सुरक्षा को कोई खतरा न हो, हमें भाषावार प्रान्तों के सिद्धांत से किंचित मात्र भी इधर उधर नहीं होना चाहिये। भावार्थ यह कि यदि किसी विशेष क्षेत्र में कोई विशेष भाषा बोली जाती है तो उस क्षेत्र को उसी भाषा के राज्य में मिला दिया जाये। एक बार हमारे प्रधान मंत्री जी ने भी कहा था कि हमें भारत प्रत्येक गांव की भाषा के आधार पर ही पुनर्व्यवस्था करनी है हम भी यही चाहते हैं हमारा यह दावा वैध और उपयुक्त है।

राज्य पुनर्गठन आयोग ने इस सम्बन्ध में जो सिफारिशें दी है वे संतोषजनक हैं। इसी कारण से इस सम्बन्ध में दोनों राज्यों द्वारा दावे तथा प्रतिदावे पेश किये जा रहे हैं, और इस बारें में दोनों में एक होड़ सी लगी हुई है।

मैं पूछना चाहता हूं कि पूर्निया सब-डिवीजन को पश्चिमी बंगाल में क्यों न मिला दिया जाय। पश्चिमी बंगाल की विधान सभा ने इस मांग का बड़े जोर से समर्थन किया है। परन्तु इस क्षेत्र को विधेयक में जो सम्मिलित नहीं किया गया है उसका कारण बताते हुए डा० बी० सी० राय ने स्वयं कहा है कि पहले तो उन्हें भी यही विश्वास था कि वह क्षेत्र बंगाल में ही सम्मिलित कर दिया जायेगा, परन्तु राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन के पेश हो जाने के बाद १६ जनवरी को दिल्ली से एक सन्देश प्राप्त हुआ जिस में बताया गया था कि भारत सरकार ने यह निर्णय कर लिया है कि वे क्षेत्र बिहार को ही दे दिये जायें।

इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि सभी प्रकार के निर्णय दिल्ली ही करती है, और फिर ने निर्णय अन्य राज्यों पर लाद दिये जाते हैं, और अन्य राज्यों को नतमस्तक हो कर उन्हें चुप चाप स्वीकार कर लेना पड़ता है। इस प्रकार की स्थिति दुःखद है और मैं चाहता हूं कि संयुक्त समिति इस पर निष्पक्ष दृष्टि से विचार करे।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री ही० ना० मुकर्जी]

उधर बिहार का यह कहना है कि उस राज्य में से एक इंच भूमि भी बंगाल को न दी जाये जब कि डा० बी० सी० राय पूर्निया ज़िले के कुछ क्षेत्र बंगाल के वह लेना चाहते हैं। हम उनकी मांग का समर्थन करते हैं, परन्तु जहां डा० बी० सी० राय इन क्षेत्रों को प्रशासनीय सुविधा की दृष्टि से चाहते हैं वहां हम उन्हें भाषा के आधार पर चाहते हैं। हम प्रशासनीय सुविधाओं को कोई महत्व नहीं देते, प्रशासनीय कार्य तो पारस्परिक अन्तरराज्यीय सहयोग से हो जाते हैं, हमें अधिक महत्व प्रशासनीय आधार को न दे कर भाषायी आधार को देना है।

जहां तक जमशेदपुर और धनबाद नगरों का सम्बन्ध है, हम भाषा के सिद्धांत के आधार को दृष्टि में रखते हुए इस बात पर जिद्द नहीं करते कि उन्हें पश्चिमी बंगाल में मिला दिया जाये। परन्तु जहां तक पूर्निया जिले के किशनगंज तथा अन्य सब डिवीजनों का सम्बन्ध है, वे बंगला बोल रहे हैं, इसलिये उन्हें बंगाल में मिला देने में ही हित है। वहां की स्थानीय जनता की भी यहीं मांग है, आप जनता की मांग का विनिश्चय कर सकते हैं।

परन्तु वहां की जन गणना निष्पक्ष दृष्टि से नहीं की गई है, इस बात का उल्लेख राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन में भी किया है। और इन्हीं दिनों वहां पर एक नयी जन गणना की जा रही है जिस में जान बूझ कर लोगों को हिन्दी भाषा भाषी दिखाया जा रहा है। अतः इस समस्या को हल करने के लिये हमें कोई ठोस कार्य करना होगा।

इस समस्या का निर्णय करने के लिये नियुक्त किये गये आयोग के लिये पश्चिमी बंगाल विधान सभा १५ अगस्त की अन्तिम तिथि निर्धारित की है, परन्तु इतने थोड़े से समय में यह भारी कार्य पूर्ण नहीं हो सकेगा। इसलिये इस तिथि का निर्णय उस आयोग पर ही छोड़ दिया जाये।

सीमा सम्बन्धी समस्या केवल इन दोनों राज्यों के बारे में ही नहीं है, यह समस्या और भी बहुत से राज्यों के बारे में विद्यमान है। इसलिये मेरा तो यहीं निवेदन है कि भाषायी अल्पसंख्यको के हित की रक्षा के लिये अपने संविधान में एक ऐसा उपबन्ध रखा जाय जो उनका परित्राण कर सके।

मुझे आशा है कि समस्या के बारे में मैंनें जो कुछ कहा है उससे संयुक्त समिति की और सभा को सारी की सारी स्थिति स्पष्ट हो गयी होगी। मैं तो केवल यही चाहता हूं कि बंगाली और बिहारी भाई भाई के समान मिल कर पारस्परिक सहायता करते हुए उन्नति की ओर बढ़ते जायें। इसलिये संयुक्त समिति मेरा सुझाव है कि वह इस गम्भीर समस्या पर खब अच्छी प्रकार से विचार करें और सरकारी फैसलों से किसी भी प्रकार से प्रभावित न होकर उपरोक्त सिद्धाँत के आधार पर ही निर्णय करे।

श्री म० प्र० मिश्र (मुंगेर उत्तर पश्चिम) : अध्यक्ष महोदय जब मैं बोलने खड़ा हुआ हूं तो मुझे अपनी स्थिति उस छोटे भाई की मालूम होती है जिसको कि उसका बड़ा भाई, जो कि ताकतवर है जिसने ज्यादा चीजें हासिल कर ली हैं और जिसके प्रभाव में आकर तमाम छोटी और बड़ी अदालतों में छोटे भाई के विरुद्ध निर्णय दे दिया है, अन्यायपूर्वक घर से निकाला जा रहा हो। आज हमको अन्यायपूर्वक अपने घर से निकाला जा रहा है, और जो सबसे बड़ी अदालत है आखिरी अदालत है उसके सामने मैं अपनें फरियाद के लिये खड़ा हुआ हूं। मालूम नहीं कि यह अदालत भी इन्साफ की हमारी आवाज को सुनेगी या नहीं, लेकिन इन्साफ की बात को जोर के साथ इसके सामने रखना चाहता हूं।

राज्य पुनर्गठन आयोग नें प्रदेशों को बनानें के लिये जो सिद्धांत निर्धारित किये हैं उनसे हमको कोई झगड़ा नहीं है। हम इस बात को मानते हैं कि हिन्दुस्तान के राज्यों का फिर से विभाजन होना जरूरी था, हम यह भी मानते हैं कि उस सवाल को टाला नहीं जा सकता था और वह सवाल ठीक समय पर लिया गया है। हम यह भी मानते हैं कि इस काम को करने के लिये आयोग नें जो सिद्धांत बनायें वे भी सही हैं। हमारे कम्यूनिस्ट (साम्यवादी) भाई और इस तरफ के कुछ भाई भी, कहते हैं कि

राज्यों का विभाजन भाषा के आधार पर होना चाहिये। लेकिन राज्य पुनर्गठन आयोग ने भाषा को ही एकमात्र आधार नहीं माना है। उसने देश की एकता और सुरक्षा को भी आधार माना है और विभाजन करने में इनका ध्यान रखा है। हमारे कम्यूनिस्ट भाई आज कहते हैं कि वे देश की एकता चाहते हैं। लेकिन मैं सदन को याद दिलाना चाहता हूं कि जब इस देश का बटवांरा होने वाला था, और हिन्दु, मुसलमान के आधार पर बटवांरा होने वाला था, उस समय हमारे कम्यूनिस्ट भाईयों के कंधों पर बटवारा का झंडा था। और उन्हों ने देश का बटवारा कराने में बहुत बड़ा हिस्सा लिया। अभी बंगाल असेम्बली का हवाला दिया गया। मैंने भी बंगाल असेम्बली के भाषण पढ़े हैं। वहां पर जो भी कम्यूनिस्ट सदस्य बोले उन्होंने कहा कि बंगाल तो एक राष्ट्र है। अगर इस प्रकार सोचा जाय तो हिन्दुस्तान में न जाने कितनी कौमें बन जायेगी। मुझे ऐसा मालूम होता है कि हमारे कम्यूनिस्ट भाईयों का दिल उस समय ठंडा होगा जब कि ग्रिअर्सन की भाषा गणना के अनुसार यहां ६०० से अधिक राष्ट्र बन जायेंगे।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

आयोग ने जो उसूल माना है उसको हम भी मानते हैं। लेकिन हमको ऐसा मालूम होता है कि बिहार में आयोग ने अपने ही सिद्धांतों को नहीं माना है। अब पुरुलिया का ही उदाहरण लीजिये। आयोग ने कहा है कि हम उस हिस्से को एक भाषा बोलनें वाला मानेंगे जहां की ७० प्रतिशत जनता एक भाषा बोलती हो। उससे कम जहां एक भाषा के बोलनें वाले होंगे उसको द्विभाषी इलाका माना जायेगा। इस सिद्धांत के अनुसार पुरुलिया को द्विभाषी इलाका माना जाना चाहिये। लेकिन पुरुलिया बंगाल को इसलिये दे दिया गया कि बंगाल को कसाई नदी की आवश्यकता है। किशनगंज में आयोग ने खुद माना है कि भाषा का कोई सवाल नहीं है, वहां के लोग बंगाल में जाना भी नहीं चाहते। लेकिन उसको बतौर कोरीडोर (बीथि) के बंगाल को दे दिया गया है क्योंकि बंगाल के दो हिस्सों को मिलाने की आवश्यकता है। मेरी समझ में नहीं आता कि आयोग के बड़े बड़े लोगों नें इस कोरीडोर की मांग को कैसे मान लिया। उनको सोचना चाहिये था कि यहीं पर पाकिस्तान है। पाकिस्तान का एक हिस्सा दूसरे हिस्से से १३०० मील दूर है। वह कहेगा कि हमको भी हिन्दुस्तान में से होकर कोरीडोर (बीथि) चाहिये तो हम उसको क्या जवाब देंगे जब कि हम अपने ही देश के अन्दर एक प्रदेश को दूसरे प्रदेश में से कोरीडोर दे रहे हैं। इस कोरीडोर के पीछे ही पिछली बड़ी लड़ाई हो चुकी है, और भी बहुत सी बातें हो चुकी है।

यह देखा जाता है कि कभी बड़े बड़े लोग भी भूल कर जाते हैं, जज लोग भी भूल कर जाते हैं। यह भूल जो हो रही है यह एक गलतफहमी पर आधारित है। उनको गहा गया कि बंगाल का बटवारा तीन तीन बार हो चुका है और इस तरह से बंगाल की हालत बहुत बुरी हो चुकी है। कहा जाता है कि एक बार बंगाल का बटवारा उस समय हुआ जब कि बंगाल से उड़ीसा और बिहार को अलग किया गया, फिर उस से आसाम अलग हो गया, और तीसरी बार उसका बंटवारा उस समय हुआ जब कि हिन्दुस्तान और पाकिस्तान का बटवारा हुआ। इसलिये उसकी बहुत क्षति बतलायी चाती है। इस संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर इस प्रकार बंगाल की क्षति हुई है तो बिहार की भी उड़ीसा अलग होने से क्षति हुई है,उसके लिये आप बिहार को क्या दे रहे हैं। इसी तरह से महाराष्ट्र के अलग होने से बम्बई की क्षति हुई है, उसके लिये आप गुजरातियों को और बम्बई वालों को क्या दे रहे हैं। पाकिस्तान का हिन्दुस्तान से बटवारा हुआ जिससे भारत की बड़ी क्षति हुई। यह हिन्दुस्तान के इतिहास का सबसे दु:खद अध्याय है, और याद रहे कि हिन्दुस्तान के इस बटवारे में हमारे कम्युनिस्ट भाइयों का बड़ा हाथ था।

लेकिन जहां तक पश्चिमी बंगाल का सवाल है वह तो इस विभाजन से लाभ ही लाभ मे रहा। मानसिक और मनोवैज्ञानिक आघात तो उसको अवश्य पहुंचा लेकिन जहां तक भौतिक नुकसान का सवाल है वह देश का तो बहुत हुआ पर बंगाल का तो उसमें लाभ ही लाभ रहा। बंटवारे के परिणामस्वरूप उसको कुल ४० प्रतिशत: भूमि मिली और आबादी सिर्फ ३६ प्रतिशत:

[श्री म० प्र० मिश्र]

ही मिली यानि संयुक्त बंगाल में जहां प्रतिवर्ग मील में ७८७ आदमी थे वहां पश्चिमी बंगाल में सिर्फ ७०७ आदमी हैं। इसके बाद आमदनी की बात देखिये कि जहां संयुक्त बंगाल की सालाना सरकारी आमदनी ४४ करोड़ रूपये थी वह बंटवारे के फलस्वरूप पश्चिम बंगाल की आमदनी और संयुक्त बंगाल की कोई ७ करोड़ आबादी में से ३१ करोड़ रह गयी। पश्चिम बंगाल के पास केवल दो करोड़ ६० लाख आबादी रह गयी यानि उसके पास दो तिहाई आमदनी रह गई जब कि उसको आबादी मिली केवल एक तिहाई रातो रात उस सरकार की आमदनी तीनगुनी हो गई। बंगाल के विभाजन के परिणामस्वरूप बंगाल के तमाम औद्योगिक हिस्से पश्चिमी बंगाल को मिले और कलकत्ते की महानगरी पश्चिम बंगाल को मिली और ९९ प्रतिशत: बिजली पश्चिमी बंगाल को मिली। और उसके बाद भी यह कहा जाये कि पश्चिमी बंगाल बंटवारे से बड़े घाटे में रहा और उसका दम टूट रहा है और उसकी हालत बड़ी दयनीय है, दुरुस्त नहीं है तो यह बात मेरी समझ में नहीं आती। बंगाल बिहार की अपेक्षा बहुत अधिक उन्नत प्रदेश है और वहां बड़े बड़े उद्योग धंधे चलते हैं और उनमें वहां की काफी आबादी लगी हुई है और लोग उन उद्योगों में अच्छी तरह अपनी जिन्दगी बसर करते हैं और पैसा कमाते हैं।

†**श्री नि० बी० चौधरी** : परन्तु वह सब आय पश्चिम बंगाल से बाहर भेजी जा रही है।

श्री म० प्र० मिश्र : पश्चिमी बंगाल देश के सबसे अधिक उन्नत प्रदेशों में से एक है जब कि बिहार की हालत उसके मुकाबिले बहुत खराब है और वहां पर कोई बड़े उद्योग धंधे नहीं चलते हैं और सारी आबादी करीब करीब खेतीबाड़ी पर लगी हुई है जिसकी कि वजह से वहां लोगों को अधिक आमदनी नहीं होती और उनकी आर्थिक अवस्था बंगाल के लोगों जैसी अच्छी नहीं है और मैं आप को बतलाऊं कि बिहार प्रदेश का एक आदमी औसतन मुश्किल से ७ रुपया सालना टैक्स (कर) गवर्नमेंट (सरकार) को देता है जब कि बंगाल का एक आदमी सरकार को १८ रुपये सलाना टैक्स देता है। पश्चिमी बंगाल बिहार की अपेक्षा कहीं अधिक उन्नत अवस्था मे है और उसकी संस्कृति और साहित्य भी कहीं अधिक आगे बढ़ा हुआ है और उस बंगाल को क्या कहना जहां कि रवि बाबू ने जन्म लिया और जहां पर बड़े बड़े क्रांतिकारियों ने काम किया और जिस बंगाल ने नेताजी सुभाष चन्द्र बोस को जन्म दिया जिन्होंने कि भारत की आजादी के लिये बहुत महत्वपूर्ण योग दिया और जिनके कि चरणों में बैठ कर मुझे काफी दिन काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यह वास्तव में बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जो बड़ा होता है वह छोटों को हड़पना चाहता है। दुनिया भर के बड़े देश छोटों को निगलने पर लगें रहते हैं। जो प्रदेश बड़ा होता है वह छोटों को हड़पना चाहता है और बिहार और बंगाल के सम्बन्ध में भी यही चीज हमें देखने को मिल रही है। यहां भी बड़े और छोटे का झगड़ा चल रहा है। बंगाल के पास जाएंट (संयुक्त) प्रेस हैं और डा० बी० सी० राय जैसे प्रतिभाशाली नेता हैं जो कि श्री जवाहरलाल नेहरू को "जवाहर" कह कर पुकारा लिया करते हैं। मेरे हृदय में उनके लिये बड़ी इज्जत है और बंगाल के लोगों के वास्ते भी बड़ी इज्जत है लेकिन मैं यह कहे बगैर नहीं रह सकता कि बंगाल में एक बड़ी साम्राज्यवादी मनोवृत्ति काफी दिनों से काम कर रही है और वह उसी तरह का नारा लगा रहे हैं जैसे कि जर्मनी या जापान वाले लगा रहे थे कभी तो वे यह कह कर फैलना चाहते थें कि हमें आदमियों को बसाने के लिये जगह चाहिये "लेबेंसराउम" (अधिक क्षेत्र) चाहिये, कभी भाषा के आधार पर अतिरिक्त प्रदेशों की अपनी मांग खड़ी किया करते थे। ठीक वही रुख आज बंगाल अपना रहा है और बंगाल वालों की मांग का कोई ठिकाना नहीं रह गया है। शंकर के एक कारटून में दिखाया गया है कि बिहार के मुख्य मंत्री पूरे के पूरे बिहार को डा० बी० सी० राय को एक बच्चे के रुप में दे रहे हैं लेकिन डा० बी० सी० राय जिनके कि हाथ में कैंची और चाकू है वे पूरा बच्चा नहीं लेना चाहते बल्कि पहले एक हाथ काट कर ले जाना चाहतें हैं और बाद में दूसरा हाथ काट कर ले जाना चाहतें हैं। उनको धनबाद चाहिये, पूर्निया चाहिये, भागलपुर चाहिये, इस तरह की एक साम्राज्यवादी मनोवृत्ति उस प्रदेश के लोगों में पाई जाती है। जो प्रदेश काफी आगे बढ़ा हुआ है और

†मूल अंग्रेजी में।

साधन सम्पन्न है और जिसके पास पावरफुल प्रेस है, वह बिहार के गरीब और बेआवाज प्रदेश के हिस्से हड़पना चाहता है। मैं चाहता हूं कि दिल्ली के देवता तो कम से कम इस बात पर सोचें कि इंसाफ किधर है ।

यह जो बिहार के पुरुलिया और किशनगंज सब-डिवीजनों को बंगाल में मिलाने की बात हो रही है यह सरासर बिहार प्रान्त के साथ अन्याय हो रहा है और उन डिवीजनों को बंगाल में सुपुर्द करने से पेश्तर वहां के लोगों की राय तो जान लीजिये कि वे बंगाल जाना भी चाहते हैं कि नहीं। और इस तरह की जबर्दस्ती तो उनके साथ न करें । मैं तो यहां तक कहने को तैयार हूं कि अगर पुरुलिया के २० फीसदी लोग भी बंगाल में जाना चाहे और उसके लिये अपनी राय दें तो आप बेशक पुरुलिया को बंगाल में मिला दें और इसी तरह किशनगंज सब-डिवीजन के १० फीसदी लोग भी अगर बंगाल में मिलने के हक में अपनी राय प्रकट करें तो उसको आप बंगाल में मिला दें और उस हालत में हमें कोई शिकायत नहीं होगी । यह बड़े खेद की बात है कि सरकार इसके बारे में उन इलाके के लोगों की राय नहीं लेना चाहती और उसकी ओर से यह दलील दी जाती है कि सारा हिन्दुस्तान एक है और अगर एक प्रदेश का हिस्सा अगर दूसरे प्रदेश में मिला दिया जाये तो उससे क्या बनाता बिगड़ता है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि पिछले १०० वर्ष से यह इलाके जिस सूबे के साथ रहते आये हैं, और उसी में उन्हें बना रहने दिया जाये तो उसमें क्या हर्ज है ? लेकिन दरअसल बात यह है कि बंगाल एक बड़ा समृद्धशाली प्रान्त है और उसके पास अपनी आवाज को रखने के लिये बड़ा शक्तिशाली भारी प्रेस है और उसकी मांग के आगे दिल्ली भी झुक जाती है जबकि दूसरी तरफ बिहार एक गरीब और पिछड़ा हुआ प्रान्त है और उसकी आवाज अनसुनी कर दी जाती है। लेकिन मैं इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि ऐसा करके भारत सरकार बिहार के लोगो के साथ बड़ा भारी अन्याय कर रहीं है । भारत बंगाल वालों की, बड़े लोगों की आवाज सुनती है और इसी कारण हमारे यह हिस्से बंगाल में मिलाये जा रहे है । अगर वास्तव में उन इलाकों के लोग बंगाल में जाने को इच्छुक है तो हमारे बंगाल के भाई इस बात को क्यों नहीं कबूल करते कि किशनगंज और पुरुलिया के लोगों की राय इस सम्बन्ध में जानी जाय और उसके लिये एक मतगणना दिल्ली की सरकार द्वारा कराया जाय और अगर बंगाल के भाईयों को दिल्ली की सरकार पर विश्वास न हों तो यू०एन० ओ० की ऐजेंसी की मार्फत जनमत कराया जा सकता है और जनता की राय जानी जा सकती है। अभी हाल में पुरुलिया में एक बाई एलेक्शन हुआ जिसमें कि बिहार कांग्रेस जीत गई हांलांकि वहां पर लोक सेवक संघ ने काफी लोगों को बरगलाया । लोक सेवक संघ में बंगाली लोग जो कि बंगाल में जाना चाहते हैं उनकी तादाद १५ हजार है जबकि बाकी बिहारी हैं । उन में से कुछ बंगला भी बोलते हैं वे हिन्दी हैं और बिहारी लोग हैं और उनका कानून मिताक्षरा है और उनके रीतिरिवाज बिहार से मिलते जुलते हैं । जहां तक किशनगंज का सवाल है मेरा यह कहना है कि जो मुसलमान यहां पर रह गये हैं उनको इस बात का हक है कि वह कहें कि हम उर्दू पढ़ना चाहते हैं और यह भी कहें कि हम बंगाल में जाना चाहते हैं या बिहार में ही बनें रहना चाहते हैं। लेकिन आज हिन्दु महा सभा वाली मैंटेलिटी (वृत्ति) इतनी बढ़ गई है कि वे बेचारे मुसलमान लोग अपनी आवाज नहीं उठा सकते जो कि मैं समझता हूं कि खतरनाक जहनियत है और मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर उनको आपने बोलने का हक नहीं दिया और उनको अपनी संकृति और भाषा इत्यादि को बरकरार रखने की सुविधा नहीं दी गई और जिधर चाहा जबरदस्ती उनकी राय के बगैर उनको फैंक दिया गया और यह हिन्दु सभा वाली मैंटेलिटी मौजूद रही तो हमको डर है कि कहीं देश के और टुकड़े न हो जायें ।

मुझे तो यह देखकर बड़ा दुःख हुआ कि जब मंत्री महोदय इस बिल को पेश कर रहे थे तो हंस हंस कर अपनी बात कर रहेथे मानों कुछ बात ही नहीं हुई । मैं उनको बतलाना चाहता हूं कि यह एक बहुत गहरी बात है जिसको कि वे करने जा रहे हैं और इसकी गम्भीरता को उनको समझना चाहिये । जब से आयरलैंड का एक छोटा सा टुकड़ा अंग्रेजों ने काट दिया तब से आयरलैंड उस चीज को नहीं भूला और जब जब अंग्रेज लोक लड़ाई में फंसे आइरिश जाति लड़ाई में इंगलैंड से अलग रही है । तो इसलिये इस चीज को हलकेपन से नहीं लेना चाहिये और मैं तो फिर कहूंगा कि इन इलाकों को मिलाने से पहले आप वहां के लोगों की राय जान लीजिये और मेरा कहना यह है कि अगर वहां के लोग

[श्री म० प्र० मिश्र]

बंगाल में नहीं मिलना चाहते तो आप क्यों उनको उनकी इच्छा के विरुद्ध बंगाल में मिला रहे हैं। बम्बई के सम्बन्ध में आप ने कह दिया है कि ५वर्ष के बाद वहां इस बारे में वोट लिये जायेंगे। मैं चाहता हूं कि आप यह इलाके मिलाने का फैसला उस वक्त तक स्थगित रख दीजिये जब तक कि वहां के लोगों की राय न आप मालूम कर लें। महज डा० बी० सी० राय को खुश करने के वास्ते और चूंकि बंगाल का प्रेस बड़ा वोकल है और वामपक्षी दल वाले चूंकि इसके लिये बड़ा शोर मचाते हैं, इसलिये बिहार के यह इलाके बंगाल को दे दिये जायें, यह तर्कसंगत और न्यायसंगत बात नहीं है और ऐसा करना बिहार के साथ अन्याय करना है। पश्चिम बंगाल में लेफ्टिस्ट लोग बहुत शोर करते हैं वह हड़तालें करते है, रेल का चलन बंद कर देते हैं। अगर दिल्ली की सरकार हिन्दुस्तान की सरकार सिर्फ यही भाषा सुननें लग जाय, जहां के लोग रेल चलाना बंद कर दे, हड़ताले करना शुरू कर दें, चाहे व न्याय हों या अन्याय हो, गलत या सही हो, अगर दिल्ली के लोग उनकी बातों को सुनेंगे और उसको मंजूर करेंगे तो कल या परसों से सारे देश में रेल का चलना बन्द हो जायगा। जिस दिन से श्री रामुलू के मरने के बाद प्रधान मंत्री ने आंध्र को मान लिया, मैं आंध्र के बनने के विरूद्ध नहीं हूं, जो कुछ हुआ है वह ठीक ही हुआ है, लेकिन जिस तरह से वह बना, एक आदमी ने अनशन करके जान दे दी, रेल और तार उखाड़े जाने लगें, उसी दिन से देश ने समझा कि चूंकि दिल्ली के लोग यही भाषा जानते हैं इसलिये रेल उखाड़ दो, तार काट दो। जब तक हम बिहार के लोग मीठी आवाज में कहेंगे, हमारी बात कोई नहीं सुनेगा, मराठियों की तरह बंगालियों की तरह, आंध्र की तरह रेल तार उखाड़ दो, तब हमारी बात सुनी जायेगी। मैं आप से कहता हूं कि भगवान के लिये आप देश को यह न समझने दीजियें कि दिल्ली यही भाषा समझती है, रेल और तार उखाड़ने से दबाव डालने से वहां के लोग अपनी राय बदलते हैं, इंसाफ बदलते हैं क्योंकि यह देश के भविष्य के लिये बहुत बुरा होगा, हिन्दुस्तान की एकता के लिये बुरा होगा। जब हम एस० आर० सी० (राज्य पुनर्गठन आयोग) की रिपोर्ट पढ़ रहे थे तो हम को सिद्धांत तो बड़ा ठीक मालूम होता था, लेकिन जब वह विहार बंगाल के सामने आया तो वह समझ नहीं सका पूरे मामले को। उन्होंने जो फैसला किया उसका आधार यही था कि चूंकि बी० सी० राय कह रहे थे, बंगाली कह रहे थे बंगाल की जबर्दस्त आवाज उठ रही थी, ठीक है, बंगाल की आवाज बड़ी जबर्दस्त है, अगर वह हिन्दुस्तान की आवाज है तो हमें उसके लिये गौरव है, लेकिन अगर वह साम्राज्यशाही की आवाज है, जो छोटे छोटे लोगों की अनुचित ढ़ंग से अपने में लेना चाहता है, तो मैं उसे खतरनाक मानता हूं। कोराइडोर की आवाज आती है, लेबेन्सुरम की आवाज़ बंगाल से उठती है, जहां के लोग अपने को एक राष्ट्र कहते हैं, बंगाल एक जाति है, जाति के माने एक नेशन के होते हैं। आप कलकत्ते चले जाइये। सारे देश के लोगों को वे हिन्दुस्तानी कहते हैं और बंगाल के लोगों को बंगाली। आप किसी भी बंगाल के हिस्से में जाकर देख लीजिये। हमारे बंगाली भाई हिन्दुस्तान के गौरव हैं, उनके लिये मेरे अन्दर बहुत आदर है, लेकिन अपने को सारे देश से अलग समझने की जो मनोवृत्ति है, अपनों को एक अलग राष्ट्र समझने की जो भावना है, और सबसे हिस्सा मांगनें की जो प्रवृत्ति है, कल आसाम को मांग लेना, परसों उड़ीसा को मांग लेना, बिहार का हिस्सा मांग लेना और सब तरह की दलील देकर मांग करना कि उन्हें यह राज्य मिलना चाहिये, साम्राज्य मिलना चाहिए यह एक बड़ी खतरनाक चीज है। अगर देश का कोई भी प्रदेश, कोई अंग, कोई भी लोग, इस प्रकार की मनोवृत्ति अपने में रखते हैं और इस चीज को बढ़ावा देतें हैं तो यह देश के भविष्य के लिये बहुत खतरनाक होगा।

इसलिये मैं एक बार फिर अपील करता हूं कि मैं बिहार के अनपढ़, पिछड़े हुए और मूक लोगों की तरफ से कहना चाहता हूं कि उनके साथ न्याय हो।

एक माननीय सदस्य : पिछड़े हुए ?

श्री म० प्र० मिश्र : जी हाँ, मैं कहना चाहता हूं कि लाखों बिहारी कलकत्ते में हैं, उनके लिये एक भी स्कूल बंगाल में नहीं है, हिन्दी पढ़ायी नहीं जाती, लेकिन हमारे यहां हर एक बंगाली के लिये स्कूल है, बंगला पढ़ाई जाती है, तब भी बंगाल में आवाज उठती है कि बंगालियों पर अन्याय होता है।

बंगाल के साथ बहुत बड़ा प्रेस है, उस की आवाज बड़ी जोर की है, दिल्ली शहर में भी बंगालियों का एक बड़ा अखबार निकलता है, इलाहाबाद में निकलता है, सारे देश में वे छाये हुए हैं लेकिन अगर यह जुल्म ज्यादा दिनों तक चल गया तो बिहार भी जागे गा, बिहारी भी उठेंगे और जिस दिन वे उठेंगे और जागेंगे, उस दिन, इतिहास में जो गलती आज की जा रही है, उसको फिर बदल देंगे बेशक हम बदलेंगे और इंसाफ का दिन कभी न कभी अवश्य आयेगा । इसलिये मैं कहता हूं कि आप एक बार फिर गौर करें और बंगालियों की साम्राज्यशाही मनोवृत्ति में रोक लगाईये, दिल्ली के लोग उनको बुला कर कहें, उनको समझाइये कि यह साम्राज्यशाही देश के भीतर नहीं चलेगी । आप देश से अलग नहीं हैं इसलिये आप को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिये। आज कलकत्ते में जा कर देख लीजिये, किसी भी बिहारी के लिये एक दुकान का चलाना मुश्किल हो गया है, इतनी भयानक मनोवृत्ति वहां पर चल रही है ।

श्री म० कु० मैत्र (कलकत्ता उत्तर पश्चिम) : एक प्रश्न,

श्री म० प्र० मिश्र : मैं जानता हूं ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या किसी सदस्य के लिये किसी प्रांत को साम्राज्यवादी कहना उपयुक्त है ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य अपनी बारी में अभिकथनों का उतर दे सकेंगे ।

†**श्री म० प्र० मिश्र** : उपाध्यक्ष महोदय, आप बंगाल ऐसेम्बली की पिछले दिनों की रिपोर्ट पढ़िये । वहां के मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि मैं बंगाली पहले हूं, उसके बाद भारतीय । हमारे यहां की ऐसेम्बली की रिपोर्ट पढिये, हमारे मुख्य मंत्री कहते हैं कि मैं भारतीय पहले हूं बिहारी बाद में । यह दोनों प्रदेशों की मनोवृत्ति का फर्क है । इसलिये मैं इस अदालत से, इस हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी सभा से और उस सरकार से जो कि हिन्दुस्तान की सरकार है, जो कांग्रेस की सरकार है, उस से निवेदन करना चाहता हूं कि हम गरीबों के साथ न्याय किया जाना चाहिये । अगर उसका बेइंसाफी की तरफ थोड़ा सा झुकाव था भी, या हो, तो उसको गरीबों का पक्ष लेना चाहिये न कि बड़े भाईयों के साथ, ऐसे लोगों के साथ जो कि सुखी हैं, जिनकी आमदनी ज्यादा है, जिनके पास कलकत्ते जैसा शहर है ।

अभी मेरे एक भाई मुझसे कह रहे थे कि यह जमाना तो चिल्लाने वालों का है, तुम चिल्लाना शुरू कर दो कि हम को कलकत्ता चाहिये, जलपाईगुड़ी चाहिये । जलपाईगुड़ी और कलकत्ते में जो कि बंगाल के जिले हैं, बिहारी भरे हुए हैं बिहारी तो आसाम तक में हैं । हम भी चिल्लाना शुरू कर सकते हैं लेकिन हमारी आवाज आज बंगाल जैसी नहीं है, मनोवृत्ति भी नहीं है कि हम गलत नारा लगा कर दूसरों की जगहों को मांगें । हालांकि आज जमाना यही है कि हम चिल्लाते कि हमको चार जिले बंगाल के और चाहिये, कलकत्ते शहर को अन्तर्राष्ट्रीय शहर कर दो या दिल्ली के अन्दर कर दो । कलकत्ते के अन्दर बंगाली थोड़े हैं, दूसरी जगह के लोग ज्यादा हैं । ऐसा करने पर दिल्ली वाले भी हमारी बात को समझते, लेकिन यह सेल्फ डिफेन्स का, अपनी जान बचाने का अच्छा तरीका नहीं है । हम लोग तो भारत के पुराने ही तरीके पर चलते आ रहे हैं क्यों कि हम लोग भारत की पुरानी संस्कृति में विश्वास करते रहे हैं ।

†**श्री म० कु० मैत्र** (कलकत्ता उत्तर पश्चिम) : उपाध्यक्ष महोदय, जब यह विधेयक लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था तो मैंनें सोचा था कि विधेयक में जो दोष हैं उन्हें पटल के इर्द गिर्द बैठ कर परस्पर विचार विनिमय से दूर किया जायेगा और लोक सभा में वाद-विवाद द्वारा इन दोषों में सुधार करनें में सहायता मिलेगी । परन्तु पश्चिमी बंगाल पर यह आरोप लगाया है कि उसनें बिहारियों तथा हिन्दी भाषा भाषी लोगों के लिये उनकी अपनी मातृ भाषा में शिक्षा पाने के लिये कोई प्रबन्ध नहीं किया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्री म० कु० मैत्र]

सर्व प्रथम मैं यह कहूंगा कि पिछले पचास वर्षों से राज्यों के भाषा सम्बन्धी आधार पर पुनर्गठन की मांग की जाती रही है। स्वतंत्रता आन्दोलन के समय कांग्रेस भी यही बात कहा करती थी। बिहारी तथा उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों को उनकी मातृ भाषा में शिक्षा प्रदान करने के लिये पश्चिमी बंगाल में एक या दो नहीं बल्कि कई पाठशालायें हैं। ऐसा ही प्रबन्ध कालिजों में भी है, सम्भवतः सर्वप्रथम कलकत्ता विश्वविद्यालय में ही हिन्दी में एम० ए० की डिग्री देना प्रारम्भ किया था। आज पश्चिमी बंगाल की मांग क्या है? वह केवल उन बंगला भाषा भाषी क्षेत्रों की मांग करता है जो कि बिहार में स्थित हैं। १९१२ तक बिहार तथा बंगाल एक थे और पूर्निया, बंगाल का ही एक हिस्सा था। मानभूम, धनबाद, जमशेदपुर आदि भी बंगाल में ही थे। १९०८ में बंगाल प्रान्तीय सम्मेलन के अवसर पर स्वर्गीय श्री दीप नारायण सिंह ने सभापति पद से भाषण देते हुए यह इच्छा प्रगट की थी कि बिहार को एक पृथक प्रान्त बना दिया जाये और उस समय कांग्रेस राज्यों के पुनर्गठन के लिये लड़ रही थी इसलिये यह सुझाव स्वीकार किया गया था।

बिहार के पृथक राज्य बनने पर हम प्रसन्न थे। परन्तु बिहार को बंगाल से अलग करते समय अंग्रेजों ने बंगाल को एक मुस्लिम बहुसंख्यक प्रान्त बनाने के लिये बंगाल के कुछ प्रदेशों को भी बिहार में सम्मिलित कर दिया था। आज हम इन प्रदेशों को ही वापिस करनें की मांग अपने बिहारी भाईयों से कर रहे हैं। पश्चिमी बंगाल के लिये मैं एक इंच भी ऐसी भूमि नहीं चाहता जो कि बंगला भाषा भाषी क्षेत्र न हो।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** (सारन दक्षिण) : जनमत कर लीजिये।

†**श्री म० कु० मैत्र** : आपको मालूम है कि मानभूम से एक हजार व्यक्तियों ने आ कर कलकत्ता में सत्याग्रह किया था? धलभूम से सैकड़ों नागरिकों ने कलकत्ता में सत्याग्रह किया था? वे पश्चिमी बंगाल में शामिल होना चाहते थे।

†**श्री श्रीनारायण दास** (दरभंगा मध्य) : माननीय सदस्य ने कहा था कि कुछ क्षेत्र पश्चिमी बंगाल के थे। मैं उनसे उनके इस कथन का अभिप्राय पूछना चाहता हूं।

†**श्री म० कु० मैत्र** : जब बिहार और बंगाल एक प्रांत थे तब सभी संस्पर्शी बंगला भाषा भाषी प्रदेश बंगाल का ही भाग थे क्योंकि वे बंगला भाषा भाषी क्षेत्र हैं। अग्रेतर प्रमाण के लिये आप इस विषय पर सरकारी रिकर्ड देख सकते हैं। १९१२ में इन प्रदेशों को बंगाल प्रान्त से काट कर बिहार में जोड़ दिया गया था। बंगाल को मुस्लिम बहुसंख्यक प्रान्त बनाने के लिये तथा बंगाल में हो रहे क्रान्तिकारी आंदोलनों को दबाने के लिये अंग्रेजों ने ऐसा किया था।

मैं जो दावा कर रहा हूं कांग्रेस का भी पिछले ४० वर्षों से वही दावा रहा है। स्वर्गीय सरतेज बहादुर सप्रू, स्वर्गीय डा० सच्चिदानन्द सिन्हा, स्वर्गीय श्री परमेश्वर लाल और महात्मा गांधी जैसे नेताओं ने भी मेरे दावे का समर्थन किया है। १९२८ के नेहरू प्रतिवेदन में कहा गया है कि भारत के राज्यों का पुनर्गठन क्षेत्रों की भाषा तथा संस्पर्शता के आधार पर किया जाना चाहिये।

प्रशासन की सुविधा का प्रश्न भी उठाया गया है। प्रशासन व्यवस्था जनता के लिये की जाती है और प्रशासन की सुविधा के लिये जनता का बलिदान नहीं होना चाहिये। प्रशासन सुविधा के लिये भी यह आवश्यक है कि सम्पूर्ण मानभूम जिसमें पुरुलिया तथा धनबाद उपजिला दोनों क्षेत्र हैं धलभूम परगना और सन्ताल परगना तथा पूर्निया के बंगला भाषा भाषी क्षेत्रों को पश्चिमी बंगाल को हस्तान्तरित कर दिया जाये। मुझे विश्वास है कि विधेयक पर वाद विवाद के समय संयुक्त समिति इन दावों पर निरपक्षता से विचार करेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में।

लोक सभा में कहा गया है कि बंगाली अपने आप को एक 'जाति' कहते हैं। श्रीमान् यहां जाति से अभिप्राय 'मूलवंश' शब्द है। आन्ध्र के तेलगू भी इसी प्रकार एक पृथक जाति हैं। यही तो भारत की संस्कृति की एक सुन्दरता है। भारत बहुभाषा भाषी राज्यों का एक संघ है। हमनें कभी यह दावा नहीं किया है कि हम भारत से बाहर रहने वाले पृथक राष्ट्रजन हैं। हम यह चाहते हैं कि सभी राज्यों की सहायता से भारत एक समृद्ध देश बनें, इनमें रहनें वाले सभी नागरिकों का इसे सहयोग प्राप्त हो और इन प्रयत्नों में हम भी अपना हाथ बंटाना चाहते हैं। भारत की संस्कृति एक इन्द्रधनुष की भांति है जिसमें सात अलग अलग रंग होते हुए भी वह एक है। इसी प्रकार भारत की संस्कृति इन सभी नागरिकों को आपस में जोड़ती भी है और उन्हें अपनी प्रभिन्न विशेषतायें भी बनाये रखनें देती है। वे अपनी भाषाओं के आधार पर अलग अलग हैं और तब भी एक राष्ट्र के रूप में वे एक हैं। मुझे आशा है कि संयुक्त समिति इन सभी बातों को ध्यान में रखेगी और लोक सभा में तथा बाहर जो गलत बातें कही जाती हैं उन से प्रभावित नहीं होगी। पश्चिमी बंगाल ऐसी एक इंच भूमि नहीं चाहता है जो कि बंगला भाषा भाषी क्षेत्र न हो, वह केवल उन प्रदेशों की मांग करता है जो न्यायतः उसे मिलने चाहियें।

श्री विभूति मिश्र : इस बिल को देखनें से ज्ञात होता है कि राज्यों के पुनर्गठन के सम्बन्धमें बिहार के साथ उचित व्यवहार नहीं किया जा रहा है। स्टेटस् री-आर्गनाईजेशन कमीशन (राज्य पुनर्गठन आयोग) में तीन आदमी थे। उसके चेयरमैन श्री फज़ल अली ने तो यह कह दिया कि चूंकि मैं बिहार में कुछ समय से वहां रहा हूं इसलिये इस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। बाकी दो सदस्य, श्री कुंजरू और पणिकर साहब, दौरा करते हुए बिहार से गुजरकर बंगाल में गये। उपाध्यक्ष महोदय, आपने देखा होगा कि पहला आदमी जो बात कहता है, वह तो जल्द भूल जाती है और उसके बाद दूसरा आदमी जो कुछ कहता है, वह ज्यादा याद रहती है। आज हम जवान हैं, इसलिये अपने बचपन की बातें हम भूल गये हैं। उसी तरह कल परसों की बातें हम भूल जाते हैं जबकि आज की बात हमको याद रहती है। चूंकि कमीशन के सदस्य पहले बिहार में गये थे और फिर बंगाल में, इसलिए बिहारकी बातें तो वह भूल गये और बंगाल की बातें उनके मन में बैठ गई। इस अवस्था में मैं समझता हूं कि उन का निर्णय ठीक नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप को और इस सदन को यह बताना चाहता हूं कि बिहार प्रदेश के लोग इस बिल के विरुद्ध हैं। ७ जुलाई को बिहार असेम्बली ने २६९ वोट से यह फेसला किया कि इस बिल को वापिस ले लिया जाय। बिहार का एक एक बच्चा और विशेष कर चम्पारन का एक एक बच्चा जहां से कि मेरा सम्बन्ध है, यह महसूस करता है कि हमारे साथ अन्याय किया जा रहा है। आज बिहार और चम्पारन के लोग यह महसूस करते हैं कि अगर आज महात्मा गांधी हमारे बीच होते, तो हमारे साथ यह अन्याय न होता।

†**श्री गिडवानी** (थाना) : महात्मा गांधी ने कहा था कि मैं पाकिस्तान बनने के खिलाफ हूं, लेकिन फिर भी मुल्कका बटवारा हुआ और पाकिस्तान बना।

†**श्री विभूति मिश्र** : शायद माननीय सदस्य यह भूल जाते हैं कि महात्मा गांधी ने यह कहा था कि पाकिस्तान बनने से देश का भला नहीं होगा।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अगर माननीय सदस्य अपनी बातें मुझे सुनाते रहें, तो मैं बड़े आराम से सुनूंगा। वह दूसरे सदस्यों की बातों की तरफ ध्यान न दें।

श्री विभूति मिश्र : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप को ही सुना रहा हूं, लेकिन गिडवानी साहब कहते हैं कि महात्मा गांधी के कहने के बावजूद पाकिस्तान बन गया। मैं उनकी बात का जवाब दे रहा हूं।

†**श्री बी० चं० शर्मा** (होशियारपुर) : यह सिन्धी बिहार को क्या समझें।

---

†मूल अंग्रेजी में।

श्री विभूति मिश्र : मैं समझता हूं कि जब एक सूबे के चार करोड़ और दो लाख निवासी यह कहते हैं कि हम इस बिल को नामंजूर करते हैं तो प्रजातंत्र का तकाजा यही है कि इस बिल को वापिस ले लिया जाये और मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह इस बिल को वापिस ले ले।

मैं इस सदन को और उपाध्यक्ष महोदय आप को यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि जब राज्य पुनर्गठन बिल की चर्चा चली, तो बिहार और बंगाल के चीफ मिनिस्टरों ने घोषणा की कि इन दोनों प्रदेशों को मिला दिया जाये। उस समय हिन्दुस्तान के कुछ हिस्सों में खून के दरिया बहाये जा रहे थे, लेकिन बंगाल बिहार मर्जर (सविलयन) की प्रोपोजल (प्रस्थापना) के सामने आने से शान्ति स्थापित हो गई। इस सम्बन्ध में बिहार असेम्बली ने समर्थन में रेज़ोल्यूशन (संकल्प) पास किया। कांग्रेस कमेटी ने पास किया, बंगाल कांग्रेस कमेटी ने पास किया और बंगाल की असेम्बली में भी रेजोल्यूशन पास हुआ।

†**एक माननीय सदस्य** : नहीं।

†**श्री विभूति मिश्र** : लेकिन इसके बाद डा० मेघानंद साहा की मृत्यु के पश्चात जब कलकत्ता में उपचुनाव हुआ, तो उस में कांग्रेस का उम्मीदवार हार गया। तब डा० राय ने कह दिया कि बंगाल को लोग मर्जर (सविलय) को नहीं चाहते और पहले किये गये समझौते से बैक-आउट (विमुख होना) कर गए। मेरी समझ में नहीं आता कि क्या पहले समझौता करके एक छोटी सी बात पर उससे बैक आउट कर जाना एक सज्जन आदमी के लिये उचित है। जब यह प्रोपोजल सामने आई, तो सब नेताओं और हाई कमांड ने उस को आशीर्वाद दिया, सारे देश का उसको अभिवादन और समर्थन मिला, लेकिन केवल एक आदमी के हार जाने से वह बैंक आउट कर गये। यह कितनी बुरी बात है। क्या इसी तरह हम हिन्दुस्तान का शासन चलायेंगे ? हमारे यहां भी एक चुनाव हुआ, जिसके दौरान में यह प्रचार किया गया कि बिहार का हिस्सा काट कर बंगाल को दिया जा रहा है। परिणाम यह हुआ कि वहां एक कम्यूनिस्ट (साम्यवादी) उम्मीदवार जीत गया। उनके यहां एक आदमी हार गया, तो उनको कुछ हिस्सा दिया जा रहा है, लेकिन हमारे प्रदेश में एक आदमी के हारनें पर हमको कोई क्षेत्र नहीं दिया जा रहा है। हम को भी उसी तरह थोड़ा इलाका मिलना चाहिये और अगर नही मिलता है, तो कम से कम हममेंसे बगैर काटे छूटकारा तो दे दीजियें।

उपाध्यक्ष महोदय, अब जरा हम मैप को देखें। आप को बंटवारे के मुकदमों का पर्याप्त अनुभव होगा। आप को मालूम होगा कि बंटवारा कैसे किया जाता है। आप यह जानते ही होगें कि इस प्रकार छोटे छोटे पोरशन्ज़ (भागों) का बंटवारा नहीं होता है। अगर पूर्निया के उपर का हिस्सा जिसको कारीडार (वीथि) कहते हैं, बगाल को दिया गया, तो इससे हिन्दुस्तान की सुरक्षा खतरे में पड़ जायेगी और डिफेन्स की दृष्टि से भी वह बहुत खतरनाक होगा। बल्कि दारजिलिंग तक के सब भाग को बिहार को देनें से देश की सुरक्षा स्थिति मज़बूत होगी। आप शायद मेरी बात को न मानें लेकिन यदि आप डिफेन्स के किसी एक्सपर्ट (विशेषज्ञ) की राय लें, तो आप इसी निष्कर्ष पर पहुचेंगे कि यह भाग बंगाल को नहीं दिये जाना चाहियें। सब भाई इस नक्शे को देखकर अनुभव कर सकते हैं कि इस पोरशन को बंगाल को देने से देश का डिफेन्स (रक्षा) कमजोर हो जायेगा। इसलिये मैं यह चाहता हूं कि यह पोरशन बंगाल को न दिया जाये। संथाल परगना से दारजिलिंग तक का क्षेत्र बिहार को दिया जाना चाहिये। इसी में देश का हित और कल्याण है।

जिस वक्त मर्जर की बातचीत चल रही थी, तो उस वक्त हमारे चटर्जी साहब कहते थे कि इस बिल को वापिस ले लिया जाये, लेकिन आज, जब कि बंगाल को कुछ क्षेत्र मिल रहे हैं, वह कुछ नहीं कहते हैं। वह हिन्दु महासभा के सभापति हैं और हिन्दू तो सारे देश में मौजूद हैं, इसलिये उनको सारे देश के हितों का ख्याल होना चाहिये। लेकिन स्थिति यह है कि साधारणतया तो वह सारे हिन्दुस्थान का प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हैं, लेकिन जब उनको खुद कोई घाटा लगता है, तो

†मूल अंग्रेज़ी में।

उस समय वह सारे हिन्दुस्तान को भूल जातें हैं। पंजाब में सब मामला अच्छी तरह निबट गया था, लेकिन उन्होनें वहां पर भी झगड़ा लगा दिया।

†**श्री नि० चं० चटर्जी** : मैं इसका विरोध करता हूं। यह बहुत अनुचित अभिकथन है।

श्री विभूति मिश्र : जहां तक किशनगंज का सम्बन्ध है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप वहां के गांवों में जाईये और देखिये कि वहां पर मैथिली बोली जाती है। वहां पर कैथी लिपि का प्रयोग होता है। वहां की भाषा के बारे में कहा जाता है कि वह बंगाली भाषा की एक डाइलेक्ट है। मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर उस भाषा को यहां पर रखा जाय, तो कोई भी बंगाली भाई उसको नहीं पढ़ सकेगा, लेकिन बिहारी पढ़ लेगा। स्टेटस री–आर्गनाईज़ेशन कमीशन (राज्य पुनर्गठन आयोग) की रिपोर्ट में कहा गया है कि वहां पर कैथी भाषा का प्रयोग होता है। इन क्षेत्रों को बंगाल में मिलाने का एक कारण यह भी बताया गया है कि हम उत्तरी और पूर्वी बंगाल को मिलाना चाहते हैं। वह सब क्षेत्र हिन्दुस्तान में ही स्थित हैं, तो फिर आप को उनको मिलाने के लिये ज़मीन की क्या जरूरत है ?

आप नेशनल हाई वे (राष्ट्रीय राजपथ) के लिये जितनी जमीन चाहें हम छोड़ने के लिये तैयार हैं। लेकिन आप तो बंगाल के दो हिस्सों को मिलाने के लिये कुछ भाईयों को उनकी इच्छा के खिलाफ बंगाल में भेजना चाहते हैं। किशन गंज का कोई आदमी बंगाल में नहीं जाना चाहता। रिपोर्ट में यह दिया हुआ है कि किशनगंज बहुत अधिक थिकली पापुलेटेड एरिया (घनी जनसंख्या का क्षेत्र) है। वहां मूसलमान ज्यादातर रहते हैं। वे जाना नहीं चाहते। फिर भी आप किशनगंज बंगाल को दे रहे हैं, यह मेरी समझ में नहीं आता।

उपाध्यक्ष महोदय, आप वकील हैं, आपने पढ़ा होगा कि नक्शे को दुरुस्त करने के लिये इक्विटी (समन्याय) का नाश नहीं किया जाता। मैं कहता हूं कि किशनगंज के साथ अन्याय किया जा रहा है। साउथ और नार्थ बंगाल को मिलाने के लिये इक्विटी का नाश किया जा रहा है। इसलिये मेरा कहना है कि इक्विटी (समन्याय) का नाश न किया जाये और इन्साफ किया जाये।

कहते हैं कि पुरुलिया इसलिये दिया जा रहा है कि उसमें कसाई, स्वर्ण रेखा और अजई नदियों के कैचमेंट (बाध) का सवाल है। इस आधार पर तो हम कह सकते हैं कि गंगा नदी हमारे यहां से होकर बहती है और उत्तर प्रदेश में उसका कैचमेंट एरिया है, इसलिये हमको उत्तर प्रदेश मिलना चाहिये। सारे हिन्दुस्तान की नदियों के लिये एक कमीशन बनाया गया है। यूरोप में भी डेन्यूब और राईन नदियों के लियें कमीशन बनाया गया है जो कि यह देखेगा कि इन नदियों से सब को समान आर्थिक लाभ हो। पाकिस्तान के साथ हमारा नदियों के सम्बन्ध में समझौता हो रहा है। लेकिन बंगाल वाले कहते हैं कि कैचमेंट की वजह से हमको पुरुलिया मिलना चाहिये। कसाई नदी पर बिहार सरकार पांच करोड़ रूपया खर्च करने जा रही है। दामोदर घाटी योजना का सारा लाभ बंगाल को है पर यह नदी निकलती है बिहार से। पर इस जगह आप वह फार्मूला नहीं लगाते। इसके माने हैं कि आपके मन में कोई दूसरी बात है, और वह दूसरी बात क्या है यह भगवान ही जानता है। आप बिहार पर कब्ज़ा करना चाहते हैं। हम भी दस पांच साल में पढ़ लिख जायेंगे और फिजीकली (शारीरिक शक्ति में) हम बहादुर हैं ही। हम अपने को हिन्दुस्तान की यूनियन में कायम रखेंगे।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : शारीरिक शक्ति के प्रयोग की सीमा तक नहीं पहुंचना पड़ेगा।

श्री विभूति मिश्र : वह तो दुश्मनों के लिये है। हम यूनियन में मूफीद (लाभदायक) साबित होना चाहते हैं। आज कहा जाता है कि हम बैकवर्ड हैं। पहले हम बंगाल के साथ रहे। सन् १९१२ से हम अलग हुए हैं और धीरे धीरे अपनी शिक्षा को बढ़ाते जा रहे हैं। जब बिहार और आसाम बंगाल के साथ थे तो सारे इलाके की आमदनी केवल कलकत्ते के डेवेलपमेंट (विकास कार्य) पर

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री विभूति मिश्र]

खर्च होती थी। तो मेरा कहना है कि कैचमेंट के ख्याल से एक सूबे का हिस्सा दूसरे सूबे को दे देना उचित नहीं होगा ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आप नार्थ और साउथ बंगाल को मिलाने के लिये पूर्निया देना चाहते हैं। पर अगर हम मूरी से या रांची से धनबाद या जमशेदपुर जाना चाहें तो कैसे जायेगें। उसके लिये हमको आप क्या देना चाहते हैं। हमारे यहां एक कहावत है कि एक के लिये भटा बोये और दूसरे के लिये पथ्य है। मेरी समझ में नहीं आता कि आप सब जगह पर एक फार्मूला क्यों नहीं लगाते। फार्मूला तो एक होना चाहिये।

सन् १९५१ में जो सेंसेस हुआ था उसमें लिखा है कि किशनगंज में ५२ फीसदी (प्रतिशत) लोग बंगाली भाषा बोलते हैं। इधर गवर्नमेंट आफ इंडिया ने जो गणना कराई उससे मालूम होता है कि २९ फीसदी बंगाली भाषी हैं और ५० फीसदी हिन्दी बोलन वाले हैं। इस पर कहते हैं कि हम इस सेंसस (जन गणना)को नहीं मानते। लेकिन अगर वे नहीं भी मानते तो एस० आर० सी० रिपोर्ट (राज्य पुनर्गठन आयोग का प्रतिवेदन) में यह लिखा है कि जहां ७० प्रतिशत आदमी एक भाषा बोलने वाले होंगे वहां की वह भाषा मानी जायेगी, इसी को मानें क्योंकि उनके अनुसार श्री बंगला बोलने वालों का परसेंटेज ५० प्रतिशत है। विधान बाबू ने कहा है कि हम भाषा के आधार पर बिहार का कोई हिस्सा नहीं लेना चाहते। उन्होंने तीन बातें बतलाई हैं। उनमें से एक बात उन्होंने यह कही है :

"तीसरा एक विशेष प्रयोजन था जिसमें भाषा का प्रश्न आता है अर्थात पूर्वी बंगाल के शरणार्थी उस क्षेत्र में रहेंगे जहां वही भाषा बोली जाती है"।

वह चाहते हैं कि रिफ्यूजी लोग उसी जगह बसाये जायें जहां कि उनकी भाषा बोली जाती है। मेरे शहर में ही कोई दस हजार रिफ्यूजी आये हुए हैं और सुना है कि ४० या ५० हजार और आने वाले हैं। इन लोगों का स्वास्थ्य बहुत खराब है और ये कमजोर हैं । मेरा सुझाव है कि इन लोगों को तो पंजाब में या मध्य प्रदेश मे भेजा जाये ताकि उनकी तन्दुरुस्ती अच्छी हो। मैं समझता हूं कि विधान बाबू की यह बात ठीक नहीं है। मैं उनकी और दो बातों में नहीं जाना चाहता ।

कहा जाता है कि लेंग्वेज (भाषा) की बात नहीं है लेकिन कम्यूनिकेशनस (संचार) के ख्याल से कुछ हिस्सा दिया जाता है। लेकिन रास्ते में तो कोई रुकावट नहीं है। हम चम्पारन में रहते हैं, हमारे भाई कलकत्ते में रहते हैं और रुपया कमा कर भेजते हैं। किसी प्रकार की इसमें रूकावट नहीं है। कहा जाता है कि जलपायगुड़ी और दार्जिलिंग का डेवेलपमेंट (विकास कार्य) इसलिए नहीं हो रहा है कि रास्ता ठीक नहीं है। मैं कहता हूं कि आप हमको सामान दीजिये हम इन जगहों का डेवेलपमेंट करते हैं। आप सामान देते नहीं और बहाना करते हैं रास्ते का ताकि आपको बिहार का कुछ हिस्सा मिल जाये ।

दूसरी बात मुझे यह कहनीं है कि बिहार वालों का मुख्य व्यवसाय खेती है। हमारे यहां ८६ प्रतिशत लोग खेती में लगे हुए हैं और १४ प्रतिशत व्यवसाय करते हैं जबकि बंगाल में ५७ प्रतिशत खेती करते हैं और ४३ प्रतिशत व्यवसाय पर रहते हैं। हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे में भी, जैसा कि अभी मिश्र जी ने बतलाया, बंगाल को फायदा रहा। सारे बंगाल की आय ४४ करोड़ थी। बंटवारे के बाद पश्चिमी बंगाल को ३१ करोड़ रुपये की आय मिली और पाकिस्तान को १३ करोड़ ही मिली जब कि पाकिस्तान को ४ करोड़ ४० लाख आबादी मिली और पश्चिमी बंगाल को केवल २.६० लाख आबादी मिली। इस तरह से उनको तो फायदा ही फायदा हुआ।

श्री व० द० पांडे (जिला अलमोडा, उत्तर पूर्व) : तुमको भी तो फायदा हुआ।

श्री विभूति मिश्र : हमको क्या फायदा हुआ ?

अब मैं एक बात बताना चाहता हूं । राज्य पुनर्गठन आयोग में तीन सदस्य थे और चूंकि बिहार बंगाल के सम्बन्ध में जो उसके चेयरमैन श्री फजल अली थे वे चुप रहे इसलिये मैं चाहता हूं कि केवल दो जजों की राय के आधार पर प्रोसीड (कार्यवाही करना) न किया जाये और इसके लिये किसी हाईकोर्ट के जज को या किसी मशहूर जूडिशियल (न्यायिक) आदमी को इनवाईट (आमंत्रित) किया जाये और इस बंगाल और बिहार सम्बन्धी विवाद को उन तीनें सदस्यों के सामनें रखा जाये और तब उसके बारे में उनसे फैसला कराया जाये और उसके बाद ही गवर्नमेंट इस दिशा में कोई कदम उठाये । मैं चाहता हूं कि उस कमेटी में कुंजरू साहब भी रहें, पनिक्कर साहब भी रहें, और एक तीसरा सदस्य और उसमें शामिल कर दिया जाये और उनको यह मामला फैसले के लिए सुपुर्द कर दिया जाये । मैं समझता हूं कि ये जो आप आयोग के दो सदस्यों की राय पर बिहार का ३८०० वर्गमील का इलाका बंगाल को दे रहे हैं बगैर उन इलाकों के लोगों की राय जाने हुए, यह बिहार के साथ सरासर नाइंसाफी है । जब तक कि वह तीन आदमियों की कमेटी इस बारे में अपना फैसला न दे दे उस वक्त तक सरकार को इस बिल को वापिस ले लेना चाहिये और तब तक के लिये पोस्टपोन (स्थगित) कर देना चाहिये ।

अब यह जो मानभूमी का इलाका बंगाल में शामिल किया जा रहा है तो वह किस बिना पर किया जा रहा है और मुझे कोई शक नहीं है कि अगर बर्मन साहब से अकेले में भगवान को साक्षी दे कर पूछा जाये तो यही कहेंगे कि मैं बिहार में रहूंगा । बर्मन साहब हमारी भाषा बोलते हैं । उस इलाके के लोग हमारी भाषा बोलते हैं और हमारे समान गरीब हैं और मैं जानता हूं कि वे बंगाल में नहीं मिलना चाहते हैं क्योंकि वहां उनकी पटरी नहीं बैठेगी । गरीब का गरीब के संग ही गुजर हो सकता है । इसी तरह मैं जानता हूं कि किशनगंज सब-डिवीजन के गरीब मुसलमान बंगाल नहीं जाना चाहते हैं और मैं आप से पूछना चाहता हूं कि जो लोग नहीं जाना चाहते हैं उनको आप क्यों जबरदस्ती उधर भेज रहे हैं ?

इसके अतिरिक्त मैं आप को यह भी बतलाना चाहता हूं कि जो बिहारी भाई कलकत्ते में रहते हैं वे अकेले में यह कहते सुने जाते हैं कि वहां उनको बहुत असुविधा है और उनके हित सुरक्षित नहीं हैं और मैं तो चाहूंगा कि जिस प्रकार से पिछले जमाने में हमारे शासक लोग भेष बदल कर रात में घूमा करते थे और अपनी प्रजा का हाल चाल लिया करते थे उसी तरह हमारे प्रधान मंत्री को भी करना चाहिये और कलकत्ते में जो हमारे बिहारी और हिन्दी स्पीकिंग एरिया (हिन्दी बोलने वाले क्षेत्र) के भाई बसतें हैं उनकी इस बारे में क्या फीलिंग है उसको जानना चाहिए) वे अकेले में अगर उनसे पूछा जाये तो बतला देगें कि उनको वहां पर क्या क्या तकलीफ हैं। मैं तो चाहता हूं कि कलकत्ते को भी सेंट्रली ऐडमिनिस्टर्ड एरिया (केन्द्र द्वारा प्रशासित क्षेत्र) बना देना चाहिये । हम तो यहां संसद में अपनें बिहार प्रांत से बंगाली सदस्यों को लायें भी हैं लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि बंगाल ने संसद में कितने बिहारी भेजे हैं ? कलकत्ते में काफी संख्या यू० पी० और बिहार के लोगों की है, दार्जिलिंग आदि स्थानों में काफी बिहारी और उत्तर प्रदेश के लोग बसते हैं लेकिन शायद एक भी आदमीं इस पार्लियामेंट में उनका नहीं आया है और इसलिये मेरी मांग है कि बिहार के जो हिस्से आप काट कर बंगाल में मिलाने जा रहे हैं, उनको नहीं मिलाना चाहिये ।

चूंकि प्रधान मंत्री इस समय यहां पर उपस्थित हैं इसलिये मैं अन्त में एक बार फिर उनकी सेवां में यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे बिहार में एक एक आदमी इस बात को महसूस करता है कि उसके जो हिस्से काट काट कर बंगाल में मिलाये जा रहे हैं, यह बिहार के साथ अन्याय है और वहां की प्रजा की यह भावना है कि बिहार के हिस्से न काटे जायें । अब हमारे साथ मुश्किल यह है कि हम कांग्रेस मैन हैं, और कांग्रेस के अनुशासन में हमको रहना है और इस कारण जो कुछ हमें बोलना है अपने उपर जब्त कर के बोलना है और एक बंधन रख कर बोलना है और इसलिये हमारे प्रधान मंत्री महोदय को इस विषय की ओर खास ध्यान देना चाहिये और बिहार के हिस्से काट कर के बंगाल में न मिलाने देना चाहिये और ऐसा करने से पहले वहां की जनता की राय ले लेनी चाहिये और उसके अनुसार कार्य करना चाहिये । अगर उन इलाकों की जनता बंगाल में मिलने के लिये अपनी

[श्री विभूती मिश्र]

प्रकट राय करंती है तो बड़ी खुशी से आप उनको बंगाल में मिला दीजिये लेकिन अगर वे लोग बिहार में बने रहना चाहते हैं जैसा कि मैं समझता हूं कि वह चाहते हैं तो फिर उनकी मर्जी के विरुद्ध उनको जबरदस्ती बंगाल में क्यों ढ़केला जा रहा है ।

†**श्री नि० चं० चटर्जी** : बिहार के दो मित्रों के भाषण सुन कर मुझे बड़ा भारी दुःख हुआ है । यह सच है कि हम देश की एकता को ध्यान में रखते हुए भी देश की विभिन्न संस्कृतियों को निर्बाध रूप से फलने फूलनें का अधिकार देनें का वचन दे चुके हैं । अतः उस दृष्टिकोण से अब हम सब लोगों का उद्देश्य यही है कि कोई ऐसा उत्तम उपाय सोचा जाय जिससे राज्यों का बुद्धिसंगत उत्तम पुर्नगठन किया जा सके । इसलिये व्यर्थ में ही आपस में एक दूसरे पर कीचड़ उछालना ठीक नहीं । बंगाल के मन में बिहार के प्रति कोई भी दुर्भावना नहीं है ।

परन्तु दूसरी ओर बिहार के सदस्य श्री मिश्र ने आधुनिक दुर्योधन समान यहां तक कह दिया है कि बंगाल को एक इंच भूमि देनें के लिये तैयार नहीं है । तो आप स्वयं सोच लीजिये कि प्रांतीयता का पागल पन हम लोगों में है या उन में ।

राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपने प्रतिवेदन की कंडिका ६३३ में स्पष्ट रूप से प्रतिवेदित किया है, और प्रत्येक ईमानदार व्यक्ति इस सच्चाई को स्वीकार करेगा, कि विभाजन ने पश्चिमी बंगाल के लिये कई समस्यायें उत्पन्न कर दी हैं । शरणार्थियों की भारी संख्या में आने के अतिरिक्त बंगाल की सम्पूर्ण संचार व्यवस्था १९४७ के बाद से अब तक अस्तब्यस्त हुई है । 'क' भाग के राज्यों में से पश्चिम बंगाल ही एक ऐसा राज्य है जो भौगोलिक दृष्टिकोण से एक ठोस तथा सर्वतोमुखी राज्य नहीं है । परन्तु मेरे माननीय मित्र गम्भीरता पूर्वक यह कहते हैं कि विभाजन के पश्चात हमनें आर्थिक क्षेत्र में तथा सभी क्षेत्रों में प्रगति की है ।

पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री डा० बि० चं० राय ने बंगाल विधान सभा में अपने अन्तिम भाषण में बताया था कि ८२,८७६ वर्गमील वाले क्षेत्र को किस प्रकार बांटकर ३०,७७५ वर्गमील का प्रदेश बनाया गया है जिसमें अब २४,८१०,३०८ व्यक्ति रह रहे हैं । इस प्रकार भाग 'क' राज्यों में से सब से छोटे इस राज्य जन घनता प्रति वर्ग मील ८०६ व्यक्ति हैं । बंगाल के लोगों को कम से कम तीन बार विभाजित किया गया है । मैं आप सभी सदस्यों से, जो राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करतें हैं, यह अपील करता हूं कि कृपया यह याद रखें कि साम्राज्यवादी कार्यवाहियों के कारण हमें बीते दिनों क्या कुछ सहन करना पड़ा है । अंग्रेज हमारी जाति को कुचलना चाहते थे वे स्वतंत्रता के लिये जल रही ज्योति तथा अग्नि को बुझाना चाहते थे । इसीलिये उन्होंने बंगाल का विभाजन किया था ।

इसके विरूद्ध बंगाल के नेताओं ने विद्रोह किया । उस समय लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक कलकत्ता आये थे और उन्होंने हमारा साहस बढ़ाया था और बंगाल ने बहिष्कार तथा स्वदेशी के दो शास्त्रों से ब्रिटेन की साम्राजिकता का मुकाबिला किया था ।

हम यह शिकायत नहीं कर रहे हैं कि संयुक्त बंगाल को विभाजित करके बिहार का एक पृथक राज्य बनाया गया था या उड़ीसा को एक पृथक राज्य के रूप में गठित किया गया था । हमारा दृष्टिकोण इतना संकीर्ण या संकुचित नहीं है । हमारा कहना तो केवल यह है कि बंगाल को एक मुस्लिम बहुसंख्यक राज्य बनाने के लिये जान बूझकर और बेईमानी से अंग्रेजों ने संयुक्त बंगाल को विभाजित किया था और राज्य पुनर्गठन आयोग ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया है कि मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्र बनाने के लिये ही कुछ बंगला भाषा भाषी क्षेत्रों को अनुचित रूप से बंगाल से पृथक किया गया था ।

उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपने कलकत्ता अधिवेशन में एक संकल्प पारित किया था और ब्रिटेनने भी इस कार्यवाही को अनुचित ठहराया था और कहा था कि इन प्रदेशों को संस्पर्शी राज्यों या प्रान्तों में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

हम बिहार के नेताओं तथा सदस्यों से यही आशा करतै हैं कि वे अपना वचन पूरा करें । ४ जनवरी, १९१२ को श्री दीप नारायण सिन्हा और श्री परमेस्वर लाल ने एक खासा वक्तब्य दिया था और उसमें उन्होंने उन क्षेत्रों की चर्चा की थी जिन्हें अनुचित रूप से बंगाल से अलग किया गया था, इसमें सम्पूर्ण मानभूम जिले की चर्चा भी हैं । इस सम्बन्ध में उनकी भाषा स्पष्ट है । वे जानते थे कि अंग्रेज एक प्रांत को दूसरे प्रान्त के विरूद्ध और एक समुदाय को दूसरे समुदाय के विरूद्ध भिड़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

आज यदि बंगाल इस बचन को पूरा करने की मांग कर रहा है तो इसमें अनुचित क्या है ? आप इसे साम्राज्यवाद क्यों कहते हैं ? राष्ट्रीय नेताओं ने जो प्रतिज्ञा की थी आप उसे भंग करना चाहते हैं । वे बंगाल और बिहार को जानते थे और बंगला भाषा भाषी क्षेत्रों से भी परिचित थे । १९११ में कांग्रेस ने संकल्प स्वीकार किया था और १९१२ में बिहार के नेताओं ने स्पष्ट शब्दो में बताया था कि कौन से प्रदेश बंगाल को हस्तांतरित किये जाने चाहियें ।

उस समय के बाद से कांग्रेस ने बारम्बार कहा है कि भाषा सम्बन्धी आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिये । कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में महात्मा गांधी ने इस सम्बन्ध में एक संकल्प प्रस्तुत किया था । १९२१ में कांग्रेस ने अपना संविधान अपनाया था और भाषा सम्बन्धी सिद्धांतों पर प्रांतों की रचना की थी । इससे अगले वर्ष हिन्दु महासभा ने भी ऐसी ही कार्यवाही की थी ।

राज्य पुनर्गठन आयोग ने भी प्रतिवेदित किया हैकि स्वतंत्रता के लिये भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन का भाषा सम्बन्धी राज्यों के लिये इस आन्दोलन के साथ एकरूपता रही है । अब उस प्रतिज्ञा को भंग करनें और उल्टी दिशा में कदम उठाने का कोई लाभ नहीं है ।

करजन से लेकर मौन्टबैटन तक, समय समय पर बर्तानवी साम्राज्यवाद बंगाली जाति को अपंग बनाता रहा है । वे महाराष्ट्र को भी कुचलना चाहते थे । वे पंजाब को भी असहाय बनाना चाहते थे । आप यह कह कर हमारी खिल्ली न उड़ायें कि भारत तथा बंगाल के विभाजन से हमारी स्थिति ने सुधार हुआ है । आप यदि हमें इन प्रदेशों को नहीं देना चाहते और अपना वचन पूरा नहीं करना चाहें तो स्पष्ट शब्दो में ऐसा कह दें । परन्तु ब्रिटेन जैसा खेल न खेलें ।

†**श्री सिंहासन सिंह** (जिला गोरखपुर–दक्षिण) : माननीय सदस्य ने कहा था कि प्रान्तो के भाषा सम्बन्धी आधार पर पुनर्गठन के सम्बन्ध में नागपुर अधिवेशन में महात्मा गांधी ने एक संकल्प प्रस्तुत किया था । क्या महात्मा गांधी ने मानभूम क्षेत्र, बंगाल प्रान्त को बंटित किया था या वह बिहार प्रान्त में ही रहा था ?

†**श्री नि० चं० चटर्जी** : महात्मा गांधी ने कभी दलभूम और मानभूम की चर्चा नहीं की थी उन्होंने केवल यह कहा था कि भाषा के आधार पर कांग्रेस प्रान्तों का पुनर्गठन होना चाहिये । राज्य पुनर्गठन आयोग ने स्वयं यह संकेत किया है कि द्विभाषी राज्य स्थापित करना सम्भव नहीं है । यदि द्विभाषी राज्य भारत कि सुरक्षा के लिये आवश्यक है तो फिर आपने आंध्र राज्य की रचना की मांग को क्यों स्वीकार किया था ?

†**श्री म० प्र० मिश्र** : पंजाब के सम्बन्ध मे आप के विचार क्या हैं ?

†**श्री नि० चं० चटर्जी** : मैं राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन को पूर्णत: लागू करने के पक्ष में हूं । आयोग ने कहा है कि सीमा राज्यों को कमजोर नहीं करना चाहिये । इसलिये भारत की सुरक्षा तथा राष्ट्रीय हित में यही उचित है कि इन राज्यों को शक्तिशाली बनाया जाये । आपको लाखों विस्थापित व्यक्तियों की मनोवृत्तियों को समझना चाहिये । यह ३० लाख व्यक्तियों का प्रश्न नहीं है । आज भी हमारे पुनर्वास मंत्री का यह कहना है कि लगभग ६०,००० व्यक्ति हर महिने भारत में आ

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्री० नि० चं० चटर्जी]

रहे हैं। हमारी अर्थ व्यवस्था टूटने के करीब है। हमारे लाखों विस्थापित व्यक्तियों का उत्तरदायित्व राष्ट्र पर है और वे सांस्कृतिक तथा भाषा सम्बन्धी वातावरण में रहना चाहते हैं।

इसलिये हम स्पष्ट शब्दों में यह कह रहे हैं कि यह विधेयक पश्चिमी बंगाल की समस्या का समाधान नहीं करता है और न्यूनतम मांग को भी पूरा नहीं करता है। यदि आप राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन को पढ़े तो उसमें कहा गया है कि १९५१ की जनगणना पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। वे आंकड़े गलत हैं।

पश्चिमी बंगाल प्रदेश कांग्रेस समिति ने राज्य पुनर्गठन आयोग को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया था जिसमें कहा गया था कि पुरुलिया परगना में एक आश्चर्यजनक घटना हुई है। वहां पर हिन्दी भाषा भाषी व्यक्तियों की संख्या १९३१ के मूल आंकड़ों से ७०७ प्रतिशत से भी अधिक बढ़ गई है। जीव विज्ञानीय दृष्टिकोण से ऐसा होना असम्भव है।

श्रीमान् जनगणना के आंकड़ों को इस प्रकार तोड़ा मरोड़ा गया है, इसलिये १९५१ की जनगणना की चर्चा करन बेकार है। यदि आप १९३१ के आंकड़ों को देखें तो वे अभिभावी रूपसे बंगला भाषा भाषी क्षेत्र थे जिनका कि हमने दावा किया था। कांग्रेस संकल्प में भी ऐसा ही करने की मांग की गयी थी। बिहार के नेताओं ने स्वयं जिन क्षेत्रों को हमें देने के लिये कहा था हम उन क्षेत्रों की ही माँग कर रहे हैं।

किशनगंज के सम्बन्ध में मेरे माननीय मित्र ने यह कहा हैं कि वीथि सिद्धांत असम्भव है। यह एक वीथि समस्या नहीं है। इस विषय पर श्री राजगोपालाचारी ने कहा है कि यह कहना बिल्कुल गलत है कि बंगाल के दो अलग किये गये भागों को मिलाने की मांग एक वीथि समस्या है।

राज्य पुनर्गठन आयोग ने यह भी कहा कि किशनगंज का यह भाग पश्चिम बंगाल को दिया जाना चाहिये ; नहीं तो पश्चिम बंगाल राज्य का राजनीतिक संगठन सम्भव नहीं हो सकता है। इसे आयोग की रिपोर्ट की कांडिका ६५० में स्पष्ट किया गया है। सदन को एक सत्य मालूम होना चाहिये। हमारे प्रधान मंत्री की नागा संघ में बैइज्जती की गई है। इन पहाड़ी इलाकों में पृथक्करण आन्दोलन चल रहा हैं। यह केवल बंगाल में ही नहीं हैं सारे भारत में हैं। पहाडी इलाकों में पृथक्करण भावनाए हैं।

†**श्री जयपाल सिंह** : क्यों ?

†**श्री नि० चं० चटर्जी** : आयोग ने कहा है कि इन भावनाओं को समाप्त किया जाना चाहिये उनका नियंत्रण किया जाना चाहिये और इसका एक इलाज है कि बंगाल के सभी कटे घटे भागों को फिर से मिला कर ठीक ढंग से एक कर दिया जाये।

डा० बी० सी० राय ने सदन को जिस बात पर विचार करने के लिये कहा था, मैं भी उसी बात पर सहानुभूति पूर्वक विचार किये जाने पर जोर देता हूं। क्या हमारे संगठन के लिये ३०० मील का क्षेत्र कोई बहुत बड़ी बात है। उन्होंने तो केवल १७० वर्गमील की मांग की है ताकि दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी के साथ पश्चिमी बंगाल का वास्तविक एकीकरण किया जा सके। किशनगंज में उनकी इतनी ही मांग है। क्या यह अनुचित है ? क्या यह संविधान, अथवा एक अभिनव राज्य की स्थापना के विरूद्ध है ? यह एक चाल है जो कि बिहार के राजनीतिज्ञ इन मुसलमानों को पश्चिम बंगाल के विरूद्ध उकसाकर चल रहे हैं।

मैं सदन के प्रत्येक सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि ऐसी खतरनाक चाल नहीं चली जानी चाहिये। मैं यह बता दूं कि पश्चिम बंगाल को छोड़ कर चले जाने वाले आठ लाख मूसलमानों में से

†मूल अंग्रेजी में।

सात लाख वापिस आ गये हैं और उन्हे पूर्णरूप से पुनः बसा दिया गया है। मेरे मित्र मुझ पर आक्षेप करते हैं क्यों कि मैं हिंदू महासभा का प्रधान हूं। हिंदू महासभा ने कभी भी धर्म के आधार पर देश के एक नागरिक और दूसरे नागरिक के बीच भेद भाव किये जाने की मांग नहीं की है। हम यही कहते हैं कि यदि किसी की राष्ट्र विरोधी भावनाए बढ़ रही हों तो उस पर नियंत्रण किया जाना चाहिये परन्तु हमने कभी हिन्दुओं के लिये किन्हीं विशेष अधिकारों की मांग नहीं की। मैं जो कुछ कहना चाहता हूं वह यह है कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने कहा है कि कुछ परित्राण दिये जायें और पश्चिम बंगाल की ओर से इस प्रकार का आश्वासन दिया जाना चाहिये कि इस इलाके में कोई शरणार्थी नहीं बसाये जाने चाहियें और उनकी संस्कृति संस्थाओं की रक्षा की जानी चाहिये। सरकार ने यह आश्वासन दिया है। ऐसा करना जरूरी नहीं था परन्तु डा० बी० सी० राय ने आश्वासन दे दिया है और कहा है कि यह प्रश्न तो उत्पन्न ही नहीं होता कि पूर्वी बंगाल के लाखों शरणार्थी वहां बसाऐं जाये क्योंकि वहां तो पहले से ही काफी घनी आबादी है। डा० कुंजरू और डा० पणिक्कर ने मुसलमानों के प्रति अन्याय नहीं किया था। मुसलमानों के प्रति प्रेम एक नयी चीज है जो बिहार में पैदा हुई है परन्तु एक समय हमारे प्रधान मंत्री को इन्हीं मुसलमानों के कारण बिहार के विरूद्ध कुछ कड़ी बातें कहनी पड़ी थी। तब उन्होंने कहा था कि बिहार में जो कुछ हुआ था उसके मुकाबले मे नोआखली की घटनांए कुछ भी नहीं थी। वही व्यक्ति आज भी मुख्य मंत्री है। इसलिये मैं सदन के सभी वर्गों से यह निवेदन करूंगा कि इस प्रकार का साम्प्रदायिक झगड़ा खड़ा नहीं किया जाना चाहिये सत्य तो यह है कि पश्चिम बंगाल से आने वाले प्रसिध्द मुस्लिम नेताओं ने इस माँग का समर्थन किया हैं कि किशनगंज पश्चिम बंगाल में मिलाया जाना चाहिये। और एसा करना पाकिस्तान से अपनी सीमा की सुरक्षा के लिये भी जरूरी हैं। जब तक ऐसा नहीं किया जाता है वहां प्रतिक्षण हो रहे अवैध चौर्थ व्यापार को बन्द नहीं किया जा सकता है। इसलिये हमारी मांग में किसी प्रकार की कोई बुराई नहीं, और न वह किसी उद्देश्य से प्रेरित हो कर की जा रही है। हम चाहते हैं कि बिहार उन्नति करे और जहां अन्याय हुआ है वहां न्याय किया जाये। हमारे साथ भी वैसा ही अनुचित व्यवहार हुआ है जिस प्रकार का महाराष्ट्र के साथ हुआ है। बंगाल का मजाक मत उड़ाईये और एक उच्च दृष्टिकोण को अपनाईये।

बिहार विधान सभा में बड़े आश्चर्यजनक भाषण दिये गये हैं। एक ने कहा कि बंगाल को समाप्त ही कर दिया जाये। दूसरा एक भाग, जो संभवतः सबसे बड़ा है बिहार को दे दिया जाये और दूसरा भाग आसाम को। उन्होंने कलकत्ता को केन्द्रीय नियंत्रण में रखे जानें की मांग की है। यह दृष्टिकोण ठीक नहीं है। इससे किसी को लाभ नहीं होगा और हम एक दूसरे के निकट नहीं आ सकेंगे। बंगाल में हजारों बिहारी हैं और वहां विलय के विरूद्ध भारी आन्दोलन चला परन्तु कहीं भी किसी गैर बंगाली के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया गया।

†**डा० राम सुभग सिंह** (शाह बाद–दक्षिण) : यह गलत है।

†**श्री नि० चं० चटर्जी** : ऐसी एक भी शिकायत नहीं है जिसकी ओर मुख्य मंत्री अथवा सरकार का ध्यान दिलाया गया हो।

†**डा० राम सुभग सिंह** : सुनेगा कौन ?

†**श्री नि० च० चटर्जी** : यह कहना गलत है कि सुनेगा कौन। बिहार विधान सभा के इतने उत्तेजनात्मक भाषणों के बावजूद बंगाल भर में किसी गैर बंगाली के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया गया है। अंग्रेजों ने बंगाल के साथ जबरदस्ती जो अन्याय किया था, उसे दूर करने का आश्वासन आपके बजुर्गो ने हमें दिया था और यह तो उसका मामूली भाग है। अब आप के हाथ में सत्ता है, आप आम जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, आप बंगाल को दिये हुए उस वचन को पूरा कर सकते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

पंडित द्वा० ना० तिवारी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पूर्ववक्ता ने अभी बड़ी ललित भाषा में और बहुत गर्जना के साथ अपना भाषण दिया है, लेकिन क्योंकि उस भाषण में तथ्य की बातें की कमी थी, इसलिये लोगों को उससे कनविक्शन (प्रमाण) नहीं हो सकती है। मैं आप को यह बतलाना चाहता हूं कि इस विषय में असल बात क्या है। गत बैठक में जब इस सदन में स्टेट्स री-आर्गनाईजेशन कमीशन (राज्य पुनर्गठन आयोग) की रिपोर्ट के सम्बन्ध में बहस चल रही थी, तो जो दलीलें उस वक्त दी गयी थीं, वह आज भी दी जा रहीं हैं। जहां तक मेरा सम्बन्ध है, मैंने उस वक्त भी कहा था कि मैं हिन्दुस्तान में राज्यों का बटवारा नहीं चाहता हूं। मैं तो उस मत को मानने वाला हूं कि हिन्दुस्तान में एक यूनिटरी फार्म आफ गवर्नमेंट (एकीय प्रकार की सरकार) ही मौजूद है और छोटे छोटे राज्य बना कर छोटे छोटे टुकड़े करके हम लोग जो शासन व्यवस्था चला रहे हैं वह इस देश के लिये कभीभी फायदेमंद नहीं हो सकती है। पिछले छः महीने में हिन्दुस्तान में जो समां बंधा है, जो स्थिति पैदा हुई है, उसको देखकर तो मेरा यह विश्वास और भी दृढ़ हो गया है कि हिन्दुस्तान में केवल एक यूनिटरी फ़ार्म आफ गवर्नमेंट (एकीय प्रकार की सरकार) ही होनी चाहिये। लेकिन हमारे जो भाई यह चाहते हैं कि नहीं, हम केवल भाषा के आधार पर प्रान्त बनाना चाहते हैं उनको मैं क्या बताऊ ? अध्यक्ष महोदय, आप ने देखा होगा कि भाषा के आधार पर प्रान्त बनाने के आन्दोलन में कितने लोगों की जानें गई, कितने उपद्रव हुए, कितने लोग तबाह हो गये। लेकिन फिर भी सैपेरेटिस्ट (पृथकता) मनो वृत्ति दिन व दिन बढ़ती ही जा रही हैं।

अगर किसी कारण से हम यहां पर यूनिटरी फ़ार्म आफ गवर्नमेंट कायम नहीं कर सकते तो उसका विकल्प यह था कि हम प्रधान मंत्री के रीजनल फ़ारमूले (प्रादेशिक सूत्र) को कार्यान्वित करते। हिन्दुस्तान की वर्तमान परिस्थिति में वह भी किसी हद तक अच्छा था, लेकिन हम तो उससे, भी बहुत नीचे जा रहा हैं। ऐसी अवस्था में हम को सोचना होगा कि हमें क्या करना चाहिये। हम लोगों को बड़ी खुशी हुई थी जब कि गत जनवरी में डा०विधान चन्द्र राय और श्री श्रीकृष्ण सिंह ने बंगाल और बिहार के मर्जर का प्रस्ताव देश के सामनें रखा था। सब को ज्ञात है कि उसकी घोषणा मात्र से देश में प्रसन्नता और शान्ति की एक लहर सी दौड़ गई थी और पागलपन की बातों में बहुत कमी हो गई थी। लेकिन दुर्भाग्यवश यह प्रस्ताव बाद में वापिस ले लिया गया। उचित तो यह था कि अगर किसी वजह से वह प्रस्ताव वापस लिया ही जाना था, तो कम से कम भलमनसत के नाते एटीकेट के नाते—बिहार के चीफ मिनिस्टर से उस सम्बन्ध में सलाह ली जाती, लेकिन उस समय बंगाल के चीफ मिनिस्टर (मुख्य मंत्री) ने एक यूनिलेट्रल (एक पक्षीय घोषणा कर) दी और बिहार के चीफ मिनिस्टर (मुख्य मंत्री) से कोई सलाह नहीं ली गई। मैं समझता था कि उस प्रोपोजल (प्रस्थापना) के बाद भारत सरकार का दृष्टिकोण यह होगा कि अब हमको न्याय करना जरूरी हो गया है और हम न्याय करेंगे, न कि किसी प्रान्त को खुश करने के लिये कोई काम करेंगे इस समय मैं उन बातों का उल्लेख नहीं करना चाहता हूं जिन पर हमारे चटर्जी साहबको एतराज हो मैं यह भी कहना नहीं चाहता कि बटवारे से बंगाल को फायदा हुआ। मैं मानता हूं कि उसको आर्थिक फायदा भले ही हुआ हो, लेकिन दिल में जो दर्द पैदा होता है, उसको मिटाने वाली कोई चीज नहीं हो सकती है। मैं मानता हूं कि बंगाल के दिल में चोट लगी, लेकिन क्या चटर्जी साहब बता सकते हैं कि क्या बिहार का कुछ हिस्सा लेने से ही बंगाल के दिल का वह दर्द मिट जायेगा ? क्या वह समझते हैं कि बंगाल की समस्या बिहार का कुछ हिस्सा लेने से ही हल हो जायेगी ?

श्री भागवत झा आजाद : बाद में और लेंगे।

पंडित द्वा० ना० तिवारी : हमारे भाई ने कहा है कि अभी वे और लेंगे। जुलाई में वहाँ जो चर्चा हुई अगर उसको गौर से पढ़ा जाये, तो मालूम होगा कि उनकी समझ में तो यह पहली इन्स्टालमेंट (किश्त) है, जो कि बिहार से ली जा रही है। उन्होंने ओपनली कहा है कि यह पहली इन्स्टालमेंट है, इस को हम स्वीकार करते हैं और इसके बाद हमारी मांग बनी रहेगी और हमारा प्रेशर बना रहेगा।

इन बातो को दृष्टि में रख कर मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि आखिर यह बिल किस के फायदे के लिये यहां पर लाया गया है ? इससे न बंगाल ही सन्तुष्ट है और न बिहार । तो फिर इस को यहां लाने की क्या आवश्यकता है ? जिस को आप कुछ दे रहे है (अर्थात बंगाल), वह भी संतुष्ट नहीं हो रहा है और जिससे आप कुछ ले रहे हैं अर्थात बिहार, वह भी दुखी हो रहा है, तो फिर क्यों न इसको वापिस ले लिया जाये ? मैंने इस विषय पर हुई बंगाल असेम्बली की प्रोसीडिंग्ज (कार्यवाही) को देखा है। मैं वहां के एक सदस्य के भाषण के बारे में आप को बताना चाहता हूं । मैं बिहार असेम्बली की प्रोसीडिंग्ज की बात नहीं कह रहा हूं । आप समझते होगें कि चूंकि बिहार वालों से कुछ लिया जा रहा है, इसलिये वे कुछ बोलेंगे । मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि आप बंगाल असेम्बली और कौंसिल की प्रोसीडिंग्ज पढ़िये । वहां पर एक सदस्य, श्री रवीन्द्र लाल सिन्हा, ने भी भाषण दिया था ।

किशनगंज बंगाल में क्यों लिया जा रहा है । इस के सम्बन्ध में उन्होंने कहा था कि वहां भाषा की बात नहीं है ।

इस सम्बन्ध में उन्होंने कहा था कि जहां तक किशनगंज का सम्बन्ध है वे बंगाली नहीं बोलते वे बंगाली मिश्रित हिन्दी बोलते हैं । इस के साथ संथाल परगना में बंगाली बोलने वालों की अधिक संख्या नहीं है। राजमहल में बंगाली भाषा भाषी केवल १६प्रतिशत है और पाकुर में १३ प्रतिशत है । डालभूम में एक तिहाई जनसंख्या बंगाली भाषा भाषी है । उन्होंने बतलाया कि यह एरिया बंगाली (भाषा भाषी) स्पीकिंग है नहीं । कुछ ऐसे लोग हैं जो बिहार का अधिक हिस्सा लेना चाहते हैं । उन्होंनें यह दलील दी थी कि डालभूम का और मानभूम का हिस्सा ले लें और संथाल परगना का भी हिस्सा लेलें । मुकर्जी साहब ने भी कहा कि मानभूम का जो बंगाली स्पीकिंग हिस्सा है वह लेलें वह कहते हैं कि चांडल थाने को क्यों छोड़ दिया जाता है । उनको इस का बहुत दुख है । वह सेंसस पर विश्वास नहीं करते । वह समझते है कि बिहार सरकार ने सेंसस में गड़बड़ी की है । हम तो कहते हैं कि आप किसी भी सेंसस को न मानिये । जहां भी संदेह हो जाय उसको दूर कर देना चाहिये। आप इस एरिया वालों की वोट ले लीजिये, प्लेबिसाइट (जनमत) ले लीजिये । लेकिन जब यह बात कही जाती है तो वे घबरा जाते हैं। किसी जमानें में जब बिहार बंगाल के अधीन था तो इंडस्ट्रियल बेंट होने के कारण बहुत से बंगाली आकर धनबाद में बस गये । वे अधिक पढ़े लिखे भी थे । बिहार पिछडा हुआ था । उन लोगों ने धानबाद में बंगला स्कूल खोले और जो लोग हिन्दी बोलने वाले थे उनको भी बंगला भाषा पढ़नी पड़ती थी । उस समय बंगाल वालों का बोलबाला था, सेक्रेटेरियट में एक भी बिहारी अफसर नहीं था । बिहार के बंगाल से अलग होने पर भी कई वर्ष तक बंगाली बिहार सेक्रेटेरियट में छाए रहे । इसलिये कहा जाता रहा कि वहां बंगाली भाषा बोलने वाले बहुत ज्यादा हैं । जब सेंसस की गई तो मालूम हुआ कि ऐसी बात नहीं है। बिहार गवर्नमेंट ने जो सेंसस कराई उससे मालूम हुआ कि वहां पर बंगला बोलने वाले ५२ परसेंट हैं, पर उसमें गिनती की गलती हो गयी थी । फिर जब गवर्नमेंट आफ इंडिया ने फिर से स्लिपों को गिनवाया तो मालूम हुआ कि बंगाली स्पीकिंग पापुलेशन ३० पर सेंट है और हिन्दी स्पीकिंग ओवर ५० परसेंट है । लेकिन अगर वह इसको नहीं मानते हैं तो दूसरा उपाय क्या है ? आप कोई एक सिद्धांत ले लीजिये और उसके अनुसार फैसला किया जाये । अगर आप भाषा को आधार नहीं मानना चाहते हैं तो एडमिनिसट्रेटिव कनवीनिएंस (प्रशासनिक सुविधा) को ही आधार मान लीजिये, और उस आधार पर विभाजन कर लीजिये । और अगर आप यह भी नहीं मानते हैं तो वोट ले लीजिये । जहां लोग जाना चाहते हों उनको वहां जाने दीजिये । लेकिन आप एक ही बेथ में हाट और कोल्ड दोनो नहीं ब्लो (एक साथ दो विरोधी बातें करना) कर सकते । मैं कहता हूं कि मानभूम और पुरुलिया में आप वोट लेलें और अगर ३० या ४० परसेंट भी बंगाल में जाना चाहते हों तो आप वह हिस्सा बंगाल को दे दीजिये । मैं मैजारिटी की बात नहीं कहता । किशनगंज में अगर २० या २५ परसेंट भी बंगाल में जाना चाहें तो उनको आप बंगाल को दे दीजिये हमको कोई ऐतराज नही होगा । लेकिन आप ऐसा करना नहीं चाहते । सन् १९५१ के सेंसस को आप माना नहीं चाहते और फिर भी कहते हैं कि बंगाली स्पीकिंग लोग मैजारिटी में हैं और इस बात पर आप बहुत गला फाड़ते हैं । मैं तो कहता हूं कि

[पंडित द्वा० ना० तिवारी]

हम दोनों मिलकर हिन्दुस्तान की सरकार से कहें कि इस बिल को वापस ले लिया जाये। और हम प्लेबीसाईट कर लें और जो जो लोग आपके साथ जाना चाहते हों उन एरियाज़ को आप लेलें हमें कोई ऐतराज नहीं होगा। लेकिन आप इसके लिये तैयार नहीं हैं। हमतो कहते हैं कि जो भी न्याय की बात हो उसे आप करलें।

चटर्जी साहब ने कहा और हमारे मित्रा साहब ने भी कहा कि कलकत्ता में हिन्दी जानने वालो के लिये हिन्दी में शिक्षा देने का प्रबन्ध है। इस सम्बन्ध में जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने बिहार असेम्बली में कहा था उनकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। वी०सी० राय साहब ने और दूसरे लोगों ने कहा था कि बिहार में बंगला भाषा पढ़ाने का कोई इन्तिजाम नहीं है। इस पर हमारे चीफ मिनिस्टर ने डा० राय से कहा था कि वे जिस तरह से चाहें इस बात की जांच करलें। बंगाल के डी० पी० आई० ने हमारे यहां आकर इस बात की जांच की थी। इस बारे में बिहार के चीफ मिनिस्टर साहब कहते हैं कि मेरी अनुमति पर पश्चिम बंगाल के शिक्षा के डायरेक्टर ने बिहार में बंगाली भाषा भाषी के लिये उनकी मातृ भाषा में शिक्षा देने की सुविधाओं के सम्बन्ध में पूछ ताछ की। डा० बी० सी० राय ने एक सार्वजनिक वक्तब्य दिया बंगालियों को यह सुविधा दी जा रही है। इसके बाद दूसरी बात कह रहे हैं कि मैं गत वर्ष भर डा० बी० सी० राय का ध्यान कतिपय कार्यकर्ताओं की ओर दिलाता रहा हूं कि बंगाल में हिन्दी भाषा से अन्याय हो रहा है। परन्तु उनसे कोई उत्तर नहीं मिला। तो आप देखें कि जहां तक बिहार का सवाल है, बिहार में बंगला भाषा के लिये यह प्रबन्ध है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखे कि हमारे चीफ मिनिस्टर को उनके पत्र का उत्तर तक नहीं मिला है।

श्री म० कु० मैत्र : डा० सिन्हा के वक्तव्य में स्पष्ट कहा गया है कि उन्हें डा० राय का उत्तर नहीं मिला। उत्तर मिलने पर आपको पता लगेगा कि सुविधा के प्रबन्ध किये गये हैं।

पंडित द्वा० ना० तिवारी : एक वर्ष से कोई उत्तर नहीं मिला, मैं यह बतलाना चाहता हूं कि अगर बंगाल से शिकायत आती है तो हमारे यहां तीन महीने में एन्कवायरी (जांच) हो जाती है और हमारे चीफ मिनिस्टर स्टेटमेंट निकाल देते हैं। लेकिन जब हमारे चीफ मिनिस्टर नें लिखा तो एक साल तक कोई जवाब ही नहीं आया। इसका मतलब तो यह है कि हमारा चार्ज ठीक है और कोई जवाब उनके पास नहीं है।

हम लोगों को बंगाली भाषा के लिये कम चिंता नहीं है। हम चाहते हैं कि जिसकी जो भाषा हो उसमें उसको शिक्षा मिले। लेकिन यह चीज बार्डर एरिया में लागू नहीं हो सकती। वहां एक भाषा बोलने वालो का एक परसेंटेज नहीं रह सकता, वह कम और ज्यादा होता रहेगा। अगर एक प्रदेश के ज्यादा लोग वहां आ गये तो उनका परसेंटेज (प्रतिशत) बढ़ जायेगा और दूसरों का कम हो जायेगा। लेकिन जो भाषा के आधार पर प्रदेश का कुछ हिस्सा लेना चाहते हैं वे कहते हैं कि अगर हमारा परसेंटेज (प्रतिशत) ३० है तो भी उसको ६० मान लिया जाये।

मानभूम में बिहारी लोग गरीब हैं और बंगाली लोग धनिक हैं और अधिक पढ़े लिखे लोग हैं और उनकी पहुंच दूर दूर तक है और वे अपनी बात को अखबारों के जरिये दूर दूर तक पहुंचा देते हैं जब कि बिहार के गरीब और अपढ़लोग चुप रहना चाहते हैं और वे नही जानते कि कैसे प्रोटेस्ट (विरोध) करें और यही कारण है कि बिहार का केस जिस तरह पबलिक और सरकार के सामने रखा जाना चाहिये वह नहीं रखा जाता है। बिहार के लोग अपनी बात को मनवाने के लिये प्रोपेगंडा नहीं करते हैं और मीटिंग्स (बैठकें) आर्गेनाईज (संगठित) नहीं करते हैं जब कि इसके विरूद्ध बंगाली लोग अपनीं मांग के लिये काफी प्रदर्शन, प्रोपेगेंडा इत्यादि करते हैं और प्रेस के जरिये भी अपनी आवाज उठाते हैं और उसका नतीजा यह देख रहे हैं कि बिहार का केस जिस तरह रखा जाना चाहिये था नहीं रखा गया और भारत सरकार बिहार के कुछ इलाके उसके पास से लेकर बंगाल को दे रही है। चूंकि बिहार के पास प्रेस का साधन नहीं है इसलिये उनका प्रोपेगेंडा नहीं हो पाता है।

मुझे अब सदन का और अधिक समय नहीं लेना है। मैं पहले भी चाहता था कि देश अलग अलग स्टेट्स में न बंटे बल्कि हिन्दुस्तान में केवल एक केन्द्रीय सरकार रहे और यहीं से ही सारे देश का शासन कार्य चलाया जाये। जो लिंग्वस्टिक बेसिस (भाषा के आधार) पर राज्य बनायें जायें वहां का शासन ऐडवाईजरी कमेटीज (परामर्शदात्री समितियां) के जरिये चलाया जाये और जब इस तरह की व्यवस्था हम करेंगे तभी हमारा सारा काम ठीक तरीके से चलेगा और देश उन्नति करेगा। लेकिन आज जब यह नहीं हो रहा है तो बिहार के साथ अन्याय नहीं होना चाहिये और मैं मंत्री महोदय से फिर कहूंगा कि आप यह जो बिल सदन के सामने लाये हैं यह बिहार वालों को मंजूर नहीं है और साथ ही बंगाल के लोग भी इससे संतुष्ट होने वाले नहीं है क्यों कि उन्होंने असेम्बली में कहा है कि यह तो मेरा पहला इंस्टालमेंट है और इसके मिलने के बाद मैं और अधिक की मांग करूंगा। तो जहां इस तरह की साम्राज्यवादी मनोवृत्ति काम कर रही हो वहां आपके लिये यह उचित नहीं होगा कि आप वह कार्य करें जिससे कि उनको भी संतोष न हो और साथ ही बिहार वालों के साथ अन्याय हो। जो भाई हमारे सेलेक्ट कमेटी में जा रहे हैं उनसे मैं कहूंगा कि इस बिल को खत्म करें और उसको लागू करने से पहले वहां के लोगों की राय लेलें और यदि वे जाना चाहते हो तो इस बिल को अमल में लायें लेकिन अगर उन इलाकों के लोग बंगाल में न मिलना चाहें तो जबर्दस्ती उनको उधर न धकेला जाये।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री चेतन मांझी, केवल उन्हीं माननीय सदस्यों को बुलाया जायेगा जो अपने स्थान पर खड़े हो जायेंगे। मैं उन सदस्यों को नही बुला पाया जो संयुक्त समिति के सदस्य नहीं हैं।

†**श्री बर्मन** (उत्तर बंगाल-रक्षित अनूसूचित जातियां) : प्रार्थना है कि मैं समिति का सदस्य हूं। ऐसे सदस्यों को अनुमति दी गई थी।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : कुछ तबदीली की गई है, परन्तु कुछ ऐसे सदस्यों को अवसर मिलना चाहिये जो समिति के सदस्य नहीं हैं।

†**श्री जयपाल सिंह** : ऐसे सदस्यों को जिन पर इसका प्रभाव पड़ता है, केवल संयुक्त समिति का सदस्य होने के कारण ही वंचित नहीं किया जाना चाहिये।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : उन्हें भी बुलाया जायेगा। श्री चेतन माझी, माननीय सदस्य अपने भाषण का अंग्रेजी अनुवाद कार्यालय में भेज दें ताकि उसे कार्यवाही में शामिल कर लिया जाये।

†**श्री चेतन माझी** (मानभूम दक्षिण व धालभूम रक्षित—अनूसूचित आदिम जातियां*): यह निश्चय किया गया है कि बिहार पश्चिम बंगाल (राज्य क्षेत्रों का हस्तांतरण) विधेयक को संयुक्त समिति को निर्दिष्ट किया जाये जो इस उद्देश्य के लिये नियुक्त की जा चुकी है। इसलिये मेरा विचार है कि संयुक्त समिति पर बहुत जटिल मामलों को सुलझाने की जिम्मेदारी आ पड़ी है। इसे ऐसा दृष्टि-कोण अपनाना है जिससे कि जिन लोगों को भाषाई मांग पूरी नहीं की जा सकी है उनमें आशा का संचार हो। संयुक्त समिति को प्रत्येक विचारधारा और प्रतिक्रिया का ज्ञान होना चाहिये ताकि इस समय इस विधेयक के सम्बन्ध में जो सुझाव दिये जायें उनके आधार पर इसमें सुधार किया जा सके। इसी आशा से सबसे पहले मैं अपने विचार और प्रतिक्रियायें प्रकट करता हूं और आशा करता हूं कि संयुक्त समिति उन पर ध्यान पूर्वक विचार करेगी। यद्यपि इस विधेयक में बंगाल के साथ न्याय करने के सम्बन्ध में कोई विशेष सफलता नहीं मिली है, फिर भी मुझे प्रसन्नता है कि विधेयक का प्रस्तुत किया जाना भी उन शक्तियों के विरूद्ध भारी विजय है जो जनता को उसके राष्ट्रीय अधिकारों और प्रगतिशील भविष्य से वंचित रखना चाहती थी।

---

*मूल बंगाली भाषण का अनुवाद।

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री चेतन माझी]

मुझे प्रसन्नता है कि इस विधेयक से सत्तारूढ़ दल की शुभ भावनाएं भी प्रकट होती हैं। परन्तु साथ ही मुझे खेद है कि उन बंगाली भाषी क्षेत्रों को बंगाल में सम्मिलित नहीं किया गया है जिनका कि उससे स्वाभाविक सम्बन्ध है। मुझे राज्य पुनर्गठन आयोग की असफलता पर भी खेद है, उससे हमारी राष्ट्रीय बुद्धि की भारी हार हुई है।

सब से अधिक मुझे इस बात का खेद है कि हमारा सर्वोच्चय न्यायाधिकरण भी राज्य पुनर्गठन आयोग की कमियों को दूर नहीं कर सका है और जटिल मामलों को और अधिक जटिल होने से नहीं बचा सका है क्योंकि यह सर्वोच्च प्रशासनिक संस्था हमारे जीवन को पूर्ण रूप से नये ढ़ंग में ढालनें वाली भावना को विधेयक में नहीं भर सकी है, इसलिये संयुक्त समिति को यह कर्त्तव्य पालन करना है। मैं भी समय के अनुसार अपने सुझाव प्रस्तुत करने का प्रयत्न करूंगा। मुझे पता है कि यह विधेयक इस विचार से प्रस्तुत किया गया है इसे आने वाले चुनावों से पूर्वही अन्तिम रूप दे दिया जाये। इसलिये शायद कुछ सुझावों को समयाभाव तथा दूसरे कारणों से स्वीकार न किया जाये।

इसलिये मैं सीधी ही बात कहता हूं कि विधेयक में इस प्रकार की व्यवस्था की जाये कि जो इलाके बंगला भाषा भाषी हैं और जिन्होंने प्रत्येक प्रकार से अपने आप को बंगाली सिद्ध कर दिया है उन्हें पश्चिम बंगाल में सम्मिलित किये जानेकी सिफारिश कर दी जाये और इस विधेयक के पास हो जाने पर संसद में एक और नये विधेयक द्वारा ऐसे इलाकों को छः मास में बिहार से पश्चिम बंगाल को हस्तांतरित करने की व्यवस्था की जाये। यह मांग भाषाई सिद्धांत पर आधारित है।

यह इलाके वह हैं जिन्हें मैं नये विधेयक द्वारा बंगाल को हस्तांतरित किये जाने का प्रस्ताव कर रहा हूं।

(१) मानभूम जिले का समूचा धनबाद सब-डीविजन;

(२) सिंह भूम जिले का समूचा घालभूम सब-डीविजन;

(३) जमात्रा सब-डीविजन, पकौर सब-डीविजन, राज महल सब-डीविजन (साहबगंज थाना को छोड़कर), दुमका सब-डीविजन का दक्षिणी दुमका और संथाल परगना जिले के कोरो तल्लुके का देव घर सब-डीविजन; और

(४) पूर्णिया जिले का महानंदा और वर्तमान मेची नदी के, जो कि महानंदा का पुराना रास्ता था, पूर्व का भाग।

पुरूलिया सब-डीविजन के दो थाने चन्डिल चास और पटम्दा भी बलात् बिहार में सम्मिलित कर लिये गये हैं। इन सब के सम्बन्ध में विशेष रूप से संयुक्त समिति ने सोचना है। मैं एक और राष्ट्रीय महत्व के प्रश्न की ओर संयुक्त समिति का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। यह प्रश्न जन संख्या सम्बन्धी आंकड़ों के सम्बन्ध में है जिसके आधार पर पुनर्गठन हो रहा है। इस सम्बन्ध में मेरा विचार ह कि इनका पूरा ध्यान रखा जाना चाहिये, विशेषकर उन आंकड़ों का जो कि सरकारी साधनों द्वारा एकत्रित किये जाते हैं। किसी स्वतंत्र देश में इस सम्बन्ध में कोई भूल करने वालेको कठोर दंड दिया जाना चाहिये। मुझे खेद है कि स्वार्थी लोग गलत रूप से जनसंख्या के आंकड़ों को परिवर्तन करने का प्रयत्न करते हैं और इस सम्बन्ध में बार बार शिकायत किये जाने पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। हमने कई बार आरोप लगाया है कि १९५१ के बंगला भाषा भाषी इलाके की जनगणना के आंकड़े गलत है, परन्तु इस सम्बन्ध में कोई जांच नहीं की गई है और इस प्रकार का राष्ट्रीय पाप करने वालों को कोई सजा नहीं दी गई है और राष्ट्रविरोधी कार्य करने वाले आज भी बिना किसी भय और नियंत्रण के अपना कार्य कर रहे हैं। अभी हाल ही मे जनगणना अधिकारियों की ओर से प्रकाशित एक पुस्तिका में, बर्दमान जिले के ग्राम जितन के सम्बन्ध में जो कि श्री मजहरि महाता, संसद सदस्य का गांव है में यह लिखा हुआ है कि वहां हिन्दी भाषा भाषी लोगो की संख्या

३०० है और मैं इस बात की चुनौती दे सकता हूं कि वहां एक भी हिन्दी भाषी व्यक्ति नहीं है। इसलिये मेरी संयुक्त समिति से प्रार्थना है कि उसे ऐसे कदम उठाने चाहिये जिससे कि तथ्यों का यह भ्रष्टाचार समाप्त हो और १९५१ की जनगणना के सम्बन्ध में चल रहा मतभेद समाप्त हो। इन इलाकों के सम्बन्ध में ठीक स्थिति को जानना कोई कठिन कार्य नहीं है जनगणना का पुराना रिकार्ड और वर्तमान स्थिति का अध्ययन कर के सभी हालात का पता चल सकता है।

अब, चास, चांडिल और पटम्दा के मामलों को लेता हूं। चास को आयोग ने गलत भौगोलिक आधार पर पुरूलिया सब-डीविजन से काट दिया है। राज्य पुनर्गठन आयोग की राय थी कि धनबाद और पुरूलिया सब-डीविजन दामोदर नदी के कारण अलग अलग इकाई है। परन्तु चास को पुरूलिया से इसलिये काट दिया क्योंकि वह धनबाद का संस्पर्शी है यह बात भुला दी गयी कि पुरूलिया और धनबाद की भाँति यहां भी दामोदर नदी इन दोनों को विभाजित करती है।

चास हिन्दी भाषा भाषी इलाका नहीं है और यह सिद्ध किया जा चुका है। परन्तु १९५१ की जनगणना के आधार पर आयोग ने इसे हिन्दी भाषा भाषी माना है यद्यपि जनगणना के आंकडों को सभी वर्गों द्वारा चुनौती दी जा चुकी थी। इस प्रकार चास की जनता के प्रति अन्याय हुआ है और उन्हें इस प्रशासनिक इकाई से काट दिया गया है जिसके साथ कि उनकी संस्कृतिक और भाषाई भावनाए जुड़ी हुई हैं।

चांडिल थाना और पटम्दा के मामलों को लीजिये। आयोग ने तो इसे पश्चिम बंगाल में रखे जाने की सिफारिश की है परन्तु भारत सरकार ने ऐसा नहीं होने दिया और इसका कोई कारण नहीं बताया गया। केवल यह कहा गया कि टाटा कम्पनी की जल परियोजना को सुविधा प्रदान करने के लिये ऐसा किया गया था। परन्तु लाखों लोगों के प्रशासनिक और सांस्कृतिक जीवन से सम्बन्धित मामलों को इस प्रकार हल करना ठीक नहीं है। राष्ट्रीय महत्व के पुनर्गठन के मामले में सौदा बाजी नहीं होनी चाहिये और वह भी एक निजी कम्पनी के हित के लिये। यह खतरनाक और बुरा उदाहरण है और इसका कोई औचित्य भी नहीं है। इस आधार पर किसी इकाई को नष्ट करना अनुचित और खतरनाक है। चांडिल और पटम्दा सुवर्णरेखा नदी के कारण पुरूलिया की प्राकृतिक सीमाएं हैं।

यदि चांडिल और पाटम्दा का प्रशासकीय मुख्य कार्यालय दूर चैबस्सा में स्थानांतरित कर दिया गया तो, वहां के लोगों को प्रशासन सम्बन्धी कठिनाईयों का सामना करना पड़ेगा। मेरा निवेदन है कि प्रवर समिति को बड़ी गहराई से इन बातों पर विचार करके इस विधेयक में ही परिवर्तन करने का सुझाव देना चाहियें।

मैं प्रवर समिति का ध्यान बिहार विधान सभा में बिहार-पश्चिम बंगाल विधेयक पर हुई चर्चा के समय उठाई गई कुछ बातों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। वे अपने हित साधन के पीछे समूचे राष्ट्र के हित को भुला बैठे हैं। उनके वक्तव्य घृणा, विद्वेष और हिंसात्मक धमकियों से भरे पड़े हैं। सम्बन्धित सरकारों को उनके उत्तेजनात्मक भाषणों से स्थिति के बिगड़ जाने के प्रति सतर्क रहना चाहिये। उन क्षेत्रों की जनता अपनी एक सी भाषा का भाषावार प्रान्त बनानें की इच्छुक है और यदि भाषावार प्रान्त के निर्माण के लिये सिद्धांत के प्रतिकूल वहां कोई अन्य व्यवस्था की जायेगी तो उससे वहां की जनता को बड़ा धक्का लगेगा और इससे अवांछनीय परिणाम निकलेंगे।

बिहार के दावे का समर्थन करने वाले जनमत संग्रह की बातें करते हैं। यदि हम भाषावार प्रान्त बनाने के सिद्धान्त को स्वीकार करते हैं तो फिर जनमत संग्रह का प्रश्न ही नहीं उठता है। हम दो में से एक ही कार्य कर सकते हैं, —या तो सिद्धान्तों को मान कर उनके अनुसार चलें या फिर देश की समूची जनता को अपनी-अपनी राय व्यक्त करने का अवसर जुटाते रहें।

इसलिये, मैं चाहता हूं कि प्रवर समिति पूर्वी राज्यों के पुनर्गठन के मामले में भी भाषावाद के सिद्धांत को लागू करे। समिति को बिहार की बंगला भाषी जनता की कठिन स्थिति पर भी विचार करना चाहिये। बिहार सरकार उनके विरूद्ध प्रान्तीयता की भावनाओं को उभार रही है।

†**श्री जयपाल सिंह** : मैं इस समूचे विधेयक का विरोध करता हूं, इसलिये नहीं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश का पुनर्गठन नहीं होना चाहिये, बल्कि इस लिये कि यह पुनर्गठन करने का उचित समय नहीं है और पुनर्गठन की वर्तमान योजना गलत आधारों पर बनाई गई है।

जनमत संग्रह के प्रश्न में बड़े बड़े तर्क दिये गये हैं, लेकिन हम, जहां तक इस पुनर्गठन के प्रश्न का सम्बन्ध है, अभी सामान्य स्थिति में नहीं ह। चुनाव आ रहे ह और जनता अपना मत स्वंय प्रकट कर देगी। इस समस्या को अभी सरकार भी नहीं सुलझा सकती है।

मेरे विचार में तो राज्य पुनर्गठन आयोग का यह प्रतिवेदन 'बंगले में बैठ कर लिखी गये पर्यवेक्षण प्रतिवेदन' से अधिक कुछ नहीं है। आयोग सभी क्षेत्रों में स्वंय गया भी नहीं है। उस पर एक काम लाद दिया गया था, इसलिये उसने शीघ्रता से जैसा बन पड़ा उसे निबटा दिया है। जनता का सही सही प्रतिनिधित्व भी आयोग के सदस्यों के समक्ष नहीं आ सका है। तथ्यों की छान बीन करने और उनसे निष्कर्ष निकालने के लिये पर्याप्त समय भी उनके पास नहीं था। राष्ट्रीय हित में यही श्रेष्ठ है कि इस विधेयक को अभी कुछ समय के लिये स्थगित कर दिया जाये। आम चुनावों में आप मेरे ही क्षेत्र से खड़े हो कर इसी प्रश्न पर चुनाव लड़ लीजिये।

चूंकि बिहार के उत्तर और मानभूम के पूर्व में रहने वाली जनता में आपस में किसी प्रश्न पर विवाद चल रहा है, इसलिये चास की जनता को उसके लिये दण्डित किया जाये, यह तो कोई तर्क नहीं हुआ। लेकिन आज हो यही रहा है। कलकत्ते के समाचार पत्र समूचे देश पर छाये हुए हैं, लेकिन पटना के समाचार पत्रों में उतना सामर्थ्य नहीं है।

डा० बिधान चन्द्र राय नें दोनों राज्यों के संविलयन का विचार जनता के सामने रखते समय डा० श्री कृष्ण सिन्हा से परामर्श भी नहीं किया था। बिहार ने उदारता से काम लिया और उसका समर्थन कर दिया। मैंने भी उसका समर्थन किया था और आशा है कि किसी दिन एकीकृत पूर्वाचल प्रदेश का निर्माण भी होगा। लेकिन बिहार से परामर्श किये बिना ही उस पर इस योजना को क्यों थोपा जा रहा है। मुझे खेद है कि दूसरे पक्ष की नेताशाही जनता की भावनाओं का आदर नहीं करती है।

बंगाल के एक माननीय सदस्य ने कहा की पाकिस्तान की पूर्वी सीमा की सुरक्षा और सैनिक दृष्टि से उसकी उपयोगिता नष्ट हो जायेगी। यदि आप इसी तर्क को सभी राज्यों पर लागू करें तो हमें मूल राज्य पुनर्गठन विधेयक को ही रद्द कर देना पड़ेगा, क्योंकि उसमें भी विदेशी देशों के साथ हमारी सीमायें बनतीं हैं।

मैं इस समूचे तर्क की कड़ी निन्दा करता हूं कि पश्चिम बंगाल के लोग बिहार राज्य में अपने आप को अजनबी पाते हैं। कहा गया है कि पश्चिम बंगाल के उत्तरी भाग और शेष पश्चिम बंगाल में कोई भी निरंतर संस्पर्शिता नहीं है। मुझे भी पश्चिम बंगाल से होकर जाना पड़ता है, क्या मैं भी वहां अजनबी बन जाता हूं ? महानन्दा के पूर्व के प्रदेश को बिहार से निकाल कर आप और भी समस्यायें खड़ी कर देगें। क्या आप धनबाद से जमशेदपुर जानेके लिये भी एक गलियारा बनाने का विचार कर रहे हैं ?

मैं सदा से झारखंड राज्य के निर्माण के पक्ष में रहा हूं। वह तो एक दिन बन कर रहेगा ही। मैं यही कहना चाहता हूं कि इस देश की वर्तमान नेताशाही ने जनता द्वारा ब्यक्त की गई इच्छा को महत्व नहीं दिया है।

खेद की बात है कि पिछले आम चुनावों के समय यह प्रश्न जनता के सामने नहीं रखा गया था। लेकिन इस बार चास के उपचुनावमें जनता ने इसके सम्बन्ध में अपनी राय प्रकट कर दी है क्या दामोदर घाटी निगम धनबाद और रांची के बीचके क्षेत्र को विकसित नहीं कर सकता है? उसके लिये

---

†मूल अंग्रेजी में ।

पश्चिम बंगाल सरकार की क्या आवश्यकता है ? क्या उत्तर बिहार की नदियों का विकास करने के लिये बिहार को उत्तर प्रदेश भी इसलिये दे दिया जाये कि उन नदियों का उद्गम उत्तर प्रदेश में है ? यह तर्क तो हमें इसी ओर ले जाता है । वैसे देश में नदी घाटी परियोजनाओं का संगठन ही विभिन्न नदियों के विकास के कार्य को कर सकता है सरकार की ओर से यह सब कुछ डा० बिधान चन्द्र राय को खुश करने के लिये किया जा रहा है। यदि यह वास्तव में राष्ट्रीय हित में किया जा रहा है, तो आप जनता के सामने जा कर उससे इसकी अनुमति लें। इससे उस प्रदेश की जनता में झगड़े फसाद ही बढ़ेगें । मैं मानता हूं कि देश के विभाजन के कारण बंगाल को भारी क्षति उठानीं पड़ी है और राष्ट्रीयता के लिये भी उसने सबसे अधिक त्याग किये हैं । लेकिन बंगालियों को बिहार की उस जनता के बारे में भी तो सोचना चाहिये, जिनके प्रदेश बिहार राज्य से काटे जायेंगे । यदि हमसे उदारता की आशा की जाती है, तो उन्हें भी तो उदारता से काम लेना चाहिये ।

मैं इसे अपना कर्त्तव्य समझता हूं कि संसद और देश को आगाह कर दूं कि इस समय बिहार की जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना ठीक नहीं है,पश्चिम बंगाल की वर्तमान नेताशाही के विचारों के आगे झुकना ठीक नहीं है। उड़ीसा भी बिहार के एक भाग की मांग कर रहा है । दूसरी ओर बिहार ने बड़े साहस के साथ संविलयन की योजना के लिये अपनी सहमति दे दी थी, लेकिन एक ही उपचुनाव का बहाना लेकर उसे त्याग दिया गया है ।

भाषा, संस्कृति या आर्थिक हित की दलीलें देना ठीक नहीं है, क्योंकि जनगणना के आंकड़ों पर पूरी तौर से विश्वास नहीं किया जा सकता है । जनगणना करने वाले जिस भाषा के होते हैं वे दूसरों को भी उसी भाषा को बोलने वालों में दिखा देते हैं । धलभूम के आदिवासियों के साथ यही हुआ है, उन्हें कभी बंगाली बताया गया है और कभी बिहारी, जब कि उनकी अपनी ही एक भाषा है इसलिये, भाषा का तर्क तो कोई अधिक महत्व नहीं रखता है । इस विवाद में भाषा के तर्क को सबसे अन्त में रखना ही श्रेयस्कर होगा ।

जहां तक आर्थिक दृष्टिकोण और सुविधा का सम्बन्ध है, मैं दामोदर घाटी योजना को ही फिर से अपने उत्तर के रूप में पेश करता हूं। हो सकता है कि बाद में कभी हम दोनों किसी योजना पर सहमत हो जायें, लेकिन अभी इस समय तो इस विधेयक को स्थगित ही किया जाना चाहिये ।

†**श्री बर्मन** : श्री विभूति मिश्र ने मुझसे यह स्पष्ट तौर पर बताने के लिये कहा है कि क्या मैं बिहार में जाना पसंद करूंगा । पता नहीं यह विचार उनके दिमाग में कहां से आया ।

बिहार और बंगाल द्वारा एक दूसरे पर कीचड़ उछालने से कोई लाभ नहीं होगा । वास्तविक स्थिति क्या है ?सन १९५१ में श्री राजगोपालाचारी ने कहा था कि इन दोनों की मानसिक स्थिति यह है कि सारा बंगाल तो कलकत्ते में और सारा बिहार बंगाल में प्रव्रजित होना चाहता है । ये दोनों राज्य आर्थिक रूप से ही नहीं, सामाजिक रूप से भी एक-दूसरे पर आश्रित हैं । बिहार की विधानसभा में जलपाईगुड़ी के बारे में भी कुछ विचार प्रकट किये गये थे । वे कहते हैं कि वहां कुछ लोग हिन्दी भाषी हैं इसलिये वे बिहार म रहना चाहिये । यदि ऐसा किया जाता है,तो फिर बंगाल की जनता की वहां आकर बसने वाले बिहारियों के बारे में क्या मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया होगी ? इसी आधार पर किसी भाग को बिहार से निकालना भी ठीक नहीं होगा। कुछ लोग हिन्दी या कुछ लोग बंगला बोलते हैं, इस आधार पर किसी भाग को निकाला या मिलाया नहीं जाना चाहिये। बंगाल के विधान मंडल नें इस विधेयक के उपबन्धों का समर्थन किया है और बिहार के उत्तरी भाग के सम्बन्ध में एक सुझाव भी दिया है ।

इस विधेयक में राज्य पुनर्गठन आयोग के इस प्रस्ताव को मान लिया गया है कि महानन्दा नदी के पूर्व में स्थित किशनगंज सब-डिवीजन को बंगाल को हस्तांतरित कर दिया जाना चाहिये । बंगाल की ओर से इसी सैद्धान्तिक आधार पर इसके उत्तरी भाग को भी बंगाल में मिलाये जाने की

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्री बर्मन]

मांग की गई है । इस विषय से सम्बन्धित विवरण हमें राज्य-पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन में मिल जायेंगे । यहां उनके विशद विवेचन की आवश्यकता नहीं है ।

लेकिन वर्तमान विधेयक के निर्माता और राज्य पुनर्गठन आयोग दोनो ही ने एक बात की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया है। राज्य पुनर्गठन आयोग और दर आयोग दोनों ही ने यह माना है कि संस्पर्शिता होना आवश्यक है। बिहार के मुख्य मंत्री ने बताया है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के अनुसार बंगाल में मिलाये जाने वाले इस क्षेत्र और दार्जिलिंग जिले की दक्षिणी सीमा के बीच दस मील की पट्टी पडी हुई है । मैं उसके उत्तरी भाग की चर्चा कर रहा हूं। जब तक इस भाग को भी स्थानांतरित नहीं किया जाता है, तब तक संस्पर्शिता नहीं हो सकती । यह भाग कौन सा है ? यह भाग मेची नदी के पूर्व में है । वहां मेची लोग रहते थे । नदी को पहले मेचीमहानन्दा कहा जाता था और मुख्यमहानन्दा नदी अब मेची से दस मील दूर हट गई है। यह समूचा क्षेत्र १७० वर्गमील का है। इसी भाग को बंगाल को हस्तांतरित किया जाना चाहिये, तभी किशनगंज को हस्तांतरित करने का उद्देश्य पूरा हो सकेगा।

कहा गया है कि वहां की जनता को बंगाल में मिलाने के लिये, उनकी इच्छा के विरूद्ध, विवश कैसे किया जा सकता है ? मैं बता चुका हूं कि वह बंगला-भाषी क्षेत्र है । मेरे बिहारी मित्र कहते हैं कि वह उर्दू भाषी क्षेत्र है, और इसलिये बंगाल में नहीं मिलाया जाना चाहिये । राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन में इसका जो निर्णय किया गया है वह भाषा के आधार पर नहीं किया गया है । राज्य पुनर्गठन आयोग का मत यह है कि किशनगंजिया या सिरपुरिया बंगला भाषा से ही अधिक मिलती जुलती है और उसकी लिपि कैथी है । कोई आश्चर्यकी बात नहीं है क्योंकि बिहार ने १९१२ के पश्चात अपनी राज्य भाषा यहां लागू की थी परन्तु अब भी व हां दूसरी भाषा बोली जाती है इस छोटे से क्षेत्र के लिये बंगाली लिपी रखना कठिन है ।

वंगाल के मेरे एक माननीय मित्र श्री ही० ना० मुकर्जी ने कहा कि वह प्रशासनिक सुविधा और संस्पर्शिता के आधार पर किसी क्षेत्र की मांग नहीं करते हैं । उनके व्यक्तिगत विचार चाहे कुछ भी हों परन्तु आजतक जितने भी आयोग नियुक्त किये गये हैं उन सब का यही विचार था कि प्रशासनिक सुविधा के लिये किसी क्षेत्र की संस्पर्शिता अत्यन्त आवश्यक है । जब राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपना कार्य आरम्भ किया तो उसने भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित निर्देश पदों के आधार पर कुछ सिद्धान्त निर्धारित किये और मैं यह बात सिद्ध कर सकता हूं कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने पुरुलिया और किशनगंज के सम्बन्ध में उन सिद्धान्तो का पालन किया गया है, सम्भव है कि आयोग ने कहीं गलती की हो पर सामान्यतः उसने उन सिद्धान्तों का पालन ही किया है । यह कहना ठीक नहीं होगा कि प्रशासनिक सुविधा और संस्पर्शिता आवश्यक नहीं है । पर आयोग ने एक प्रान्त बनाने के लिये किसी क्षेत्र की भौगोलिक संस्पर्शिता और प्रशासनिक सुविधा को ही आवश्यक बताया था । दोनों आयोगों ने इन सिद्धांतोंको आवश्यक माना है ।

कंडिका २३४ में प्रशासनिक सुविधा की व्याख्या की गई है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने इन्हीं सिद्धातों के आधार पर यह निर्णय किया है कि यह क्षेत्र बंगाल में सम्मिलित किया जाये । भारत सरकार ने भी राज्य सरकारों और अन्य अभिरुचि रखने वाले दलों के मत पर विचार करके यही परिणाम निकाला है तो मेरी समझ में नहीं आता कि माननीय सदस्य इस आधार पर इस क्षेत्र को क्यों नहीं चाहते हैं । परन्तु केन्द्रीय सरकार और विभिन्न आयोगों की तुलना में एक सदस्य की राय अधिक महत्व नहीं रखती है । दक्षिणी भाग में भी पश्चिम बंगाल ने १७९ वर्ग मील क्षेत्र की मांग की है । इस सुझाव पर संयुक्त समिति में विचार किया जा सकता है ।

बिहार के मेरे मित्रों ने कई बार कहा है कि किसी क्षेत्र को दूसरे राज्य में मिलाने के लिये क्यों बाध्य किया जाता है । मैं सभा का ध्यान बिहार विधान सभा और विधान परिषद की कार्यवाहियों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । मैं मानता हूं कि पुरुलिया में आदिवासियों की जन संख्या अधिक

है, उनके विचारों पर इस सभा में अवश्य विचार किया जाना चाहिये । मैंने बिहार विधान सभा की कार्यवाहियों को पढ़ा है । श्री एस० के० बागे ने कहा कि उन्हें इस बात की चिन्ता नहीं है कि आदिवासी इस राज्य में रहते हैं या उस राज्य में रहते हैं । उनका यह विचार है कि यदि आदिवासी क्षेत्र बिहार, उड़ीसा, बंगाल और मध्य प्रदेश में बट जाते है तो अखंड झाड़खंड की सम्भावना समाप्त हो जायेगी । श्री भोला नाथ भगत को इस बात को आशंका है कि लाख का उद्योग नष्ट हो जायेगा क्योंकि यह कहा जाता है कि पश्चिम बंगाल सरकार लाख उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर लेगी । न जाने किसने ऐसी अफवाहें फैलाई है । उस क्षेत्र के दो आदिवासी सदस्य लोक सभा में अपने विचार प्रकट कर चुके हैं और जब यह जनश्रुति फैली थी कि बिहार इस क्षेत्र को अपने पास रखना चाहता था तो उस समय वे जेल जानें को भी तैयार थे । इससे आदिवासियों के विचार स्पष्ट रूप से जाने जा सकते हैं ।

किशनगंज के बारे में मेरे मुसलमान भाईयों को कोई डर नहीं होना चाहिये । वहां के माल्दा और मुर्शिदाबाद दो जिलों में मुसलमानों की जन संख्या अधिक है उन्हें किस बात का डर है ? बिहार विधान परिषद में सय्यद जाफर इमान ने कहा कि किशनगंज के निवासी बहुत डरे हुए हैं । दिनाजपुर, मालदा और जलपाईगुड़ी में लोगों को उनके घरों से निकाला जा रहा है और उनमें पाकिस्तान से आये लोग बसायें जा रहे हैं । किशनगंज के निवासियों को डर है कि कहीं उनके साथ भी ऐसा ही बर्ताव न हो । उन्होने यह भी कहा कि उनका डर ठीक ही था ।

रेडक्लिफ पंचाट में रुचि रखने वाले सदस्यों को ज्ञात होगा कि बिहार के इस भाग को बंगाल से मिलाने के लिये ही पाकिस्तान ने मालदा और मुर्शिदाबाद पर दावा नहीं किया था । दिनाज़पुर में हिन्दुओं की संख्या ५१ प्रतिशत थी ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं माननीय सदस्यों से कई वार निवेदन कर चुका हूं कि वे शोर न करें । मुझे विवश हो कर कार्यवाही विलम्बित करनी पड़ेगी ।

†**श्री बर्मन** : किशनगंज के मुसलमानों के मन में यह विचार वैठ गया है कि बंगाली शरणार्थी बिहार में बसाये जायेंगे और उन्हें कहीं और भेज दिया जायेगा । इस अफवाह के फैलने से वह डरने लगे अन्यथा ऐसी कोई बात नहीं थी । मेरे विचार से बिहार इस हस्तांतरण का विरोध नहीं करेगा ।

बाबू राम नारायण सिंह (हजारीबाग पश्चिम) : उपाध्यक्ष महोदय, बिहार के देहातों में एक कहावत प्रचलित है कि "बैठा बनियां क्या करे, इस कोठी का धान उस कोठी में धरे"। इस सरकार को जो देश का काम करना चाहिये वह नजर नहीं आता । ऐसे ऐसे काम पार्लियामेंट में चला देती है और सारे देश के अन्दर शुरू कर देती है कि हल्ला होने लगता है । अभी हमारे प्रधान मंत्री विदेशों का भ्रमण कर के आये हैं, उन्होने सारे संसार में शांति का संदेश पहुंचाया है, लेकिन अगर उनके अपने देश में देखा जाये तो अशांति की हद्द नहीं है । मेरी समझ में नहीं आता जब वह सारे संसार में शांति चाहते हैं, आकाश में शांति चाहते हैं, तो क्यों भारतवर्ष में कलह बढ़ाना चाहते हैं, झगड़ा बढ़ाना चाहते है और लोगों को जानवरों की तरह मारना चाहते हैं ।

एक माननीय सदस्य : आप को ही प्रधान मंत्री बना दिया जाये ।

बाबू राम नारायण सिंह : खैर, मुझ को बनावें या नहीं या झगड़ा करायें, यह दूसरी बात है । इस बिल का आधार है राज्य पुनर्गठन आयोग । उस आयोग के मुताबिक यह विधेयक आया है, जिस के अनुसार बिहार का कुछ अंश बंगाल में जोड़ा जायगा । लेकिन मुझे इस आयोग से यह शिकायत है कि एक ओर दूसरी बड़ी बात के सम्बन्ध में उस ने कुछ नहीं कहा । आयोग के सामने बहुत बहुत निवेदन आये थे, मेमोरेन्डम (स्मरणपत्र) आये थे, छोटा नागपुर के सम्बन्ध में । यह बात सही है कि मैं भारतीय हूं, भारतवासी हूं, लेकिन बिहारी भी हूं और आज कल कुछ झारखंडी भी हो गया हूं । उस की वजह यह है कि मै एक पुराना राजनैतिक कार्यकर्ता हूं, १९२०-२१ या उससे

†मूल अंग्रेजी में ।

[बाबू राम नारायण सिंह]

पहले भी। लेकिन मैं ने बराबर देखा है और मैं पहले से ही सोचा करता था कि जब देश स्वतंत्र होगा तब छोटा नागपुर को, जिस का नाम अब कुछ भाइयों ने झारखंड रख दिया है, अपने हक के लिये लड़ना पड़ेगा। छोटा नागपुर का इलाका ऐसा है कि बंगाल कहता है कि एक हिस्सा हमे दे दो, उड़ीसा कहता है कि नहीं, नहीं, थोड़ा हम को भी देदो, और बिहार का कहना है कि छोड़ेंगे नहीं। छोटा नागपुर एक ऐसी जायदाद है कि उसको लोग बांटनें को तैयार हैं। बात यह है कि संविधान की जिस धारा के मुताबिक यह बिल यहां पर पेश किया गया है, उसके बारे में सबको विचार कर लेना चाहिये। आज देश में ऐसी परिस्थिति हो गई है कि जिस में ऐसा मालूम पड़ता है कि भारतवर्ष में कोई एक व्यक्ति या कुछ व्यक्ति मालिक बन गये हैं और अब उनके ही हाथ में सब कुछ लेना देना रह गया है। अब यह उन्हीं की मर्जी पर निर्भर करता है कि जिसको वह चाहें बम्बई दे दें और जिसको चाहें हिमाचल प्रदेश दे दें। लेकिन मैं तो यह कहता हूं कि अगर संविधान को ठीक से पढ़ा जाये तो आप को मालूम होगा कि पार्लियामेंट को ही केवल यह अधिकार है कि नया राज्य वह बना दे, किसी राज्य की सीमा को अगर व चाहे तो कम कर दे और किसी राज्य की सीमा को यदि वह चाहे तो बढ़ा दे। लेकिन इसके साथ ही साथ यह भी आवश्यक है कि जो कुछ भी वह करे, उस को करने के पहले उस इलाके के लोगों की जो राय है वह उसको भी देख ले और उसी के मुताबिक काम करे।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

अभी कुछ दिन हुए बिहार तथा बंगाल असैम्बलियों की बैठकें हुई हैं और अगर आप वहा के कार्य विवरण को देखें तो आपको मालूम होगा कि इस बिल से न तो बिहार के लोग प्रसन्न हैं और न बंगाल के। लेकिन इसके बावजूद भी भारत सरकार ने इस विधेयक को यहां प्रस्तुत कर दिया है और उस पर अब बहस हो रही है और मैं यह भी जानता हूं कि यह पास भी हो ही जायेगा। कहने को तो यह पार्लियामेंट (संसद) है लेकिन यहां पर जो वोट दिये जायेंगे वे हुक्म के मुताबिक दिये जायेंगे। बिहार के लोगों नें एक दरख्वास्त अपने लीडर के पास दी है जिस पर जो हुक्म होगा उसी के मुताबिक किया जायेगा और अगर हुक्म होगा कि उसके पक्ष में वोट देना है तो वह मानना ही पड़ेगा और यह विधेयक पास करना ही पड़ेगा। लेकिन मैं कहता हूं कि यह अनर्थ की जड़ है और ऐसा नहीं होना चाहिये। इस सम्बन्ध में मैंने पहले भी कहा था और आज फिर कहता हूं कि आयोग ने ठीक से मसलों पर विचार ही नहीं किया और अगर किया है तो उसकी परवा नहीं की और अपने मन से ही रिपोर्ट (प्रतिवेदन) लिख दी है। मैं, अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से छोटा नागपुर का जो इलाका है उसका थोड़ा सा इतिहास बतलाना चाहता हूं। अंग्रेजों के जमानें में वह एक बहुत ही बैकवर्ड ट्रैक्ट (पिछड़े हुए क्षेत्र) के नाम से पुकारा जाता था। इसके बाद जब साईमन कमिशन आया उसके बाद इस इलाके की कुछ तरक्की हुई और इसको पार्शियली एक्सक्ल्यूडिड एरिया का नाम दिया गया। ये सब नाम तो अब इसे नहीं दिये जाते हैं और छोटा नागपुर की अभी जो स्थिति है उसके मुताबिक न तो उसे बैकवर्ड एरिया का नाम दिया गया है और न ही पार्शियली एक्सक्ल्यूडिड एरिया (अंशतः अलग क्षेत्र) का नाम ही उसको दिया गया है और न हीं और कोई नाम संविधान के मुताबिक उसे दिया गया है। लेकिन जिस वक्त संविधान बन रहा था उस समय एक सब-कमिटी बनी थी जिस ने यह कहा था कि छोटा नागपुर के लिए कोई विशेष प्रबंध होना चाहिये। वे लोग नहीं चाहते थे कि छोटा नागपुर का एक अलग से प्रान्त बनें लेकिन उप-समिति की राय थी कि छोटा नागपुर का विशेष प्रबन्ध होना चाहिये और यह जो एस० आर० सी० की रिपोर्ट है उसमें भी यह कहा गया है कि कोई विशेष प्रबन्ध इसका किया जाये और वहां पर रीजनल काउंसिल हो। इस चीज को न कर के कोई और प्रबन्ध भी इस इलाके के बारे में इस बिल में नहीं किया गया है और न कोई बात ही कही गई है। अब मैं जानना चाहता हूं कि छोटा नागपुर को अलग से प्रान्त बनाने की बात को क्यों नहीं माना गया है? यह कहा जाता है कि अगर छोटा नागपुर का नया प्रान्त बन गया तो बिहार की जो आर्थिक परिस्थिति है वह बिगड़ जायेगी। कैसी सुन्दर बहस है? बिहार की आर्थिक परिस्थिति न बिगड़े, इस वास्ते छोटा नागपुर उसका गुलाम बना रहे। यही कारण है

जो बिहार में दूसरे लोग हैं, जो छोटा नागपुर से भिन्न प्रकार से रहने वाले लोग हैं वे यह नहीं चाहते हैं कि छोटा नागपुर का एक अलग से प्रान्त बने। आज जब बिहार के लोग यह कहते हैं कि बंगाली लोग बिहार को हड़पना चाहते हैं तो यह सुन कर मुझे कुछ हंसी आ जाती है। मैं समझता हूं कि वे लोग जो इस तरह की बात कहते हैं वे इम्पीरियलिस्ट पालिसी (साम्राज्यवादी नीति) बरतते हैं और उसी के मुताबिक हम लोगों को अपनें साथ रखना चाहतें हैं। जिस नीयत से बिहारी लोग छोटा नागपुर के लोगों को अपने साथ रखना चाहते हैं, उनको अपने अधीन रखना चाहते हैं, वह मै समझता हूं आप केवल भोग विलास की ही खातिर करना चाहते हैं। जिस चीज़ पर सब भाइयों को विचार करना है वह यह ह कि जिस तरह का शासन कार्य चल रहा है, उसमें अवश्य ही परिवर्तन होना चाहिये और जो न्याययुक्त बात है वही होनी चाहिये। किसी भाई ने कहा कि बिहार के साथ बहुत अन्याय हो रहा है और उसके साथ न्याय होना चाहिये : मैं उनसे पूछता हूं कि न्याय करने के लिये क्या यहां पर कोई जज बैठे हुए हैं ? यहां पर जज तो वे हैं जो किसी के हुक्म में हैं, और जब हुक्म मिलेगा और जिस तरह का हुक्म मिलेगा उसी तरह का फैसला दिया जायेगा। यह तो न्याय नहीं है। हां, न्याय अवश्य हो, यह बात मैं मानता हूं। जब तक न्याय पर लोग नहीं आयेंगे तब तक देश में शान्ति स्थापित नहीं हो सकती है। मैं भारत के बारे में नहीं कहता लेकिन बिहार सरकार के बारे में कहता हूं कि आज जो पुरुलिया का कुछ हिस्सा, या मानभूम का कुछ हिस्सा अगर बाहर चला गया तो इसका सारा पाप बिहार सरकार तथा मेरे भाइयों पर होगा। बिहार सरकार अगर सुन्दर शासन करती, अगर लोगों से सुन्दर बर्ताव करती तो मैं समझता हूं कि यह प्रश्न नहीं उठता। मैं देश का एक पुराना कार्यकर्ता हूं और मैं जानता हूं कि पुरुलिया में ऐसे ऐसे देशभक्त लोग थे जिसका कोई हिसाब किताब ही नहीं लेकिन आज का जो शासन है, जिसको मैं समझता हूं, शासन कहना ही नहीं चाहिये, इसके ज़रिये उन लोगों का इतना अपमान किया गया है, इतना दमन किया गया है कि उन लोगों के लिये आपके साथ रहना भी कठिन हो गया है। अगर आप उन लोगों को अपने साथ रखना चाहते थे तो आपको इतनी अक्ल होनी चाहिये थी कि आप उनको, प्रेम से, संयम से, अपने साथ रखने के उपाय सोचते। लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि ऐसी ऐसी सरकारें सब जगह बन गई हैं जिन को न तो देश की परवाह है, न सुन्दर शासन की परवा है और न ही सुन्दर काम की परवा है। यहां पर तो नवाब वाजिद अली की तरह से काम हो रहा है। देश की दशा कुछ भी हो, इसकी कोई परवाह नहीं की जाती है।

कांग्रेस कितनी बदल गई है, इसका आप अंदाजा लगाइये। यह कहा गया था कि देश जब आज़ाद होगा तो भाषावार प्रान्त बनायें जायेंगे। आज, मैं समझता हूं, कांग्रेस को कत्ल कर के फेंक दिया गया है। आज तो एक सरकार और दूसरी ओर जनता है जिस पर कि वह राज्य कर रही है। कांग्रेस में एक प्रस्ताव यह भी पास किया गया था कि जब देश आज़ाद होगा तो ५०० रुपये से अधिक वेतन नहीं होगा लेकिन आज कई कई हज़ार रुपया वेतन लिया जा रहा है और बड़े बड़े बंगलोज़ में रहा जा रहा है। जो मौजूदा शासन है, इसके बारे में मैं यह कहता हूं कि यह वाजिद अली के शासन से कम नहीं है। कांग्रेस का तो नाम नहीं लेना चाहिये। अंग्रेजों के बारे में यह कहा जाता है कि जैसे जैसे वे शासन बढ़ाते गये सुविधा के अनुसार प्रान्त बनाते गये। लोग बराबर कहा करते थे कि भाषावार प्रान्तों की रचना से शासन प्रबन्ध ज्यादा अच्छी तरह चल सकेगा। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, इस समय आवश्यकता इस बात की है कि देश में एक अच्छा, शान्तिपूर्ण और सुन्दर वायु-मंडल पैदा किया जाये। उदाहरण के लिये यदि इस समय बिहार और बंगाल के मध्य कोई झगड़ा है, तो दोनों प्रदेशों के लोग मिल कर बैठें और शान्तिपूर्ण वातावरण में विचार-विनिमय कर के फैसला कर लें कि यहां तक बिहार का क्षेत्र है और वहां तक बंगाल का क्षेत्र है। आज कानून लाठी से बन रहे हैं और कानून भी लाठी है। यह ठीक है कि उसके द्वारा बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन मैं यह बता देना चाहता हूं कि इस मार्ग पर चलने से शान्ति नहीं होगी। हम को प्रचार करके शान्ति और सद्भाव का वातावरण पैदा करना चाहिये। मैं तो यह चाहता हूं कि अगर बिहार का कोई भाई बंगाल में जाना चाहता है, तो उसको जरूर जाने देना चाहिये। आखिर इस बात का क्या मतलब है कि हम किसी को जबरदस्ती बिहार में रखें ? लेकिन इसी के साथ

[बाबू राम नारायण सिंह]

ही साथ जो व्यक्ति बिहार से बंगाल में नहीं जाना चाहता है, वह किस कानून और किस अधिकार के मुताबिक बंगाल में रखा जा रहा है ? यह बिल्कुल न्याय के प्रतिकूल बात है। ऐसा करने का किसी को अधिकार नहीं है। अगर यह पार्लियामेंट (संसद) ऐसा करेगी, तो यह उसकी अनाधिकार चेष्टा होगी। यह एक अनाधिकार कार्य होगा। यह मैं पार्लियामेंट की बात कह रहा हूं। सरकार तो अनाधिकार कार्य करेगी ही। ऐसी बातों को हमें यहां ही रहने देना चाहिये और देश में एक ऐसा वातावरण, एक ऐसा वायुमंडल पैदा करना चाहियें कि जो भी प्रश्न हो चाहे वह बम्बई का प्रश्न हो अथवा बिहार-बंगाल का प्रश्न हो सब लोग मिल कर उस को शान्तिपूर्वक हल करें। अगर वह आज हल नहीं हो सकता है, तो उसको कल के लिये छोड़ दें, एक दो वर्ष बाद उस को लेलें। इसके अलावा हम को यह बात भी सामने रखनी चाहिये कि अगर कुछ अंश बंगाल को दे दिया गया, तो कोई आकाश नहीं फट जायगा और अगर न दिया गया, तो भी कोई आकाश नहीं फट जायेगा। इसलिये यह आवश्यक और उचित है कि इस सम्बन्ध में जो भी कार्य हो, वह सब की सलाह से हो। यहां की सरकार और हमारे प्रधान मंत्री, नेहरू जी, भी इस बारे में ज़बर्दस्ती न करें। मैं तो यह चाहता हूं कि बिहारियों की ऐसी अभिलाषा होनी चाहिये कि जो भी कार्य हो, वह बंगाल वालों के आशीर्वाद से हो, उनकी सद्भावना से हो। उसी प्रकार बंगाल वालों को भी चाहिये कि वे जो कुछ करें, बिहार-वासियों की सदिच्छा और आशीर्वाद से करें।

मैं उस वक्त जेल में था, जब कि मैंने सुना कि बंगाल और बिहार एक होने जा रहे हैं। उससे न मुझे खुशी हुई और न मैं नाराज़ हुआ—लेकिन मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। इस सम्बन्ध में किसी से बातचीत में मैंने कहा कि "यह इतनी अच्छी बात है कि इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता"। मैंने उसी वक्त समझ लिया कि यह बिल्कुल धोखेबाजी की बात है—इतनी अच्छी बात है कि वह होने वाली नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आप को याद होगा कि जिस समय यहां संविधान बन रहा था, उस समय एक ऐसा विचार आया था कि देश में एक सरकार—भारत सरकार—रहे और जितनी लड़ाई करनेवाली प्रान्तीय सरकारें हैं, वे न रहें। ऐसा वायुमंडल पैदा हुआ था। उस सुझाव पर विचार भी हुआ था, लेकिन जिनको मंत्री बनना था, वे झुंड के झुंड काहे को यह होने देते ? आखिर यह बात नहीं हुई। प्रान्तीय सरकारें बनीं और नतीजा हम आज देख रहे हैं।

आज भी मैं समझता हूं कि प्रधान मंत्री के हाथ में यह अधिकार है कि वह जो चाहें, कर सकते हैं। वह जैसा कहेंगे, वह हो जायेगा। पहला काम उनको यह करना चाहिये कि भारत के हित में वह संविधान को बदल दें और बदल कर जितनी भी प्रान्तीय सरकारें हैं, उन को खत्म कर दें। हमारे प्रधान मंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू, जो कुछ चाहें, सो वह कर सकते हैं। उनको इतना अधिकार है लेकिन दुख की बात यह है कि वह जो कुछ करते हैं, वह विदेशों के बारे में करते हैं, विदेशों के बारे में सोचते हैं और इस देश के बारे में सोचने का न उनके पास समय है और न इरादा ही।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि ऐसा विधेयक यहां पर लाकर देश में इस तरह हलचल पैदा करना बिल्कुल देश द्रोह का काम करना है देशभक्ति का नहीं।

†**विधि कार्य मंत्री (श्री पाटस्कर)**: मैं र० द० मिश्र के औचित्य प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूं। माननीय सदस्य ने तीन मामलों के सम्बन्ध में औचित्य प्रश्न उठाया था।

सब से पहले उन्होंने यह कहा कि नियम ९२ के परन्तुक के अनुसार यह विधेयक संयुक्त समिति को नहीं सौंपा जा सकता है। वह परन्तुक इस प्रकार है :

"परन्तु खंड (३) में निर्दिष्ट कोई ऐसा प्रस्ताव किसी ऐसे विधेयक के सम्बन्ध में नहीं किया जायेगा जिसमें संविधान के अनुच्छेद ११० के खंड (१) के उपखंड (क) से (च) में उल्लिखित विषयों में से किसी के लिये उपबन्ध हो।"

---

†मूल अंग्रेजी में।

(राज्य क्षेत्रों का हस्तान्तरण) विधेयक

जैसे कि आप को विदित है अनुच्छेद ११० में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है उस में (क) से (च) तक कई श्रेणियां हैं। श्री र० द० मिश्र यह कहना चाहते हैं कि विधेयक केखंड २१ के उपबन्धों के कारण यह श्रेणी (ग) में आता है। वस्तुतः, उपखंड (ग) संचित निधि अथवा भारत की आकस्मिक निधि की व्यवस्था करने में उन भुगतान करने अथवा ऐसी किसी निधी म से कुछ निकालने के बारे में है। खड २१ में यह कहा गया है कि :

"संघ उत्पादन शुल्क (वितरण) अधिनियम १९५३ की धारा ३ और संविधान (राजस्व का वितरण) आदेश, १९५३ की कंडिकायें ३, ४, और ५ वित्तिय वर्ष १९५६-५७ के लिये ऐसे रूप-भेदों सहित लागू होगी जो राष्ट्रपति इस अधिनियम की धारा ३ द्वारा हस्तांतरित राज्यक्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए अधिसूचित आदेश द्वारा विशेषित करें"।

इस विधेयक का आशय कुछ क्षेत्रों का बिहार से पश्चिम बंगाल में हस्तांतरण करना है। अतः खंड २१ में यह उपबन्ध किया गया है कि यदि राष्ट्रपति चाहे तो धारा ३ द्वारा हस्तांतरित राज्य क्षेत्रों को अधिसूचित आदेश द्वारा विशेषित कर दे। जो कुछ किया जाना है वह केवल उन राशियों में कुछ रूपभेद किया जाना है जो वर्तमान बिहार और पश्चिम बंगाल राज्यों के आधार पर बांटी जा चुकी हैं और इसका कारण यह है कि बिहार का कुछ राज्य क्षेत्र पश्चिमी बंगाल में हस्तांतरण किया जाना है। ऐसा करना इस निधि के वितरण में एक प्रकार का रूपभेद करना होगा। किसी प्रकार यह तर्क प्रस्तुत नहीं किया जा सकता कि यह अनुच्छेद ११० (१) के उपखंड (ग) में उल्लिखित तीन श्रेणियों में से किसी एक में आता है। अनुच्छेद ११० (१) के उपखंड (ग) का आशय केवल यही है कि जब भी कभी भारत की संचित निधि अथवा आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा अथवा उसमें धन जमा करने अथवा उसमें से धन निकालने सम्बन्धी उपबन्ध किये जायें तब यह लागू होगा। परन्तु मेरा विचार है कि यह खंड धन विधेयक की श्रेणी में नहीं आता है। अतः इसे संयुक्त समिति को सौंपा जा सकता है।

दूसरी बात संविधान के अनुच्छेद ११७ के खंड (१) और (३) के अन्तर्गत राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करने के बारे में कही गई थी। अनुच्छेद ११७ वित्तिय विधेयकों के विशेष उपबन्धों के बारे में है। खंड १ में यह कहा गया है कि :

"अनुच्छेद ११० के खंड (१) के (क) से (च) तक के उपखंडों में उल्लिखित विषयों में से किसी के लिये उपबन्ध करनें वाला विधेयक या संशोधन.....पुरःस्थापित न किया जायेगा।"

खंड ३ में कहा गया है कि :

"जिस विधेयक के अधिनियमित किये जाने और प्रवर्तन में लाये जाने पर भारत की संचित निधि से व्यय करना पड़ेगा वह विधेयक संसद के किसी सदन द्वारा तब तक पारित न किया जायेगा जब तक कि ऐसे विधेयक पर विचार करने के लिये उस सदन से राष्ट्रपति ने सिफारिश न की हो।"

मेरा विचार है कि इस विधेयक में कोई ऐसा उपबन्ध नहीं है कि जिसके अधिनियमित होने अथवा प्रवर्तन में लाये जाने से भारत की संचित निधि में से कोई अतिरिक्त व्यय करना पड़ेगा। अतः वह तर्क भी ठीक नहीं हैं।

तीसरा प्रश्न विधेयक के खंड २४ के उपबन्धों पर आधारित है। वह प्रश्न संविधान के अनुच्छेद २७४ से सम्बन्धित है। वह अनुच्छेद इस प्रकार है :

"कोई विधेयक या संशोधन, जो जिस कर या शुल्क में राज्यों का हित सम्बद्ध है, उसको आरोपित या परिवर्तित करता है, अथवा जो भारत आय कर से सम्बद्ध अधिनियमितियों के प्रयोजनों के लिये परिभाषित "कृषि आय" पदावलि के अर्थ को परिवर्तित करता है, अथवा जो उन सिद्धांतों को प्रभावित करता है जिन से कि इस अध्याय के पूर्ववर्ती उपबन्धों में से किसी के अधीन राज्यों को धन वितरणीय हैं या हो सकेंगे, अथवा जो संघ के प्रयोजनों के लिये ऐसा कोई अधिकार

[श्री पाटस्कर]

आरोपित करता है जैसा कि इस अध्याय के पूर्ववर्ती उपबन्धों में वर्णित है, राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना संसद के किसी सदन में न तो पुरःस्थापित और न प्रस्तावित किया जा सकेगा ।"

वस्तुतः यह बात मेरी समझ में नहीं आती है । खंड २४ में हमने कहा है :

"हस्तांतरित राज्य क्षेत्रों में स्थित किसी सम्पत्ति का भू-राजस्व समेत बकाया कर और शुल्क वसूल करने का बिहार का अधिकार पश्चिम बंगाल को प्राप्त होगा और ऐसी हालत में जब कि वह स्थान जहां कर अथवा शुल्क का आरोपण किया गया हो हस्तांतरित राज्य क्षेत्र में चला जाये तो उस स्थिति में बिहार का कोई अन्य बकाया कर अथवा शुल्क वसूल करने का अधिकार भी पश्चिम बंगाल को प्राप्त होगा ।"

खंड २४ में भी कुछ करने का प्रयत्न किया गया है । वह अनुच्छेद २७४ में उल्लिखित मदों में से नहीं है । यह राज्यों के बकाया करों और शुल्कों के बारे में है न कि संघ के करों की बकाया के बारे में । निर्देश केवल राज्य के करों की ओर है न कि अनुच्छेद २७४ में उल्लिखित करों की ओर जो कि संघ के क्षेत्र में आते हैं ।

मेरा विचार है कि वह सब बातें जिनके आधार पर वह औचित्य प्रश्न उठाया गया, ठीक नहीं है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यह आपत्ति की गई है कि अनुच्छेद ११० के खंड (१) के उपखंडों (क) से (च) में उल्लिखित विषयों से सम्बन्धित विधेयक संयुक्त समिति को नहीं सौंपा जा सकता है । परन्तु जैसा कि विधि कार्य मंत्री ने बताया, भारत की संचित निधि में से कोई नवीन विनियोग नहीं किया गया है । यह तो केवल दो राज्यों के मध्य बंटवारे का प्रश्न है जिसके लिये ११० (१) (ग) में कोई उपबन्ध नहीं है । उत्पादन शुल्क की भी पहले से ही व्यवस्था की जा चुकी है । बिहार से पश्चिम बंगाल में हस्तांतरित किये गये क्षेत्र के प्रश्न पर भी अनुच्छेद ११० (१) (ग) लागू नहीं होता है । इसी कारण इसके लिये राष्ट्रपति की सिफारिश की भी आवश्यकता नहीं है ।

खंड २४ में कोई ऐसी प्रस्थापना नहीं है जिसका अनुच्छेद २७४ में उल्लेख हो और अनुच्छेद २७५ में उल्लिखित किसी मामले के लिये राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है । अतः कोई औचित्य प्रश्न नहीं है, इस विषय पर वाद-विवाद जारी रखा जाये ।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** (पटना पूर्व) : अध्यक्ष महोदय, जिस समय से बिहार के कुछ क्षेत्रों को बंगाल को देने का प्रश्न उठा है, तब से ही हम सब इस पर ध्यानपूर्वक विचार करते रहे हैं । हम सबकी इच्छा रही है कि ऐसा कोई काम न किया जाये जिससे दो राज्यों के बीच बुरी भावनायें उत्पन्न हों और इस प्रकार राष्ट्रीय एकता कमज़ोर हो । यह विचार कि किसी विशिष्ट राज्य में भाषा सम्बन्धी वर्ग सुरक्षित नहीं है, पापपूर्ण है और इससे मिले जुले भारतीय राष्ट्र की भावना को हानि पहुंचती है इसके अतिरिक्त आप दो राज्यों की सीमाओं पर स्थित द्विभाषी क्षेत्रों के मामले में कुछ नहीं कर सकते हैं । वहां एक भाषा नहीं हो सकती क्योंकि दो राज्यों में दो भाषायें बोली जाती हैं और यह आवश्यक है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में कुछ मिली जुली भाषायें बोली जायें । तब, आप किस आधार पर सीमाओं की व्यवस्था करेंगे? अतः मेरा विचार है कि आयोग ने एक राज्य में ही एक भाषा के सिद्धान्त को बहुत ही अस्वीकार करके बुद्धिमत्ता का परिचय दिया है । परन्तु अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न न तो राजनीतिक है, न सामाजिक है और न भाषा सम्बन्धी । वस्तुतः यह एक आर्थिक प्रश्न है । विभिन्न राज्यों में कितनी असमानता रहने दी जाये ? जिस प्रकार सामाजिक असमानता से वर्गीय झगड़े उत्पन्न होते ह, उसी प्रकार संघीय ढांचे की एक इकाई के बहुत ज्यादा निर्धन और दूसरे के समृद्धि होने से संघीय ढांचें की जड़ें हिल जाती हैं । अतः हम आयोग की इस सिफारिश या सुझाव का हार्दिक स्वागत करते ह कि राज्यों का पुनर्गठन करनें मे जनता की सहमति एक महत्वपूर्ण बात मानी जाय ।

†मूल अंग्रेजी में ।

यदि यह केवल सीमाओं के फेरबदल का ही प्रश्न हो तो लोगों की इच्छा ही आधार मानी जानी चाहिये। इस मामले में मैं महसूस करती हूं कि लोगों की इच्छाओं पर उतना ध्यान नहीं दिया गया जितना कि दिया जाना चाहिये। आयोग और सरकार दोनों ने ही बहुत से उन सिद्धांतों की उपेक्षा की है जो स्वयं उन्होंने बनाये थे। वर्तमान विधेयक में उन सिद्धांतों को स्पष्टतः भंग किया गया है।

इससे पहले कि मैं विभक्त होने वाले क्षेत्रों के बारे में अपने विचार प्रकट करूं, मैं विधेयक के मनोवैज्ञानिक पहलू पर ज़ोर देना चाहती हूं। मेरा ख्याल है कि सरकार और आयोग ने जिस बात को महत्व दिया है, वह यह कल्पित भावना है कि पश्चिम बंगाल के साथ अन्याय हुआ है। इस विचार का आधार यह बताया जाता है कि १९०५ से बंगाल के बहुत से क्षेत्र छिन गए हैं। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि पश्चिमी बंगाल की इस कल्पित त्रुटि को पूरा करने की इच्छा का इस मामले में सरकार की सिफारिशों पर प्रभाव पड़ा है। उनके दावे विभिन्न और तर्क विरोधात्मक हैं और इसलिये मेरा ख्याल है कि बंगाल का पक्ष बहुत कमजोर है।

मनोवैज्ञानिक पहलू के बारे में, श्री चटर्जी का यह कहना मेरी समझ में नहीं आता कि बंगाल १९०५ से अपने क्षेत्र खोता रहा है। क्या यह सच नहीं है कि बिहार अलग होना चाहता था? यदि हमने अलग होने की प्रार्थना की और हम अलग कर दिये गये, तो यह ठीक ही था। हम यह स्वीकार करते ह कि हम अलग होने के फलस्वरूप ही समृद्ध हुए हैं। मैं यह बात किसी दुर्भावना से नहीं कहती, परन्तु समूची आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था ही ऐसी थी कि हम पश्चिम बंगाल में रहते हुए समृद्धि प्राप्त नहीं कर सकते थे। मेरा ख्याल है कि पश्चिमी बंगाल के मनोवैज्ञानिक पहलू के रूप में जो बात फैलाई गई है वह उनकी निराशा को दूर करने की इच्छा के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। फिर मेरे माननीय मित्र श्री चटर्जी ने आर्थिक पहलू पर भी बहुत जोर दिया था मेरे पास भी आंकड़े हैं और मैं उन्हें चुनौती देती हूं कि वह उन्हें गलत सिद्ध करें। विभाजन के पश्चात् पश्चिम बंगाल के पास अविभाजित बंगाल का ४० प्रतिशत क्षेत्र और ३६ प्रतिशत से कम जनसंख्या रह गई थी। अविभाजित बंगाल में जनसंख्या ७७२ प्रति वर्गमील थी और वर्तमान पश्चिमी बंगाल में जनसंख्यायें केवल ७०९ प्रति वर्ग मील थीं। अविभाजित बंगाल का राजस्व ४४ करोड़ रु० था और जनसंख्या ६०८ लाख थी और विभाजन के पश्चात पश्चिमी बंगाल का राजस्व लगभग ३१ करोड़ रुपया है और जनसंख्या २१८ लाख है, अर्थात, अविभाजित बंगाल का दो तिहाई राजस्व और एक तिहाई जनसंख्या। इससे यह बात स्पष्ट है कि बंगाल की आर्थिक स्थिति दूसरे भाग की अपेक्षा अच्छी है फिर बिहार में प्रति व्यक्ति आय ८·५ रु० है जब कि बंगाल में १५ रु० है। यह कैसे कहा जा सकता है कि अपनी अर्थव्यवस्था को बनाये रखने के लिये बंगाल को बिहार के कुछ क्षेत्र मिलने चाहियें? स्वयं राज्य पुनर्गठन आयोग ने पूर्निया और मानभूम में विस्थापित लोगों को बसाने के तर्क को अस्वीकार किया है क्योंकि वहां जनसंख्या की घनता इतनी है कि विस्थापित लोगों को नहीं बसाया जा सकता। अतः यह तर्क भी निराधार हो जाता है कि पश्चिमी बंगाल विस्थापित लोगों को बसाने के लिये बिहार से कुछ क्षेत्र लेना चाहता है।

बिहार से कुछ क्षेत्र लेने और उन्हें बंगाल में मिलाने के पक्ष में तीन मुख्य तर्क दिये जाते हैं। एक तर्क सभापति का है। यह कहा जाता है कि किसी क्षेत्र विशेष से बंगाल के उत्तरी और मध्य क्षेत्र समीप हो जायेंगे। परन्तु लोगों की इच्छा का क्या होगा? क्या यह उचित है कि लोगों की इच्छाओं को कुचल कर आप यह समीपता प्राप्त करें? मैं ऐसे तरीकों का कड़ा विरोध करती हूं। दूसरा तर्क राष्ट्रीय राजपथों का दिया गया है। संविधान के विभिन्न उपबन्धों के अधीन संसद विधान बना सकती है और इसलिये पश्चिमी बंगाल राष्ट्रीय राजपथों का प्रयोग बिना किसी रुकावट के कर सकता है। अतः यह तर्क भी निराधार है। फिर, प्रतिरक्षा युद्धविधि की बात आती है। श्री चटर्जी के इस व्यंग भरे कथन से मुझे दुःख हुआ कि अब बिहार मुसलमानों से प्रेम करता है। यह मुसलमानों से बिहार के प्रेम करने का या बिहार से मुसलमानों के प्रेम करने का प्रश्न नहीं है। यह तो मुसलमानों का अपने से और अपने अस्तित्व से प्रेम करने का प्रश्न है। अपने अस्तित्व से प्रेम करने के कारण वे जाना नहीं चाहते। हां, हो सकता है कि श्री चटर्जी भारत में कभी मुसलमानों से प्रेम करने लगें।

[श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा]

मेरा ख्याल है कि यदि सीमान्त क्षेत्रों के लोगों को सन्तुष्ट रखा जाता है तो यह मूर्खता की चरम सीमा है और इसमें बहुत बड़ा खतरा है। यदि लोग निराश हो जाते हैं तो आप उस क्षेत्र में राष्ट्रविरोधी कार्यवाही न रोक सकेंगे। फिर इस प्रश्न का एक पहलू और भी है। सीमावर्ती क्षेत्र सदा बड़े राज्य में रहने चाहियें। सीमावर्ती क्षेत्र किसी ऐसे राज्य को न दिया जाना चाहिये जो उस के साथ उपेक्षित बालक जैसा व्यवहार करे और उसकी रक्षा न कर सके।

सरकार को बिहार सरकार और बिहार विधान सभा के विनिश्चय पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये। यह एक अनोखी बात है कि किसी राज्य विधान सभा ने किसी बात को उस पर मत देने की प्रार्थना की जाने पर, पूर्णतया अस्वीकृत कर दिया है। यह माना कि राज्य विधान सभा के मत के बावजूद भी आपको सभा में वह विधेयक प्रस्तुत करने का अधिकार है। परन्तु इसके परिणाम बहुत ही भंयकर हैं। अतः मैं सरकार से प्रार्थना करती हूं कि वह बिहार राज्य की विधान सभा की अस्वीकृति पर विचार करे। बिहार ने गौरवपूर्ण व्यवहार किया है। इस गौरव से लाभ न उठाइये और जनसाधारण में निराशा की भावना पैदा न करिये। यह न समझिये कि यह हमारी कमज़ोरी है। अतः मैं सरकार से प्रार्थना करती हूं कि वह इन तर्कों पर पुनः विचार करे और फिर इस प्रश्न पर विनिश्चय करे।

†**श्री सु० मो० घोष** (मालदा): अध्यक्ष महोदय, यदि बंगाल और बिहार के विलय का मूल प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता, तो मुझे बहुत प्रसन्नता होती। राज्य पुनर्गठन का प्रश्न यह पिछले दो वर्षों से देश के सामने है। पुनर्गठन आयोग ने ध्यानपूर्वक विभिन्न पहलुओं पर विचार करके कुछ विनिश्चय किये और सरकार से कुछ कार्यवाही करने की सिफारिश की। सरकार ने भी विभिन्न राज्यों से परामर्श किया और निश्चित निश्चय करने में कुछ समय लिया। इसके बाद सरकार ने निश्चय किया कि बिहार के पास कुछ क्षेत्र छोड़कर बंगाल-बिहार के मामले में राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश कार्यान्वित की जाये। मेरा कहना यह है कि चर्चा में सदस्यों ने चाहे जो कहा हो परन्तु क्या हमें इन सब पर ध्यान देना चाहिये या विधान सभा, केन्द्रीय संसद और मंत्रिमंडल के लोकतन्त्रात्मक निश्चय पर ध्यान देना चाहिये? बंगाल विधान सभा और परिषद ने कहा है कि यदि हम महानन्दा को सीमा मानते हैं तो वह प्रयोजन सिद्ध न होगा जिसकी दृष्टि से राज्य पुनर्गठन आयोग नें बंगाल को कुछ क्षेत्रों के हस्तांतरण की सिफारिश की है। मेधी नदी को लिये बिना समीपता का उद्देश्य पूरा न होगा। माननीय मंत्री और संयुक्त समिति के सदस्यों ने भी इस ओर ध्यान आकर्षित किया है।

हिन्दी के बारे में, बिहार के कुछ सदस्यों ने कहा है कि पश्चिमी बंगाल में हिन्दी भाषी लोगों को हिन्दी में शिक्षा देने का कोई प्रबन्ध नहीं है। मैं आपको बतादूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र, मालदा में, अब भी एक हिन्दी स्कूल है। पश्चिमी बंगाल में इसके अतिरिक्त, कई हिन्दी स्कूल हैं जहां हिन्दी में शिक्षा दी जाती है। मैं जानता हूं कि कलकत्ता में न केवल हिन्दी भाषा भाषियों के लिये ही अपितु मराठी, गुजराती आदि भाषा भाषियों के लिये भी बहुत से स्कल हैं। इन स्कूलों में लोगों को मातृ भाषा में शिक्षा दी जाती है। हिन्दी हमारी राष्ट्रभाषा है अतः पश्चिमी बंगाल सरकार उच्चतर माध्यमिक तथा अन्य स्कूलों में उसका प्रचार कर रही है। हिन्दी वालों के लिये हिन्दी में शिक्षा देने वाले स्कूल भी वहां हैं।

पूर्निया में मुसलमानों के बारे में मेरे मित्र श्री बर्मन पहले ही बता चुके हैं। मुसलमानों के चले जाने से पूर्वी बंगाल से आये हुए शरणार्थियों ने उनके मकानों पर कब्जा कर लिया है। श्री चटर्जी ने कहा है कि १९५० के दन्गे में जो सात लाख मुसलमान पूर्वी बंगाल चले गयें थे उनमें से ६,५०,००० वापस आ चुके हैं। अधिकतर लोग बसाये जा चुके हैं। अतः आज वह स्थिति नहीं है। पूर्वी बंगाल से लौटे हुए मुसलमानों के बारे में चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उन सभी की भूमि तथा अन्य सारी चीजें वापस दे दी गई हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

मैं समझता हूं कि श्री जयपाल सिंह की बात का उत्तर पहले ही दे चुका हूं। उन्होंने कहा था कि पश्चिमी बंगाल को कुछ भूभाग हस्तांतरित करने पर हमें जोर देना चाहिये? वास्तव में हम इस पर जोर नहीं दे रहे हैं। इस सम्बन्ध में राज्य पुनर्गठन आयोग का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा चुका है। अब संसद में इन प्रतिवेदनों पर विभिन्न दृष्टिकोणों से विचार होगा। मैं श्री जयपाल सिंह की इस बात से सहमत नहीं हूं कि इस कार्य को फिलहाल कुछ समय के लिये टाल दिया जाये।

बाबू राम नारायण सिंह की इस बात का कि हमारे नेता संसार भर में तो शान्ति का राग अलापते हैं किन्तु देश में इस ओर जितना ध्यान दिया जाना चाहिये क्यों नहीं देते, उत्तर यह है कि हमारे अधिक निकट होने के कारण हम उन्हें भली प्रकार समझ नहीं सके हैं। यहां तक कि हम उन्हें सहयोग देने के बजाय गुत्थियों को और भी उलझाते जा रहे हैं।

अब मैं पश्चिमी बंगाल के प्रश्न का आर्थिक दृष्टिकोण से उल्लेख करूंगा। कहा जाता है कि पश्चिमी बंगाल की आर्थिक दशा बहुत अच्छी है। यदि वहां के उद्योग के कुल विनियोग को देखें तो पता लगेगा कि८० प्रतिशत से अधिक पूंजी वहां के बंगालियों की न हो कर बाहर वालों की है। संगठित श्रम भी लगभग ७० प्रतिशत बाहर से आता है। कृषि के क्षेत्र में लगभग ६० प्रतिशत मजदूर बिहार के हैं। इतना ही मैने अपने निर्वाचन क्षेत्र में देखा है कि जो लोग बिहार में रहते हैं उनकी पश्चिम बंगाल में भूमियां हैं। कंट्रोल के दिनों में बंगाल से धान लाने में बड़ी कठिनाई होती थी इस बात की ओर प्रधान मंत्री तथा अन्य नेताओं का ध्यान मैंने ही आकर्षित किया था। इस पर उच्च स्तर पर वार्ता हुई किन्तु कोई भी सन्तोषजनक हल नहीं निकल सका।

श्री म० कु० मैत्र से मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। हम आन्ध्र, महाराष्ट्र तथा अन्य राज्यों का भाषा के आधार पर उदाहरण तो देते हैं किन्तु यह भूल जाते हैं कि वे घने क्षेत्र में हैं, वहां की भाषा एक है तथा संस्कृति के प्रति उनमें प्रेम है। किन्तु पाकिस्तान बन जाने के बाद से कुछ बंगला भाषा भाषी लोग औरों से अलग हो गये हैं जो आसाम और त्रिपुरा आदि स्थानों में रहने लगे। कुछ गोलपाड़ा बिहार और उड़ीसा चले गये। यदि हम वास्तव में सारे भारत की हित की दृष्टि से बंगला भाषा भाषियों की दृष्टि से देखते तो डा० वि० चं० राय और डा० श्री कृष्ण सिन्हा के दोनों राज्यों को मिला देने के सुझाव को अवश्य स्वीकार कर लेते।

मैं अपने बिहारी मित्रों को बताना चाहता हूं कि वे लोग बंगाल बिहार को मिलाने के पक्ष में हैं। म उन लोगों में से नहीं हूं जो यह विश्वास करते हैं कि एक बार नये राज्य बन जाने के बाद फिर उन्हें मिलाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होगा। मैं अब भी आशा करता हूं कि खण्ड अथवा प्रदेश बनाने का प्रश्न पुनः उत्पन्न होगा।

अन्त में मैं एक बात अपने उन बंगाली मित्रों से कहना चाहता हूं कि जो मेरे पक्ष में नहीं हैं कि इस विषय पर उनके व्यक्तिगत अथवा दलगत विचार चाहे जो भी रहे हों, किन्तु इस समय इस विधेयक के सम्बन्ध में पूर्ण सहयोग देना चाहिये और उसमें डा० वि० चं० राय द्वारा सुझाये गये परिवर्तन को स्वीकार कर लेना चाहिये अन्यथा प्रयोजन की सिद्धि न हो सकेगी।

†**श्री श्याम नन्दन सहाय** : मैं बराबर यही महसूस करता रहा हूं कि जिस दिन राज्य पुनर्गठन आयोग बनाने के बारे में निर्णय किया गया था, वह दिन हमारे लिये बड़ा अशुभ था। आज जो कुछ हम देख रहे ह वह तो उसका एक अंश मात्र है। आगे चल कर पता नहीं क्या हो किंतु मैं चाहता यह हूं कि ईश्वर न करे वह दिन भी हमें देखना पड़े।

राज्यों के पुनर्गठन के बारे में यहां तथा राज्य विधान सभाओं में भिन्न भिन्न मत प्रकट किये गये हैं। इसमें संदेह नहीं कि किसी समय नेताओं की राय यह थी कि देश में भाषावार राज्य बनने चाहियें किन्तु यह भी सच ह कि दर आयोग प्रतिवेदन का उल्लेख जे०वी०पी० समिति---जवाहरलाल, वल्लभभाई और पट्टाभि सीतारमैया समिति कहतें हैं---ने किया तो उसने कहा कि केवल भाषा सम्बन्धी

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री श्याम नन्दन सहाय]

सम्पर्क के आधार राज्यों का पुनर्गठन अथवा पुनर्वितरण नहीं किया जा सकता । सीमान्त क्षेत्रों के मामले में यह प्रश्न बड़ा महत्व रखता है। सभी राज्य की सीमा के लोग अधिकतर दो प्रकार की भाषायें बोलते हैं। मानभूम के बारे में यही बात लागू होती है। दर आयोग और जे० वी० पी० समिति में कहा गया था कि किसी एक क्षेत्र का दूसरे क्षेत्र में विलय करने के लिये इस बात की आवश्यकता होती है कि उन क्षेत्रों के लगभग ७० प्रतिशत लोगों की भाषा एक ही होनी चाहिये । इससे भी अधिक महत्व जनता की इच्छा को दिया जाता है ।

कुछ मित्रों ने कहा है कि बिहार के लोग तो इस मामले में दुर्योधन जैसा विचार रखते हैं कि वे युद्ध के बिना सुई की नोक के बराबर भी भूमि देने को तैयार नहीं है किन्तु वास्तविकता ठीक इसके विपरीत है। फिर भला इसमें बिहारियों का क्या दोष ? मैं पूछता हूँ कि कुछ भूमि किसी राज्य की और कुछ किसी राज्य की लेकर एक दूसरे राज्य में मिला देना क्या देश के हित में होगा ? इसी प्रकार किशनगंज को बंगाल में मिला देने से क्या बंगाल का कुछ लाभ होगा। मैं चाहता हूं कि इस पर शान्ति-पूर्वक विचार किया जाये ।

इस सभा के मेरे एक बड़े दिलेर दोस्त ने कहा कि किशनगंज की जनसंख्या इतनी है और वे ऐसा चाहते हैं, वैसा चाहते हैं। श्री बर्मन किशनगंज होकर अक्सर आते जाते हैं। उन्हीं से पूछ लिया जाये कि क्या वहां के एक या दो प्रतिशत लोग तक इस पक्ष में हैं कि उसे बंगाल में मिला दिया जाये। क्या यह बात ऐसी नहीं है कि जिस पर बंगाल के लोग भी गम्भीरतापूर्वक सोचें ? यदि बिहार की इस बात को भी छोड़ दिया जाये तो भी हमें इस बात को भी ध्यान में रखना है कि उन लगभग तीन चार लाख लोगों का क्या होगा जिन्हें "अन्तर्राष्ट्रीय सीमान्त" के लोग करार दिया गया है ।

मेरे मित्र श्री चटर्जी ने १९४६-४७ के अशान्तिपूर्ण दिनों में बंगाल में हिन्दु मुसलमानों में जो झगड़े हुए थे, उनका उल्लेख किया है। हमें और कोई चाहे जो कुछ कहता किन्तु बंगालियों को तो हम पर दोषारोपण नहीं करना चाहिये था। प्रत्येक व्यक्ति यह जानता है कि यह सब और कुछ नहीं तो नोवाखली तथा अन्य स्थानों में जो कुछ हुआ था, उसकी प्रतिक्रिया थी। मैं नहीं कहता कि हिन्दुओं ने बिहार में जो कुछ किया था वह ठीक था और हम लोगों ने किसी को दबाने का प्रयत्न किया था ।

यह भी छोड़िये, मेरा तो कहना यह है कि जो बात सच है उस पर चर्चा करने से क्या लाभ ? श्री ही० ना० मुकर्जी और श्री बर्मन चाहें तो मैं भी उनके साथ चल सकता हूं और वे किशनगंज चल कर वहां के लोगों की राय लें। यदि एक या दो प्रतिशत लोग भी बंगाल में मिला देनें के पक्ष में निकल आयें तो मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि इस हस्तांतरण में मैं उनकी यथाशक्ति सहायता करूंगा ।

†**श्री बर्मन** : क्या माननीय मित्र जानते हैं कि इस क्षेत्र के उत्तरी भाग में मेरी जाति के लोग रहते है ?

†**श्री श्याम नन्दन सहाय** : मैं पूरे किशनगंज की बात कर रहा हूं। जल्दी में कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिये जिससे बाद में पश्चाताप करना पड़े। कुछ समय पूर्व दार्जिलिंग में कुछ उपद्रव हुआ था जिसमें दीनापुर बिहार की ही सेना काम में आई थी। ये ऐतिहासिक तथ्य है जिन्हें मैं प्रवर समिति के समक्ष रखूंगा। मैंने कांग्रेस अध्यक्ष के सम्मुख इस मामले को रखते समय यह कहा था कि आप बिना किसी कठिनाई के दो भाग हो जाने पर भी आवागमन जारी रख सकते है। सीधी दार्जिलिंग तक जानें वाली एक अच्छी सड़क भी है। मेघी नदी का प्रश्न भी उत्पन्न नहीं होगा। यह बंगाल के दक्षिणी भाग से सीधे उत्तरी भाग तक जाती है। इससे कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं होगा। इसलिये मैं ने यहां पहले यह चर्चा कर लेना उचित समझा ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

मैं माननीय गृह कार्य मंत्री को एक बात यह बताना चाहता हूं कि वह राज्य पुनर्गठन आयोग के केवल एक वाक्य से प्रभावित हुए हैं कि किशनगंज और सिरपुरी, जो वहां के जिले हैं, उनकी भाषा बंगला से अधिक मिलती जुलती है। इस बारे में मत विभिन्नता है यद्यपि हो सकता है ऐसा भी हो। किन्तु मेरे पास समय नहीं है अन्यथा मैं इसका प्रमाण देता कि ऐसी बात नहीं है। मैं उन अध्यायों को प्रवर समिति के सम्मुख प्रस्तुत करूंगा और बताऊंगा कि किसी प्रक्रम में ऐसा निर्णय किया गया था किन्तु बाद में प्रमुख भाषा विद्वानों ने कहा है कि उनकी भाषा हिन्दी से अधिक मिलती जुलती है केवल एक ही चीज स्वीकार की गई है कि वह काथी लिपि में लिखी गई है, जो हिन्दी लिपि है।

आयोग ने उर्दू को संरक्षण देने और किशनगंज के उर्दू बोलने वाले लोगों के लिये विशेष उपबन्ध बनाने की बात कही है। यदि किशनगंजिया और शिवपुरिया बोलियां होतीं और बंगला से अधिक मिलती जुलती होतीं तो उर्दू के लिये विशेष उपबन्ध क्यों किया गया होता ? पश्चिमी बंगाल सरकार ने अपनी भाषा बंगला रखी है। किन्तु उसे अपने यहां हिन्दी और उर्दू के लिये न केवल स्कूल ही अपितु उर्दू में लिखी प्राप्त पत्रिकाओं को पढ़ने के लिये विशेष प्रबन्ध करना पड़ेगा।

जहां तक पुरुलिया का सम्बन्ध है, ७०७ प्रतिशत के आंकड़े बिल्कुल गलत हैं इसकी गणना में कोई अशुद्धि हो गई है ? अब वहां काफी परिवर्तन हो चुके हैं। मेरे पास वहां के जो आकड़े हैं उन्हें मैं प्रवर समिति के समक्ष रखूंगा क्योंकि इस प्रश्न के उठाये जाने पर वही उपयुक्त स्थान होगा।

भाषा सम्बन्धी विचार और पुरुलिया को पुनः सीमा दिये जाने के अलावा समिति ने जिसने इस समस्या पर विचार किया था, इस प्रश्न का बंटवारा नदी के जलागम क्षेत्र के आधार पर किया था। यह बड़े आश्चर्य की बात है। इस बारे में अनेक तर्क दिये गये हैं। मैं इसको अस्वीकार नहीं करता कि पुरुलिया में काफी बंगाली हैं जो स्वाभाविक है यह चाहते होंगे कि वह बंगाल में मिलाये जायें किन्तु मुझे लगता है कि उन्हें सद्‌बुद्धि मिल गई है। हाल ही में मैंने सुना है कि पुरुलिया का कुछ बाकुरा अथवा किसी अन्य उप विभाग में मिला दिया जायेगा। मेरी समझ में नहीं आता कि फिर वहां के बेचारे वकीलों की क्या दशा होगी ?

मेरे एक मित्र ने जनमत संग्रह की बात कही थी जिसके उत्तर में कहा गया था कि आप जनमत संग्रह की बातें करते हैं और यहां पुरुलिया से एक हज़ार व्यक्ति सीमा के समायोजन के कारण कलकत्ता चले गये। मानभूम में भी अभी बहुत से ऐसे बंगाली हैं जो बंगाल में मिलना नहीं चाहेंगे। पुरुलिया नगर में ही बहुत से ऐसे लोग हैं जो यह नहीं चाहते कि पुरुलिया को बिहार से अलग कर दिया जाये।

मैं प्रवर समिति से एक निवेदन यह और करना चाहूंगा कि चाहे किसी भी राज्य का कुछ क्षेत्र किसी दूसरे राज्य में मिला दिया जाय तो भी उनमें दुर्भावना नहीं होनी चाहिये।

मैं विशेषकर अपने बंगाली मित्रों से इस बात पर विचार करने का अनुरोध करूंगा कि धनबाद, रांची और जमशेदपुर आदि स्थानों की, जहां तक संचार का सम्बन्ध है, स्थिति और अधिक खराब नहीं हो रही है।

मैंने न केवल ऐतिहासिक तथ्यों अपितु आंकड़ों और मानचित्र के द्वारा इस समस्या का अध्ययन कर एक सूत्र ढूंढ निकाला है। जब कभी यह विषय प्रवर समिति के सम्मुख आयेगा तो मैं अपने बंगाली मित्रों को यह बात मनवा लूंगा कि यदि दोनों राज्य फूलना फलना चाहते हैं और यह चाहते हैं कि किसी प्रकार की दुर्भावना न उत्पन्न हो तो समायोजना की कोई भी गुंजाईश नहीं है।

श्री ही०ना०मुकर्जी ने बिहार विधान सभा में दिये गये कुछ वक्तव्य उद्धृत किये हैं किन्तु बिहार की सभ्यता यह नहीं सिखाती कि हम एक दूसरे पर आक्षेप करें। मैं बिहारी और बिहार के कुछ भाग के प्रतिनिधि की हैसियत से अपने बंगाली मित्रों से निवेदन करूंगा कि यदि उन्हें बिहार विधान सभा का वक्तव्य किसी प्रकार बुरा लगा हो तो मैं उनकी ओर से क्षमा प्रार्थी हूं।

†**श्री दातार** : आज हमनें उस विषय पर चर्चा की है, जो बहुत ऊंचे स्तर पर थी। चर्चा में जिन सदस्यों ने भाग लिया है और बड़ी गरिमा के स्तर पर कायम रखा है मैं उन सब का आभारी हूं।

स्वभावतः ज़ोरदार भाषण हुए हैं। किन्तु आवेश में आये बिना भी जोरदार भाषण दिये जा सकते हैं। विशेषकर मुझे श्री श्याम नन्दन सहाय के अत्यन्त समझौता करने वाले और शानदार भाषण को सुनकर प्रसन्नता हुई। कोई उनसे सहमत हो या न हो किन्तु उनका दृष्टिकोण सर्वथा उचित था।

जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है, जब इतनी बातें उठाई गयी हैं, मुझे विश्वास है कि संयुक्त समिति उन सब पर विचार करेगी और जिन संशोधनों को वह उचित समझती है तथा जो बिल्कुल शान्तिपूर्ण भावना से किये गये हैं, उन्हें स्वीकार करेगी, क्योंकि बंगाल और बिहार को बहुत अच्छे मित्र पड़ौसी के रूप में रहना होगा। इसलिये मैं माननीय सदस्य की इस भावना को दाद देता हूं कि चाहे कुछ भी हो चाहे यह भाग बंगाल में चला जाये चाहे दूसरा भाग बिहार में रहे, हमें इन क्षेत्रों में सदा अत्यन्त सौजन्यता और पड़ौसीवाले सम्बन्ध बनाये रखना होगा।

मैं बहुत अधिक समय नहीं लेना चाहता, किन्तु संक्षेप में कुछ बातों का उल्लेख करूंगा जो माननीय सदस्यों द्वारा कही गई है। यह कहा गया है कि जहां तक वर्तमान विधेयक का सम्बन्ध है यह जल्दबाजी का परिणाम है और इस में बहुत जल्दी की गई है।

मैं माननीय सदस्यों को बताऊं कि इस प्रश्न पर पूरी तरह विचार किया गया था। यह भी ध्यान देने योग्य है कि हमनें जो निर्णय करना चाहते हैं वह प्रजातंत्रात्मक निर्णय है इसी प्रकार जो उपाय या प्रक्रिया अपनाई गयी है वह भी पूर्णतया प्रजातंत्रात्मक है, क्योंकि प्रत्येक स्तर पर हमने बहुत से मामलों में बंगाल और बिहार के नेताओं से परामर्श लिया है। इसलिये यह कहना उचित नहीं होगा कि मामले में शीघ्रता से काम लिया गया है।

कहा गया है कि पश्चिम बंगाल बड़ा समृद्ध है और बिहार की उपेक्षा की गई है। मैं कहूंगा कि जहां तक इन दोनों राज्यों का सम्बन्ध है बड़ी हद तक दोनों की एक ही स्थिति है। स्वयं भारत आर्थिक दृष्टि से अत्यन्त पिछड़ा हुवा देश है और मैं यह बात मानने को तैयार नहीं हूं कि बिहार की उपेक्षा की गई है और पश्चिम बंगाल के साथ पक्षपात किया गया है। इसलिये इन दोनों राज्यों को विशेषकर आर्थिक क्षेत्र में प्रगति करनी है। अतः एक पक्ष के लिये यह कहना कि पश्चिम बंगाल अत्यन्त समृद्ध है और बिहार की परवा नहीं की जा रही है उचित नहीं होगा। हम भारत के किसी भी भाग की उपेक्षा नहीं करते, और फिर बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे महत्वपूर्ण और अत्यन्त जागरूक भागों की। इसलिये मैं चाहता हूं कि इन दोनों राज्यों को यह सोचना चाहिये कि भारत सरकार दोनों का बहुत अच्छी तरह ध्यान रखती है, जो सदा इन दोनों राज्यों के बीच समानता रखती है, जैसा कि दूसरे राज्यों के बीच।

इस पक्ष के एक सदस्य ने कुछ बातें कही हैं जिन्हें मैं बिल्कुल पसन्द नहीं करता। उसने कई बार भारत सरकार को देहली देवता कहा है। यहां कोई देवता नहीं। यहां कोई शासक नहीं। हम सब आपके विनीत सेवक हैं आप को सदा यह बात समझनी चाहिये। हमारे कार्यों में सदा शोधन किया जा सकता है और जब सुझाव आये तो हम उचित फेर बदल कर सकते हैं। इसलिये ऐसा उल्लेख करना विशेषकर इस पक्ष के सहाय के लिये, उचित नहीं है।

दूसरे मैं इस सभा के सब माननीय सदस्यों से कहना चाहता हुं विशेषकर जब कि हमारे महान प्रधान मंत्री इतनें सुन्दर ढंग से अपना कार्य कर रहे हैं और उन्होंने भारत का मान बढ़ाया है, कि सभा में ऐसी कोई बात नहीं कही जानी चाहिये, जिसका दूसरे लोग अनुचित लाभ उठा सकें। दुर्भाग्य की बात है, कि कई ओर से हमारे महान प्रधान मंत्री पर बड़ा कीचड उछाला गया है

† मूल अंग्रेजी में।

मैं चाहता हूं कि सभा के जो सदस्य वाद-विवाद में भाग लें, उन्हें समझना चाहिये कि जहां तक दूसरे देशों का संबंध है, उन की बातों का क्या परिणाम होगा।

एक महिला सदस्य नें बहुत सुन्दर और प्रभावशाली भाषण दिया है। मुझ पर इसका कितना प्रभाव हुआ है यह मैं यहां नहीं बता सकता। किन्तु उन्होंने बहुत सी अच्छी बातें कही हैं, जिन पर विचार करना संयुक्त समिति और स्वभावतः सरकार का कर्त्तव्य है। उन्होंनें अपनी बात बड़े अच्छे ढंग से कही है। किन्तु मुझे अन्तिम बात पसन्द नहीं आई। उन्होंनें किशनगंज के मुसलमानों का उल्लेख किया है। अब वह बोल रही थीं शायद अनजाने में, निश्चय ही उनका यह आशय न होगा, उन्होंने कुछ ऐसी बात कही, जो प्रायः वहां के मुसलमानों को आवेश दिलाने और उन्हें ऐसा व्यवहार करने की प्रेरणा देने वाली थीं, जो भारत के नागरिकों को शोभा नहीं देता। मैं जानता हूं कि सामान्यता भारत के मुसलमान और विशेषकर किशनगंज के मुसलमान पूर्णतः देश भक्त हैं और मैं नहीं सोच सकता कि केवल इस कारण कि संसद ने कुछ क्षेत्र के भविष्य के बारे में एक निर्णय किया है, वे अव्यवस्था फैलायेंगे और हिंसा का प्रयोग करेंगें। इसलिये जब हम कोई तर्क देते हैं, हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि समाज विरोधी या भारत विरोधी तत्व उन का दुरुपयोग न कर सकें।

जहां तक मुसलमानों का सम्बन्ध है, प्रतिवेदन ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि उन की भाषा, उर्दू का संरक्षण किया जाना चाहिये। यह बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा जा चुका है कि जहां तक किशनगंज के लोगों का सम्बन्ध है, वे इस बात से डरते हैं कि कहीं वहां अधिक शरणार्थियों को न बसा दिया जाये इसलिये आयोग ने ठीक ही कहा है कि पश्चिम बंगाल की सरकार को यह आश्वासन देना चाहिये कि उर्दू भाषा और उर्दू स्कूलों का, जहां कहीं वे हैं, पश्चिम सरकार अच्छी तरह ध्यान रखेगी।

दूसरे, इस क्षेत्र में कतिपय शरणार्थियों को बसाने के लिये प्रयत्न नहीं होना चाहिये, जो काफी गुंजान आबादी वाला इलाका प्रतीत होता है। चाहे कुछ भी स्थिति हो, ये सब चीजें करनी होंगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय सदस्यों द्वारा उचित निर्णय होने के पश्चात और प्रतिवेदन आ जाने के बाद सभी पक्षों के बीच अत्यन्त अच्छे सम्बन्ध स्थापित हो जायेंगे।

श्री जयपाल सिंह ने कहा कि इस समय स्थिति साधारण नहीं है। ठीक है कि कई बार असाधारण स्थिति उत्पन्न हो जाती है और असाधारण भावनायें पैदा हो जाती हैं। किन्तु मुझे पूर्ण विश्वास है कि एक समय आयेगा जब ये सब भावनायें चाहे वे कितनी ही विकृत हों, चाहे वे इस समय कितनी भी विषैली क्यों न हों, सब समाप्त हो जायेंगी और ऐसी स्थिति आ जायेगी जब विभिन्न समाज और विभिन्न भाषण बोलने वाले लोग शान्ति और प्रेम के साथ रहेंगे, जैसा कि भारत की परम्परा है।

सीमा आयोग का उल्लेख किया गया है। जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है, आपको विदित है कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने समस्त प्रश्न पर अच्छी तरह विचार करने के उपरांत प्रतिवेदन दिया है। यह मानने वाली बात है कि इधर उधर कुछ अशान्ति होने के बाद धीरे धीरे स्थिति ठीक हो रही है। प्रश्न यह है कि क्या ऐसे समय पर सीमा आयोग स्थापित किया जाये। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे सीमा आयोग की स्थापना के परिणामों पर ध्यान दें। देश के भिन्न भिन्न भागों में जो कुछ हुआ है वह पुनः होगा और स्थिति बड़ी भीषण हो जायेगी। जहां तक ऐसे प्रश्नों का संबंध है, हम हमेशा यही नीति अपनाया करते हैं कि जब कुछ पक्षों में कोई समझौता नहीं होता तब केन्द्रीय सरकार को निर्णय करना पड़ता है।

एक माननीय सदस्य, मैं समझता हूं, पंडित तिवारी ने पूछा है कि जब दोनों पक्ष बुरी तरह असन्तुष्ट हैं तब सरकार अपना निर्णय लागू करने का प्रयत्न क्यों करे। जब मध्यस्थ पंचाट देता है तब सदा यही हुआ करता है। माननीय मित्र चटर्जी अच्छी तरह जानते हैं कि जब कभी मध्यस्थ निर्णय के लिये कोई मामला सौंपा जाता है और मध्यस्थ पंचाट देता है तो दोनों पक्ष असन्तुष्ट रहते हैं किन्तु अन्ततोगत्वा दोनों पक्षों में अच्छे सम्बन्ध स्थापित हो जाया करते हैं। जब दोनों ओर असंतोष होता है इसका यह अर्थ है कि हम पूर्णतः निष्पक्ष हैं कम से कम मैं इस स्थिति का श्रेय लेता हूं।

[श्री दातार]

मैं सभा को यह भी बताऊंगा कि संयुक्त समिति में इन सब बातों पर पूरी तरह विचार किया जायेगा क्योंकि राज्य पुनर्गठन विधेयक पर दूसरी समिति ने विचार किया था। हमें आशा रखनी चाहिये कि पारस्परिक सद्भावना और सहयोग तथा दोनों ओर सामंजस्य की भावना से इस प्रश्न का निपटारा करने की इच्छा से हम ऐसे अच्छे सम्बन्ध कायम कर लेंगे और प्रतिवेदन को इस सभा के दोनों पक्षों के अधिकतर लोगों द्वारा संतोषजनक समझा जायेगा। सम्भव है कि इधर उधर कुछ असंतोष रहे यदि दोनों पक्षों के मित्र भारतीय होने के नाते इस प्रश्न पर सोचें, जो भारतीय रहना चाहते हैं और बंगाल के हितों का संरक्षण बिहार के सदस्यों द्वारा किया जाता है, तो प्रतिवेदन बहुत संतोषजनक होगा इस भावना से मैं सब सदस्यों से इन प्रस्ताव को पारित करने और भारत के पूर्वी प्रदेश में इस प्रश्न को शान्तिपूर्वक हल करने का मार्ग निकालने की अपील करता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

कि बिहार से पश्चिम बंगाल में कतिपय राज्य क्षेत्रों का हस्तान्तरण और तत्-सम्बन्धी विषयों का उपबंध करनें वाले विधेयक को दोनों सभाओं के ४८ सदस्यों की एक संयुक्त समिति को सौंपा जाये जिसमें इस सभा के ३२ सदस्य अर्थात : श्री अतुल्य घोष, श्री उपेन्द्रनाथ बर्मन, श्री अब्दुस सत्तार, श्री सुबोध हासदा, डा० राम सुभग सिंह, श्री अ० इब्राहिम, श्री भागवत झा आज़ाद, श्री श्यामनन्दन सहाय, श्री प्र० चं० बोस, श्री फ० गो० सेन, श्री ह० वि० पाटस्कर, श्री पु० रामस्वामी, श्री असीम कृष्ण दत्त, पंडित अलगूराय शास्त्री, श्री श्रीमन्नारायण, श्री राधा चरण शर्मा, श्री दातार, श्री गुरूमुख सिंह मुसाफिर, डा० हरि मोहन, श्री स० का० पाटिल, श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा, श्री नि० चं० चटर्जी, श्री शं० शा० मोरे, श्री विश्वेश्वर मिश्र, श्री जयपाल सिंह, डा० लंका सुन्दरम्, श्री मोहित कु० मैत्र, श्री तुषार चटर्जी, श्रीमती रेणु चक्रवर्ती और श्री कृपालानी, श्री मजहरि महाता और श्री बंजामिन हंसदा और १६ सदस्य राज्य सभा के हों;

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिये गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की समस्त संख्या की एक तिहाई होगी;

कि समिति ७ अगस्त, १९५६ तक इस सभा को प्रतिवेदन देगी; ।

कि अन्य प्रकरणों में संसदीय समितियों पर लागू होने वाले इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसे परिवर्तनों और रूप भेदों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष करें; और

कि यह सभा राज्य-सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किये जाने वाले सदस्यों के नाम इस सभा को बताये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

इसके पश्चात लोक-सभा गुरुवार, २६ जुलाई, १९५६ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र २७९–८०

निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखें गये :—

(१) विमान निगम अधिनियम, १९५३ की धारा ४४ की उपधारा (३) के अन्तर्गत विमान निगम नियम, १९५४ में कतिपय संशोधन करने वाली निम्न अधिसूचनाओं की एक एक प्रति :—

(१) अधिसूचना संख्या ७–सी० ए० (१) ५५, दिनांक ४ जुलाई, १९५५ व्याख्यात्मक टिप्पण सहित ।

(२) अधिसूचना संख्या ७–सी ए० (१३) ५५, दिनांक १३ जनवरी, १९५६ ।

(२) नागरिकता अधिनियम, १९५५ की धारा १८ की उपधारा (४) के अन्तर्गत निम्नलिखित नियमों की एक एक-प्रति :—

(१) गृहकार्य मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० १५७४, दिनांक ७ जुलाई, १९५६ में प्रकाशित नागरिकता नियम, १९५६ ।

(२) गृह-कार्य मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० १५७५, दिनांक ७ जुलाई, १९५६ में प्रकाशित नागरिकता (भारतीय वाणिज्य दूतावासों के पंजीयन) नियम, १९५६ ।

(३) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिसूचना संख्या ८–सी० ई० आर० ५६, दिनांक १४ जुलाई, १९५६ की एक प्रति ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन २८०

छप्पनवां प्रतिवेदन उपस्थित किया गया ।

अविलम्बनीय लोक महत्त्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना २८०–८१

श्री रघुनाथ सिंह ने कच्छ में हाल के भूकम्प की ओर गृह-मंत्री का ध्यान दिलाया ।

गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार) ने उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया ।

[दैनिक संक्षेपिका] पृष्ठ

मंत्रि पद से त्याग पत्र देने के बारे में श्री चिं० द्वा० देशमुख का वक्तव्य २८१–८५

मंत्री-पद से त्यागपत्र के कारणों की व्याख्या करते हुए श्री चिं० द्वा० देशमुख ने एक वक्तव्य दिया ।

प्रधान मंत्री ने भी उपरोक्त विषय से संगत एक वक्तव्य दिया २८४–८५

विधेयक संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव २८५–३३२

गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री श्री दातार द्वारा बिहार तथा पश्चिमी बंगाल (राज्यक्षेत्रों का हस्तांतरण) विधेयक संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

गुरूवार, २६ जुलाई, १९५६ के लिये कार्यावलि—

राज्य पुनर्गठन विधेयक पर संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार ।